खण्ड-257, अंक-3
गुरूवार, 2 वैशाख, शक संवत् 1887
(22 अप्रैल, 1965 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 257 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

| विषय | | |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २२ अप्रैल, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३८१

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरू)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री

गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री

जयगोपाल, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जुल्फिकार अली खां, नवाबजादा सैयद
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वर प्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त, श्री
देवीदत, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री

नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र,
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती

बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री

मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्रशर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
राम अवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री

रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायण राय, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
शंकरलाल, श्री
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री

शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट--गृह मन्त्री, श्री हरगोविन्दसिंह, वित्त मन्त्री, श्री कैलाशप्रकाश, गृह उप मन्त्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त तथा शिक्षा उपमन्त्री, डाक्टर रामनारायण पाण्डेय भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २२ अप्रैल, १९६५

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

बरेली में अनन्तराम उपनाम बिल्लू की हत्या

**१--श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली), श्री रामेश्वर नाथ (जिला बरेली), श्री हेमराज (जिला बरेली), श्री दुर्गाप्रसाद (जिला पीलीभीत) तथा श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)--

क्या पुलिस मन्त्री को ज्ञात है कि बरेली नगर में ईद से एक दिन पहले एक पंजाबी लड़के का दिन-दहाड़े बेरहमी से कत्ल कर दिया गया? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है?

गृह उपमन्त्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)--

दिनांक १२ अप्रैल, १९६५ को प्रातः काल ६ बजे के लगभग मोहल्ला शाहाबाद, थाना कोतवाली के अन्तर्गत एक पंजाबी युवक, श्री अनन्तराम उपनाम बिल्लू पर चाकू का प्रहार

किया गया जिसके फलस्वरूप उसी दिन लगभग १-३० बजे दोपहर में अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गयी। घटना का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३६२ पर)

**२--श्री हरीशकुमार गंगवार, श्री रामेश्वरलाल , श्री हेमराज, श्री दुर्गाप्रसाद तथा श्री बालोजी अग्रवाल--

क्या यह सही है कि बरेली के शहर कोतवाल को मृतक ने कई बार तथा अन्तिम बार कत्ल से १५-१६ घंटे पहिले स्वयं, अपनी जान के खतरे की सूचना दी थी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

प्राप्त सूचना के अनुसार यह सही नहीं है।

**३--श्री हरीशकुमार गंगवार, श्री रामेश्वरनाथ , श्री हेमराज, श्री दुर्गाप्रसाद तथा श्री बालोजी अग्रवाल--

क्या यह सही है कि प्रमुख अपराधी को शहर कोतवाल ने यह कहते हुये भाग जाने दिया है कि "ईद खैरियत से गुजर जाये" ? यदि हां, तो नगर में पुलिस के विरुद्ध रोष व्याप्त है तथा साम्प्रदायिक भावना उग्र रूप धारण कर चुकी है ? सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

प्राप्त सूचना के अनुसार यह सही नहीं है कि सिटी कोतवाल ने मुख्य अपराधी को छोड़ दिया। इस घटना के फलस्वरूप जनता में पुलिस के विरुद्ध कुछ असन्तोष पैदा हुआ तथा मृतक की मृत्यु के बाद साम्प्रदायिक भावनायें उत्पन्न हुयीं, जैसा कि ऐसी घटनाओं के कारण होता है। पुलिस के विरुद्ध असन्तोष दूर करने के लिए जनता को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया गया जिस से असन्तोष की भावना दूर हो गयी। साम्प्रदायिक भावनाओं के उत्तेजित होने पर शहर के प्रमुख स्थानों पर पुलिस की टुकड़ियां नियुक्त कर दी गयीं तथा पुलिस की गश्ती टुकड़ियों का भी पूर्णरूप से प्रबन्ध कर दिया गया।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मृतक ने मृत्यु से पूर्व अपने डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में या अन्य प्रकार से कोई बयान दिया था ? यदि हां, तो उस के आधार पर किन्हीं व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

जी हां, दिया था। इसहाक के भाई को पकड़ लिया गया है लेकिन इसहाक फरार है।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की पुनः जांच कराने को तैयार हैं कि उस पंजाबी युवक ने ३-४ बार दरख्वास्तें दी थीं कि मुझे अपनी जान का खतरा है और दूसरी बात यह कि ११ तारीख को, घटना के एक दिन पूर्व शाम के ३ बजे उसने पर्सनली कोतवाल साहब के सामने नाम बताया था कि इनसे अन्देशा है ? क्योंकि प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा है कि प्राप्त सूचना के अनुसार जानकारी नहीं है।

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

कोतवाल के सामने तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, न पहले कहा। बयान में इतना कहा है कि उन को एक पड़ोसी ने चेतावनी दी थी कि आपको मारने को फिर रहे हैं--इतनी सूचना मेरे पास है।

श्री अध्यक्ष--

उनका प्रश्न यह है कि क्या १ दिन पहले कोतवाल साहब को कोई सूचना दी थी या कोई दरख्वास्त गुजरी है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

मैंने अर्ज किया कि न दरख्वास्त दी और न कहा।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

मेरा प्रश्न था कि क्या मन्त्री जी पुनः जांच करायेंगे कि घटना से एक दिन पूर्व ११ तारीख को ३ बजे शाम को उस ने नाम बताये थे और बाकायदा बयान दिया था परसनली दुबे जी, कोतवाल साहब को ?

गृह मन्त्री (श्री हरगोविन्दसिंह)--

अपने डाइंग डिक्लेरेशन में मृतक ने यह बताया था कि एक दारोगा जी को उसने नाम बताया था, लेकिन वह कौन दरोगा जी थे, उनका नाम नहीं है। उसकी जांच जरूर करायेंगे।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब पड़ोसी के जरिये पुलिस को मालूम हुआ कि उनकी जान का खतरा है तो उसने कौन सी कार्यवाही की ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

जैसा मैंने पहले कहा, कुछ दिन पहले यह शिकायत की गयी थी कि कुछ गुन्डे लड़कियों से छेड़ छाड़ करते हैं। प्रिंसिपल ने इस सम्बन्ध में एक चिट्ठी भी लिखी थी। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिखा था। इस पर गुन्डा विरोधी दल भी भेजा गया था।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

जिस युवक का कत्ल हुआ क्या उसने पुलिस के समक्ष यह शहादत दी थी कि अमुक-अमुक व्यक्ति लड़कियों को छेड़ते हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

डाइंग डिक्लेरेशन के अलावा और कोई सूचना नहीं है।

श्री लखपतराम शर्मा--

मेरा प्रश्न यह है कि जिस युवक की हत्या की गयी, उसने हत्या से पूर्व क्या पुलिस अधिकारी के समक्ष यह बयान दिया था कि फलां-फलां मुसलमान लोग हिन्दू लड़कियों को छेड़ते हैं ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही हुई ? उनकी सुरक्षा का क्या प्रबन्ध किया गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

यह तो उत्तर दिया गया कि ऐसी कोई दरख्वास्त उसने नहीं दी थी, डाइंग डिक्लेरेशन ही सिर्फ दिया। उसकी मैं जांच कराऊंगा।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

उसने जो यह शिकायत की थी कि अमुक-अमुक व्यक्ति लड़कियों को छेड़ते हैं क्या उसकी जांच करायी गयी थी ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

इसका उत्तर तो मैं दे चुका, उसकी कोई सूचना नहीं है, जांच कराऊंगा । अगर उसमें यह आयेगा तो उसको देखा जायगा ।

श्री ब्रह्मदत्त सायर--

प्रिंसिपल ने यह शिकायत की थी कि स्कूल के बाहर गुन्डे लड़कियों को छेड़ते हैं, उसके बाद यह घटना हुई जिससे सारे प्रान्त में साम्प्रदायिकता की आग भड़क सकती है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि भविष्य में ऐसी चीज न हो, इसके लिए, लड़कियों के स्कूलों के लिए खास कर सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है ?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

इसी व्यक्ति ने जिसकी हत्या हुई है। प्रिंसिपल को यह सूचना दी थी कि यह गुन्डे लड़कियों को छेड़ते हैं। तो प्रिंसिपल ने जब पुलिस को यह सूचना दी तो क्या उन्होंने इस लड़के का नाम भी लिखा था कि उसके द्वारा उनको यह सूचना मिली है ? यदि हां, तो उसकी जान की हिफाजत के लिए सरकार ने क्या किया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

प्रिंसिपल ने अपनी तरफ से ही लिखा था, इस लड़के का नाम नहीं लिखा, न गुन्डों का ही नाम लिखा। उन्होंने यह लिखा कि कुछ बदमाश छेड़-छाड़ करते हैं। उसके लिए पुलिस का गुन्डा विरोधी दल भेजा गया ।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)--

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि उसने जिस दरोगा का नाम लिया है उसको कहीं छिपाया तो नहीं जा रहा है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

दरोगा का नाम छिपाने की बात नहीं है। उसने नाम बताया, उसकी जांच की गयी है ।

श्री लखपतराम शर्मा--

मेरा प्रश्न यह है कि प्रिंसिपल ने जो शिकायत भेजी थी, उस पर पुलिस के अधिकारी ने जांच की थी और जांच में इस मृतक व्यक्ति ने बयान दिया था कि अमुक अमुक गुंडे हैं, जो लड़कियों को छेड़ते हैं, क्या यह सही है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

छेड़ने की बात बिलकुल सही है ।

श्री अध्यक्ष--

सवाल यह है कि प्रिंसिपल की रिपोर्ट पर किसी पुलिस अधिकारी ने जांच की, और उस जांच के सिलसिले में मृतक ने यह बयान दिया था कि अमुक-अमुक गुंडे हैं, जो छेड़ा करते हैं ? क्या यह सही है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

केवल एक गुंडे का नाम बताया था और इसी का बताया था ।

श्री अध्यक्ष--

जांच हुई थी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

दरोगा उसके पास गया, उसने गुंडे का नाम बताया और यह कहा कि कुछ आदमी और थे, लेकिन उसके नाम नहीं बताये और जो लड़का मरा है, उसी ने नाम बताया।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करा लेंगे कि वर्तमान डी०एस०पी० बरेली के। श्री दुबे बहुत लापरवाह हैं, और उसके साथ-साथ बड़े ह्विमसिकल हैं और किसी सही नतीजे पर पहुंचने या ठीक तरह से निर्णय लेने की उनमें क्षमता नहीं है और वह इस काण्ड के मूलभूत जिम्मेदार हैं ? तो ऐसी स्थिति में इन सब बातों की जांच करके कि उनकी रिपोर्ट थी, इन सब बातों की और वे इस केस को डील भी नहीं कर पाये जिससे तमाम जनता में असंतोष की भावना है क्योंकि लोगों का विश्वास है कि श्री दुबे यदि ठीक तरह से डील करते तो आदमी पकड़े भी जाते और लोगों की बेचैनी भी दूर हो जाती। ऐसी स्थिति में क्या मंत्री जी पूरी जांच करके इन सज्जन को वहां से हटाने की कृपा करेंगे जो इस कांड के लिये जिम्मेदार हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

इसकी जांच श्री जसवन्त सिंह, इंसपेक्टर कर रहे हैं, डी०वाई०एस०पी० नहीं कर रहे हैं। और जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, पहले तो ऐसी शिकायत नहीं है। इस सिलसिले में यदि शिकायत आयेगी, तो उसको देखेंगे।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

लखनऊ जिले में हरिजनों को छात्रवृत्ति मिलने में विलम्ब

*१--श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६४-६५ के शिक्षा वर्ष के लिये मंजूर दसवें तक के व दसमोत्तर कक्षाओं के हरिजन छात्रों की छात्रवृत्ति स्वयं लखनऊ के किन-किन विद्यालयों द्वारा अब तक न देने का क्या कारण है और किन-किन विद्यालयों ने कब दिया है ?

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर सीताराम)--

दशमोत्तर कक्षाओं के हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति लखनऊ जिले के सभी विद्यालयों में दी जा चुकी है।

दसवीं कक्षा तक छात्रवृत्ति जिले की शिक्षा उपसमिति द्वारा स्वीकृत की जाती है। समिति की बैठक देर से होने के कारण विलम्ब हुआ। सूचना एकत्रित की जा रही है।

*२--श्री रघुवीरसहाय कैथवार (अनुपस्थित)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जब हरिजन व पिछड़े वर्ग के छात्रों की शिक्षा सुलभ बनाने के लिये उन्हें छात्रवृत्ति दी जाती है, तो फिर शिक्षा सत्र प्रारम्भ होने के माह दो माह बाद न देकर साल के अन्त में देने का मकसद क्या है ?

डाक्टर सीताराम--

विलम्ब का कारण प्रश्न संख्या १ के उत्तर में निहित है

गोरखपुर में हथियारबन्द डकैतों की गिरफ्तारी

*३--श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजनैतिक हत्यायें करने वाला कथित आतंकवादी व्यक्तियों का गिरोह जो पिस्तौल-कारतूस के साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रावास में गिरफ्तार हुआ है. उसमें कौन-कौन लोग किस जिले के हैं और भूतकाल में उन लोगों पर किन-किन व्यक्तियों की हत्या करने के मुकदमें चलाये जा रहे हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

ऐसा कोई गिरोह गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रावास में गिरफ्तार नहीं किया गया । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

*४--श्री काशीनाथ मिश्र--

क्या गृह मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त हत्या करने वाले व्यक्तियों को किन लोगों ने गोरखपुर बुलवाया था ? क्या मंत्री जी इस संबंध में गिरफ्तार व्यक्तियों के बयान की प्रतिलिपि सदन में पढ़ कर सुनायेंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मंत्री जी बतायेंगे कि जिस समय श्री कमलापति त्रिपाठी और श्री बहुगुणा जी गोरखपुर गये थे, उसी अवसर पर वहां गोरखपुर में सात-आठ आदमियों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें २-३ आदमी बलिया के भी थे। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सभी समाचार पत्रों में यह छपा कि इस तरह का गिरोह राजनैतिक हत्या करता फिर रहा है, जिसमें बलिया के भी दो तीन आदमी हैं । तो मैं जानना चाहता हूं कि उस अवसर पर अगर छात्रावास में लोग नहीं पकड़े गये तो कहां पकड़े गये और वह कहां के व्यक्ति थे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

इसमें ५ आदमी पकड़े गये हैं । छात्रावास में कोई नहीं पकड़ा गया । केवल दो का नाम मुलजिम ने लिया था। दो विद्यार्थी उसमें शामिल हैं । उनकी तलाशी ली गई लेकिन कोई हथियार बरामद नहीं हुआ । नाम इस प्रकार है --श्री सूर्यनारायण सिंह, पुत्र राज बहादुर सिंह, साकिन जमुनहा, परगना परसुराम पुर, जिला बस्ती । चन्द्रहास पांडेय, पुत्र राजमणी पांडेय, सा० मदुरा, थाना दुधारा, जिला बस्ती । मारकंडे, पुत्र मुनेश्वरी, गांव भीटी, थाना बांसगांव, जिला गोरखपुर । लालता पुत्र मन्नू, गांव देवगांव, थाना छपिया, जिला गोंडा । परमहंस पुत्र ठाकुर सिंह, गांव अहिरौली, थाना सिकरीगंज, जिला गोरखपुर ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

ये तमाम लोग किस अभियोग में पकड़े गये और उन पर कौन-सी कार्यवाही की जा रही है, तथा इन लोगों ने क्या-क्या काम किये थे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

इन लोगों के ऊपर अभियोग है, डकैती का। इन लोगों ने कई जगह डकैतियां डालीं, और ऐसा कबूल भी किया है और उसी अभियोग में ये पकड़े गये हैं । नाजायज आर्म्स जो इनके पास थे, उसके खिलाफ चालान कर दिया गया जिसका मुकदमा न्यायालय में है और डकैतियों की जांच अभी हो रही है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो यह डकैतियों में लोग पकड़े गये हैं उनमें से कुछ लोगों के पास जो आर्म्स बरामद हुये हैं, उसमें माननीय सदस्य, श्री जलील अब्बासी की बंदूक भी बरामद हुई है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है ।

विधूना क्षेत्र में बघरों का आतंक

*५--श्री विजयशंकर (जिला गाजीपुर) तथा श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला इटावा के विधूना क्षेत्र में आजकल बघरों ने बहुत भारी आतंक मचा रखा है तथा अब तक १०-१२ बालकों की जानें बघरों द्वारा ली जा चुकी है ?

विद्युत् उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)--

विधूना तहसील में बघरों ने आतंक मचा रखा है किन्तु हत्याओं के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

*६--श्री विजयशंकर तथा श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल--

क्या यह सत्य है कि अभी पिछले सप्ताह ग्राम हरचन्दपुर, थाना दिबियापुर, जिला इटावा में दो बच्चे बघरें उठा ले गये ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

हत्यारों के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

*७--श्री विजयशंकर तथा श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल--

क्या यह सच है कि बघरों के आतंक से उक्त क्षेत्र की जनता बहुत आतंकित है ? सरकार ने अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की है और क्या करने जा रही है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

बघरों के आतंक को दूर करने के लिये हाकिम परगना, तहसीलदार तथा आरक्षा अधीक्षक, विधूना को आदेश दे दिये गये हैं कि वह विधूना तहसील के बंदूक इत्यादि के सभी लाइसेंसियों से सम्पर्क स्थापित कर के बघरों के मारने के आदेश दे दें और लोगों के आतंक को दूर करने का पूरा-पूरा प्रयत्न करें ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल--

मंत्री जी को ज्ञात है कि उस क्षेत्र में बघरों की आतंक की यह पहली घटना नहीं है, बल्कि इससे पहले भी ऐसी घटनायें हो चुकी हैं, अतः इस बात को ध्यान में रखते हुये सरकार कुछ विशेष प्रकार के शिकारियों को, जो पेशेवर हैं, जो खरहा लोमड़ी आदि मारा करते हैं जैसे कंजड़ आदि, उन्हें कुछ इनाम का आकर्षण देकर उस क्षेत्र में बघरों को नष्ट करने के लिये उत्साहित करेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

कंजड़ों को कहा गया था, वह न जाने क्यों जाने को तैयार नहीं होते । फिर भी हमने परगनाधीश, तहसीलदार और जिलाधीश से कह दिया है कि वह इस बात को देखें और लाइसेंस होल्डर्स से कहें कि बघरों के मारने का इन्तजाम करें, इसके लिये इनाम भी है ।

श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)—

जो प्रयास बघरों को नष्ट करने का किया जा रहा है, यह जिलाधीश महोदय ने स्वयं किया या आपके आदेश जाने के पश्चात् किया है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

पहले भी उन्होंने प्रयास किये थे, लेकिन हमने ताकीद कर दी है कि प्रयास कुछ ज्यादा जोर से करें ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

मंत्री जी ने अभी कहा, अभी सूचना नहीं है, जबकि वह सूचना मंत्री हैं और अखबारों की कटिंग्स उनके पास आती हैं, तो क्या मैं उनसे पूछ सकता हूं कि जो कटिंग्स आती हैं, उसमें यह पढ़कर कि इटावे ही में नहीं बल्कि अलीगढ़ में भी बघरों का बहुत जोर है और काफी बच्चे उठाये जा रहे हैं, मंत्री जी कोई शीघ्र प्रबन्ध करेंगे जिससे बघरों का अन्त किया जाय ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मैंने कहा कि प्रयत्न हम कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि जो अखबार आप देखते हैं उसमें सूचना मिली है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

अखबारों को भी देखा है और यह तो फाइल की बात है ।

श्री अध्यक्ष—

तो फिर यह कहिये ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

क्या मंत्री जी वहां की दयनीय स्थिति को समाप्त करने के लिये इनाम की स्पष्ट घोषणा कर देंगे कि जो बघरों को मार कर लायेंगे, उन्हें इतना इनाम दिया जायगा ताकि शिकारी आकृष्ट होकर बघरों को नष्ट कर दें ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

यह तो जी० ओ० है कि बघरों को मारने के लिये २० रुपये इनाम देते हैं फिर भी मैं असेम्बली में बता दे रहा हूं और आप भी इसका प्रचार कर दें ।

सोरों विद्यालय में हरिजनों को छात्रवृत्ति न मिलना

*८—श्री बेदराम (जिला एटा), श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा), श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद) तथा श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

क्या समाज कल्याण मंत्री को ज्ञात है कि मार्च, १९६५ में सोरों, जिला एटा स्थित सन्त तुलसीदास नगरपालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य के माध्यम से जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी द्वारा उक्त विद्यालय के कुछ हरिजन व पिछड़े वर्ग के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति निरस्त कर दी गई है तथा उसे वापस करने का भी आदेश दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

जी हां ।

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३६३ पर)

श्री राजेन्द्रसिंह—

मंत्री जो बतायेंगे कि जो धनराशि वापस कर दी गई उसके आदेश भी भेज दिये गये हैं, परन्तु उन छात्रों को छात्रावास में भी इसी प्रकार से छात्रवृत्ति मिलती रहेगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जो छात्रवृत्ति निरस्त की गई थी, उसी को बहाल करने के लिये आदेश दिये गये हैं और उन छात्रों को अवश्य मिल जायगी।

श्री राजेन्द्रसिंह—

मंत्री जो बतायेंगे कि जिन छात्रों को छात्रवृत्ति मिल रही थी, उनसे रुपये वापस करने का आदेश दिया था, अब वह आदेश निरस्त किया गया है या लगातार और मिलती रहेगी जो मिल रही थी छात्र-वृत्ति ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जिन छात्रों को नियमों के द्वारा छात्रवृत्ति गत वर्ष मिल रही थी, उनमें नियमानुसार अगर योग्यता है, तो अवश्य उसी प्रकार से मिलती रहेगी।

देहरादून में राम कृष्ण ट्रान्सपोर्ट कम्पनी और ट्रान्सपोर्ट आपरेटर्स यूनियन में मारपीट

*६—श्री बालोजी अग्रवाल, श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद) तथा श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २६ मार्च, १९६५ की सायंकाल देहरादून प्रिन्स होटल की बाहरी दुकान में स्थित ट्रान्सपोर्ट कम्पनी के दफ्तर पर दो सौ से अधिक लोगों ने लाठी बल्लम आदि से हमला किया जिससे बहुत से लोगों के गंभीर चोटें आईं? यदि हां, तो सरकार ने हमलावरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

दिनांक २६-३-६५ की सायंकाल को देहरादून में प्रिन्स होटल के पास राम कृष्ण ट्रान्सपोर्ट कम्पनी और देहरादून ट्रान्सपोर्ट आपरेटर्स यूनियन के लोगों में मारपीट हुई थी, जिसमें कुछ लोगों के चोटें आईं। इस घटना की सूचना पाते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शांति स्थापित की और जांच जारी कर दी जो अभी समाप्त नहीं हुई है।

श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि रामकृष्ण ट्रान्सपोर्ट कंपनी ट्रान्सपोर्ट यूनियन की मेंबर नहीं है और यूनियन वाले यह चाहते हैं कि कम्पनी वहां कारोबार न करे। इसलिये उन्होंने थाने में जाकर यह शिकायत की कि उनके पास हथियार हैं। इस पर पुलिस ने उनके मालिकान से कहा कि हम तुम्हारे गोडाउन की तलाशी लेंगे। पुलिस की मौजूदगी में ही यूनियन वालों ने उन पर हमला कर दिया। पुलिस हमले को होता हुआ देखकर थाने लौट कर चली गई ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, इतनी बात सत्य है कि रामकृष्ण कंपनी यूनियन की मेम्बर नहीं है और वहां जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है वह किसी दूसरे को कारोबार करने देना पसन्द नहीं करती है। इसी वजह से

रामकृष्ण ट्रांसपोर्ट कंपनी के मार्ग में तरह-तरह के रोड़े अटकाती है। रामकृष्ण कंपनी का यह कहना है कि हमको यूनियन का सदस्य भी नहीं बनाते और हमें माल भी नहीं लादने देते। जब रामकृष्ण कंपनी माल लाद रही थी, उस समय झगड़ा हुआ। पुलिस को जब झगड़े की सूचना मिली, पुलिस वहां आयी और जो लोग वहां झगड़ा कर रहे थे उनको पकड़ कर ले गयी।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह झगड़ा रामकृष्ण कंपनी के दफतर पर हुआ जो होटल के नीचे वाले हिस्से में है? क्या माननीय मंत्री जी को यह भी मालूम है कि हमलावर बाहर के थे और यह जो हमला हुआ वह दफतर पर हुआ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री बृजभूषणशरण (जिला देहरादून)---

क्या माननीय मंत्री जी को यही बात देहरादून ट्रान्सपोर्ट यूनियन और मुजफ्फरनगर ट्रान्सपोर्ट यूनियन के बारे में भी मालूम है कि वे लोग भी किसी और को इस तरह से सामान नहीं लादने देते?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

इस तरह की सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि घटनास्थल रामकृष्ण कंपनी का दफतर था और हमला करने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी? उनको किस सैक्शन में गिरफ्तार किया गया?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

यह सही है कि घटनास्थल रामकृष्ण कंपनी का दफतर था। यह बात तो अदालत तय करेगी कि कौन कसूरवार है क्योंकि दोनों ओर से अलग-अलग रिपोर्ट दर्ज हुई हैं।

श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि रामकृष्ण ट्रान्सपोर्ट कंपनी की ट्रक्स वहां खड़ी हुई थीं और यूनियन वालों ने आमने सामने ट्रकों को खड़ा करके लड़ा दिया?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

इसकी सूचना हमारे पास नहीं है।

श्री शराफत हुसैन रिजवी---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि क्या कोई ऐसा प्रबन्ध किया गया है कि आयन्दा कोई झगड़ा न हो और आजादी से रामकृष्ण कंपनी अपनी तिजारत चला सके?

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने कहा है कि तहकीकात हो रही है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि रामकृष्ण ट्रान्सपोर्ट कंपनी के जो लोग घायल हुये थे, उन्हें उसी दिन अस्पताल में दाखिल कर दिया गया और यह भी कि दूसरे दिन मुल्जिमान की

जमानत ले ली गयी और उनको उस अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया और बाद में वे लोग सहारनपुर के अस्पताल में जाकर दाखिल हुये ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न तो यह था "क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि २९ मार्च, १९६५ की सायंकाल देहरादून प्रिन्स होटल की बाहरी दूकान में स्थित ट्रान्सपोर्ट कंपनी के दफतर पर दो सौ से अधिक लोगों ने लाठी बल्लम आदि से हमला किया जिससे बहुत से लोगों के गंभीर चोटें आईं ? यदि हां, तो सरकार ने हमलावरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?"

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या यह सच है कि उसके ५ दिन बाद किन्हीं कारणों से दफतर के बाबू, २ क्लर्कों की भी पुलिस ने गिरफ्तारी की ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

मेरे पास तो यह सूचना है कि कई आदमियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसमें कितने बाबू हैं और कितने कौन हैं यह सूचना नहीं है।

*१०-११--श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)--

[दसवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

अध्यक्ष महोदय, यह दोनों प्रश्न पहले अल्पसूचित तारांकित प्रश्न थे, लेकन अब यह तारांकित प्रश्न हैं। वह प्रश्न यह है कि "क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगी कि सतर्कता आयोग, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को किसी दूसरे पद पर स्थानान्तरित किया जा रहा है ? और क्या यह सही है कि सरकार ने सदन में यह घोषणा की थी कि उक्त पद पर कोई निष्पक्ष अधिकारी ही रखा जायगा और उसी के अनुसार इन अध्यक्ष महोदय की नियुक्ति हुई थी ? यदि हां, तो उन्हें क्यों स्थानान्तरित किया जा रहा है ?" मेरा मतलब इस से यह है कि यह प्रश्न ऐसे हैं जिनके लिये बहुत से तथ्य कहीं दूर से इकट्ठे करने नहीं थे, कुछ भी उत्तर हो वह फौरन दिया जा सकता था, लेकिन वह स्थगित कराये जा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप कृपया व्यवस्था दें कि ऐसे सरल प्रश्न पर अधिक समय न लगाया जाय।

श्री अध्यक्ष--

मैंने पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस में यह देखा कि मूलतः जो प्रश्न उपस्थित हुये हैं उसमें केवल प्रश्नकर्ता ही इंटरेस्टेड होते हैं लेकिन जब उसका उत्तर आ जाय तो इट बिकम्स ए पबलिक राइट। इसके अलावा श्री रतीपाल शिकायत कर सकते हैं कि वह अधिकार उन्हीं को है.....

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

भ्रष्टाचार को दूर करने का सवाल है.....

श्री अध्यक्ष--

नियम यह है कि प्रश्न का जब उत्तर आ जाय फिर इस सदन को अधिकार हो जाता है और कोई भी सदस्य प्रश्न कर सकता है, लेकिन मूलतः ऐसा प्रश्न वही उठा सकता जिसका प्रश्न हो और श्री रतीपाल जिनका प्रश्न है वह यहां नहीं है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

एक दूसरी व्यवस्था में उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

वह आप फिर उठा लीजियेगा ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

सहारनपुर जिला कांग्रेस कार्यालय की मीटिंग में सरकारी कर्मचारी बुलाने पर आपत्ति

*१--श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि २९ जनवरी, १९६५ को जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय सहारनपुर में सदन के सदस्य ठा० फूलसिंह ने जो मीटिंग बुलाई थी उसमें किसकी आज्ञा के अनुसार जिले के बिजली, नहर, चकबन्दी इत्यादि अन्य विभागों के सरकारी कर्मचारी उपस्थित रहे और क्यों ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

इस मीटिंग में सिंचाई व विद्युत् मंत्री जी भी पधारने वाले थे । अतः वहां के अधिशासी अभियन्ता, पूर्व यमुना नहर सहारनपुर, अधिशासी अभियन्ता, जल विद्युत् प्रखंड, रुड़की और अधिशासी अभियन्ता , नलकूप प्रखंड, मुजफ्फरनगर स्वयं तथा उत्तरी गंगा नहर, रुड़की अधिशासी अभियन्ता और गन्ना विभाग के कुछ कर्मचारी जो विकास परिषद और विकास समिति के मंत्री भी हैं अपने उच्च अधिकारियों की आज्ञा से इस आशय से कि मंत्री महोदय को अपने विभागीय समस्याओं आदि से अवगत करा सकें, उपस्थित हुए ।

उपर्युक्त लिखित विभागों के अधिकारियों के अलावा जिले के किसी और विभाग के अधिकारी या कर्मचारी कथित मीटिंग में उपस्थित नहीं थे ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई मंत्री के जाने की कोई सूचना, जैसे अन्य मंत्रियों के दौरे के समय दी जाती है सदस्यगणों को और दूसरे को कोई इस प्रकार की सूचना वितरित की गयी ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

मुझे यह तो मालूम नहीं कि सदस्यों को या औरों को कोई सूचना दी गयी या नहीं लेकिन जैसा मैंने कहा सिंचाई मंत्री का जाने का प्रोग्राम था पर चूंकि दिल्ली में एक मीटिंग आवश्यक बुलायी गयी थी, वे वहां चले गये थे ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सिंचाई मंत्री ने खासतौर से जिला कांग्रेस के दफ्तर के लिए यह मीटिंग रखी थी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

चूंकि सिंचाई मंत्री को जिला कांग्रेस कमेटी ने बुलाया था तो इसलिए वहां पर रखी थी । उसमें कोई खास बात दिखायी नहीं देती कि वे वहां न जायं ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि माननीय सिंचाई मंत्री का प्रोग्राम था, जिला कांग्रेस के लोगों ने उन्हें बुलाया था तो मैं जानना चाहता हूं कि उस मीटिंग में सरकारी कर्मचारियों के

बुलाने का क्या औचित्य था ? इस बात को देखते हुए कि यह बिल्कुल ही गलत कार्य हुआ है क्या मंत्री जी उन सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करेंगे जिन्होंने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को वहां पर भेजकर इस प्रकार का गलत काम किया ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---

विभागीय अधिकारियों को सूचना दी गयी थी कि सिंचाई मंत्री जब वहां पर होंगें तो विभागीय जो प्रश्न होंगे, उन पर विचार होंगे ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न केवल इतना है कि इसके औचित्य पर आप विचार करेंगे या नहीं ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---

हम अवश्य इसके औचित्य पर विचार करेंगे और मैं समझती हूं कि किसी पोलिटिकल पार्टी के दफ्तर में सरकारी अफसर न जायं । हम इसके ऊपर हिदायत दे देंगे ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । अभी माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि वे इस आशय के आदेश दे देंगी कि किसी राजनीतिक पार्टी के दफ्तर में सरकारी कर्मचारी नहीं जायेंगे तो मैं जानना चाहता हूं कि यह जनतंत्र की किस पद्धति के आधार पर किया जा रहा है जब हम किसी अधिकारी से किसी काम की प्रोग्रेस जानना चाहेंगे तो हम उन्हें अपने पार्टी के दफ्तर में बुला सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष---

आप जो बात कह रहे हैं वह दूसरी बात है । आप बैठ जाइये । प्रश्न का मंशा दूसरा था और आपने दूसरी बात छेड़ दी ।

कुरावली ब्लाक के ए० डी० ओ० डब्ल्यू० के खिलाफ शिकायत

*२---श्री बृजेश्वर सहाय (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ब्लाक कुरावली, जिला मैनपुरी में ए० डी० ओ० डब्ल्यू० के खिलाफ सन् १९६३-६४ में कितनी शिकायतें सरकार के पास आयीं और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सीताराम---

सन् १९६३ में कोई भी शिकायती पत्र नहीं आया । सन् १९६४ में दो शिकायती पत्र मिले जिन पर जांच कराई गई और आरोप निराधार पाये गये ।

*३---श्री बृजेश्वर सहाय (अनुपस्थित)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त ब्लाक की ए० डी० ओ० डब्ल्यू० के खिलाफ ब्लाक प्रमुख ने डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, आगरा रीजन व प्लानिंग आफिसर, मैनपुरी को सन् १९६४ में कितनी शिकायतें लिख कर भेंजीं और वह सदस्य विधान सभा के साथ डेपुटेशन भी मिला ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर सीताराम---

ब्लाक प्रमुख ने सन् १९६४ में निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश के नाम एक शिकायती पत्र भेजा । दूसरा शिकायती पत्र, जो अध्यक्ष जिला परिषद्, को संबोधित था, जिला नियोजन अधिकारी, मैनपुरी को मिला और उसी की एक प्रतिलिपि क्षेत्रीय सहायक

निदेशिका (महिला) आगरा को भी मिली। इस संबंध में विधान सभा सदस्य के साथ एक डेपुटेशन भी जिला नियोजन अधिकारी से मिला था। उक्त शिकायती पत्रों पर जिला नियोजन अधिकारी, मैनपुरी तथा क्षेत्रीय सहायक निदेशिका (महिला), आगरा द्वारा जांच कराई गई और कथित आरोप निराधार पाये गये।

बोर्डर वर्क्स डिवीजन डीडीहट से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का हटाया जाना

*४—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री यह बतायेंगे कि बोर्डर वर्क्स डिवीजन डीडीहट में पिछले दिनांक १ जनवरी, १९६२ के बाद कितने फोर्थ ग्रेड इम्प्लाइज नये नौकरी पर लगाये गये और कितनों को अलग किया गया ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

इस डिवीजन में १ जनवरी, १९६२ के बाद चतुर्थ श्रेणी के १६ कर्मचारियों की नई नियुक्ति की गई और तीन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी उनकी नियुक्ति पत्र की शर्त के अनुसार एक माह का नोटिस देकर सेवाओं से पृथक किए गए।

श्री रियासत हुसैन—

१६ कर्मचारी नये रक्खे गये और ३ को अलग किया गया तो ३ कर्मचारियों ने आगे रहने की इच्छा जाहिर नहीं की थी अथवा चार्जेज लगा कर अलग किया गया ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं थी।

औद्योगिक आस्थान, कानपुर से दी गई सहायता

*५—सर्वश्री ब्रह्मदत्त मायर, नेकराम शर्मा तथा संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

क्या मुख्य मंत्री उन पार्टियों की सूची मेज पर रखने की कृपा करेंगी जिन्हें सन् १९६० में औद्योगिक आस्थान कानपुर से ६०-४० मु० फुट के ३६ कारखानों को किस-किस उद्योग धंधों के लगाये जाने हेतु किस्तों पर दिए थे और उसमें कितनों ने अब तक लैंड लीज डीड और हायर पर्चेज एग्रीमेंट डीड का रजिस्ट्रेशन करा लिया है तथा प्रत्येक ने भिन्न-भिन्न तारीखों में अब तक किस्तों का कितना रुपया अदा कर दिया है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

वांछित सूचना संलग्न तालिका 'क' में दी हुई है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३६४-३६७ पर)

*६—सर्वश्री ब्रह्मदत्त मायर, नेकराम शर्मा तथा संतसिंह यूसुफ—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त कारखानों के मालिकों को सन् १९६० से अब तक कितना-कितना किस प्रकार का कच्चा माल दिया गया और किस-किस को किन चीजों के कितने रुपये के इम्पोर्ट लाइसेंस के एसेन्शल सार्टीफिकेट दिए गए ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

वांछित सूचना संलग्न तालिका 'ख' में दी हुई है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३६८-३७१ पर)

*७—सर्वश्री ब्रह्मदत्त मायर, नेकराम शर्मा तथा संतसिंह यूसुफ—

क्या सरकार उन पार्टियों के नाम बताने की कृपा करेगी कि जिन्हें निदेशक, उद्योग विभाग, कानपुर ने कारखानों का रजिस्ट्रेशन न कराये जाने पर कच्चा माल दिए जाने में विलम्ब किया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

औद्योगिक आस्थान, कानपुर में इस प्रकार का कोई कारखाना नहीं है जिसे रजिस्ट्रेशन न कराने पर कच्चा माल दिये जाने में विलम्ब किया गया हो ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

औद्योगिक आस्थान, कानपुर की जो सूची दी गयी है इसमें ७५ और ८० नम्बर की इंडस्ट्रीज के लिए आयरन शीट और जिंक का कोटा मुकर्रर नहीं किया गया है तो इसका क्या कारण है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

हर एक के कारण अलग अलग होंगे । किस कारण से किस को कोटा नहीं दिया गया, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

एडीशनल डाइरेक्टर, इंडस्ट्रीज, कानपुर ने हरिजन कंपनी को १८ दिसम्बर, १९६३ को पत्र द्वारा सूचना दी थी कि उनको जो जरूरियात हैं उन पर वह गौर नहीं कर सकते किन्हीं कारणों से और वे कारण बतलाये नहीं गये तो क्या माननीय मंत्री जी इसके मुतालिक कोई कार्यवाही करने तो तैयार होंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

यह हमारा हमेशा प्रयास रहा है कि जो कारखाने चलें उनको पूरा कोटा मिले । यदि दिक्कत है और मेरे पास सूचना आयेगी तो मैं अवश्य उसे देखूंगा ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

कुछ कंपनियों को कच्चा माल मिल रहा है और कुछ को नहीं मिल रहा है और उनके साथ भेदभाव बरता जाता है तो क्या माननीय मंत्री जी इस संबंध में जांच पड़ताल करायेंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

यह तो सही बात है कि कुछ को मिलता है और कुछ को नहीं मिलता है । जिनको मिलता नहीं है अगर वे लोग कहें कि उनको मिलना चाहिए और इन कारणों से मिलना चाहिए तब मैं उसे देखूंगा वर्ना अगर कारखाने चुप बैठे रहें तो उसमें मैं क्या जांच कराऊं ?

श्री ऊदल—

जो तालिका माननीय मंत्री जी ने दी है उसमें जिन कारखानों को आज तक कच्चा माल नहीं मिला है उस संबंध में वे जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

उनका कहना है कि जिनको माल नहीं मिला है वे कोई दरख्वास्त देंगे तो उस पर माननीय मंत्री विचार कर सकते हैं ।

श्री वीरसेन (जिला मेरठ)—

निदेशक के आदेश के अनुसार मैनेजर ने हरिजन इंडस्ट्री को जिसका ७५ नं० है यह सूचना दी कि उनका रजिस्ट्रेशन डीड रजिस्टर्ड नहीं होगा तो उनको किसी तरह की एड नहीं मिल सकेगी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

इसकी सूचना मुझे नहीं है लेकिन जिन्होंने एग्रीमेंट डीड नहीं कराये हैं सब को नोटिस दिये गये हैं कि वे एग्रीमेंट डीड भरें ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर))--

कानपुर की कंपनियों को ६३ परसेंट का कोटा और बाकी प्रदेश को ३७ परसेंट का कोटा दिया जाता है जिससे सारा प्रदेश भूखा रहता है, तो क्या नया कोटा देने के वक्त इस प्रश्न पर विचार किया जायगा ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

कोटा कारखाने के लिए निर्धारित होता है, जो कारखाना अच्छा काम करेगा उसे कोटा दिया जायगा ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

१३६ कारखानों की जो तालिका दी गयी है इसमें लीज डीड और शेयर परचेज एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन जिनका नहीं हुआ है उनको कोटा नहीं दिया जा रहा है तो यह रजिस्ट्रेशन किसी सरकारी टेक्नीकलटीज के कारण नहीं हो रहा है या जिन्होंने कारखाने स्थापित किए हैं उन्होंने खुद शर्तों को पूरा नहीं किया है और ऐसी स्थिति में क्या माननीय मंत्री जी उनको किसी डेट तक रजिस्ट्रेशन कराने का आदेश देंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

श्रीमन्, यह आदेश दे दिए गये हैं और सबको नोटिस दे दिया गया है कि आप ऐग्रीमेंट भरिए। यह सही है कि ऐग्रीमेंट भरने में देरी हुई। इसका कारण यह है कि इंडस्ट्रियलस्टस ने कहा था कि हमारी जो इमारतें बनी हैं वह ठीक नहीं बनी हैं। उसमें त्रुटियां रह गई हैं। इसके लिए कमेटी नियुक्त की गई और उसने जांच कर ली। इसके बाद मिल मालिकों को कह दिया कि आप ठीक कर लीजिए। इसके बाद कीमत पर झंझट रहा। इसलिए एग्रीमेंट नहीं हो पाया।

श्री वीरसेन--

क्या यह सही है कि ऐसी इंडस्ट्रीज को कोटा दिया जाता है जिसको वे इस्तेमाल नहीं करती हैं बल्कि दूसरी चीजें बनाती हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

श्रीमन्, ऐसी शिकायतें आती हैं तो उनकी जांच होती है और अगर शिकायत सही पाई जाती है तो बन्द कर दिया जाता है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

श्रीमन्, जिन इंडस्ट्रीज को रा-मैटीरियल मिलता है वह कोटे के अन्दर दिया जाता है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इसका पता लगायेंगे कि जिनको कोटा नहीं दिया जाता है वह अपना काम कैसे चलाती हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

श्रीमन्, इंडस्ट्रीज अलग-अलग तरह की हैं। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनका रा-मैटीरियल यहां मिलता है, उनका सवाल नहीं आता है। जो नान फैरस मैटीरियल मे काम करती हैं उनका सवाल आता है। उसमें भी नान-फैरस मैटीरियल में ब्रास वगैरा बाजार में मिलता है, उससे खरीद कर काम कर रही हैं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

श्रीमन्, जो सूची (क) मुझे दी गई है उसके देखने से मालूम होता है कि ७५ नम्बर जिसकी संख्या ७ है, श्री भगवानदीन एक्स एम० एल० ए० और दूसरे ८० पर १२ संख्या है उस पर श्री शिवनाथ बाल्मीकि हैं। ये हरिजनों के कारखाने हैं और इन दोनों को आज तक कोटा नहीं दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी विशेष ध्यान देकर उनके लिए कोटा देने का प्राविधान करेंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

श्रीमन्, कारखाने के ऊपर है, किसी जाति विशेष के लिए नहीं है।

पुलिस में पी० आर० डी० के कर्मचारी

*८---श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या सरकार को ज्ञात है कि लखनऊ की पी० आर० डी० का पुलिस विंग जून, १९६३ में बाकायदा पुलिस में मर्ज कर दिया गया था और वे सब अब सशस्त्र पुलिस की डयूटी दे रहे हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

यह सही नहीं है कि लखनऊ की पी० आर० डी० का पुलिस विंग पुलिस दल में सम्मिलित कर लिया गया है परन्तु उक्त विंग के विघटन के फलस्वरूप वहां के कुछ कर्मचारियों का, जो पुलिस विभाग के योग्य समझे गये, चुनाव कर लिया गया और वे अब पुलिस प्रशिक्षण के पश्चात् सशस्त्र पुलिस की ड्यूटी दे रहे हैं।

*९---श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या यह सही है कि उपरोक्त पी० आर० डी० के आये लोग अब भी पुलिस कांस्टेबिल का वेतन नहीं पा रहे हैं ? जबकि बाकायदा पुलिस की ड्यूटी कर रहे हैं ? यदि हां, किन कारणों से ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

यह कर्मचारी १ मार्च, १९६५ से पुलिस कांस्टेबिल का वेतन पा रहे हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

१ जून, १९६३ से आप जब उनसे बाकायदा कांस्टेबिल का काम ले रहे हैं तो १ मार्च, १९६५ से वे कांस्टेबिल का वेतन क्यों पा रहे हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

उसके पूर्व का समय उनका प्रशिक्षण काल समझा गया।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जानकारी करायेंगे कि इससे पहले उनको कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया, इसकी आवश्यकता नहीं समझी गयी, आवश्यकता इसलिये नहीं समझी गयी कि वह एमरजेंसी के समय अपना सब कुछ कर चुके थे और वे पूर्ण ट्रेंड थे ? तो क्या मंत्री महोदय इसे देखते हुये इन लोगों को १ मार्च, १९६३ से बाकायदा वेतन देने की कृपा करेंगे जो कि उन्हें १ मार्च, १९६५ से दिया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष---

वह तो कह रहे हैं कि वह समय प्रशिक्षण का था इसलिये उसमें नहीं दिया गया।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

लेकिन श्रीमन्, प्रशिक्षण दिया कहां गया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

श्रीमन्, उसके लिये शर्त थी कि वह ट्रेनिंग पा लेंगे और यदि उनकी दक्षता (क्वालीफिकेशन) वही हो जायेगी जो पुलिस कांस्टेबिल की होती है, तभी उन्हें मिलेगा। ७३ आदमी लिये गये ७ अगस्त, १९६३ को वह ट्रेन्ड हुये और २९ आदमी ६ फरवरी, १९६५ को ट्रेन्ड किये गये और पहली मार्च से इन्हें बाकायदा तनख्वाह मिलेगी।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच फिर से किसी वरिष्ठ अधिकारी-डी० आई० जी० के द्वारा कराने की कृपा करेंगे कि उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं हुयी, सिर्फ उन्होंने अपनी कमजोरी को छिपाने के लिये उनके बारे में ट्रेनिंग वाला पुछल्ला लगा दिया है, जिससे कि जो इतने दिनों से वेतन उन्हें नहीं दिया गया उस जिम्मेदारी से बच सकें, न तो उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत थी और न दी गयी ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

इसमें कोई जांच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने यह कहा कि उसके पूर्व का समय प्रशिक्षण काल समझा गया।

बुन्देलखण्ड को औद्योगिक अनुदान

*१०---श्री विजयसिंह (अनुपस्थित) तथा श्री ब्रह्मदत्त मायर---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बुन्देलखंड को १९६१ से १९६४ के अन्त के कितने उद्योगों के लिये अनुदान दिया और कौन-कौन से उद्योग खोले ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

बुलन्दशहर जिले में बिना बिजली के पुलिस स्टेशन

*११---श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर), श्री अनीसुर्रहमान (जिला नैनीताल) तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में कितने और कहां-कहां पुलिस स्टेशन एवं पुलिस चौकियां ऐसे स्थानों पर हैं जहां पर बिजली प्राप्त है किन्तु उन स्थानों और चौकियों में बिजली नहीं है ? इसका क्या कारण है और ऐसे स्थानों और चौकियों को कब तक बिजली दी जायेगी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

जिला बुलन्दशहर में थाने खुर्जा, शिकारपुर, अनूपशहर, औरंगाबाद, दनकौर, दादरी, डिवाई, पहासू, स्याना और जहांगीराबाद ऐसे स्थानों पर हैं जहां पर बिजली है परन्तु थानों पर बिजली नहीं है। चौकियों के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना प्राप्त की जा रही है। ऐसे सभी थानों और चौकियों पर बिजली लगाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

श्री मुमताज मुहम्मद खां---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि थानों पर रोशनी का इन्तजाम अच्छी तरह से होना चाहिये, इसके लिये वह कितना रुपया प्रति मास प्रति थाना देते हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

इसकी तो सूचना नहीं है, उत्तर में बताया गया है कि इस पर विचार किया जाएगा ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

श्रीमन्, मेरा सवाल यह है कि प्रति थाना प्रति मास कितना रुपया आप देते हैं रोशनी पर?

श्री अध्यक्ष--

रोशनी पर कितना मासिक खर्च होता है, यह प्रश्न है ।

श्री हरगोविन्दसिंह--

इसका उत्तर तो मैंने यह दिया है कि उसकी सूचना नहीं है ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--

जिन थानों पर बिजली काफी दिनों से है वहां के थानों पर अब तक बिजली न देने का क्या कारण है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

इसका कारण पैसे की कमी है ।

श्री शिवराजसिंह--

क्या और सब थानों में बिजली की रोशनी होती है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

जी हां, जहां बिजली है, वहां होती है ।

[२२ अप्रैल, १९६५ के लिये निर्धारित तारांकित श्न

*१-२--श्री कमलासिंह यादव तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां--

[उत्तर दिया जा चुका है ।]

झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई के महल में पुलिस अधिकारियों का निवास

*३--श्री कृष्णचन्द (जिला झांसी)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई वाले महल में से कोतवाली को नई इमारत में तब्दील करने के लिये कब खाली किया था ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

कथित भवन दिनांक फरवरी १७, १९६१ को खाली किया गया था ।

*४--श्री कृष्णचन्द--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त महल के जिन हिस्सों में कोतवाल व दरोगा तथा सर्किल इंस्पेक्टर आदि रहते थे क्या वह भी सब खाली कर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो कितने लोग कितने हिस्सों में अब भी रहते हैं और उनके अब भी वहां रहने का क्या कारण है जब कि महल केन्द्रीय सरकार के पुरातत्व विभाग के सुपुर्द कर दिया गया है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

जी नहीं। केवल एक थानाध्यक्ष तथा एक सब-इंस्पेक्टर का क्वार्टर खाली कर दिया गया है। बाकी बचे एक सर्किल इंस्पेक्टर तथा २ सब-इंस्पेक्टर के क्वार्टरों में पुलिस कर्मचारीगण रहते हैं। किराये का मकान न मिलने के कारण यह अभी खाली नहीं किये जा सके।

*५---श्री कृष्णचन्द---

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त महल के आम दरवाजे के सामने उस से सम्बन्धित जो प्लाट है क्या वह भी पुलिस के अधिकार में है और उसमें भी कुछ पुलिस वाले रहते हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

जी हां। कथित प्लाट पुलिस विभाग का है और इस पर १० क्वार्टर पुलिस कर्मचारियों के हैं जिनमें कर्मचारीगण रह रहे हैं।

श्री कृष्णचन्द---

पिछले चार वर्षों में वहां के पुलिस अधीक्षक अथवा अन्य पुलिस अधिकारियों ने किराये पर मकान लेने के लिये क्या कार्यवाहियां की हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

मकान तलाश करने के लिये जो प्रयास किये जाते हैं वह सब किये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---

वह जानना चाहते हैं कि क्या प्रयास किये जाते हैं और आपने क्या प्रयास किये ? (हंसी)

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री कृष्णचन्द---

पिछले चार वर्षों में झांसी में करीब ८०० मकान किराये के लिये खाली हुये तो आपके अधीक्षक ने इन थानेदारों और सर्किल इंस्पेक्टरों को बसाने के लिये कितनी बार डी० एस० ओ० को एप्लाई किया जिससे मकान मिल सकें ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

यदि माननीय सदस्य उन मकानों की सूचना हमें दे सकें तो हम पुलिस अधीक्षक से कह देंगे कि उन मकानों को प्राप्त करने का प्रयत्न करें।

श्री ऊदल---

अभी १०, १२ दिन पहले एक प्रश्न के उत्तर में माननीय समाज-कल्याण मंत्री ने उत्तर दिया था कि इस महल को सेन्ट्रल गवर्नमेंट के हवाले कर दिया गया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसमें फिर से पुलिस कब से बसा दी गयी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

माननीय समाज-कल्याण मंत्री जी ने भी बहुत सही फरमाया था और मैं भी सही निवेदन कर रहा हूं। यह महल ३१ दिसम्बर, १९६२ को खाली कर दिया गया और पुरातत्व विभाग को सौंप दिया गया। केवल पश्चिम की ओर ५ क्वार्टर्स हैं जिनका मैंने जिक्र किया है और वे घिरे हुये हैं।

श्री लखपतराम शर्मा---

क्या मंत्री जी की जानकारी में है कि वह महल स्वयं महारानी लक्ष्मीबाई का निवासस्थान था और वह ऐतिहासिक महत्व का है और पुरातत्व विभाग ने लाखों रुपया उस पर खर्च किया है और उस पर उसका कब्जा है। तो पुलिस के अधिकारियों ने अब तक उसे क्यों नहीं खाली किया और उनके विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गयी अगर उन्होंने नहीं खाली किया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

कोशिश कर रहे हैं कि वे खाली कर दें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

यह महारानी लक्ष्मी बाई का पवित्र भवन है और पुरातत्व विभाग ने उसे ले लिया है। जिन पुलिस अधिकारियों को उचित आवास यह सरकार नहीं दिला पा रही है, उसके लिये सरकार बतलावे कि कितने दिनों के अन्दर उनके आवास की व्यवस्था हो जायेगी और वे इसे खाली कर देंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

श्रीमन्, इसका प्रयत्न किया जा रहा है कि जल्द से जल्द वे उसे खाली कर दें।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

व्यवस्था का प्रश्न है कि उधर अलहदा से मीटिंग चले सदन में यह कहां तक उचित है ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

इस अवस्था का फायदा उठा कर पुलिस अधिकारियों ने पुलिस विभाग से एलाउंस ड्रा कर लिया है और वह सारी सुविधायें जो उनको प्राप्त हैं ले लेते हैं, इस सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

यह सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री कृष्णचन्द---

मैं यह जानना चाहता हूं कि जब नई कोतवाली बन गई है और विशाल प्रांगण आपके पास है तो सरकार ने उन पुलिस इंस्पेक्टर और पुलिस कर्मचारियों के लिये अब वहां मकान नहीं बनाये तो कब बनायेगी ? क्या उनके लिये अब मकान बनाने का सरकार का इरादा है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

वह इमारत बन गई है और दफ्तर उसमें पहुंच गया है। उनके निवास के लिये सरकार प्रयत्नशील है। जल्द से जल्द ये स्थान बना दिये जायेंगे और वहां से इनको खाली कर देंगे।

मुरादाबाद जिले में केनक्रशर के लाइसेन्स

*६---श्री शराफत हुसैन रिजवी---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९६४ में कितने व्यक्तियों ने केन क्रशर के नये लाइसेंस प्राप्त करने के लिये प्रार्थना-पत्र केन-कमिश्नर के कार्यालय में भेजे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

सन् १९६४ में चीनी आयुक्त के कार्यालय में ४४८ पावर क्रशरों के नये लाइसेंस हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे।

*७--श्री शराफत हुसैन रिजवी--

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि इन प्रार्थना-पत्रों में ऐसे कितने प्रार्थना-पत्र थे जो सुरक्षित एरिया के बाहर के थे और क्या उन्हें नये लाइसेंस दिये गये ? यदि हां, तो किन किन जिलों में ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

उपरोक्त प्रार्थना-पत्रों में से १७९ पावर क्शरों के नये लाइसेंस सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र सुरक्षित क्षेत्र के बाहर के थे । इनमें से अधिकांश प्रार्थना-पत्र मंजूर किये गये थे । सम्बन्धित जिलों की सूची संलग्न तालिका 'क' में अंकित है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३७२ पर)

*८--श्री शराफत हुसैन रिजवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९६३-६४ में मुरादाबाद जिले में क्शरों के लिये नये लाइसेन्स दिये गये हैं ? यदि हां, तो उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

निर्दिष्ट वर्ष में मुरादाबाद जिले में पावर क्शर के नये लाइसेंस के सात प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये गये थे जिनका विवरण संलग्न तालिका "ख" में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३७३ पर)

श्री शराफत हुसैन रिजवी--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो ४४८ दरख्वास्तें आई थीं उनमें १७९ ऐसी थीं जो रिजर्व एरिया के बाहर की थीं उनमें से अधिकांश को लाइसेंस दिया गया क्योंकि वह रिजर्व एरिया में नहीं थीं ? मैं यह जानना चाहता हूं कि जब ये सब रिजर्व एरिया की नहीं थीं तो सबको क्यों नहीं दिया गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

जो रिजर्व एरिया के बाहर होते हैं और रिजर्व एरिया हुत दूर नहीं होते हैं तो उनका असर पड़ जाता है, रिजर्व एरिया पर उसका असर पड़ जाता है । इस वजह से साधारणतः उनको हम ये लाइसेंस नहीं देते ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी--

क्या मंत्री जी ने अपने विभाग को यह आदेश दे रखा है जिससे सारे जिलों में यह भ्रम फैला हुआ है कि मिल गेट से १० मील चारों तरफ रिजर्व एरिया होता है तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मिल गेट से कितना चारों तरफ रिजर्व एरिया होता है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

रिजर्व एरिया को हम बाकायदा नोटिफाई करते हैं । हर जगह वह नोटिफाइ होता है ।

हुसैनपुर ग्राम से अवैध बन्दूक सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

*९--श्री उमाशंकर--

क्या गृह मंत्री ११ फरवरी, १९६५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जो प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से खो गया था

नोट--तारांकित प्रश्न ८ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

उसकी प्रतिलिपि उनके कार्यालय में ११ से १२ फरवरी, १९६५ के बीच में प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां, उक्त प्रार्थना-पत्र की प्रतिलिपि मेरे कार्यालय में ११/१२ फरवरी, १९६५ को प्राप्त हुई थी। उक्त प्रार्थना-पत्र पर जांच करायी गयी पर उसमें लगाये गये आरोप सही नहीं पाये गये।

बुलन्दशहर जिले में पुलिस शक्ति बढ़ाने का सुझाव

*१०—श्री मुमताज मुहम्मद खां, श्री अनीसुर्रहमान तथा श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में कितने सब इंस्पेक्टर्स, कितने हेड कांस्टेबिल्स और कितने कांस्टिबिल्स की कमी है ? जब कि जन संख्या के बढ़ जाने के कारण अपराधों में भी वृद्धि हो गई है तो पुलिस को बढ़ाने की ओर सरकार ने क्यों ध्यान नहीं दिया और इस कमी को कबतक दूर कर दिया जायेगा ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इस समय जिला बुलन्दशहर में किसी पुलिस कर्मचारी की कमी नहीं है।

सन् १९६१ से अबतक इस जिले में १४ सब-इंस्पेक्टरों, ४ हेड कांस्टिबिलों और ६८ कांस्टिबिलों की वृद्धि की गई है। पुलिस आयोग, १९६० की संस्तुतियों के आधार पर प्रदेश के प्रत्येक जिले की पुलिस की संख्या में वृद्धि के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है। इस पर निर्णय लेने के उपरान्त जिला बुलन्दशहर में कुछ नये पुलिस थाने खोले जायेंगे तथा पुलिस की संख्या में भी वृद्धि की जायेगी।

*११—श्री काशीनाथ मिश्र आदि—

[हटा दिया गया।]

*१२—श्री कमलासिंह यादव—

[दसवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

सिंहपुर ब्लाक में हरिजनों को सहायता

*१३—श्री भगवानदीन (जिला रायबरेली)—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६३ में सिंहपुर ब्लाक, जिला रायबरेली से कितने हरिजनों को मकान बनवाने, कुंवां बनवाने, बैल खरीदने एवं कुटीर उद्योग धंधों के लिये कितना-कितना रुपया दिया गया, उनके नाम तथा गांव क्या हैं ?

डाक्टर सीताराम—

मकान बनाने के लिये कोई धन नहीं दिया गया परन्तु अन्य मदों में दी गयी सहायता सम्बन्धी वांछित सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ३७४ पर)

बाराबंकी जिले में अवितरित हरिजन अनुदान

*१४—श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जनपद में हरिजनों के किस-किस मद में कितना-कितना धन किस-किस वर्ष का ३१ दिसम्बर, १९६४ ई० तक बांटा नहीं जा सका?

डाक्टर सीताराम--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

झांसी जिले में उद्योग ऋण की वापसी

*१५--श्रीमती बेनीबाई (जिला झांसी) तथा श्री कृष्ण चन्द--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला झांसी में उद्योग ऋण लिये हुये कितने लोग नियमित रूप से रुपया अदा कर रहे हैं और कितने डिफाल्टर्स हैं तथा उनके रुपये की वसूली के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*१६--श्री केदारनाथ भार्गव (जिला मथुरा)--

[स्थगित किया गया ।]

*१७--श्री केदारनाथ भार्गव--

[तेरहवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या १३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*१८--श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी (जिला चमोली)--

[उत्तर दिया जा चुका है ।]

उत्तराखण्ड में पर्यटन उद्योग चलाने के लिये सुझाव

*१९--श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी--

क्या सरकार पर्यटन उद्योग चलाने के सम्बन्ध में चमोली, उत्तराखंड जिले में संसार प्रसिद्ध विरहीताल, जिसे गोनाताल व दुमो झील के नाम से भी पुकारा जाता है और फूलों की घाटी (म्यूनार लोक पाल वाला भाग) व सुकताल, बेनीताल, बैदनी बुग्याल, रामणी, रूपकुन्ड, दीवाली खाल, दूधी तोली की पर्वत मालायें, हरियाली, देवीरानीगढ़, उफराइदेवी (चांदपुर), भविष्य बदरी (सुवांई), कल्पनाथ (उर्गम) और बद्रीनाथ धाम में लक्ष्मीबन, अलका पुरी, बांके, स्वर्गारोहण व सत्यपथ तथा केदारनाथ घाटी में बासुकीताल, कालीमठ, मदमहेश्वर, तुंगनाथ और श्री रुद्रनाथ जैसे स्थान जो पुष्पों के उपवन होने के अतिरिक्त प्रकृति प्रदत्त पुष्पों के गलीचों का काम देते हैं और विविध दृष्टिकोणों से अपना विशेष स्थान रखते हैं इन स्थानों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने व विवरण मांगने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

कथित स्थानों में पर्यटन उद्योग चलाने के सम्बन्ध में उत्तराखंड की तीसरी पंचवर्षीय योजना में कोई प्राविधान नहीं है । अतः इस सम्बन्ध में कोई कार्य करना संभव न होगा । जहां तक चौथी पंचवर्षीय योजना का सम्बन्ध है,इस समय यह कहना संभव नहीं है कि यह कार्य उक्त योजना काल में किया जा सकेगा या नहीं ।

गाजीपुर जिले में पुलिस थानों की इमारतें

*२०--श्री राजनारायणसिंह (जिला गाजीपुर)--

गाजीपुर जनपद के अन्तर्गत किन पुलिस थानों के निर्माण के लिये कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है ? इनका निर्माण अब तक क्यों नहीं हुआ जब कि गत ३ बजटों से ही इसकी व्यवस्था है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

गाजीपुर जिले के थाना गहमर व थाना शादियाबाद की नई इमारत की अनुमानित लागत क्रमशः ७७,००० रु० व ७०,००० रु० में बनाने के आदेश १९६२-६३ में जारी हुये थे, किन्तु अक्तूबर, १९६२ में संकटकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाने के कारण इनका निर्माण-कार्य जनवरी, १९६३ से स्थगित कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त जमानिया थाने का भवन निर्माण-कार्य अभी हो रहा है। वित्तीय वर्ष १९६५-६६ में केवल थाना गहमर के लिये दस हजार रुपये की व्यवस्था की गई है।

*२१--श्री राजनाथसिंह--

गाजीपुर जनपद में किन स्थानों पर नये पुलिस थाने प्रस्तावित हैं और उनकी स्थापना कब तक हो जाने की आशा है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

गाजीपुर जिले में चार नये थाने--नोनहारा, भुरकुरा, भवरकोल तथा करंदा में प्रस्तावित हैं परन्तु अभी यह कहना संभव नहीं है कि इनकी स्थापना कब तक हो सकेगी।

गौरी बाजार चीनी मिल क्षेत्र में नलकूपों के लिये अनुदान

*२२--श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिले के गौरी बाजार चीनी मिल जोन के किन-किन गन्ना किसानों को १९६२-६३ व १९६३-६४ व १९६४-६५ में नलकूप लगाने के लिये कितना-कितना अनुदान और ऋण दिया गया ?

डाक्टर सीताराम--

देवरिया जिले के गौरीबाजार चीनी मिल के सुरक्षित क्षेत्र में वर्ष १९६२-६३ व १९६३-६४ में जिन किसानों को ऋण तथा अनुदान नलकूप लगाने के लिये दिया गया उसकी सूचना संलग्न †सूची "क" व "ख" में है तथा वर्ष १९६४-६५ के दिनांक २९-३-६५ तक की स्थिति संलग्न †सूची "ग" में है।

देवरिया जिले में उद्योग ऋण

*२३--श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या सरकार बतायेगी कि देवरिया जिला के उद्योग विभाग से १९५७ से १९६४ तक जिन-जिन को कर्जा दिया गया उनमें किस-किस ने काम शुरू कर दिया और किस-किस ने काम शुरू नहीं किया, कारण क्या है, और क्यों तथा क्या उनसे ऋण की अदायगी करा ली गई है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

विमुक्त जातियां

*२४--श्री भोखालाल (जिला उन्नाव)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भारतीय संविधान के लागू होने के उपरान्त प्रदेश में विमुक्त जातियों की श्रेणी में कौन-कौन-सी जातियां रखी गयीं और वह किस शासकीय आदेश द्वारा दिया गया ? क्या सरकार उस शासकीय आदेश की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

---

†छापी नहीं गई।

डाक्टर सीताराम---

भारतीय संविधान के लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में विमुक्त जातियों की श्रेणी में जो जातियां रक्खी गई हैं उनकी सूची शासकीय आदेश संख्या ८९९(ए)/छब्बीस---७००-(५)-१९५९, दिनांक १२ मई, १९६१ द्वारा निर्धारित की गई, जिसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखी जा रही है ।

*२५---श्री भीखालाल---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रथम बार निश्चित की गई विमुक्त जातियों की सूची में समय-समय पर परिवर्तन किये गये हैं ? यदि हां, तो वह परिवर्तन किस आधार पर किये गये हैं, और क्या सरकार उन शासकीय आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी जिनके द्वारा यह परिवर्तन किये गये हैं ?

डाक्टर सीताराम---

जी हां , प्रथम बार निश्चित की गई विमुक्त जातियों की सूची में समय समय पर परिवर्तन किये गये हैं जिसकी सूचना† संलग्न है । संबंधित शासकीय आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखी जा रही हैं ।

झांसी जिले में हरिजन कूप

*२६---श्रीमती बेनीबाई---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले में सन् १९६२, ६३, ६४ में प्रत्येक ब्लाक में कितने कितने हरिजन कुयें बनाये गये हैं ? उनमें से कितने पूरे हो चुके हैं और कितने अधूरे पड़े हैं ?

डाक्टर सीताराम---

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*२७---श्री ऊदल---

[नवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ९९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*२८---श्री ऊदल---

[नवें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ९० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*२९---श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)---

[हटा दिया गया ।]

*३०---श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

[दसवें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

देवरिया जिले में नलकूप

*३१---श्री कैलाश (जिला देवरिया)---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में पटेल आयोग द्वारा सन् १९६४ व ६५ में कितने नलकूप लगाये जायेंगे ?

*३२---उपरोक्त जिले के सलेमपुर तहसील में विकास खंड भटनी, भाटपाररानी, बनकटा तथा सलेमपुर में प्रत्येक विकास खंड में कितने नलकूप तथा किन-किन जगहों पर लगाये जायेंगे ?

---

†छापी नहीं गई ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पत्र प्रतिनिधियों का दौरा

*३३--श्री नरसिंहनारायण पांडेय तथा श्री बालोजी अग्रवाल--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत जनवरी के अंतिम सप्ताह में कोई प्रेस टूर का आयोजन किया गया था ? यदि हां, तो किस लिये और उसमें कहां कहां जाया गया तथा उस पर क्या खर्चा पड़ा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी हां । इस भ्रमण में पत्र-प्रतिनिधियों को आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बुलन्दशहर, मेरठ, देहरादून, सहारनपुर तथा बिजनौर जिलों में हुए विकास कार्यों के प्रमुख स्थलों को दिखाया गया । इस भ्रमण पर लगभग ६,२३९ रुपये व्यय हुये ।

गृह मंत्रालय जांच अनुसन्धान संबंधी सामान

*३४--श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के गृह मंत्रालय जांच अनुसंधान संबंधी सामान, जिसकी कमी आगरा अनुसंधान केंद्र में फैमिफल जांच के संबंध में महसूस हो रही है, की खरीद किसी विदेशी मुल्क से करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

जी हां ।

विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ३७५ पर)

बदायूं जिले के पुलिस कर्मचारी

*३५--श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं)--

क्या गृह मंत्री बदायूं जिले के सभी थानों में काम करने वाले १५ फरवरी, १९६५ तक थाना इंचार्जों, उनके सहायक थाना इंचार्ज, हेड कांस्टेबिल तथा सभी सिपाहियों के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि--

(अ) उनमें से कितने ऐसे हैं जो कि इसी जिले में ६ वर्ष से अधिक अवधि से काम कर रहे हैं ?

(ब) कितने ऐसे हैं जोकि उसी थाने में ३ वर्ष से अधिक से काम कर रहे हैं ?

(स) किन-किन सिपाहियों तथा हेड एवं सहायक थाना इंचार्जों पर १५ फरवरी, १९६५ तक इस समय अदालत में इस्तगासे चल रहे हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

(अ) ऐसे १ सब-इन्सपेक्टर, २ हेड कान्सटेबिल तथा १७८ कांसटेबिल हैं ।

(ब) कोई नहीं ।

(स) सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ३७६ पर)

बर्मा से आये भारतीय नागरिकों का पुनर्वासन

*३६--श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच), श्री मुहम्मद रफी खां तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसने बर्मा से आये हुये रिफ्यूजीज को बसाने के लिये अब तक क्या कार्य किया है ?

डाक्टर सीताराम--

भारत सरकार के आदेशानुसार बर्मा से आये भारतीय नागरिकों को कुछ विशेष सुविधायें प्रदान की गई हैं। असहाय और निराश्रित व्यक्तियों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर पर जिलाधीशों की शिफारिशों के आधार पर पोषण-भत्ता दिया जा रहा है। इन स्वदेश वापिस आये परिवारों के बच्चों के लिये निःशुल्क शिक्षा शैक्षिक सत्र १९६५-६६ से दी जायगी। समस्त रोजगार के दफतरों को इन लोगों को पंजीकृत करने के विषय में आदेश जारी कर दिये गये है ।

*३७--श्री प्रेमसिंह, श्री मुहम्मद रफी खां तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या सरकार उनको मुख्तलिफ किस्म के कर्ज आसानी से दिये जाने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सीताराम--

इन लोगों को व्यावसायिक श्रम देने पर विचार हो रहा है ।

बुन्देलखण्ड के लिये विकास योजनायें

*३८--श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा) तथा श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)--

क्या सरकार ने बुन्देलखण्ड को भी पिछड़े हुये क्षेत्रों में शामिल कर लिया है ? यदि हां, तो इस में कौन-कौन जिले शामिल हैं और इस पिछड़ेपन को दूर करने हेतु क्या-क्या योजनायें बनाई गई हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

प्रदेश की योजना में बुन्देलखंड को राज्य के अन्य विकसित क्षेत्रों की अपेक्षा पिछड़ा हुआ माना गया है । इस क्षेत्र में झांसी, जालौन, बांदा और हमीरपुर जिले शामिल हैं ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्र के विकास के लिये जो विशेष परियोजनाएं चालू की गई हैं उनमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण हैं:--

१--झांसी, जालौन जिले में ज्वार, बाजरा और दालों का प्रगाढ़ कार्यक्रम ।
२--धान की सघन खेती बांदा जिले में ।
३--बंधियों के निर्माण का प्रगाढ़ कार्यक्रम बुन्देलखंड के समस्त जिलों में ।
४--माटा टीला जल विद्युत योजना ।
५--माता टीला बांध, जगुनी बांध, चन्द्रावल बांध आदि ।
६--ग्रामीण औद्योगिक योजना, मौरानीपुर में ।

सिकन्दराबाद में राजस्थानी वेश्यायें

*३९--श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर में दिल्ली की वैश्याएं आकर रहने लगी हैं ? उनकी वजह से शहर का वातावरण दूषित हो गया है ? क्या उन्हें पुलिस के द्वारा हटाने का प्रबन्ध है ? यदि है, तो कब तक हटाई जायंगी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

डाक्टर सीताराम--

यह कहना सत्य नहीं है कि दिल्ली की वैश्याएं सिकन्दराबाद में आकर रहने लगी हैं । जांच से पता चला है कि जो वैश्याएं सिकन्दराबाद में रहने लगी थीं वे राजस्थान से आई थीं। हाल ही में सिकन्दराबाद की २० वैश्याओं के विरुद्ध सेप्रेशन आफ इम्मारल ट्रैफिक इन वीमेन ऐण्ड गर्ल्स ऐक्ट, १९५६ के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है ।

*४०--श्री जसरामसिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जहां पर यह वैश्याएं रहती हैं वहां से मंदिर, मस्जिद, कालेज, डिग्री कालेज, सिनेमा कितनी दूरी पर हैं ?

डाक्टर सीताराम--

गिरफ्तार की गई वेश्याओं के निवास स्थान से मंदिर व मस्जिद, कालेज, डिग्री कालेज और सिनेमा आसपास ही हैं ।

बुलन्दशहर जिले में अपराध

*४१--श्री जसरामसिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर नगर में रात को आजकल जनता द्वारा पहरा देकर रक्षा हो रही है और दो माह में कितनी घटनायें लूट-खसोट, मार-पीट की हुई हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

बुलन्दशहर नगर में आजकल रात्रि में जनता द्वारा पहरा देकर नहीं वरन पुलिस द्वारा रक्षा का प्रबन्ध है ।

पिछले दो माह जनवरी, फरवरी में लूट खसोट की २ और मारपीट की ७ घटनाओं की रिपोर्टें प्राप्त हुई ।

विधायकों की उर्दू के लिये मांग

*४२--कुंवर श्रीपालसिंह--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या विधान मंडल के कुछ सदस्यों ने उन्हें भाषा के संबंध में इसी महीने फरवरी, १९६५ में कोई प्रतिवेदन दिया है ? यदि हां, तो उसमें मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

गत १८ फरवरी, १९६५ को उत्तर प्रदेश विधान मंडल के कुछ विधायकों ने संयुक्त रूप से मुख्य मंत्री को एक प्रतिवेदन दिया था । संभवतः प्रश्नकर्ता का अभिप्राय उसी प्रतिवेदन से है । उक्त प्रतिवेदन में मुख्य रूप से यह मांग की गई है कि उर्दू को उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय भाषा मान लिया जाय और विधान मंडल के ऐसे सदस्यों को जिनकी मादरी जबान उर्दू है, सदन में प्रस्तुत सभी कागजात उर्दू में दिये जायं और उनके भाषणों का लिप्यन्तरण (ट्रांस्क्रिप्शन) उर्दू में हो ।

पुलिस ट्रेनिंग कालेज, मुरादाबाद का कथित समारोह

*४३--कुंवर श्रीपालसिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि १९ फरवरी, १९६५ को उत्तर प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग कालेज, मुरादाबाद में एक समारोह हुआ जिसमें प्रदेश के गृह मंत्री भी उपस्थित थे,

जिसमें सारी कार्यवाही अंग्रेजी में संचालित की गई तथा वार्षिक प्रतिवेदन तक अंग्रेजी में ही पढ़ा गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

श्री हरगोबिन्दसिंह--

जी नहीं । १९ फरवरी, १९६५ को पुलिस ट्रेनिंग कालेज, मुरादाबाद में ऐसा कोई समारोह नहीं हुआ ।

गाजीपुर जिले में ऐतिहासिक स्थान

*४४--श्री कमलासिंह यादव--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में ऐतिहासिक महत्व के कौन स्थान तथा तीर्थ स्थान हैं ? क्या यह सही है कि यह अत्यन्त उपेक्षित अवस्था में पड़े हैं और धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं ?

डाक्टर सीताराम--

गाजीपुर जिला अन्तर्गत ऐतिहासिक महत्व के कुछ स्थानों की सूची संलग्न है । इनकी विस्तृत सूची बनाने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग के अध्यक्ष को यह काम सौंपा गया है कि वे गाजीपुर जिले के सभी ऐतिहासिक स्थानों की सूची पूर्ण विवरण सहित प्रस्तुत करें । क्रम सं० १,३, २२ तथा २४ में जहां कहीं पुराने अवशेषादि हैं उनके अल्प मरम्मत की आवश्यकता है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३७७ पर)

*४५--श्री कमलासिंह यादव--

क्या सरकार भितरी के जहां हजारों मूर्तियां मिल रही हैं उसकी खुदाई खुद या भारत सरकार द्वारा करायेगी और मूर्तियों की सुरक्षा का इन्तजाम करेगी ?

डाक्टर सीताराम--

जहां तक खुदाई करने का प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा ही खुदाई के लिये प्राचीन स्थलों का चुनाव किया जाता है और यह अधिकार उन्हीं को प्राप्त है ।

भितरी स्थित प्राचीन मूर्तियों का संरक्षण मुख्यतः भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन है । इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की ओर से जिलाधीश, गाजीपुर को आस-पास के स्थानों में बिखरी हुई मूर्तियों के संरक्षण के लिये आवश्यक आदेश दे दिये गये हैं ।

मोहनपुर के काश्तकारों का गन्ना सप्लाई विषयक प्रार्थना-पत्र

*४६--श्री उग्रसेन--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के सरदारनगर मिल की सर्किल जगदीशपुर के ग्राम मोहनपुर के काश्तकारों ने कांटा बदलने के लिये दिनांक १९ सितम्बर, १९६४ को कोई प्रार्थना-पत्र गन्ना विभाग के समस्त अधिकारियों को दिया था ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उस प्रार्थना-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

निर्दिष्ट ग्राम के किसानों द्वारा सरदारनगर चीनी मिल के गेट पर गन्ना पूर्ति किये जाने के बजाय बेला रोड सेन्टर पर गन्ना पूर्ति किये जाने का दिनांक १७-९-६४ का एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था जिस पर जांच से ज्ञात हुआ कि उक्त ग्राम के किसान गन्ने के मूल्य से ढुलाई व्यय की

कटौती के लिये सहमत नहीं थे और इस कारण वे गन्ना पूर्ववत् उक्त मिल के गेट पर ही पूर्ति कर रहे हैं ।

*४७—श्री उग्रसेन—

क्या मुख्य मंत्री को यह ज्ञात है कि उपरोक्त प्रार्थना-पत्र पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई और वहां के काश्तकार काफी दिनों से मिल को गन्ना नहीं दे रहें हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उपरोक्त प्रश्न के उत्तर से स्पष्ट है कि यथोचित कार्यवाही की गई और उक्त ग्राम के काश्तकार पिछले वर्षों की भांति मिल गेट पर गन्ना सप्लाई कर रहे हैं ।

*४८—श्री उग्रसेन—

क्या मुख्य मंत्री को उपरोक्त हड़ताल की सूचना मिली है या नहीं ? यदि हां, तो सरकार ने उपरोक्त हड़ताल को खत्म करने के लिये अब तक कौन-सा कदम उठाया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

ऐसी कोई हड़ताल की सूचना नहीं मिली है । अतएव, उसको समाप्त किये जाने के लिये कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

गोण्डा जिले में उद्योग

*४९—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में प्रथम व द्वितीय एवं तृतीय पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत कौन-कौन उद्योग चल रहें हैं, और भविष्य में कौन उद्योग सरकार लगाने जा रही है ?

*५०—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोंडा नगर में जनता उद्योग भवन, आटा मिल जो लगाया गया है उसमें कितना टन गेहूं दैनिक पीसने की क्षमता है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*५१—श्री गंगाप्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले के किन-किन उद्योगों में कितना धन सन् १९६१ से लेकर ३१ दिसम्बर, १९६४ तक किन-किन को कर्जा दिया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही हैं ।

छात्रों पर डकैती व हत्याओं का आरोप

*५२—श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि २२ फरवरी, १९६५ ई० के स्वतन्त्र भारत अखबार में दिनांक २१ फरवरी, १९६५ के उत्तर प्रदेश छात्रों द्वारा डकैतियां, हत्यायें काफी संख्या में करने का आरोप एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा लगाया गया है ?

*५३—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गृह विभाग द्वारा कुछ छात्रों का गिरोह पकड़ा गया है ? यदि हां, तो कहां-कहां और उनके द्वारा उपरोक्त कार्य करने का क्या कारण है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

बबीना तथा परासन ग्राम की हत्यायें

*५४--श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जालौन जिले में दिनांक १५ व १६ फरवरी, १९६५ को क्रम से एक और ३ हत्यायें दिन दहाड़े क्रम से बबीना और पटास ग्रामों में हुई हैं ? बबीना का कत्ल मोटर स्टैन्ड के पास और पटास की हत्या गोली मार कर डेढ़ मील तक मृतकों को घसीट कर नदी किनारे ले जाया गया और जलाकर उन्हें राख कर दिया गया ? यदि हां, तो मंत्री जी विस्तृत रपट सदन की मेज पर रखते हुये बतायेंगे कि उन मुकदमों में अब तक कितनों का चालान हुआ है ?

हरगोविन्दसिंह---

थाना कदौरा, जिला जालौन के अन्तर्गत ग्राम बबीना तथा परासन की घटनायें क्रमशः १४-२-६५ तथा १६-२-६५ को हुईं । घटनाओं तथा उनके संबंध में की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ३७८ पर)

उप गन्ना आयुक्त के पद

*५५--श्री दीनदयाल करबरिया (जिला बांदा)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गन्ना विकास विभाग के ५ उप-गन्ना आयुक्त के अस्थायी पदों में से केवल दो को ही स्थाई किया गया है और जो पद अब स्थाई किये गये हैं उनके रिक्त स्थानों की पूर्ति किस प्रकार की जायगी ?

डाक्टर सीताराम---

गन्ना आयुक्त के कार्यालय के ५ उप-गन्ना आयुक्त के पदों में से अभी तक दो ही पद दिनांक १-४-६४ से स्थायी घोषित किये गये हैं । इन पदों को स्थायी करने से कोई पद रिक्त नहीं हुये हैं । अतएव, इनकी पूर्ति का प्रश्न नहीं उठता ।

*५६--श्री दीनदयाल करबरिया---

क्या यह सही है कि उप गन्ना आयुक्त के एक पद पर सरकार द्वारा जो नियुक्ति आरम्भ में केवल स्थानीय प्रबन्ध का रूप दर्ज कर की गई थी वह अब तक ९ वर्षों के ऊपर भी बिना लोक सेवा आयोग की स्वीकृति के चलती जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम--

शासन ने अक्तूबर सन् १९६५ में उपगन्ना आयुक्त, सहकारी चीनी मिल, के एक अस्थायी पद का सृजन किया और एक तत्कालीन सहायक गन्ना आयुक्त की इस पद पर नियुक्ति हुई । इस पद पर नियुक्ति के बाद लोक सेवा आयोग की सहमति से यह निश्चय किया गया है कि इस पद पर भर्ती विभागीय अधिकारियों के पदोन्नति द्वारा की जावेगी और पदोन्नति का आधार भी तय हो गया । आयोग ने सूचित किया है कि वे उक्त सहायक गन्ना आयुक्त की इस पद पर अस्थायी नियुक्ति के प्रश्न पर रेगुलर चुनाव के समय विचार करेंगे ।

कोतवाली थाने में कत्ल

*५७--श्री शुगनचन्द मजदूर (जिला मुजफ्फरनगर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करगी कि थाना कोतवाली, जिला मुजफ्फरनगर में अप्रैल १९६४ से ३१ जनवरी, १९६५ ई० तक कितने कत्ल किन-किन परिस्थितियों में हुये हैं और उन पर क्या-क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ३७९ पर)

अस्थायी ग्राम सेविकायें

*५८--श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश की ग्राम सेविकाओं को स्थायी करने में अब तक क्यों विलम्ब किया गया है और कब तक उनको स्थायी करने का विचार है ?

डाक्टर सीताराम--

ग्राम सेविकाओं के २२४ पद स्थायी किये जा चुके हैं। अन्य पदों को स्थायी करने के बारे में अभी निश्चित रूप से कुछ कहना संभव नहीं है।

टेक्निकल स्कूल

*५९--श्री ऊदल--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की पूरी अवधि में उनके विभाग द्वारा प्रदेश में ३ टैक्निकल स्कूल खोलने का प्राविधान था और इसके लिये लाखों रुपया भारत सरकार ने दिया था तो अब तक एक भी टेक्निकल स्कूल न खुलने का कारण क्या है ?

डाक्टर सीताराम--

प्रारम्भ में यह विचार था कि पहले से चल रहे विभागीय तीन औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों को पालीटेक्निक में परिवर्तित कर दिया जाय किन्तु तकनीकी दृष्टि से यह संभव न हो सका। इसलिये यह सोचा गया कि बख्शी का तालाब, लखनऊ और बांदा में दो पालीटेक्निक अलग से चलाये जायें। कालान्तर में चीजों के भावों के बढ़ जाने के कारण यह अनुभव किया गया कि दो पालीटेक्निक भी चलाना संभव न होगा अतः बांदा पाली टेक्निक का विचार छोड़ दिया गया और अब बख्शी का तालाब वाले पाली टेक्निक को आर्यनगर बस्ती में जुलाई से चलाये जाने की व्वयस्था पूरी कर ली गई है।

भिक्षुक सदन स्थापित करने पर विचार

*६०--श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल--

क्या सरकार प्रदेशों के लूले, लंगड़े अन्धे, कोढ़ी, अपाहिज भिखारियों की, जो रेलवे स्टेशनों पर बस स्टेशनों पर, आम सड़कों पर भीख मांगते हैं सरकारी भिक्षुक सदन में भिजवाने की व्यवस्था सामूहिक रूप से करेगी ?

डाक्टर सीताराम--

अभी इस प्रकार की कोई योजना नहीं है। परन्तु यह विषय सरकार के विचारारधीन है।

*६१—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

यदि भिक्षुक-सदन न हों तो क्या नया सदन खोलकर वहां इन को रखेगी ?

डाक्टर सीताराम—

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रान्तीय रक्षक दल

*६२—श्री सुखलाल (जिला लखनऊ)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि जो पी० आर० डी० सिपाही इस विभाग की समाप्ति के बाद पुलिस विभाग में ले लिये गये हैं, उन का वेतन-क्रम क्या रखा गया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

प्रश्न नहीं उठता । प्रान्तीय रक्षक दल पूर्ववत् चल रहा है तथा सिपाही का कोई पद इस विभाग में स्वीकृत नहीं है ।

गन्ना विकास विभाग का आलेख्य मैनुअल

*६३—श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में गन्ना कामदारों के रहने के लिये निवास स्थान बनाने पर वह विचार कर रही है ?

डाक्टर सीताराम—

जी नहीं ।

*६४—श्री गनेशीलाल चौधरी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गन्ना विभाग क कर्मचारियों के काम करने का कोई मैनुअल अब तक नहीं बन पाया है ?

डाक्टर सीताराम—

गन्ना विकास विभाग के आलेख्य मैनुअल को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है ।

*६५—श्री गनेशीलाल चौधरी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस मैनुअल के बनाने में सरकार को कितना समय और लगेगा ?

डाक्टर सीताराम—

आलेख्य मैनुअल को अन्तिम रूप देने का प्रयत्न किया जा रहा है । परन्तु चूंकि यह वृहत कार्य है, अतः इसके पूर्ण होने की निश्चित अवधि का अनुमान करना कठिन है ।

चमोली जिले में बिरही ताल

*६६—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी—

क्या सरकार चमोली, उत्तराखंण्ड जिले के बिरही ताल नाम की प्रसिद्ध झील के आस पास के महत्वपूर्ण क्षेत्र में पर्यटकों के दृष्टिकोंण से व पर्यटन उद्योग की दृष्टि से नगर निर्माण करवाने पर विचारकरने की कृपा करेंगी और ऐसी योनजा बनायेंगीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उत्तराखंड की पंचवर्षीय योजना में कथित कार्य के लिय कोई प्राविधान नहीं है और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में यह कार्य किया जा सकेगा या नहीं इस संबंध में अभी कुछ कहना संभव नहीं है।

गाजीपुर जिले में सड़कों का निर्माण

*६७—श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार तथा पटेल आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्वीकृत धनराशि से गाजीपुर में कितनी मील पक्की सड़कों का निर्माण कार्य है और करण्डा तथा देवकली ब्लाक में अलग-अलग कितनी मील सड़कों के निर्माण की बात है और कहां से कहां तक ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

गाजीपुर जिले के लिये कुल इस समय १३४.४ मील लम्बी पक्की सड़कों का कार्य-क्रम है। यह कार्य पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भिक वर्षों में पूरा हो जाने की आशा है ? तृतीय पंचवर्षीय योजना में लगभग २४ प्रतिशत कार्य पूरा हो जाने की संभावना है। करन्डा ब्लाक में नन्दगंज चोचकपुर सड़क के बहुत थोड़े से भाग का निर्माण होना है। देवकली ब्लाक में नन्दगंज चोचकपुर सड़क का लगभग ५ मील का हिस्सा और नन्दगंज शादियाबाद सड़क का लगभग ६ मील के भाग का निर्माण चौथी योजना के अन्त तक या पांचवी योजना के प्रारम्भ तक पूरा होना है।

कृषि एवं उद्योग योजनाओं पर व्यय तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि

*६८—श्री नेकराम शर्मा तथा श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तीन पंचवर्षीय योजनाओं में कितना धन एग्रीकल्चर सेक्टर, कितना धन इंडस्ट्रियल सेक्टर में अलग-अलग योजनाओं में सरकार ने निर्धारित किया था और उसमें से कितना-कितना व्यय हुआ ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

आवश्यक सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ३८० पर)

*६९—श्री नेकराम शर्मा तथा श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि तीनों योजनाओं में प्रति योजना के अन्तर्गत कितना-कितना एग्रीकल्चरल तथा इण्डस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मुख्य-मुख्य लक्ष्यों की पूर्ति से संबंधित सूचना संलग्न तालिका में दी है।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ ३८१ पर)

*७०—श्री नेकराम शर्मा तथा श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि तीनों पंचवर्षीय योनजाओं के अन्तर्गजत प्रदेश को कितनी राष्ट्रीय आय प्रति योजनानुसार बढ़ी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

राज्य की राष्ट्रीय आय में प्रथम व द्वितीय योजनाओं में क्रमशः २०.६ व ८.९ प्रतिशत वृद्धि हुई। तीसरी योजना के अन्त तक १८ प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है।

जौनपुर कचेहरी के मुहर्रिर, मुहाफिज खाना व थानेदार में झगड़ा

***७१---श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर) तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां---**

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर कचेहरी के मुहाफिज खाना मुहर्रिर को दिनांक १८ दिसम्बर, १९६४ को ड्यूटी करते हुए दफ्तर में घुसकर बदलापुर के थानेदार ने पीटा ? यदि हां, तो उक्त थानेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

दिनांक १८ दिसम्बर, १९६४ को जौनपुर कचहरी के मुहाफिज खाना मोहर्रिर को बदलापुर के थानेदार ने पीटा नहीं था वरन् बन्दोबस्त जिल्द लेने के संबंध में दोनों व्यक्तियों में कहा सुनी हुई और इस दौरान में उक्त मोहर्रिर को धक्का लगा और वह मेज से टकरा गये थे। चूंकि थानेदार व मुहाफिज खाना मोहर्रिर में सुलह हो गई, अतः थानेदार के विरुद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गई।

***७२---श्री केशरीप्रसाद पांडेय तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां---**

क्या मंत्री जी उक्त घटना का पूर्ण विवरण सदन के समक्ष रखेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

घटना का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ ३८२ पर)

इलाहाबाद में गोहत्यायें

***७३---श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)---**

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इलाबाद नगर में जी० टी० (सुलेम सरांय) क्षेत्र में गत १-१/२ मास में लगभग १० गौ हत्यायें हो गई ? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है तथा सरकार द्वारा इसके रोकने लिए क्या प्रयास किया जा रहा है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

इलाहाबाद नगर के थाना धुमनगंज के अन्तर्गत जी० टी० रोड (सुलेम सराय) क्षेत्र में गत जनवरी से अब तक कुल ४ घटनायें गौ हत्याओं की हुई हैं। इनमें रात में ३ गायें व १ बछड़ा चुराये गये और उनकी हत्या कर दी गई। गोहत्या रोकने के लिए दिनांक ८ मार्च, १९६५ से अतिरिक्त पुलिस नियुक्त कर दी गई है और तब से कोई घटना नहीं हुई है।

***७४---श्री नाथूराम शिक्षक ---**

क्या यह सत्य है कि दिनांक ६-७ मार्च, १९६५ की रात्रि को उसी क्षेत्र में कई गोकशी की घटना घटी तथा उसकी रोक के लिए कुछ पुलिस तैनात की गई है ? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है तथा रोक थाम के लिए क्या उपाय-योजना करने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

६-७ मार्च की रात्रि में नहीं बल्कि ७-८ मार्च की रात्रि में श्री त्रिलोकी नाथ निवासी ग्राम सुलेम सराय की एक गाय चोरी हुई और उसकी हत्या कर दी गई।

गोहत्या की रोकथान के लिए, जैसा कि प्रश्न ७३ के उत्तर में कहा गया है, ८ मार्च, १९६५ से अतिरिक्त पुलिस की व्यवस्था कर दी गई है ।

माध्यमिक शिक्षा संघ के अध्यापकों की कथित निगरानी

*७५--श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा हाई स्कूल तथा इंटर की परीक्षाओं में असहयोग के फलस्वरूप माध्यमिक शिक्षा संघ के सक्रिय अध्यापकों की सी० आई० डी० द्वारा वे जांच व निगरानी करा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

जी नहीं । इस तरह की कोई जांच नहीं कराई जा रही है । जहां तक निगरानी का प्रश्न है पुलिस उन सभी तत्वों पर निगाह रखती है जिनसे शान्ति व्यवस्था को खतरा पैदा हो सकता है ।

दादरी टाउन एरिया के चेयरमैन, श्री विश्वम्भर दयाल को पुलिस द्वारा पीटने की जांच

*७६--श्री रामचन्द्र विकल--

क्या गृह मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि थाना दादरी, जिला बुलन्दशहर की पुलिस ने हाल में टाउन एरिया दादरी के चेयरमैन श्री विश्वम्भर दयाल को थाने में बन्द कर के पीटा ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

इस आशय की शिकायत प्राप्त हुई थी जिसके संबंध में मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराई गई । जांच से पुलिस के विरुद्ध लगाए गए आरोप सही नहीं सिद्ध हुए । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

बदरी नाथ नगर को क्षति

*७७--श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत सप्ताह भू-स्खलन के फलस्वरूप बदरीनाथ नगर के ध्वस्त हो जाने की कुल अनुमानित हानि कितनी हुई है तथा मरम्मत आदि के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या-क्या किया जा चुका है एवं किए जाने का अनुमान है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार हिमपात तथा हिमखंड के गिरने के फलस्वरूप बदरी नाथ नगर को हुई हानि लगभग ६,६८,००० रुपये की आंकी जाती है । अभी तक क्षति का सही अनुमान लगाना संभव नहीं हुआ है क्योंकि वहां अब भी काफी बर्फ जमी है । मरम्मत आदि के लिए सरकार द्वारा जी० सी० शीट, सीमेंट आदि का कुछ प्रबंध किया गया है और बाकी प्रबंध क्षति के सही निर्धारित होने पर स्थिति के अनुसार किया जायगा ।

*७८--श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)--

[हटा दिया गया ।]

अतारांकित प्रश्न

*१-३--श्री केदारनाथ भार्गव--

[स्थगित किये गये ।]

आगरे में फिल्म स्टार शो से प्राप्त धन

४--श्री बालोजी अग्रवाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय सुरक्षा कोष के निमित्त आगरा नगर में सन् १९६३ में हुए "फिल्म स्टार शो" जिसमें लगभग १ लाख ५० हजार रुपये की आय हुई थी, उसमें से कितना धन सरकार को प्राप्त हुआ है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

आगरा में सन् ६३ में आयोजित किए गए फिल्म स्टार शो से १९,००२.५० रु० मनोरंजन कर तथा ५७,३५०.०० रु० सुरक्षा कोष के हेतु प्राप्त हुए हैं।

५--श्री बालोजी अग्रवाल--

क्या इस "फिल्म स्टार शो" का हिसाब अभी तक सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

नहीं। सरकार हिसाब प्राप्त करने के लिए उचित कानूनी कार्यवाही करने जा रही है।

चीनी मिलों में बोनस वितरण

६--श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सीजन १९६३-६४ में प्रदेश की चीनी मिलों में अलग-अलग, कितना-कितना गन्ना पेरा और कितनी-कितनी चीनी बनाई तथा उन चीनी मिलों के मजदूरों को मिलवाइज उक्त सीजन का कितना-कितना रुपया बोनस मिला? क्या १७ फरवरी, १९६५ तक उक्त सीजन का बोनस सभी चीनी मिलों के मजदूरों को दे दिया गया ? यदि नहीं, तो उक्त तिथि तक किस-किस ने नहीं दिया तथा बोनस न देने का क्या कारण है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

निर्दिष्ट सीजन में इस प्रदेश की चीनी मिलों ने जितना गन्ना पेरा और जितनी चीनी बनाई उसका मिलवार विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है। उक्त सीजन में चीनी मिलों के मजदूरों को जो बोनस मिलवार देय था उसका विवरण ५ फरवरी, १९६५ के असाधारण गजट में प्रकाशित राजकीय विज्ञप्ति संख्या ७७६ (एच० आई०) ३६-सी-१३३-एच० आई/६४, दिनांक ५ फरवरी, १९६५ में दिया हुआ है। मिलों द्वारा उक्त बोनस की रकम उक्त विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के एक महीने के अन्दर भुगतान की जानी थी। मिलों द्वारा अब तक कितना बोनस वितरित हुआ उसके आंकड़े संकलित किए जा रहे हैं।

(देखिये नत्थी 'त' आगे पृष्ठ ३८१-३८४ पर)

पावर लूम लाइसेन्स

७--श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९६१ से १९६४ के अन्त तक प्रांत में कितने लाइसेंस पावर लूम्स के दिए गये हैं तथा किस-किस जिले में और कितने ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

इस अवधि में भारत सरकार के वस्त्रायुक्त द्वारा कुल ३,१८० लाइसेंस प्रदान किये गये। जिलेवार सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'थ' आगे पृष्ठ ३८५ पर)

*८-९---श्री पितईराम--

[उत्तर दिया जा चुका है ।]

प्रदेश के अध्यापकों की मांगों के संबंध में जानकारी

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

श्रीमन्, मैंने अखबारों में देखा है कि केंद्र के शिक्षा मंत्री ने यह कहा है कि हम अध्यापकों के संबंध में आधा खर्चे का हिस्सा देने के लिए तैयार हैं और इस प्रकार की सूचना हमारे शिक्षा मंत्री के पास पहुंच गई है। मुझे यह सूचना मिली है कि शिक्षा मंत्री ने अध्यापकों के पास भी इस प्रकार सूचना भेजी है। तो इस समय उनकी स्थिति त्रिशंकु की तरह से हो रही है। मैं यह समझता हूं कि शिक्षा मंत्री जो इस पर कोई वक्तव्य दे दें, क्योंकि यह न्यायोचित है जिससे उनकी त्रिशंकु की स्थिति समाप्त हो ।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--

यह बात सारी गलत है कि केंद्रीय सरकार से हमारे पास कोई खबर आई है कि आधा खर्चा वह देंगे। केंद्रीय सरकार हमारी कितनी मदद कर सकती है यह सब बातें अभी निगोशिएशन के अन्दर हैं। अभी टी० टी० कृष्णामाचारी जी यहां पर आये थे। हम लोग उनसे मिले थे और हमने अपनी दिक्कत उनके सामने रखी थी। यह सब बातें अभी विचाराधीन है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह विषय कब तक विचाराधीन रहेगा ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

उत्तर प्रदेश तृतीय विधान सभा की प्राक्कलन समिति (१९६४-६५) का नवम प्रतिवेदन†

*आचार्य जुगलकिशोर (जिला मथुरा)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राक्कलन समिति के सभापति की हैसियत से उत्तर प्रदेश की तृतीय विधान सभा की प्राक्कलन समिति का नवम प्रतिवेदन, जो चिकित्सा विभाग से संबंधित है, मैं सदन के समक्ष आप की आज्ञा से प्रस्तुत करता हूं ।

चिकित्सा विभाग से संबंधित प्राक्कलनों का परीक्षण करने का निश्चय सर्व प्रथम पिछली प्राक्कलन समिति, १९६२-६४ ने किया था। समयाभाव के कारण पिछली समिति अपने कार्य को समय के भीतर चिकित्सा विभाग का पूर्णतया परीक्षण नहीं कर पायी जिसके कारण इस विषय पर वह अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करने में असमर्थ रही। १९६४-६५ के लिए जब नव-निर्मित प्राक्कलन समिति ने उस अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने का निश्चय किया तो समिति ने विभाग से आवश्यक सूचना मांग कर इस विषय पर विचार किया और तदुपरांत इस प्रतिवेदन का आलेख प्रस्तुत किया। प्रदेश में यद्यपि डाक्टरी और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियों को मान्यता प्राप्त है। फिर भी अधिकतर अस्पताल अभी भी एलोपैथिक पद्धति पर ही चल रहे हैं। अतः इस प्रतिवेदन में विशेष उल्लेख उन्हीं के विषय में किया गया है। प्रदेश में चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे बड़ी कमी पर्याप्त संख्या में डाक्टरों का न मिलना है। समिति को अपनी जांच के सिलसिले में ज्ञात हुआ है कि प्रदेश में १९६४ के वर्ष में २४८ पुरुषों के चिकित्सालय और १३३ स्त्रियों के चिकित्सालय बिना डाक्टरों के थे। स्वास्थ्य विभाग में भी डाक्टरों की कमी है।

---

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

†छापा नहीं गया ।

[आचार्य जुगलकिशोर]

२७० डिस्पेंसरियों में डाक्टरों के अभाव के कारण कंपाउन्डर ही काम कर रहे हैं। समिति को बतलाया गया है कि इस कमी को पूरा करने हेतु सरकार प्रदेश में और मेडिकल कालेज खोलने का विचार कर रही है। समिति इसके अतिरिक्त यह भी आवयश्क समझती है कि वर्तमान मेडिकल कालेजों में भर्ती होने वाले विद्यार्थियों की संख्या २५ प्रतिशत बढ़ा दी जाय। साथ ही साथ डाक्टरों की सेवा मुक्त होने की आयु सीमा भी बढ़ाई जाय। विद्यार्थियों की नियुक्ति तथा विशेषज्ञों की पुनः नियुक्ति करने के प्रश्न पर भी सरकार विचार कर रही है। डाक्टरों की कमी पूरी करने हेतु समिति ने एक सुझाव यह भी दिया है कि एक प्रकार के त्रि-वर्षीय कोर्स के अनुसार डाक्टरों का प्रोडक्शन हो और इसे चालू करने का प्रयत्न किया जाय। (व्यवधान) प्रदेश में अस्पतालों में शैय्यायें भी बहुत कम है। (व्यवधान) इस समय प्रदेश में केवल २७,७०५ बेड्स की व्यवस्था है। पूरे देश में १० लाख की जन संख्या पर ३६० शैय्याओं की व्यवस्था है जबकि उत्तर प्रदेश में केवल २९४ शैय्यायें हैं। फलतः एक बड़ी संख्या में गरीब मरीजों को स्थान नहीं मिलता। और उनको जमीन पर ही रहना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष—

नियम २१७ के अन्तर्गत बहुत संक्षेप में भाषण होना चाहिए।

आचार्य जुगलकिशोर—

मैं समाप्त ही कर रहा हूं। मैं चिकित्सा विभाग के उन अधिकारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने समिति द्वारा मांगी गयी सूचनाओं को शीघ्र ही समिति के विचारार्थ भेज कर उसे अपना सहयोग दिया है।

समिति विशेषकर श्री ऐनुल आब्दीन, उप-सचिव चिकित्सा विभाग के प्रति अपना आभार प्रकट करती है कि उन्होंने दिनांक २० नवम्बर, १९६३ को प्राक्कलन उप समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपना मौखिक साक्ष्य दिया।

समिति विधान सभा सचिवालय के समिति अधिकारियों तथा सम्बन्धित कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करती है जिनके परिश्रम तथा सहयोग से यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करना संभव हुआ है।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास एक सूचना श्री चन्द्रबली सिंह की विशेषाधिकार की अवहेलना के सम्बन्ध में आयी है। मैं समझता हूं कि उन्होंने शायद बयान को ठीक तौर से नहीं पढ़ा है। मेरे पास जो प्रतिलिपि है उसको वे देख लेंगे कि सही बयान दिया गया है। इसमें यह कहा गया है कि स्थिति को देखते हुए प्रत्येक दो न्याय पंचायतों के एक केंद्र पर एक दूकान खोली गयी है। तो उन्होंने गलत पढ़ लिया है इसी कारण से यह सूचना आयी है। वे कृपा करके इसको देख लेंगे।

इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र में कारखानों के लिये उपजाऊ भूमि सरकार द्वारा लिये जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के अन्तर्गत श्री सत्यनारायण पांडेय जी की सूचना को मैंने केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है।

इस पर कब वक्तव्य होगा, माननीय मुख्य मंत्री बतला दें।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--

इसके ऊपर २८ तारीख को वक्तव्य दे देंगे ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

श्रीमन्, अध्यापकों के संबंध में नियम ५२ की सूचना हम लोगों ने भी दी थी । उस पर माननीय माधव प्रसाद जी ने माननीया मुख्य मंत्री से वक्तव्य के लिए प्रार्थना की थी....

श्री अध्यक्ष--

पहले माननीय सत्यनारायण पांडेय वाला नियम ५२ की सूचना तो पढ़ दें । वह इस प्रकार है "इलाहाबाद में नये खुलने वाले सरकारी कारखानों के लिये नैनी क्षेत्र में लगभग ३००० एकड़ भूमि सरकार द्वारा ली जा रही है । यह भूमि उस समय ली जा रही है जब कि पास में खाईभंडा ग्रामों के बीच मीलों का ऊसर खाली पड़ा है । संडवा, भरवारी, पूरापांडेय, लवायत कलां, लवायन खुर्द, नेवादा समोगर एवं बेलतट आदि ग्रामों के हजारों लोग इसके कारण विस्थापित होने जा रहे हैं क्योंकि इन ग्रामों की समस्त भूमि एवं आबादी सब सरकार द्वारा ली जा रही है । सार्वजनिक विभाग के लोग किसानों के खेतों में पत्थर गाड़ रहे हैं । खेतों की मेड़ें गिरा दी गयी हैं । मकानों पर झंडियां लगा दी गई हैं और उनके गिराये जाने की तैयारी हो रही है । सरकार द्वारा यह कार्यवाही किसानों को बिना किसी प्रकार की नोटिस दिये, बिना मुआवजा दिये एवं विस्थापितों के लिये बिना समुचित प्रबन्ध किये की जा रही है । इससे उपरोक्त गांवों की हजारों जनता में घोर असंतोष, भय एवं अशांति व्याप्त है । लोक सभा में इस क्षेत्र के प्रतिनिधि एवं देश के प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के समक्ष भी जनता ने अपनी मुसीबतें रखीं ।

किन्तु अभी तक उपरोक्त अनियमित एवं दुर्भाग्यपूर्ण कार्यवाहियों को रोकने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है । इससे जनता में धैर्य का बांध टूट रहा है और किसी भी समय भयावह परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है ।

अतः इस अनिश्चित अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आज सदन में विचार किया जाय ।"

इस पर २८ तारीख को वक्तव्य होगा ।

नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य सूचनाएं तथा कतिपय विषय

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिल सीतापुर)--

श्रीमन्, अध्यापकों के संबंध में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने जो घोषणा है उसके ऊपर हम लोगों ने नियम ५२ की सूचना दी थी । इस संबंध में माननीय माधव प्रसाद जी ने प्रश्न उठाया तो उसके ऊपर माननीया मुख्य मंत्री ने जो वक्तव्य दिया उससे और भ्रम पैदा हो गया । तो आप इस संबंध में अगर नियम ५२ को न स्वीकार करें तो कम से कम दो चार रोज में शिक्षा मंत्री से विधान सभा के उठते-उठते अध्यापकों की स्थिति के संबंध में कोई वक्तव्य ही दिलवा दें कि इस वक्त क्या परिस्थिति है और कब तक उनका मामला सुलझ जायगा ।

श्री अध्यक्ष--

नियम ५२ के अन्तर्गत एक प्रश्न मैंने स्वीकार कर लिया है । दूसरा प्रश्न अब नहीं लिया जा सकता, लेकिन माननीय सदस्य और कुछ पूछना चाहते हैं तो और तरीके से सूचना प्राप्त करने का प्रयत्न कर सकते हैं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

गोरखपुर, देवरिया होते हुये पश्चिमी गंडक नहर जो बिहार को जाती है उस संबंध में हमने जो नियम ५२ दिया था उसको भी तो पढ़ दें ।

श्री अध्यक्ष--

उसे मैंने माननीय मंत्री के पास भेज दिया है ।

श्री उग्रसेन--

उस पर एक बयान तो दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष---

उसे मैंने स्वीकार नहीं किया है ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

मैंने भी जिला कचहरियों के संबंध में दिया था....

श्री अध्यक्ष--

नियम ५२ खत्म हो गया । विशेषाधिकार निन्दा प्रस्ताव के संबंध में अगर आपको कुछ कहना है तो ५ मिनट में कह दें। आप यह बता दीजिये कि किस नियम के अन्तर्गत उस प्रश्न को आप उठा रहे हैं । निन्दा का प्रस्ताव हमारे किस नियम के अन्तर्गत है ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

ऐडवोकेट जनरल के लिये जो नियम बने हुए हैं और लीगल रिमेंम्बरेंसर के जो नियम बने हुये हैं उनकी पाबन्दी कन्हैयालाल मिश्र तब से नहीं कर रहे हैं जबसे वह ऐडवोकेट जनरल बने।

श्री अध्यक्ष---

मैं पूछता हूं कि किस नियम के अन्तर्गत उठाया है ?

श्री काशीनाथ मिश्र--

नियम के अन्दर तो सेंश्योर का कोई विधान नहीं है लेकिन जिस चीज की व्यवस्था हमारे नियमों में नहीं होती है हम उसके लिये हाउस आफ कामंस से गाइड होते है । हाउस आफ कामंस में इस तरह की व्यवस्था है कि किसी एक मंत्री या जनरल के खिलाफ सेंश्योर मीशन ला सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आप हमें दिखला दीजियेगा ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

वह मैं दिखला दूंगा ।

श्री उग्रसेन--

हमारा तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल

श्री अध्यक्ष--

नियम ५२ खत्म हो गया ।

श्री उग्रसेन--

हम क्या करें इसके लिये ?

श्री अध्यक्ष---

हम से मिल लीजियेगा, उसकी यह जगह नहीं है ।

श्री वीरसेन (जिला मेरठ)---

मैं सूचना चाहता था कि जब किसी माननीय सदस्य का नाम बदला जाता है तो साधारणतया उसकी सूचना प्रत्येक सदस्य को दी जाती है । एजेंडे में श्री हरीश कुमार गंगवार का नाम "हरीश कुमार गंवार" लिखा हुआ है, तो क्या उन्होंने नाम बदल दिया है ?

(हंसी)

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं । मैंने पत्र लिखकर दिया था कि कन्हैयालाल मिश्र जी ने यह कहा कि हमको बहस नहीं करने दी । जिस वक्त यह लीगल डिपार्टमेंट में मामला आया तो उन्होंने सूचना दी थी कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उनको ऐडवोकेट जनरल की हैसियत से बुलाया गया है लिहाजा वे असेंम्बली का केस नहीं ले सकते है । दूसरे जब वह एडवोकेट जनरल की हैसियत से जा रहे थे तो मुख्य मंत्री उनसे कोई गोपनीय बात कही । उसको भी उन्होंने जाहिर करते हुये माननीया मुख्य मंत्री के ऊपर आक्षेप किया । तो इस मामले में पूरा स्पष्टीकरण सदन में कर दें । बड़ी भ्रांति फैल रही है । उन्होंने एक बात कह दी जो सत्य से परे है ।

श्री अध्यक्ष---

बात का पहला हिस्सा जो आप कह रहे हैं वह ठीक है । रहा यह कि उन्होंने परिषद् में क्या कहा, इस पर तो परिषद ही कार्यवाही कर सकती है, हम नहीं करेंगे ।

श्री उग्रसेन---

कन्हैयालाल मिश्र ने क्यों नहीं बहस की, इस पर सदन में विवाद करा दीजिये एक दिन ।

चकबन्दी से बची तथा ग्राम सभा की भूमि को वितरित करने में बरती गयी अनियमितताओं की जांच के लिये आयोग की स्थापना के सबंध में संकल्प (क्रमागत) †

श्री अध्यक्ष---

माननीय माधव प्रसाद जी का प्रस्ताव है, माननीय कुंवर श्रीपाल बोल रहे थे, माननीय कुंवर श्रीपाल ।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)---

माननीय अध्यक्ष, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष---

आप बैठिये, मैंने माननीय श्रीपाल सिंह को पुकारा है ।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

लेकिन मेरा व्यवस्था का प्रश्न है उनके बोलने से पहले ....

---

† ८ अप्रैल, १९६५ की कार्यवाही से ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय चन्द्रबली सिंह, आप बैठिये, मैं आदेश देता हूं । अभी व्यवस्था का प्रश्न नहीं सुना जायगा । माननीय श्रीपाल सिंह बोल रहे वह बोलें ।

(कुंवर श्रीपालसिंह के सभा भवन में प्रवेश करने पर)

आप चन्द्रबली सिंह को धन्यबाद दीजिये कि आपको बोलने का मौका मिला ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

मैं वाकई चन्द्रबली सिंह जी का बहुत आभारी हूं कि उन्हीं की वजह से वास्तव में मुझे मौका मिला, नहीं तो मैं तो पानी पीकर आ रहा था, तभी आपने मेरा नाम पुकारा ।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

व्यवस्था का प्रश्न सुना भी नहीं गया और धन्यबाद का प्रस्ताव आ गया ।

श्री उग्रसेन (जिला देंवरिया)--

अब धन्यबाद के प्रस्ताव के बाद व्यवस्था का प्रश्न भी सुन लीजिये ।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

अब उससे क्या फायदा ?

कुंवर श्रीपालसिंह--

मैं यह निवेदन कर रहा था कि सरकर की तरफ से और बातें तो जो कही गयीं वह तो कही गयीं, मगर सबसे अधिक बल इस बात पर दिया गया कि कानून बना हुआ है और उसी के आधार पर ग्राम सभाओं में काम हो रहा है । कानून बना है, यह ठीक है । मगर उसकी पाबन्दी कहां तक हो रही है यह देखने की बात है । कानून बन जाने से ही केवल काम नहीं चलता, देखना तो यह है कि उसका पालन कहां तक होता है । संविधान में भी हिन्दी के लिये व्यवस्था कर दी गयी, मगर आज तक वह लागू नहीं हो पायी । उसी प्रकार से आपने कानून तो बना दिया है, मगर उसके अनुसार काम नहीं हो रहा है । सरकार अगर अपने कानूनों को चलाती होती, उसके अनुसार काम होता, तो इस प्रस्ताव को, श्रीमन् लाने की आवश्यकता ही न पड़ती । उस कानून का पालन नहीं हो रहा है इसलिये इस प्रस्ताव को लाना पड़ा है ताकि सरकार की आंख खुले । इस पर बहुत कुछ कहा जा चुका है, इसलिये मुझे और अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, सरकार अपनी गलतियों को खुद ही अगर सुधार ले तो अच्छा है ।

श्री शिब्बनलाल सक्सेना (जिला गोरखपुर)--

अध्यक्ष जी, यह प्रस्ताव जो लाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि भूमिहीनों को जमीन नहीं बंटी, कानून के खिलाफ अमल किया गया, आदि बातों में तथ्य है ।

(इस समय १२ बजकर २० मिनट पर अधिष्ठाता, श्रीमती प्रकाशवती सूद पीठासीन हुईं ।)

मगर सोचना यह है कि उसका इलाज क्या है ? जो प्रस्ताव रखा गया है और उसमें जो सुझाव दिया है मेरी समझ से वह बिलकुल इम्प्रैक्टिकेबिल है, इससे मसला ठीक नहीं होगा । कहा गया है कि एक आयोग की स्थापना की जाय । मेरी समझ में नहीं आता कि क्या आयोग एक लाख गांव में जा जा कर जांच करेगा ? यह बिलकुल असंभव है, यह नहीं हो सकता । मैं चाहता था कि जो गलतियां हैं, जहां-जहां पर गलतियां हैं, उनको सदन के सामने बताया जाय

उनको दूर करने की कोशिश की जाय। उन गलतियों को दूर करने के लिये सरकार कार्यवाही कर सकती है और उससे कुछ लाभ हो सकता है, मगर एक कमीशन नियुक्त करने से समस्या का हल नहीं हो सकता। ज्यादातर लोगों ने जमीनें अपने रिश्तेदारों में बांट दी हैं। इस चीज को सरकार को देना चाहिये। बहुत से लोगों ने सीलिंग में देर होने से जमीनें बेंच भी दी हैं। इसे भी देखना चाहिये।

चकबन्दी के अन्दर मैं यह चाहूंगा कि जो जमीन सीलिंग में आयी है उसे भूमिहीनों में बांटा जाय वर्तमान कानून के अन्तर्गत नियम है कि सीलिंग से निकली जमीन पहले उन्हें दी जाय जिनकी जमीन नहर इत्यादि सार्वजनिक कार्यों के लिये ली गई है। दूसरा नम्बर उनका है जो भूमिहीन राजनीतिक पीड़ित हैं। तीसरा नम्बर सोल्जर्स का है। मैं चाहूंगा कि यह जो प्रायरिटी बनाई है, इसमें जो भूमिहीन हैं, पहले उन्हीं को जमीन मिलनी चाहिये। इसी तरह से चकबन्दी कानून में यह किया जाय कि अगर किसी गांव में कोई नहर निकलती है तो उसमें जो जमीन आती है, वह सबमें बांट दी जाय और यह न हो कि केवल २–४ आदमियों की ही जमीन उसमें पड़े। जहां तक परती जमीन का संबंध है, उसको भूमिहीनों को बांटना चाहिये और उसमें प्रायरिटी बना दी जाय कि पोलिटिकल सफरर्स सोल्जर्स और अन्य भूमिहीनों को वह दी जाय। अगर आप आदेश जारी कर दें कि जिन लोगों ने सीलिंग अपनी दी हुई जमीन स्वयं बेंच भी दी है, ऐसे लोगों से सीलिंग में उनकी दूसरी जमीन ली जाय, और उसे वितरण किया जाय तो आपका काम हो जायगा। तहसीलदारों ने खुद देखा है कि जिन लोगों को सीलिंग में दी हुई जमीनें बांटी गई, उन्होंने उनको किसी से रुपया लेकर बेंच दिया है इसलिए बोर्ड से अगर आर्डर्स इशू करा दें किसानों को बेदखल करके जमींदारों की उतनी ही दूसरी जमीन लेकर भूमिहीनों को बांटी जाये तो काम हो जायगा। किन्तु कमीशन इस काम को नहीं कर सकता। जो बातें मैंने कही हैं, अगर उन पर अमल किया जायगा तो काम जल्दी हो जायगा और कमीशन वाली बात तो ऐसी है, जो इम्प्रैक्टिकल है।

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)––

अधिष्ठाता महोदय, जो प्रस्ताव माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी ने रखा है, मैं उसकी भावना का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और इसलिये करता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि देश में अन्न का उत्पादन सीधे तौर पर इस बात से संबंधित है कि हम अपनी जमीन का कैसे इस्तेमाल करते हैं। अन्न संकट जो देश में है उसका एक बहुत बड़ा कारण यह मालूम होता है कि देश में भूमि का सदुपयोग नहीं हो रहा है। दुर्भाग्य यह है कि बजाय इसके कि हम अपने संकट को दूर करने के लिये अपने साधनों का सदुपयोग करें, एक प्रवृत्ति पैदा हो गई है कि जैसे हमारे बस्ती जिले में गल्ले की कमी हो जाय तो हम अपने कलेक्टर से कहेंगे, कलेक्टर यहां वायरलेस से खबर भेजेगा, हम लोग भी शोरगुल मचायेंगे। माननीया मुख्य मंत्री और खाद्यमंत्री से कहेंगे, उनके पास भी कोई दूसरा उपाय नहीं है, वे दिल्ली सरकार से कहेंगे। वहां भी गल्ले की कमी है, वह अमेरिका सरकार के पास भेज देगी। लेकिन अपने देश के जो साधन हैं, उनकी ओर सरकार का ध्यान नहीं जाता है और सबसे बड़ा साधन अन्न पैदा करने के लिये जमीन है। जमीन का किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, इसको अगर कोई बाहर का आदमी निश्पक्ष दृष्टि से देखे तो यही समझेगा कि इस देश में अन्न की कमी नहीं है। हमारे देश में जो अन्न की कमी है, जब सब से ज्यादा कभी हुई है तो वह भी केवल ६–७ प्रतिशत की हुई है, जितना देश में कुल अन्न पैदा होता है, उसके ६–७ प्रतिशत से ज्यादा हम बिदेशों से नहीं मंगाते हैं। ऐसी स्थिति के होते हुये सरकार ने नियम बना रखा है कि गांव सभाओं के पास अगर १० फीसदी से कम जमीन बंजर परती हो, तो उसको उठाया नहीं जा सकता है। मैं मूलरूप में

[श्री भानुप्रतापसिंह]

इस नियम को ही गलत समझता हूं । अन्न की कमी ६-७ प्रतिशत हो और उस कमी को पूरा करने के लिये सारे देश की आर्थिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो रही हो, उस समय सरकार ऐसे नियम बनाये कि दस फीसदी, जमीन छोड़ी जाय, हर गांव से, यह मैं उचित नहीं समझता हूं । १० फीसदी जमीन को छोड़ने के बाद भी और भी जितनी खराब जमीनें हैं, उनको छोड़ने के बाद १६ लाख एकड़ जमीन गांव सभाओं के पास अच्छी खेती योग्य है जोकि १० प्रतिशत जमीन से फाजिल है और उस जमीन को खेती में नहीं लाया जा रहा है । यह मैं कोई काल्पनिक फीगर नहीं रख रहा हूं । बोर्ड आफ रेवेन्यू ने एक रिपोर्ट पेश की थी वर्किंग ग्रुप एग्रिकल्चरल प्रोडक्शन को चौथी योजना में बढ़ाने के लिये । उस वर्किंग ग्रुप में मैं भी था, और बोर्ड आफ रेवन्यू से पूछा गया कि कितनी जमीनें गांव सभाओं के पास खेती योग्य हैं, उनमें से कितनी इस्तेमाल हुई है और कितनी नहीं । तो उस रिपोर्ट में यह बात कही गई कि जितनी खराब जमीन है, वह निकाल दी जायं और १० प्रतिशत का मौजूदा, प्रतिबन्ध भी अपनी जगह पर लागू रहे, तो भी १६ लाख एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश में ऐसी है, जो खेती योग्य है, और अभी तक उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है ।

इसके अलावा कुछ जमीनें सीलिंग लगने की वजह से खाली हुई हैं । सीलिंग के कानून में चूंकि यह लिख दिया गया है कि इस प्रकार की जो जमीनें निकलेंगी, वह सहकारी खेती के लिये दी जायगी और चूंकि सहकारी समितियों का संगठन नहीं हो पाया है, इसलिये जब तक वह संगठन न हो जाय तब तक व्यवस्था यह है कि एक-एक वर्ष के लिये वे जमीनें उठाई जाती हैं । मैं यह अपनी राय नहीं कह रहा हूं बल्कि इस रिपोर्ट से पढ़ रहा हूं जो वर्किंग ग्रुप ने इस विषय में लिखी है ।

"At present, land becoming available due to imposition of land ceiling is being allotted on year to year basis. In the larger interest of increasing agricultural production, the sub-group considered ways and means for best utilisation of this land on permanent basis and had observed that as a result of Ceilings Act, surplus land to the tune of 6 to 7 lakh acres is not available as previously thought. Total surplus area till February, 1964 was 1.248 lakh acres. Out of this, possession had been taken over an area of 1.046 lakh acres. It is estimated that after objections, appeals and writ petitions it may not be possible to obtain possession of more than 1.0 lakh acres. However, some of this surplus land will be unfit for cultivation."

This is most important :

"Another difficulty in making permanent esettlment of surplus land was non-existence of requisite type of co-operative societies. Therefore, it was suggested that co-operative department be requested to organise such societies as early as possible. In the meantime, the Collectors should make an interim settlement on this land for a minimum period of three years, which is permissible under Rule 58 of the U. P. Imposition of Ceiling on Land Holdings Rules, 1961."

यह मैंने इसलिये पढ़ा कि स्थिति स्पष्ट हो जाय । एक काल्पनिक व्यवस्था के लिये जो इस देश और प्रदेश में होने वाली नहीं है, सहकारी खेती कायम करने के उद्देश्य के लिये इस जमीन को साल ब साल उठाया जा रहा है । कभी कभी कांग्रेस के मित्र पूछते हैं कि आखिर आप सहकारी खेती के क्यों पीछे पड़े हैं जब सरकार कर ही नहीं रही है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि यह एक उदाहरण है । चूंकि इनके दिमाग में एक बात आगई इस के लिये चाहे लाखों एकड़ जमीन सालों बेकार पड़ी रहे उसकी इनको फिक्र नहीं है । इसलिये मैं कहता हूं कि कुछ सैद्धान्तिक बातों के कारण देश में उत्पादन नहीं बढ़ने पाता और देश का संकट दूर नहीं हो पाता है ।

कांग्रेसी लोग कहा करते हैं कि जमींदारों का इन्तजाम खराब था । मैं यह मानता हूं कि उनका इन्तजाम खराब था, लेकिन जो जमीन आज सरकार के अधिकार में है और उसका उन्होंने जैसा इन्तजाम कर रखा है, वह जमींदारों से भी गया गुजरा है । जमींदार लोग नजराना लेते थे तो आज लेखपाल और कानूनगो नजराना लेते हैं । जमींदारों की जमीन परती पड़ी रहती थी, आपकी जमीन भी १६ लाख एकड़ परती पड़ी हुई है । जमींदार लोग जमीन को बटाई पर उठाते थे, आज आपके राज्य में गांव सभा का शायद ही कोई ऐसा प्रधान हो जो गांव सभा की जमीन को निजी तौर पर उठाकर बटाई न करता हो । क्या यही सरकार का प्रबंध है ? आज नजराना लिया जाता है, जमीनों को साल ब साल उठाया जाता है, जमीन परती पड़ी रहती है, बटाई की व्यवस्था बड़े पैमाने पर चालू है । १० प्रतिशत की जो आप बात करते हैं, वह भी काल्पनिक है । केवल कागजात में हैं, लेकिन जमीन प्रायः उठी हुई है । जो जमीन इस प्रकार से निकाली गयी है वह प्रधान, कानूनगो और लेखपाल की निजी संपत्ति बनी हुई है । अतः ऐसे प्रस्ताव की आवश्यकता थी । मैं माल मंत्री जी से केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय देश के सामने जो बड़ा भारी संकट है उसको वे केवल जमीनों का अच्छा प्रबंध करके दूर कर सकते हैं । आपके यहां ६ प्रतिशत की कमी है और १६ लाख एकड़ को अगर आप काम लें आयें तो विदेशों से अन्न मंगाने की एक बहुत बड़ी समस्या बहुत बड़ी हद तक हल हो जाय । इस प्रकार से जो बदइन्तजामी है, जमीन का दुरुपयोग हो रहा है और जितनी आबादी है उसमें इस प्रकार से जमीन का दुरुपयोग होना और भी अधिक आश्चर्यजनक है । इसके प्रबंध में न तो बाहरी यंत्रों की आवश्यकता है, केवल आपको जमीन का परमानेन्ट इन्तजाम करना होगा ।

१० प्रतिशत जमीन को छोड़ने के बारे में दो बातें कही जाती हैं । एक तो यह कि सार्वजनिक कामों के लिये भूमि की आवश्यकता होगी, लेकिन गांव में चिकित्सालय और स्कूल खोलने के लिये १० प्रतिशत जमीन की कोई आवश्यकता नहीं है । दूसरी बात लैंड ऐक्वीजीशन कानून में यह दी गयी हैं कि १०–२० सालों में ऐसी आवश्यकता हो सकती है, लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर १०–२० साल बाद ऐसी आवश्यकता हो भी जाय तो लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट के अधीन उसको एक्वायर किया जा सकता है । दूसरा कारण यह बताया गया कि मवेशी चरेंगे । अपनी आत्मा के संतोष के लिये भले ही यह बात कह दी गयी हो, लेकिन इन चरागाहों से कोई खास पोषण मवेशियों को नहीं मिल रहा है और न मिल सकेगा । आज के युग में जिस प्रकार से चरागाह के लिये जमीन को छोड़ कर बरबाद किया जा रहा है, वह सामने के संकट को देखते हुये महामूर्खता की बात है । ऐसी ऐसी घासें चारे की फसल में पैदा हो सकती हैं कि अगर उस तरह का चारा एक एकड़ में पैदा किया जाय तो आज ५० एकड़ में जो चारा मिलता है उतना एक एकड़ में मिल सकता है । हमें उन चीजों को सीखना और प्रयोग में लाना चाहिये था न कि पुराने तरीकों को लेकर हम इतनी अधिक जमीन बेकार छोड़ रखें और उस से कोई मसला हल भी न हो । जानवरों को इस तरह से पेट भर चारा नहीं मिल सकता, चरागाह छोड़ने से सन्तोष नहीं होगा और इस तरह से तो आप जानवरों को आधा, चौथाई पेट खाना धीरे धीरे देकर उन की मृत्यु के आप जिम्मेदार होते हैं और ऐसी व्यवस्था से न तो अन्न की पैदावार बढ़ सकती है और न गायों की उन्नति ही सम्भव है । मैं मंत्री जी से अपील करूंगा कि इन खाली जमीनों के लिये शीघ्र ही कोई उचित व्यवस्था करें ।

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)––

अधिष्ठाता महोदय, जो प्रस्ताव सदन में उपस्थित है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । इसलिये समर्थन में खड़ा हुआ हूं कि कुछ माननीय सदस्यों ने एक ही कमी इस प्रस्ताव में बताई कि गांव समाज की जमीन, चकबन्दी से छूटी हुई जमीन और सीलिंग से बची हुई वह जमीन है । वह जमीन दो तरह की है । एक तो वह जो भूदान से मिली है और वह जो महकमा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रामचन्द्र विकल]

जंगलात ने ले रखी है, वह जमीन भी आज बेकार पड़ी हुई है । उसका सही उपयोग हो । आज खाद्य संकट है, इसलिये जो तर्क मैं इस प्रस्ताव के विरोध में सुनता रहा हूं, पहले दिन से आज तक, उन में एक ही बात माननीय सदस्यों ने कही कि जो कमीशन बैठेगा वह गांव गांव नहीं जायगा और उस में बड़ा खर्च होगा, महंगी चीज होगी और अव्यावहारिक चीज होगी । मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं । वैसे तो सरकार के पास बहुत बड़ी मशीनरी है, गांव से लेकर जिले तक लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, हाकिम परगना और कलेक्टर सब कोई हैं, लेकिन इस बड़ी मशीनरी के बावजूद और लम्बा समय बीतने के बावजूद अन्न संकट के समय यह नहीं देखा गया कि हमारी किस तरह की कितनी जमीन कहां बेकार पड़ी है और दूसरी तरफ जो भूमिहीन हैं और जो जमीन के लिये परेशान हैं, जो वाकई में पैदावार बढ़ा सकते हैं उनके लिये जमीन नहीं है । लेकिन जमीनें, जैसा मैंने कहा, चार पांच साल से बेकार पड़ी हैं, सरकार को खयाल होना चाहिये था क्योंकि कमीशन उसी वक्त बिठाये जाते हैं और उसी काम के लिये बिठाये जाते हैं जिसमें सरकार अपने उत्तरदायित्व को ठीक तरह से अन्जाम नहीं दे पाती । केन्द्रीय सरकार ने भी अनेक बार अनेक मसलों पर कमीशन बिठाये हैं, इस सरकार ने भी बिठाये हैं और वह कमीशन कभी भी हर गांव में या हर जगह नहीं पहुंचे हैं । उसका मतलब यह है कि जहां सरकार का अब तक ध्यान नहीं गया और जिस के विषय में सदन में भी लोग आवाज उठाते रहते हैं, यह प्रस्ताव तो देर में आया है इस विषय में अनेक सवाल भी आते रहे हैं, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया । इसलिये अगर कमीशन बैठेगा तो वह पूर्व, पच्छिम, दक्षिण और उत्तर के क्षेत्रों में किसी जिले से कोई भी गांव चुन सकता है और अपनी जांच का तरीका कमीशन स्वयं निकाल सकता है । लेकिन हमेशा किसी सवाल को यह कहकर टालना कि कमीशन अव्यावहारिक होगा, वह गांव गांव नहीं जा सकता या खर्चा अधिक पड़ेगा यह मुनासिब बात नहीं है । चावल के एक दाने से ही खिचड़ी का पता चल जाता है, एक दाना ही देखा जाता है । कमीशन एक जगह जाकर देखेगा और आसपास के लिये एक आधार बनायेगा और उस के अनुसार सरकार के सामने रिपोर्ट पेश करेगा, यह सरकार के ही हित में होगा जनता के हित में होगा और उस रिपोर्ट के आने के बाद ही सरकार को मालूम होगा कि किस कदर इस प्रस्ताव में सच्चाई है और कितना इसके अन्दर सार है ।

मैं इस प्रस्ताव का इसलिये समर्थन कर रहा था कि देश के ऊपर आज अन्न संकट है और इसके बावजूद भी हमारे यहां ४–५ तरह की जमीनें जैसे अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम से बची जमीनें, चकबन्दी से बची जमीनें, ग्राम सभाओं की भूमि, भूदान में प्राप्त हुई जमीनें और महकमा जंगलात की भूमि, बेकार पड़ी हुई है । इन जमीनों को भूमिहीनों को पैदावार बढ़ाने के लिये नहीं दिया जा रहा है । जंगलात के महकमें को जो जमीनें हैं उनको कुछ लोगों को दे दिया गया है और उनका मेहनताना बंधा हुआ है । जहां पर एक एक इंच भूमि की इस समय हमें जरूरत है वहां पर इस प्रकार से भूमि बेकार पड़ी हुयी है तो यह अत्यन्त आवश्यक है कि इस प्रकार की बेकार भूमि की जांच एक कमीशन द्वारा होनी चाहिये ताकि सरकार उस भूमि का सही उपयोग करा सके । इसलिये मैं इस प्रस्ताव का पुनः समर्थन करता हूं क्योंकि यह बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही जरूरी है ।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)––

अधिष्ठात्री महोदया, जो संकल्प इस सदन में प्रस्तुत किया गया है उसकी शब्दावली तो ऐसी है जिससे मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन जहां तक भावना का संबंध है उससे मै अवश्य सहमत हूं और उन भावनाओं का मै समर्थन करना चाहता हूं । श्रीमन्, यह देखा जा रहा है कि ३ प्रकार की जमीनों का जिक्र किया गया है । पहली प्रकार की वह जमीन है जो अधिकतम जोत सीमा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आरोपण अधिनियम, १९६१, से बची है, दूसरे प्रकार की वे जमीनें हैं जो चकबन्दसे बची हैं और तीसरे प्रकार की वे जमीन जो गांव सभा की भूमि है ।

जहां तक अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम से बची भूमि का सम्बन्ध है, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस अधिनियम के अन्तर्गत जितनी धांधलेबाजी हुई है उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है । मुझे गाजीपुर जिले का तजुर्बा है कि वहां पर २ या ३ जमीनदार थे जो इस विधेयक के अन्तर्गत आते थे । जब जमींदारी एबोलिशन हुआ, इससे पहले ही लोगों को पट्टे कर दिये गये थे । उनका कब्जा भी हो गया लेकिन इस अधिकतम जोत सीमा के अन्तर्गत वे जमीनें नहीं ली गयीं । इस कानून में था कि जमींदारी एबालिशन कानून के पहले जिन जमीनों का पट्टा कर दिया गया है वे जमीनें इसके अन्तर्गत आयेंगीं । नतीजा यह हुआ कि लाखों एकड जमीन उत्तर प्रदेश के अन्दर इस तरह की दिखायी गयी कि जमीन ली जा रही है । कागजी घोड़े दौड़े, मगर जमीन खाली नहीं मिली ।

जहां तक चकबन्दी से बची जमीन का सम्बन्ध है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि चकबन्दी ने तो तबाही कर दी है किसानों की । इसके संबंध में इस माननीय सदन में बहुत ज्यादा कहा जा चुका है और इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं । चकबन्दी को सुनकर जो लोग लाभान्वित होते थे वे सब तबाह हो गये हैं । मैं तो यह कहूंगा कि यह एक हास्यास्पद चीज हो गई है । अगर चकबन्दी के बारे में देखना है तो आप बस्ती जिले में हमारी सैदपुर तहसील को देखिये । दूसरा एक स्थान डुमरियागंज है, वहां पर जा कर देखिये, आपको मालूम हो जायगा कि यह एक हास्यास्पद चीज है । इसके बारे मे अधिष्ठात्री महोदया, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से कह सकता हूं कि इतनी बरबादी हुई है कि उनके मान की बात नहीं है कि वे इसको दुरुस्त करा सकें । यह सरकार के मान की भी बात नहीं है । हां हमारे माननीय मंत्री जी ने हमें एक रिलीफ दे दिया है कि अगर कही पर क्लेरिकल मिस्टेक होगी या लेखपाल ने कहीं पर गलत इंदराज कर दिया है या वह मिस्टेक ऐक्सीडेन्टल है तो उसमें सुधार किया जा सकता है, हांलाकि मैं जानता हूं कि इसके बारे में लाखों मुकदमें चलेगें और किसानों का रुपया बरबाद होगा । इस तरह से जहां हम चकबन्दी कानून द्वारा यह कोशिश कर रहे हैं कि मुकदमें खत्म हो जाय वे मुकदमें और बढ़ जायेंगे ।

दूसरी चीज यह है कि जहां तक गांव समाज की जमीन का सवाल है भानुप्रताप सिंह जी ने कहा कि १६ लाख एकड़ जमीन है । मैं उससे सहमत तो नहीं हूं, लेकिन इतना मैं अवश्य कह देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी से अगर पूछा जाय कि गांव समाज के पास कितनी भूमि है तो वह भी नहीं बतला सकते ।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—
आइयेगा तो बतला दूंगा ।

श्री कमलासिंह यादव—
माननीय मंत्री जी नही बतला सकते, इसका जो मैं दावा कर रहा हूं उसका कारण यह है कि हमारे यहां चकबन्दी खत्म हो गयी है, लेकिन प्रधानों के पास उसके कागजात नहीं आये हैं जिनसे पता चल सके कि गांव सभा के किस मेम्बर के पास कितनी जमीन बची है । जब ऐसी हालत है तो फिर वितरण कैसे हो सकता है ? यह तो बड़ी विकट समस्या है । मैं इससे सहमत हूं कि एक आयोग की स्थापना की जाय । एक आयोग की स्थापना इसलिये न की जाय कि वह भ्रष्टाचार का अथवा अनियमितताओं का पता लगाये । ७२ हजार गांव सभायें हैं और अगर एक एक अनियमितता को वह देखेगा तो गांव में इतनी अनियमितताये होगी कि जिनका पता लगाना मुश्किल हो जायगा भ्रष्टाचार के लिये एक सब इंस्पेक्टर, एक सर्किल में लगा दें तो वह भी पता नही लगा सकता । सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह पता लगाती कि जो सीमा अधिनियम बन गया उसके अन्तर्गत कितनी जमीन निकली और चकबन्दी के अन्तर्गत कितनी जमीन निकली, गांव सभाओं के पास कितनी जमीन है और भूमिहीनों के पास वह क्यो नहीं पहुंची ? इन कारणों को जानने के लिये आयोग बैठाया जाय तो मैं समझता हूं कि इससे

[श्री कमलासिंह यादव]

हमारे देश का भला होगा और जो भावनाये हैं इस संकल्प को सदन में रखने हेतु उनको भी हम कह कर सकेंगे। जहांतक भावनाओं का ताल्लुक है माननीय मंत्री जी भी पीछे नहीं रहेंगे। उनकी यह भावना रही है कि भूमिहीनों को जमीन अधिक से अधिक तादाद में मिले।

देश के सामने खाद्य समस्या बड़ी विकट परिस्थिति में चल रही है। लेकिन साथ ही में यह देख रहा हूं कि हमारे प्रदेश के अन्दर भूमि उसके पास है जो अपने हाथ से हल नहीं जोतना चाहते और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनके बाहुओं में तो ताकत है, हल जोत सकते है, खेत को देखभाल कर सकते है अधिक से अधिक अन्न उपजा सकते हैं लेकिन जमीन उनके पास नहीं है और इस कारण वे भूखों मर रहे हैं। तो माननीय मंत्री जो कोई ऐसी व्यवस्था करें, चाहे वह सबलेटिंग के द्वारा हो, जिससे गांव में जो भूमिहीन है, जिसके पास कोई साधन जीविकोपार्जन का नहीं है उनको भूमि पर काम करने का मौका मिले। इस तरह की बात होगी तो मैं समझता हूं कि गांव का हर आदमी अपना जीविकोपार्जन कर सकेगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि कोई व्यवस्था भूमि सुधार की अवश्य करें। इसमें दो राय नहीं है कि इस वक्त देश जिस परिस्थिति में से होकर गुजर रहा है, गांव का कोई भूमिहीन जो काम करना चाहता है, खेती करना चाहता है, अपनी जीविका अन्न उपजाकर चलाना चाहते है, ऐसे लोगों को मौका मिले कि वह भूमि को जोतें और उसमें अधिक से अधिक अन्न उपजने की कोशिश करें जिससे कि अमेरिका के आश्रित हमें न रहना पड़े।

दूसरी बात कोआपरेटिव फार्मिंग की है। उससे मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि अगर सरकार चाहती है कोआपरेटिव फार्मिंग करे तो पहला कदम चकबन्दी के सिलसिले में उसे लेना चाहिये था कि जितने छोटे काश्तकार हैं उनका चक इकट्ठा एक जगह बनवाया जाता। पहले जो गलती हो गई उसमें अब मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन अब जो चक बन रहे हैं उसमें छोटे-छोटे काश्तकारों का चक इस तरह बनाया जाय कि अगर वह कोआपरेटिव फार्मिंग करना चाहें तो कर सकें और उसके जरिये लाभ उठा सकें। इसके साथ ही साथ चूंकि भूमिहीनों की तादाद अधिक है तो ऐसे लोगों को और छोटे छोटे उद्योग धन्धे दिलाने की कोशिश सरकार को करनी चाहिये जिससे कि उनकी दरिद्रता, उनकी अज्ञानता और उनकी गरीबी दूर हो सके। इसलिये जहां तक इस संकल्प की भावना का सवाल है मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी उससे जरूर सहमत होंगे।

माननीय विकल जी ने भूदान की जमीन के बारे में कहा। लेकिन आज भूदान की जो जमीन है वह केवल कागज पर भूदान का नाम लिखा हुआ है और काश्तकारों के नाम वह एलाट कर दी गई है। अधिष्ठाता महोदय, कहीं किसी गांव में मैंने आदमियों को उसे जोतते नहीं देखा। हां, जहां पूरा गांव का गांव भूदान में दिया गया है वहां तो जमीन इसमें गई है वरना ज्यादातर जो नदी नाले या ऐसी जमीनें जो कभी जोतने लायक नहीं थी, या झगड़े की जमीन थीं जिन पर कभी किसी ने हल नहीं चलाया, ऐसी जमीन भूदान में दी गई है। तो इसका सिर्फ नाम ही नाम है। इसका बटवारा तभी किया जा सकता है जब कि और जमीन इसके साथ मिल सके। इन शब्दों के साथ, मैं अधिक न कहता हुआ, मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जहांतक इस संकल्प की भाषा का सवाल है उसमें हमारी दिक्कतें है, कमजोरियां भी हमारे अधिकारियों की रही हैं जिसकी वजह से भूमि का वितरण जिस तरह से हम चाहते रहें हैं, उस तरह से हो नहीं सका है और अधिक से अधिक तादाद में भूमिहीनों के पास जमीन पहुंच नहीं सकी है, वह चाहे उनकी गरीबी के कारण हो, चाहे अज्ञानता के कारण हो और चाहे उनकी कोई सिफारिश करने वाला न होने के कारण हो। इसलिये माननीय मंत्री जी एक आयोग अवश्य बैठायें (व्यवधान) रिजोल्यूशन के बारे में मैंने कह दिया कि शब्दावली से मैं खुद सहमत नहीं हूं लेकिन भावना के बारे में मैंने कह दिया कि जिम्मेदारी आपकी है, इसलिये सरकार को एक आयोग अवश्य बैठाना चाहिए जो कि इस बात का पता लगाये कि भूमिहीनों के पास वह जमीनें जो गांव सभा वितरण करने के लिए थीं या जोत सीमा के जरिये वह उनके पास क्यों नहीं पहुंची। उसके कारणों का वह पता लगाये और उनको दूर करने की कोशिश करे ताकि भूमिहीनों को कुछ फायदा पहुंचा सकें।

मालमन्त्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)---

माननीय अधिष्ठाता जी, जो संकल्प आज इस सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ है उसकी शब्दावली को यदि पढ़ा जाय तो सिवाय इसके कि यह कहा जाय कि यह अव्यावहारिक है, इसके अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। जो दिया गया उन लोगों की तरफ से कि जो कानून के पंडित हैं और वह कहते चले जा रहे हैं कि भूमि का वितरण ठीक तरीके से नहीं हुआ है। यह सरकार कोई हवा की सरकार नहीं है, कायदे और कानून पर बनी है। जितना सम्भव हो सकता है कि उन भूमिहीनों के पास जमीन आज विधि विधान के आधार पर पहुंचायी जाय, वह भूमि पहुंचाने की व्यवस्था की गई। सीलिंग के जरिये से और चकबन्दी में तथा गांव समाज में जो भूमि बची हुई थी उसका वितरण व्यवस्थित ढंग से कायदे और कानून के अनुसार किया गया। जमीदारी विनाश का जो हमारा अधिनियम है उसके अन्तर्गत गांवों में गांव समाज में भूमि व्यवस्था समिति बनी हुई है। किसानों की आवश्यकताओं को देखते हुए हम बची हुई जमीन को बांटते चले जा रहे हैं। शायद मेरे मित्र श्री कमला सिंह जी को यह मालूम नहीं है कि आखिरकार क्या व्यवस्था भूमिहीनों के कल्याणार्थ जनकल्याणकारी जो हमारी यह सरकार है वह कर रही है और उसने क्या क्या किया है। डेढ़ लाख एकड़ बाकी भूमि हमारे पास है। उसमें से ५३ हजार एकड़ भूमि का वितरण हम उन्हीं भूमिहीनों के बीच में कर चुके हैं। इसीलिए कि उनके पास कोई भूमि नहीं है और उनके पास कोई रोजी रोजगार नहीं है। वह उसका सदुपयोग करेंगे, अपने कलेजे से उसको चिपकायेंगे और जितनी भी उनकी सामर्थ्य होगी, अधिक से अधिक उत्पादन उसमें करेंगे।

मेरे मित्र श्री भानुप्रताप सिंह जो फरमा रहे थे कि भूमि की ठीक तरीके से व्यवस्था नहीं की गई। एक जमाने में टेनेंट ऐट विल हुआ करता था। जमीदार जब चाहता था किसान को बेदखल कर दे तथा चाहे वह उसमें कितनी ही खाद डाले हुए हों, कितना ही परिश्रम उसमें किये हो, अपने घर का जितना भी काम है, बाल बच्चे वगैरह हैं, सबको उसने उसमें लगा दिया हो, लेकिन अगर आप जमींदार की मर्जी के खिलाफ हुये तो वह उसको बेदखल कर दिया करता था। आज उनकी समझ में बात नहीं आ रही है। उसका कारण यह है कि उनकी जेहनियत जो रही है वह पुराने प्रकार की जहनियत रही है। आज भी 'सहकारी' को वह 'सरकारी' कहते हैं। जिस क्षेत्र से वह प्रतिनिधि होकर आये हैं उसी के निकट मैं भी चुना गया हूं। हमें कितनी कितनी परेशानी हुई लोगों को समझाने में क्योंकि इतना भ्रम इन्होंने पैदा कर दिया था कि 'सहकारी' को 'सरकारी' कर दिया गया। आज भी वह फरमा रहे थे कि जमीन १६ लाख एकड़ पड़ी हुई है। मैं कहता हूं जोत में लाने के लिये जंगल कटते चले जा रहे हैं, सूबे की तरफ निगाह डालिये तो जंगल के जंगल आपको कटे कटाये नजर आते हैं, गांव में खलिहान भी बचने नहीं पाये हैं, किसान उनको आबाद करते जा रहे हैं। यह दूसरी बात है कि श्री कमलासिंह जी जैसे दानशील आदमी भूदान में जमीन तो ऐसी दे दें जैसी वह कह रहे थे और उस पर वह चाहें कि जोताई बोआई हो। ऊसर अधिकतर भूमिदान में मिली है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय शास्त्री जी ने कमला सिंह जी का नाम जो लिया है वह मैं समझता हूं कि प्रापर नहीं है।

श्री रामकुमार शास्त्री---

उनको कोई एतराज नहीं है।

यह कहना कि भूमि का सदुपयोग नहीं किया जा रहा है और उत्पादन ठीक ढंग से नहीं हुआ है, यह बात ठीक नहीं है। मालूम होता है कि उनको वास्तविक स्थिति का पूरा पूरा ज्ञान नहीं हो पाया है। अगर किसी भूमि पर किसी ने कब्जा कर लिया है और अनधिकृत ढंग से अपने हाथ में उसने ले लिया है तो उसके लिये व्यवस्था कायदे के मुताबिक

[श्री रामकुमार शास्त्री]

है कि इस कमिश्नर के पास दरख्वास्त दे सकता है, एस० डी० ओ० के पास दरख्वास्त दे सकता है। गरज कि कोई तरीका ऐसा बाकी नहीं छोड़ा गया है कि जिससे भूमिहीनों के पनपने में कोई रुकावट किसी तरह की पड़े ? फिर वे क्या चाहते हैं ? मेरे माननीय मित्र ने आयोग की बड़ी दुहाई दी है। आखिरकार यह माल महकमा है और हमारे यहां जमींदारी उन्मूलन वगैरह के कानून इतने व्यापक बना दिये गये हैं कि दूसरी जगह से कोई चीज उधार लेने की जरूरत नहीं है। आयोग बनाना चाहते हैं और उसके द्वारा जांच कराना चाहते हैं। क्या जांच करायेंगे ? यही न जांच करा कि बड़ा भ्रष्टाचार और बड़ी अनियमिततायें हुई हैं जमीन के वितरण में ? मैं यह कह देना चाहता हूं कि गांव में बसने वाले जो लोग हैं वे लोग अपने गांव गांव की चप्पा चप्पा जमीन से पूरी तरह से वाकफियत रखते हैं और यह भी अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन जमीन खाली है और कौन खाली नहीं है और किसको जमीन देनी चाहिये और किस को नहीं देनी चाहिये। हां, यह सही हो सकता है कि कुछ चालाक लोग उनमें हो सकते हैं और यह हो सकता है कि मुनासिब आदमी को जमीन न मिल कर गैर मुनासिब आदमी को जमीन मिल जाय। लेकिन यह मानना पड़ेगा कि हमारे यहां के कानूनों में इसकी व्यवस्था है। दफा १९८ हर तरह से राहत पहुंचाती है।

इसके अलावा हमारे यहां सीलिंग की भूमि के वितरण की ठीक व्यवस्था है। थोड़े समय में जब तक स्थाई व्यवस्था करने का अवसर न मिलता हो तो कलेक्टर व्यवस्था करता है और उसको अधिकार है कि जिसको चाहे वह जमीन दे सकता है। लेकिन जो हमारा अनुभव हुआ है, उसके आधार पर मैं यह नम्र निवेदन करूंगा कि भूमिहीनों को जमीन भी दी गई है, उन लोगों को जमीन दी गई है जिनके पास जमीन नहीं है, खेतिहर लोगों को जमीन दी गई है या उन लोगों को जमीन दी गई है जो लड़ाई पर रहे हों या फिर उन लोगों को जमीन दी गई है जिनके यहां और कोई रोजी रोजगार न हो। यही व्यवस्था की गई है। हमारा यह अनुभव है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस बात की अहतियात बरतते हैं कि जो उनके पास जमीन बची है उसका वितरण उन्हीं लोगों के बीच में करें जिनके पास जमीन नहीं है।

आखिरकार हमारे सूबे में करीब-करीब ७२,२२८ गांव सभायें हैं, मुझे ठीक याद नहीं है। लेकिन करीब करीब इतनी ही संख्या है। अब यह देखिये कि यह आयोग कहां-कहां जमीन नापने जायेगा और क्या क्या लोगों से पूछेगा ? जब सवाल उठता है कि जमीन के वितरण में अनियमिततायें हुई हैं और ठीक से वितरण नहीं हुआ है तो माननीय विकल जी का यह कहना है कि किसी एक गांव को चुन लिया जाय। यह कहां तक ठीक हो सकता है जब कि हर जगह इस बात की शिकायत का जिक्र किया गया है ? जब किसी गांव को छोड़ दिया जायगा जहां पर लोगों को शिकायत है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी ? अगर वक्त का हिसाब लगाया जाय तो कितना वक्त लगेगा ? अनुमानतः २१ वर्ष लग जायेंगे। तो राहत किस तरह से कथित लोगों को मिल सकती है ? मैं समझता हूं कि यह अव्यावहारिक बात है। इस प्रकार कह देना कि भूमि की व्यवस्था ठीक तरह से नहीं हुई है, इसके संबंध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शायद उन्होंने तकलीफ गवारा नहीं की यह देखने की कि गांवों की भूमि का वितरण किस तरह से हो रहा है। जरूर कुछ शिकायतें हो सकती हैं। इतना बड़ी सूबा है, इतने मवाजियात हैं और इतनी बड़ी आबादी है, इसमें छोटी मोटी गलतियां रह जायं तो मैं जिम्मेदारी नहीं लेता कि नहीं हुई है। लेकिन उनके सुधार के लिये व्यवस्था है और उपाय है। कोई सोया रहे तो बात दूसरी है। हमारे यहां कायदे कानून मौजूद हैं और उन्हीं पर हमारी सरकार मबनी है। अगर इन कायदे कानूनों के अलावा कोई आशा रखी जाय कि फुटकर ढंग से हो तो यह सम्भव नहीं हो सकता है।

चकबन्दी के बारे में सीतापुर का जिक्र किया गया। शुरू-शुरू में हो सकता है, कोई गलती हो गई हो, उन किसानों के साथ जो छोटे-छोटे हैं, उनके साथ बेइंसाफी तनिक हो गई हो, लेकिन आप फर्मा रहे हैं, हमारे माननीय सदस्य गाजीपुर के कि छोटे

छोटे किसानों को एक साथ एक स्थान पर इकट्ठा चक नहीं दिये गये। लेकिन यही तो टेक्निक है छोटे किसानों के विकास के लिये और खेती की उन्नति के लिये। उसे वे भूल जाते हैं। तो हम इस प्रकार के छोटे-छोटे किसानों को ऐसे स्थान पर जमीन देना चाहते हैं जहां जमीन जरखेज हो। यही हमारा प्रयास रहता है कि उन्हें गोंयड़ की भूमि मिले।

(व्यवधान)

गलती हो सकती है, लेकिन उसके सुधार के लिये हमारे पास और इलाज भी है। ज्यों-ज्यों वक्त गुजरता जा रहा है हम अच्छा काम करते जा रहे हैं। चकबन्दी के काम में तरक्की हुई है या तनज्जुली हुई है, यह देखने की चीज है।

एक सदस्य---

तनुज्जुली हुई है।

श्री रामकुमार शास्त्री---

मैं यह कहने के लिये तैयार नहीं हूं, मैं यह सुनने के लिये तैयार नहीं हूं कि तनुज्जुली हुई है, इसमें साफ-साफ तरक्की हुई है। तनज्जुली तो वही लोग कहेंगे जिन्हें कोई अनुभव नहीं है। इसलिये जो संकल्प रखा गया है वह बिलकुल अव्यावहारिक है। वह ऐसा संदिग्ध है कि इससे किसानों को कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। इसलिये मैं इस संकल्प को अव्यावहारिक समझ कर इसका घोर विरोध करता हूं। इसके अलावा चकबन्दी सीलिंग और जितने अन्य कार्य किसानों के कल्याण के लिये हमें करने चाहिये, उसके बारे में हमारे पास कानून कायदों की पूरी तरह से व्यवस्था की गयी है। और यदि इस पर भी कोई उपाय रखा जाय जैसा आयोग के द्वारा जांच करने के बारे में, तो वह उन्हीं के द्वारा हो सकता है, जिन्हें कोई अनुभव नहीं है कि गांव में जो किसान भूमिहीन हैं उनके मध्य भूमि का वितरण किस भांति हो रहा है। यदि वह गांवों के बीच में एक सार्वजनिक कार्यकर्ता या खेतीहर की हैसियत से एक अलख जगाते तो इस प्रकार का संकल्प वह कदापि भी सदन के सामने न रखते। अब मैं ब्योरे में न जाकर सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं और संकल्प का विरोध करता हूं जो कि अव्यावहारिक है।

(श्री रामकिशोर वर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)---

मैं भूमिहीन हूं, मुझे भूमिहीनों की समस्या की काफी जानकारी है, भूमिहीनों के बारे में मुझे बोलने का समय दिया जाय। आप हमें नहीं बोलने दे रही हैं, दूसरों-दूसरों को समय देती चली जा रही हैं। मैं हर बार बराबर खड़ा होता हूं, किन्तु हमें समय नहीं मिलता है, हमारी हिम्मत पस्त कर दी जाती है। जब हम पस्त और थक जाते हैं तब हमें समय दिया जाता है। मैं बिना बोले नहीं मानने वाला हूं, मुझे बोलने दिया जाय। भूमि वाले कमला सिंह, झारखंडेराय या भानु प्रतापसिंह क्या बतायेंगे? भूमिहीन श्याम लाल सही सुझाव देंगे।

(व्यवधान)

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---

आप इनको आश्वासन दे दें कि इनके बाद यह बोलेंगे, बहुत दिनों से यह नहीं बोले हैं।

श्री अधिष्ठाता---

देखिये, अभी आप सब से बैठिये।

(व्यवधान)

श्री श्यामलाल---

भूमिहीनों की समस्या को यह कमला सिंह जो हल करेंगे या यह हल करेंगे? इनकी समस्या को भूमिहीन श्याम लाल हल करेंगे! हमें बोलने दिया जाय।

श्री कमलासिंह यादव--

अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपकी आज्ञा से माननीय डिप्टी मिनिस्टर साहब से दो बातें पूछना चाहता हूं--

श्री अधिष्ठाता---

पहले वर्मा जी बोल लें, फिर आप पूछें ।

श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)--

माननीय अधिष्ठात्री महोदया जी, जो आज यह संकल्प प्रस्तुत किया गया है, उसकी कुछ भावना से तो मैं सहमत हूं और कुछ भावना से असहमत हूं । मैं इसी भावना से अपने विचार रख रहा हूं । हम सब जानते हैं कि हमारे देश और प्रदेश में भूमि का महत्व बहुत ज्यादा है । इसलिये कि भूमि से उत्पादन बढ़ाया जा सके और उत्पादन बढ़ाने से ही हमारी सारी समस्यायें हल हो सकती हैं । इसलिये आवश्यक हो गया कि भूमि का जितना भी सदुपयोग हो सके वह किया जाय ।

सन १९५२ में जब जमींदारी खात्मा कानून बना, गांव पंचायतों को यह अधिकार दिया गया कि वे भूमि की व्यवस्था करें । तब से लगातार यह देखा जा रहा है कि इस ओर गांव पंचायतों की ओर से जो कार्यवाहियां निरन्तर हो रही हैं वह जनहित में नहीं है । आप जानते हैं कि जमींदारी आबलिशन ऐक्ट पास हुआ तब बहुत बड़ी मात्रा में भूमि गांव पंचायतों को दे दी गयी और उनसे यह अपेक्षा की गयी थी कि वे उसकी समुचित व्यवस्था करें । देखने से ऐसा लगा कि गांव पंचायतें उस भूमि की समुचित व्यवस्था करने में पूर्णतया असफल सिद्ध हुई हैं ।

उसके बाद जब चकबन्दी का कानून आया उसमें हर गांव में ५ प्रतिशत से लेकर १० प्रतिशत तक भूमि सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये पहुंची और गांव सभाओं को उसका वितरण दिया गया है । लेकिन उसका कितना दुरुपयोग हमारे चकबन्दी अधिकारियों ने किया ? सैकड़ों रुपया बीघा ले कर उन सारी भूमियों को उन व्यक्तियों को जो गांवों में अपना असर व स्थान रखते हैं एलाट कर दिया गया है । इतना ही नहीं हुआ, बल्कि यह भी हुआ कि अगर एक ए० सी० ओ० के यहां कोई पुरोहित थे और मंत्र पाठ आदि का कार्य करते थे और गांव में उनके पास कोई भूमि नहीं थी, उनके पास भूमि अधिक मात्रा में हो गयी है, नाई के पास भूमि नहीं थी उसके पास भूमि हो गयी, जिसके पास भूमि का लेशमात्र नहीं था, इसी तरह से गांव पंचायतों के पास जो जमीन थीं उसका चकबन्दी में चकबन्दी अधिकारियों ने बेजा इस्तेमाल किया और वह भूमि जो सारे लोगों से ली गयी थी उसका सब लोगों को तो लाभ नहीं मिला कुछ विशेष व्यक्तियों को मिल गया ।

अब जो जमीन बची उसके लिये गांव समाज मैनुअल के परिच्छेद ५८ में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि भूमि उठाने का क्या तरीका होगा । जहां चकबन्दी नहीं हो रही है यह बात वहां है कि वहां गैर मजरुआ भूमि १० प्रतिशत से कम तो नहीं उठायी जा सकती, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो एक बिस्वा भूमि कहीं पड़ती नहीं और गांव पंचायतों के प्रधान, उसके सदस्य, लखपाल और कानूनगो सारी की सारी भूमि लगान पर उठाये हुये हैं और उसका बेजा फायदा उठा रहेहैं । हमारे फतेहपुर जिले में एक गांव लमेहटा है । आप पता लगायें तो वहां के प्रधान ने तीन सौ बीघे भूमि पर कब्जा कर रखा है और न लगान देते हैं और न दूसरे अबवाब उस पर अदा करते हैं । इस तरह से जो चकबन्दी की भूमि बची उसका भी सही वितरण नहीं हुआ । चाहिये तो यह था कि जब आप कहते हैं कि खाद्य उत्पादन की अधिक आवश्यकता है तो हमें उस भमि का समुचित प्रबन्ध करना चाहिये था, लेकिन १० प्रतिशत से कम भूमि है वह उठाई नहीं जा सकती है और आपको इधर टैक्स लगाने की आवश्यकता हो रही है । तो मैं आप से कहता हूं कि आप यह भी पता लगावें कि किस तरह से भूमि का बेजा इस्तेमाल हो रहा है ।

गांव समाज मैनुअल का परिच्छेद ५८ समझ में नहीं आता कि वह किस तरह से लागू होता है । चकबन्दी में जब सार्वजनिक कामों के लिये, जैसे चरागाह, खलिहान, आबादी या अन्य

आवश्यक चीजों के लिये सुरक्षित कर दी गयी है, तो फिर समझ में नहीं आ रहा है कि वहां अ० प्रतिशत का नियम क्यों रखा जा रहा है ? उसमें यह हो रहा है कि वह सारी की सारी भूमि छः लोग जोते हुये हैं और उससे बेजा फायदा उठा रहे हैं । दूसरे उसमें परिच्छेद ११५ में जो बेदखली की कार्यवाही है वह भी नहीं हो पाती । उसका कारण यह है कि गांव पंचायतों के चुनाव निकट भविष्य में होने जा रहे हैं तो प्रधान यह सोचकर कि अगर हम उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे तो हमें वोट नहीं मिल पायेगा कार्यवाही नहीं करते । तो ११५ को बदल दें फिर १० प्रतिशत की आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि जब सारी भूमि सुरक्षित है तो फिर १० प्रतिशत से कम न उठाने की मंशा क्या है ? जैसा कि मैंने कहा, चकबन्दी के अन्दर जो धींगामुश्ती हुई है और भूमि का बेजा इस्तेमाल हुआ है वहां यह भी हुआ है कि सारी की सारी भूमि जुती हुई है लेकिन कागजात सरकार में दर्ज नहीं हैं कि वह बोई जा रही है या नहीं और उसका कुछ लोग फायदा उठाते हैं ।

इस सम्बन्ध में दूसरा सवाल अब यह उठता है कि जो बची हुई भूमि है उसको किस प्रकार दिया जाना चाहिये ? आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश में भूमि बहुत कम मात्रा में है और कृषकों की संख्या बहुत अधिक है और प्रत्येक किसान के पास पौने दो एकड़ भूमि पड़ती है । अगर उस जमीन को हम और लोगों में बांटते चले जायेंगे जिन्हें हम भूमिहीन कहते हैं तो उस से हमारा उत्पादन गिरता चला जायेगा और मैं समझता हूं कि जिनके पास आज ६ एकड़ से कम भूमि है उन्हें ही भूमि देना चाहिये । गांव में अगर भूमि ज्यादा है और उसको बांटना है तो वह ऐसे लोगों को देना चाहिये जिनके पास सवा छः या उससे कम जमीन है । इस से ज्यादा आदमियों का लाभ हो सकता है लेकिन अगर ऐसे आदमियों को भूमि देना शुरू किया गया जिसके पास जमीन नहीं है तो उस से फायदा नहीं होगा । जो लोग रोजगार में लगे हुये हैं या किसी भी काम में लगे हुये हैं वे धीरे-धीरे बेरोजगार होते चले जायेंगे जिससे प्रदेश का लाभ नहीं होगा और दूसरे उनको भूमि पर्याप्त मात्रा में भी प्राप्त नहीं होगी जिस से उनका गुजारा भी हो सके और उनका काम चल सके । जैसा मैंने निवेदन किया बहुत अधिक भूमि का विकेन्द्रीकरण करने से उत्पादन घटेगा बढेगा नहीं । इसलिये ऐसे आदमियों को जमीन देना चाहिये जिनके पास कम जमीन है । अगर और लोगों से भी काश्त कराना आपने निश्चित किया तो इससे बेरोजगारी फैलेगी और भूमि का भी सदुपयोग होने की कोई आशा नहीं है ।

श्रीमन्, आज जैसा कि कहा गया है अधिकतम जोत सीमा आरोप के अन्दर जो जमीन प्राप्त हुई है उसका जिले के अन्दर इस विभाग के कर्मचारियों ने सही मूल्यांकन नहीं किया । जिन लोगों के पास ज्यादा जमीन थी उन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम बहुत सी जमीन लिख दी है । उन होंने बहुत सी जमीन अपने नौकरों के नाम लिख दी हैं और बाकी की सारी वह जमीन हथियाये हुये हैं । मैं चाहता हूं कि इसकी एक बार फिर जांच होनी चाहिये सारे प्रदेश के अन्दर । ऐसे लोग, जिन्होंने चालाकी से अपनी भूमि को दूसरों के नाम दिया है और खुद उसका लाभ उठा रहे हैं, इसको देखना चाहिये । वह भूमि उनसे बच सके और निकल सके तो ऐसे लोगों को देनी चाहिये जिनके पास ६। एकड़ से कम भूमि है । उससे उत्पादन बढ़ेगा और राजस्व भी बढ़ेगा । जो टैक्स लगाने की बार-बार यहां पर चर्चा होती है उसकी भी आवश्यकता नहीं होगी । जैसा मैंने निवेदन किया कि अन्य जो सारी भूमि का लाभ ले रहे हैं वह हमारी गांव पंचायत के प्रधान और लेखपाल ले रहे हैं। जैसा मैंने कहा, परिच्छेद ५८ में यह लिखा है कि अगर किसी तरह से जमीन आये तो उस जमीन को उठाया जा सकता है । काश्तकारों की जमीन शिकमी के नाम दर्ज है । उसकी अमलदरामद की कार्यवाही तहसील में होती है । एक बार अगर शिकमी पर उठा दी गई तो फिर बेदखल होना मुश्किल है । उस पर धीरे धीरे शिकमी काश्तकार असल काश्तकार हो जाता है । जब हमने शिकमी के खाने को समाप्त कर दिया तो तीन वर्ग ही रह जाते हैं, बल्कि अधिवासी भी समाप्त हो गया तो यह तीसरा वर्ग पैदा किया जा रहा है । इस समय उसको शिकमी

[श्री रामकिशोर वर्मा]

के अधिकार देना ठीक नहीं है। इसलिये गांव सभा की सारी की सारी जमीन ऐसे आदमी को उठानी चाहिये जैसा मैंने अर्ज किया।

यह जो संकल्प उपस्थित किया गया है, मैं समझता हूं इसका बहुत महत्व है, लेकिन मैं इस भावना से सहमत नहीं हूं कि जिसमें भूमिहीन लोगों को देने की बात कही गई है। इससे उत्पादन में बढ़ोत्तरी नहीं होगी और उतनी भूमि बच भी नहीं सकती है जिससे भूमि में लगे लोगों को छोड़ कर उनके पालन पोषण के लिये पूरी हो सके। मैंने जो विचार प्रकट किये हैं मुझे आशा है मन्त्री जी उन पर ध्यान देंगे।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

अधिष्ठाता महोदय, इस प्रकार का संकल्प जब हमारे सामने आता है तो उस पर हम को बहुत गौर से विचार करने की आवश्यकता होती है। मैंने जब इस संकल्प को पढ़ा तो मुझे आश्चर्य हुआ। श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी जी के द्वारा यह संकल्प प्रस्तुत किया गया है जो बहुत अच्छे वकील हैं। अगर कोई ऐसा आदमी होता जो कानूनदां न होता और कानून से अनभिज्ञ होता और वह इस प्रस्ताव को पेश करता तो उस पर मुझे आश्चर्य नहीं होता। इस पर मुझे अधिक आश्चर्य है कि हमारे सम्मानित, योग्य वकील के द्वारा ऐसा संकल्प प्रस्तुत किया गया है। इस प्रस्ताव को आप पढ़ें। इसको आप दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला तो यह कि इसमें यह कहा गया है कि जो अधिकतम जोत सीमा से भूमि प्राप्त हुई है अथवा चकबन्दी में जो भूमि बच गयी है या गांव सभा के पास जो ऐसी भूमि है कि जिसको भूमिहीनों को वितरित करना चाहिये या उसके सम्बन्ध में जो भ्रष्टाचार या अनियमिततायें हुई हैं उन पर विचार करने के लिये एक आयोग की मांग इसमें प्रस्तुत की गयी है। दूसरे यह कि इसमें यह मांग की गयी है कि जो भूमि अनधिकृत रूप से वितरित कर दी गई है, उसे वापस कर के भूमिहीनों में वितरित की जाय। यही इसका अभिप्राय है। अधिष्ठात्री महोदया, मैं आश्चर्य चकित रह गया इस प्रस्ताव को पढ़ कर। इसलिये कि अभी शास्त्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि करीब ७२००० गांव सभायें हैं, और उनमें से हर एक के पास कुछ न कुछ जमीन होगी। इसे देखना होगा कि वह वितरित की गयी है अथवा नहीं। इसकी जांच आयोग कैसे करेगा, इन अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचारों की जांच करने में कितना समय तथा खर्च लगेगा इसका विचार संभवतः माननीय सदस्य ने किया नहीं। इसकी जानकारी भी उन्हें सदन को देनी चाहिये थी।

दूसरा उद्देश्य यह कि जो जमीन वितरित कर दी गयी है, उसे वापस ले लिया जाय और फिर उसकी व्यवस्था भूमिहीनों के साथ की जाय। इस कार्य को कौन करेगा और कैसे करेगा? फिर एक प्रश्न यह भी है कि क्या कानूनन आप ऐसा कर सकते हैं? यहां विधान बेत्ता बैठे हैं, किसी कानून के अन्तर्गत आपने जमीन उन को दी, अब आप उसे वापस कैसे लेंगे और किस धारा के अनुसार लेंगे। जब तक कि आप उस कानून की धारा को ही संशोधित न करें, अथवा ऐसा कोई अलग कानून न बनावें, तब तक केवल इस प्रस्ताव को पारित करने से ही वह काम नहीं हो सकेगा। इसके लिये उसमें कोई प्राविधान नहीं है, और न हमारे किसी कानून में ऐसा विधान ही है। इसलिये फिर इस संकल्प को लाने का क्या अर्थ है, यह मैं नहीं समझ पाया।

तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदन में माननीय भानु प्रताप सिंह जी ने एक दलील प्रस्तुत की थी। एक तो उनका कहना था कि दस परसेंट जो भूमि उठाने को शेष रह गयी है और यह नियम है कि इतनी जमीन गांव समाज दूसरों को उठा सकेगा, इसके लिये भी उनका विरोध है। उनका कहना है कि वह सारी जमीन भूमिहीनों को दे दी जाय। अब सवाल यह है कि सार्वजनिक कामों के लिये, चारागाह के लिये अगर जमीन की आवश्यकता है तो कहां से आयेगी। उसके लिये उनका कहना है कि आप के पास लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट है, उससे भूमि ले लीजिये। क्या जरूरत है जमीन छोड़ देने की? माननीया, मैं आश्चर्य चकित रह गया, इसलिये कि लैंड एक्वीजीशन का क्या प्रोसेस है, इसे हम सब जानते हैं,

वहां अस्पताल निर्माणकार्य करना है, सड़कें बनानी हैं, नाना प्रकार के काम करने हैं। उनके लिये जमीन एक्वायर की गयी तो कोई भी रिट कर देगा और उसमें तीन साल लग जायेंगे। मेरी जानकारी में है कि गांव में ट्यूबवेल लगे, लेकिन वहां नालियां व गूलें नहीं बनने दी जा रही हैं। किसान कहता है कि हम इस रास्ते से गूल नहीं ले जाने देंगे। अगर आप यह कहें कि जमीन एक्वायर की जाय और कोई आदमी जाकर रिट दाखिल कर दे तो नतीजा यह होगा कि गूलें तो बन नहीं पायेंगी जिससे अन्न संकट और उपस्थित होगा और फिर हाईकोर्ट में मुकदमा लड़िये और हाथ पर हाथ धर कर तब तक बैठे रहिये जब तक कि फैसला न हो जाय, इससे तो सारी समस्या का किसी प्रकार भी हल नहीं होगा। लैंड एक्वीजिशन की कार्यवाही इतने तूल की है कि उसके अन्दर काम करना असम्भव हो जायगा। इसी उद्देश्य से १० प्रतिशत जमीन की सीमा रखी गयी है। इसलिये चारागाह के सम्बन्ध में भी जो उन्होंने आपत्ति की है वह बेकार है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब आप की रूलिंग हो चुकी है कि किसी विधेयक के उपस्थित होने पर सदन में किसी मंत्री या उपमंत्री का रहना आवश्यक है और इसी आधार पर कल शिक्षा मंत्री और उपमंत्री को बुलाया गया, उसी आधार पर जो संकल्प प्रस्तुत करने वाले हैं उनको भी सदन में उपस्थित रहना चाहिये। अगर वे उपस्थित न हों तो उस संकल्प को छोड़ क्यों न दिया जाय? इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

मैं आप से कहूं कि यह लंच का टाइम है और किसी सदस्य के लिये २४ घंटे यहां बैठे रहना सम्भव नहीं है। उनकी जगह पर मैं तो बैठा हुआ हूं।

श्री कृष्णानन्द राय--

इसका जवाब कौन देगा?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

इसीलिये मैं बैठा हुआ हूं और इसके अलावा कम से कम ४ सदस्यों की ओर से वह संकल्प है। शिक्षक जो भी मौजूद हैं। आपके पास तो मंत्री, उपमंत्री और सभा सचिवों की फौज मौजूद है। कोई सदस्य किसी को अधिकृत कर सकता है।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पाण्डेय)--

आप के पास कोई अधिकार पत्र मौजूद है? अगर है तो उसे सदन की मेज पर रखें।

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपा कर बैठें। यह ठीक है, संकल्प प्रस्तुत करने वाले को यहां मौजूद रहना चाहिये।

श्री बृजबिहारी--

माननीय कृष्णानन्द राय जी ने जो आपत्ति उपस्थित की है वह ठीक है। आवश्यकता इस बात की है कि माननीय त्रिपाठी जी हम लोगों की बातें सुनें क्योंकि उत्तर तो उन्हीं को देना होगा। किसी दूसरे को उत्तर देने का अधिकार तो है नहीं। अगर वे हमारी बातों को सुने होते तो उसका उत्तर देते। मैं निवेदन कर रहा था कि चरागाहों के लिये कितनी आवश्यकता है जमीन की। अगर मेरे वश में होता तो मैं १० प्रतिशत की जगह २० प्रतिशत जमीन चरागाहों के लिये रख देता। मेरी राय में २० प्रतिशत जमीन हर गांव की चरागाह के लिये छोड़नी चाहिये। आज हालत यह है कि लखनऊ में हम सदस्यों को दूध नहीं मिलता। अगर सुबह मिलता है

[श्री बृजबिहारी]

तो शाम को नहीं मिलता, शाम को मिलता है तो सुबह को नहीं मिलता। आज देहातों में दवा के लिये गाय का दूध नहीं मिलता। इसलिये यह कहना कि चारागाह बन्द कर दिये जायं, उचित नहीं है। दुर्भाग्यवश इस समय यहां माननीय कमला सिंह जी भी मौजूद नहीं हैं। उन्होंने चकबन्दी की बड़ी कटु आलोचना करते हुए कहा था कि चकबन्दी ने "हमें तबाह कर दिया है" मुझे यह उन की दलील सुन कर आश्चर्य हुआ। चकबन्दी का उद्देश्य क्या है? चकबन्दी जहां हो जाती है, इसको सभी मानते हैं कि वहां की हालत अच्छी हो जाती है। हम भी इस बात को मानते हैं कि कहीं कहीं भ्रष्टाचार है जैसा कि मैंने उस दिन सदन में भी कहा था कि हमारे समाज में ही भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है। 'भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार' चिल्लाने से समस्या हल नहीं होगी। क्या जो अच्छे काम हैं उन को बन्द कर दिया जाय? चकबन्दी में भ्रष्टाचार है, तो क्या चकबन्दी को बन्द कर दिया जाय,? चकबन्दी में जो अच्छाई है उसको एक तरफ रखें और भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार चिल्लाते रहें कि चकबन्दी ने हमें तबाह कर दिया है, तो क्या चकबन्दी बन्द कर दी जाय? यही सदन की राय है? इसलिए चकबन्दी हम बन्द कर दें, यह दलील स्वीकार की नहीं जा सकती। मैं तो निवेदन करता हूं कि चकबन्दी से बहुत बड़ा लाभ हमारी जनता को हुआ है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आवश्यकता अवश्य है कि जिस के पास जमीन है उसी को चकबन्दी से लाभ होगा, जिसके पास जमीन नहीं है उस को उस से क्या लाभ होगा? मैं फिर दोहराता हूं कि चकबन्दी मन्त्री जी जितनी शीघ्र सारे प्रान्त की करा सकें, करा देने की कृपा करें।

अन्न संकट की बात कही गयी है सम्मानित सदस्यों की तरफ से। सही बात है, अन्न संकट है। चकबन्दी अगर शीघ्र से शीघ्र करा दें तो हम को विश्वास है कि अन्न संकट दूर हो जायगा और पैदावार ड्योढ़ी हो जायगी---केवल चकबन्दी हो जाने से ही।

एक बात कमलासिंह जी ने कही कि कोई ऐसा नियम बनाइये जिससे जिनके पास भूमि नहीं है उनको भूमि दी जाय। सरकार ने इस नीति को स्वीकार कर लिया है कि भूमिहीनों को ही इसमें प्राथमिकता दी जायगी, भूमि देनेमें। किन्तु कानून को शायद मा० कमला सिंह जी ने देखा नहीं। उसमें साझेदारी का भी नियम है। जिनके पास भूमि नहीं है, उनको जिन के पास कि अधिक भूमि है वह साझेदारी के रूप में जमीन दे सकते हैं और उन को जो भय रहता है कि उन की जमीन निकल जायगी वह भी भय उन्हें नहीं रहेगा।

दूसरी बात माननीय वर्मा जी ने कही। उन्होंने किसी क्षेत्र के प्रधान का जिक्र किया कि ३०० बीघा जमीन उसने नाजायज तौर से अपने कब्जे में कर ली है और कोई इन्दराज उसका नहीं है। इस समय वह उपस्थित नहीं हैं, लेकिन वह अपने क्षेत्र में विधायक हैं। क्या विधायक का कर्त्तव्य नहीं है कि अगर प्रधान ने ऐसा नाजायज काम किया है तो जिला अधिकारियों का ध्यान उस तरफ ले जावें, और जिलाधीश और हाकिम परगना जब मौके पर पहुंचें, तो उनके समक्ष इन बातों को रक्खें? अगर वह उसका लाभ अनुचित लाभ उठाता है तो उसका उसको रेंट देना होगा।

माननीय त्रिपाठी जी नहीं हैं। वे होते तो मैं उन से निवेदन करता कि संकल्प को वापस ले लेना चाहिये और सोच-विचार करके कोई ऐसा संकल्प ले आयें, ताकि हम लोग जो खुले दिमाग से यहां बैठे हैं, उस पर विचार कर के उनकी सहायता कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्तुत संकल्प का विरोध करता हूं।

श्री श्यामलाल---

अधिष्ठाता महोदय, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने बोलने के लिए हमारा नाम लिया, लेकिन साथ-साथ एक बात और भी कहना चाहता हूं कि अगर हमारे पक्ष की इसी तरह से उपेक्षा हुई और यहां भी हमारे अधिकारों पर डकैती डाली गयी तो मैं हंगामा मचा दूंगा, प्रोसीडिंग्स हम नहीं चलने देंगे।

श्री अधिष्ठाता—

मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहती हूं कि आपके हंगामे के डर से मैंने आपका नाम नहीं पुकारा है।

श्री उग्रसेन—

यही बात यदि आप माननीय अध्यक्ष, मदन मोहन वर्मा, के सामने कहते तो आपको मालूम होता।

श्री श्यामलाल—

मेरा तो प्रोसीडिंग आफिसर को यह आह्वान है, वह कोई हो। मैं यह कहना चाहता हूं कि भूमिहीनों के लिए भूमि देने में अनेकों प्रकार की अनियमिततायें बरती जाती हैं। इस सम्बन्ध में एक आयोग की स्थापना के लिए जो प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अधिष्ठाता महोदय, बड़ा अफसोस है कि भूमिहीनों की समस्या को सुलझाने के लिए भूमिवालों को ही सुझाव देने का मौका दिया जाता है, मुझ जैसे नौजवान और पढ़े लिखे को तो बोलने का अवसर ही नहीं दिया जाता। ८ अप्रैल को जब यह सदन चल रहा था और इस विषय पर बहस हो रही थी तब भी हमें बोलने का टाइम नहीं दिया गया। बहरहाल, अधिष्ठाता महोदय, भूमिहीनों को भूमि दी गयी है, एक आध भूमिहीन को भूमि नहीं दी गयी, इस तरह की अनियमिततायें हैं—ऐसी बात नहीं है कि शतप्रतिशत भूमिहीनों को भूमि नहीं दी गयी है, शायद ही किसी एक आध को दिखाने के लिए मिल गयी हो। इस तरह की अनियमिततायें हैं। ८ अप्रैल को माननीय झारखंडे राय का एक संशोधन ऐजेन्डे में छपा था कि भूमिहीनों को भूमि देते समय अछूतों को प्राथमिकता दी जाय। झारखंडे राय जी, मैं आप को बताना चाहता हूं कि, शतप्रतिशत अछूत भूमिहीन हैं। आप अछूतों को प्राथमिकता देने की बात करते हैं, भूमि मिलना ही उन को चाहिये, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, लाला तो मुश्किल से कोई एक आध भूमिहीन होगा। यह अछूत लोग ही भूमिहीन हैं। मेरे जिले बस्ती से अनेकों ऐप्लिकेशन भूमि देने के लिए दी गयीं, मगर उन को जमीन नहीं मिली। माननीय राजस्व मन्त्री बतायें कि उनको जमीन क्यों नहीं दी गयी ?

अधिष्ठाता महोदय, आप को याद होगा, ६ दिसम्बर, १९५६ को बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। ६ दिसम्बर, सन् १९६४ से रिपब्लिकन पार्टी ने एक देश व्यापी आन्दोलन शुरू किया था जिसमें ढाई तीन लाख सत्याग्रही हुकूमत की जेलों में ठूंस दिये गये थे। उनकी मुख्य-मुख्य मांगों में एक मांग यह भी थी कि पार्लियामेंट के सेन्ट्रल हाल में डा० अम्बेदकर, एम० ए०, एम० एसी-सी०, पी० एच० डी०, डी० एस-सी०, एल० एल० डी०, बार-ऐट ला, की प्रतिमा टांगी जाय। शास्त्री हुकूमत में, १४ अप्रैल, १९६५ को हमारी वह मांग पूरी हुई और उन की प्रतिमा वहां टांगी गयी। उसके लिए वह सरकार धन्यवाद की पात्र है।

श्रीमन्, दूसरी मुख्य मांग हमारी यह थी कि, भूमिहीनों को भूमि दी जाय। इसी प्रश्न को लेकर, सन् १९५३ में, आगरे में, एक महती सार्वजनिक सभा में डाक्टर अम्बेदकर ने कहा था कि मैं डन्डा लेकर आगे-आगे चलूंगा, ऐ कोटि-कोटि भूमिहीन किसानों, तुम मेरे पीछे-पीछे आओ ! अधिष्ठाता महोदय, अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकार छीनने से मिलते हैं। भूमिहीनों के अधिकारों पर ज्यादा दिन तक डकैती डालने की आवश्यकता नहीं है, एक आयोग को स्थापित करने की तुरन्त आवश्यकता है। माननीय पालीवाल जी ने ८ अप्रैल को एक बहुत बारीक बात कह दी कि हमारे जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में, हमारे चकबन्दी ऐक्ट में भूमिहीनों को भूमि देने की व्यवस्था है, उसके लिये आयोग बैठाने की क्या आवश्यकता है ? अरे पालीवाल जी, यह जो आपका कंसालिडेशन ऐक्ट है और जमींदारी एबालिशन ऐक्ट है उसमें भूमिहीनों को भूमि देने की जो बात कही गई है वह सब कोरे कागजों पर है और पंडित जी, आपको बता दूं, अभी-अभी आपने भी इसी तरह की बात कही है कि व्यवस्था है। दें राजस्व मंत्री

[श्री श्यामलाल]

हमें कोई ऐसी लिस्ट कि कितने भूमिहीनों को कहां-कहां भूमि आपने दी है ? जहां जहां सीलिंग से भूमि निकली है, चकबन्दी से निकली है या गांव सभाओं से निकली है, वह भूमि आपने कितने भूमिहीनों को दी है, उसकी लिस्ट दीजिये । जिला बस्ती, थाना मुहली डा० लालगंज, गांव रोवां गोवां, सम्पत, अछूत यह भूमिहीन है । गत १ १/२ सालों से कई एक दरख्वास्तें दीं कि उसके गांव में काफी भूमि छूटी है । अभी तक जिलाधिकारियों ने उसे जमीन नहीं दी और वह परेशान है यह भी मेरा बड़ा कटु अनुभव है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, सीलिंग में बड़े-बड़े जमींदारों या किसानों के यहां जितनी जमीन निकली वह सब फिक्टीशस नाम पर रेकर्ड करवा ली गई । बहुत सी जगहों पर एक इंच भी जमीन इस तरह से नहीं निकली है। चकबन्दी में पंडित जी,आपके जितने ए०सी०ओ०, सी० ओ० और एस० ओ० सी० तथा डाइरेक्टर है वह सब भूखे भेड़िये हैं । वह वही शोषक है जिन लोगों ने भूमिहीनों की हड्डियों तक सदियों से चूसा है । वह ईमानदारी से उनको भूमि नहीं देना चाहते ।

हम आपसे पूछते हैं, पारसाल एक प्रश्न मैंने किया था राजस्व मंत्री से कि बस्ती जिले में ए० सी० ओ० और सी० ओ० कितने हैं और उसमें कितने अछूत हैं ? माननीय माल मंत्री जी, चिल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिये, आपने कहा था कि एक भी उसमें अछूत नहीं है । मालूम है आपको ? यह चूहे को न्याय देने के लिये बिल्ली को आप बैठाते हैं । बिल्ली उनको न्याय देगी ? अरे, अछूतों को बड़े-बड़े पदों पर बैठाइये, ए० सी० ओ०, सी० ओ०, एस० ओ० सी० सेन्ट परसेन्ट इनको बनाइये तब इनको न्याय मिलेगा । यह जो आपका हथकंडा है यह कहने का कि जितने भी अछूत कैंडीडेट्स थे उनमें एक भी योग्य नहीं था, मैं कहता हूं आपके द्वारा माननीय अधिष्ठाता जी, इस हुकूमत को मैं आह्वान करता हूं, आप कहते हैं कोई सुटेबिल कैन्डीडेट नहीं मिला, मैं दावे से कहता हूं कि अछूत बड़ा मेहनती है, मैं भी अछूत वर्ग का हूं, मैंने भी मेहनत करके पढ़ा है, हाई स्कूल फर्स्ट क्लास में पास किया है, एम० ए०, एल० एल०-बी० पास किया है, लेकिन बहुत से इंटरव्यू में मुझे भी रिजेक्ट किया गया, आपके भाई बिरादरी वालों ने मुझे भी रिजेक्ट किया है । मैं कहता हूं अछूत सेंट परसेंट योग्य होते हैं, लेकिन जो स्वाभिमानी अछूत आपकी खुशामद नहीं कर सकते हैं, उनको आप अयोग्य कहकर छांट देते हैं । थोड़ी देर के लिये मैं मान भी लूं कि आपको ए० सी० ओ०, सी० ओ० और एस० ओ० के लिये कोई योग्य मिला नहीं तो इसके लिये इस हुकूमत को चिल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिये । पन्द्रह वर्ष का जमाना गुजर गया और आप एक भी अछूत को योग्य नहीं बना पाये ।

श्री बृजबिहारी—

एक व्यवस्था का प्रश्न मैं उपस्थित करना चाहता हूं । "अछूत" शब्द इल्लीगल है, अनकांस्टीट्यूशनल है । इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता । कोई अछूत अब रहा नहीं । माननीय सदस्य बार-बार "अछूत" शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, यह कहां तक उचित है ?

श्री अधिष्ठाता—

यह शब्द बहुत शोभनीय नहीं है, इतना मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगी ।

श्री उग्रसेन—

मिश्र जी ने जो अंग्रेजी में कहा उसका अर्थ हिन्दी में गैर कानूनी है । मैं जानना चाहूंगा उनसे कि कानूनी किस प्रसंग में है ?

श्री श्यामलाल—

गांधी जी ने 'हरिजन' शब्द दिया था, और उस शब्द से मुझे बड़ी चिढ़ है कि अगर कोई हरिजन है, तो क्या कोई दुर्जन भी है ?

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपा करके विषय पर बोलिये ।

श्री श्यामलाल---

माननीय मिश्रा जी ने कहा कि आयोग का बैठाना अव्यावहारिक है । और पिछली दफा ८ अप्रैल को माननीय बद्री प्रसाद पालीवाल ने भी यही बात कही थी कि खर्चा बढ़ जायगा। कमीशन गांव गांव घूमेगा जो व्यावहारिक नहीं है। मैं उनकी राय से सहमत नहीं हूं । मैं कहता हूं कि सारे सूबे में माल मंत्रालय दो और दो, तीन सिद्ध कर रहा है और हम कहते हैं कि दो और दो चार होते हैं, जिसे सिद्ध करने के लिये आयोग बिठाने की आवश्यकता है । अगर कुछ खर्चा पड़े, सरकार को दूसरे मंत्रालयों से रुपया काटकर लाना पड़े तो भी जायज है । गांव गांव में आयोग को जाना पड़े और खर्चा भी करना पड़े तो भी जायज है । उस कमीशन के सदस्य योग्य व्यक्ति रखे जायं। हाइली पेड हों। भारत का एक ऐसा वर्ग जो शोषित सर्वहारा रहा है, जिसका खून सदियों से चूसा गया है, जिसकी गिनती इंसानों में नहीं होती है, आज वह दुखी है। भूमिहीनों को भूमि दी जा रही है, इस नाम पर उनके साथ अन्याय किया जा रहा है । उनके अधिकार पर डाका डाला जा रहा है और एक इंच भी भूमि नहीं दी जा रही है । ऐसे वर्ग के लिये अगर आयोग की मांग करते हैं, तो क्या बेजा है ? वह आयोग उनके साथ न्याय करे, उनको जमीनें मिलें, ताकि वे भी स्वतंत्र हिन्दुस्तान के नागरिक की तरह से आगे आ सकें। अगर सरकार ऐसा करेगी, तो सदियों तक वह वर्ग आपका गुणगान करेगा । मेरी समझ में नहीं आता कि इस प्रकार का आयोग बैठाने में आपको क्या आपत्ति है और अगर आप ने आयोग नहीं बैठाया तो यह आप जान लीजिये कि जो वातावरण चल रहा है उसमें भूमिहीन, भूमिहीन ही रहेगा । अगर इस तरह के हथकंडे आपने लगाये, और सदियों तक परिगणित जाति का भूमिहीन किसान भूमिहीन ही रह गया, तो याद रखिये कि भारत का इतिहास आपके बारे में स्वर्ण अक्षरों में नहीं लिखेगा । हरिजन वर्ग या पिछड़ा वर्ग आपको गालियां बकेगा तथा सदियों तक भूमिहीन किसान खून के आंसू रोयेगा ।

एक और बड़ी मौलिक चीज है । बस्ती जिले की तहसील बस्ती में चकबन्दी की योजना पूर्ण हुई। वहां १४ अनियमिततायें बर्ती गईं जिनको हमने 'पूर्वी जिला' अखबार में १ फरवरी, १९६४ को छापा था। डेढ़ साल का जमाना गुजर गया, कितने प्रश्न हमने इस पर किये कि श्री बृहस्पति शर्मा एस०ओ० सी० ने १४ अनियमिततायें बर्ती हैं। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि हुकूमत जो दावा करती है कि भूमिहीनों को जमीन दे रहे हैं, वह बिलकुल असत्य है । मैं यह सिद्ध करने के लिये तैयार हूं कि जितने परिगणित जाति के भूमि वाले थे, उनको आपके गुर्गों ने भूमिहीन बना दिया है। उनके पेड़ों व खेतों को ले लिया और उनके घर के आस-पास शर्मा, वर्मा, त्रिपाठी, चतुर्वेदी के चक दिये हैं। उनको काफी परेशान किया गया है। इन अनियमितताओं के खिलाफ अभी तक कार्यवाही नहीं हुई और माननीय माल मंत्री ने एक न एक हथकंडा लगाकर अभी तक जबाव नहीं दिया है। कम से कम मुख्य मंत्री ने इतना तो किया कि उनको जब मैंने एक पत्र लिखा तो उन्होंने कृपा कर उस एस० ओ० सी० को वहीं से ट्रांस्फर कर दिया । इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

*श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

अधिष्ठाता महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया । मैं बहुत देर से इसी प्रतीक्षा में था और खाना खाने भी नहीं गया। मेरे यहां चकबन्दी हो रही है और ए० सी० ओ० आफिस मेरे घर में ही है। जो मैंने देखा है, उसके बारे में मैं आवश्यक समझता हूं कि एक सुझाव मंत्री जी को दे दूं और अगर वह सुझाव मान लिया जाय, तो भविष्य में आने वाले बहुत से झगड़े निपट जायेंगे। जो बंदोबस्त १३७२ फसली में हुआ था, और प्लाट्स का जो मैंजरमेंट हुआ उसी बंदोबस्त पर हुआ, जो १३०२ और १३३२ में हुआ था। और

---

*वक्ता ने भाषाण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सुरेन्द्रविक्रम]

जितने डिस्प्यूट्स प्लाटस के बारे में उठते रहे, वह १३७२ वाले बंदोबस्त के आधार पर उठते रहे। चकबन्दी के बाद बहुत से प्लाट्स बदल जाते हैं .....।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यहां चकबन्दी से बची हुई जमीन भूमिहीनों को दी जाय इस बारे में विचार हो रहा है। चकबन्दी के भ्रष्टाचार का इससे कोई संबंध नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

आप जरा उनके विचार सुनें।

श्री सुरेन्द्रविक्रम—

मैं उस विषय पर आ जाऊंगा। अभी तो मैं जो मेजरमेंट्स हुए हैं, उनकी डिफीकल्टीज बताना चाहता हूं। आजकल चक गाटे के हिसाब से दिये गये जा रहे हैं। इसलिये कहता हूं कि चकबंदी के बाद जब खेतों की शक्ल बदल जाती है, तो उनका बाकायदा खतौनी में और सेटिलमेंट पेपर्स में नाम इन्दराज करा दे ताकि आइंदा झगड़े न हों, नहीं तो गरीब आदमियों का खेत जबरदस्त जोत लेंगे।

माननीय श्याम लाल जी ने कहा कि हरिजनों को जमीन नहीं दी गयी। मैं उनसे कहता हूं कि आप मेरे जिले के रिकर्ड मगाकर देखें। जितनी जमीन सीलिंग के बाद दी गयी वह हरिजनों को ही दी गयी।

श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—

जो आयोग बनेगा, वह आप के यहां की जांच करेगा और तब मालूम होगा कि कितनी जमीन हरिजनों को दी गयी....।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रस्ताव में कहा गया है कि आयोग बनाया जायगा जो गांवों में की जमीन के बारे में जांच करे गौर आपनी रिपोर्ट दे। हमारे प्रदेश में ७२ हजार गांव है। उन ७२ हजार गांवों में आयोग जाकर देखेगा और अपनी रिपोर्ट देगा, तो क्या यह काम २१ वर्षों में भी पूरा हो सकेगा ?

श्री उग्रसेन—

यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा रहा है या भाषण किया जा रहा है ? इनका भाषण किस नियम और कानून के अन्तर्गत हो रहा है ?

श्री अधिष्ठाता —

उग्रसेन जी, आप बैठ जायें, यह बात ठीक नहीं है।

श्री सुरेन्द्रविक्रम—

मेरी समझ में आयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी कोई गलत बात नहीं हो रही है जिसके लिये आयोग की नियुक्ति की जाय। अगर कहीं कोई दिक्कत है और कोई ऐसा केस है जहां गड़बड़ हुई है, तो वह मंत्री जी के सामने रखा जा सकता है, वे उसका प्रबंध करेंगे। जहां हरिजनों को भूमि देने की बात है, उसके बारे में मेरा सुझाव यह है कि हरिजनों के अलावा चेरीटेबिल इंस्टीट्यूशंस, जैसे स्कूल और अस्पतालों के लिये भी ऐसी भूमि दी जाय और भूमि का परमानेन्ट इन्तजाम कर दिया जाय। उससे फसल भी अच्छी होगी, क्योंकि जो हर साल जमीन उठाई जाती है उसमें किसान खाद नहीं डालता। अगर मुस्तकिल सैटिलमेंट कर दिया जायगा

तो वह खाद डालेगा और फसल अच्छी होगी । आयोग की बात बिलकुल बेकार है । जमीन का बटवारा ठीक प्रकार से हो रहा है । यह इतनी बड़ी गवर्नमेंट है कोई बच्चों का खेल नहीं है । इन शब्दों के साथ मैं संकल्प का विरोध करता हूं ।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

अधिष्ठाता महोदय, यह जो संकल्प आज प्रस्तुत है यह पिछले दिनों से चला आ रहा है । लेकिन सरकारी पक्ष की एक आदत-सी पड़ गयी है कि खामख्वाह एक बवाल खड़ा कर देते हैं । कह दिया गया कि प्रस्तावक महोदय नहीं आये हैं इसलिये इस पर विचार स्थगित कर दिया जाय । क्या उनकी अक्ल पर पत्थर पड़ गये थे और वे नहीं जानते थे कि यह संकल्प पहले से चला आ रहा है ?

(इस समय २ बजकर १ मिनट पर, उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुये ।)

उपाध्यक्ष महोदय, यह संकल्प भूमिहीनों को भूमि दिये जाने के बारे में है । मान्यवर, इसमें मांग की गयी है कि एक आयोग नियुक्त किया जाय जो इस बात की जांच करे कि कहां-कहां भूमि गड़बड़ी में चली गयी है और भूमिहीनों को आजतक नहीं मिल सकी है । यह भूमि चार तरह से आयी है । पहले तो कुछ जमींदारी उन्मूलन के कानून से बची, फिर भूदानी नेताओं द्वारा कुछ निकाली गई और तीसरे चकबन्दी से बची और चौथे हदबन्दी से बची । इस तरह से चार तरह से गांवों में जमीन बची । उसकी व्यवस्था करने के लिये सरकार की तरफ से यह उत्तर दिया गया कि भूमि प्रबन्धक समिति बनाई गयी थी, उसका काम था, वह करे या न करे यह उसकी जिम्मेदारी थी । मैं बताना चाहता हूं कि मंत्री जी समझते हुये और जानते हुये भी टालमटोल करते हैं । भूमि प्रबन्धक समिति में उन्हीं महानुभावों का बहुमत था जो वास्तव में जमीन बचाये हैं । पशुओं को बांधने के लिये गांव की अधिक से अधिक भूमि इन लोगों के हाथ में है । जमींदारी टूटने के बाद घोषणा हुई कि जितनी जमीन में बागात लगा दिये जायेंगे वह चकबन्दी में नहीं आ सकेंगी और वह हदबन्दी से भी अलग रखे जायेंगे । इस तरह की व्यवस्था होने के बाद ग्रामों में आबादी के आस-पास जितनी उपजाऊ और कीमती जमीनें थीं उन पर कहीं पर बेरी के पेड़ लगाये गये और कहीं पर दो चार महुये और आम के पेड़ खड़े कर के बागात दिखा दिये गये और उन खेतों में गल्ला पैदा किया जा रहा है । मकानों के नाम पर जमीन छोड़ रखी हैं, दूसरे बागात के नाम पर छोड़ रखी है और उस के बाद यह उत्तर दिया जाता है कि जिनके पास भूमि है उनको ही खेती करने के लिये भरपेट भूमि चाहिये । कुछ तो बाग के नाम पर छूटी रहे और पशु बाड़े के नाम पर बड़े-बड़े मकान बनाकर खड़े कर रखे हैं, कहीं कंडे पाथने के लिये गांव की कीमती जमीन पर कब्जा कर रखा है । स्वतंत्रता से पहले गांवों में आबादी के निशान के तौर पर पत्थर गड़े हुये थे कि इतनी जमीन आबादी में रहेगी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद वह पत्थर गायब हो गये और आज उन जमीनों पर बढ़िया खेती हो रही है । चकबन्दी का मसला जब से चला वह गांव के नाम पर छूटी है । उस आबादी की जमीन पर जो बड़े-बड़े सामन्तवादी विचार के और जमींदार विचारधारा के लोग थे वह खेती करते थे और उन्होंने उस जमीन को जोत रखा था और गल्ला पैदा किया जाता था । आज उस का लाभ सरकार को नहीं मिल रहा है और न गांव समाज को मिल रहा है । अब चकबन्दी के बाद या हदबन्दी के बाद जो जमीन बची है उस पर इन लोगों का कब्जा है और बड़ी-बड़ी कोठियां उस पर खड़ी हैं । इनसे १५--२० साल पहले तक का इस सरकार को लगान वसूल करना चाहिये । इस तरह से सरकार को बहुत आय हो सकती है ।

कुछ सज्जनों ने इस प्रस्ताव की केवल भावना की कद्र की है, वह कर्त्तव्य में नहीं आ सकते । भावना रखें वह अपनी जेब में, मुझे दुख है कि भावना की बात करते अब बहुत दिन बीत गये, अब वह कर्त्तव्य में आयें और त्याग करें । चाहे वह किसी भी दल के हों और जिनके पास फार्म के नाम पोते, नाना, परदादा के नाम पर जमीनें हैं, वह उनसे छीनी जाय । जो कायस्थ, शर्मा,

[श्री नाथूराम शिक्षक]

चतुर्वेदी, वर्मा हैं, हाथ से खेती नहीं कर सकते हैं उनके हाथोंमें जमीनें नहीं रहनी चाहिये ।मैं माननीय माल मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि कानून की पाबन्दी करनी चाहिये । जो अपने हाथ से हल जोतने, खुरपी चलाने में अपनी बेइज्जती समझते हैं उनसे वह जमीन लेने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये । उन्हें स्वयं भी अपनी जमीनें छोड़ देनी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ जमीन मकान के नाम पर हो गयी और कुछ बाग के नाम पर और कुछ खेती के नाम पर हो गयी । शेष जमीन चूंकि १० प्रतिशत से कम हो गयी इसलिये वह भूमिहीनों को नहीं दी जायगी । इससे काम चलने वाला नहीं है । आज १७ साल हो गये हैं फिर भी यह सरकार भूमिहीनों की समस्या को हल नहीं कर सकी है । कानून साफ बने हुये हैं, उन पर अगर ये अमल करते तो आज कल्याण हो गया होता । मैं अपने क्षेत्र की बात आपके सामने रखना चाहता हूं वहां पर एक आनरेरी मैजिस्ट्रेट है । वे ४२ गांवों के जमींदार थे, अंग्रेजी जमाने में । जिन जिन गांवों में उनकी जमींदारी थी, वहां के गलियारे, रास्ते, तालाब पहाड़ की जमीनें, जहां पर पहाड़ होने के नाते कुछ पैदा नहीं होता, उसके लिये भी बताया गया और लिखा गया कि वहां पर ज्वार बाजरा होता है सब पर अपना कब्जा जमाये हुये थे ।

श्री उग्रसेन--

वे किस जाति के मैजिस्ट्रेट साहब हैं ?

श्री नाथूराम शिक्षक--

वे विसेन खानदान के हैं । मान्यवर, मेरे गांव में एक अल्वारी नाम की झील है । सन् १९६२ के पहले भी और उसके बाद भी कई बार माननीय मंत्री जी से जो प्रश्न किये गये उनके जवाब में बताया कि वहां पर धान पैदा होता है । हजारों बीघे जमीन जो बेकार पड़ी हुयी है गरीबों को दी जा सकती है । पर एक स्वभाव-सा हो गया है कि जिन लोगों के हाथ में भूमि है, वे नहीं देना चाहते हैं । मान्यवर, बहुत से ऐसे लोग हैं जो शहरों में रह रहे हैं । लम्बी नौकरियां मार रहे हैं, कोठियां भी बनवा ली हैं पर फिर भी गांवों की जमीनें फंसा रखी हैं । मेरी यह राय है कि जो लोग शहरों में रहते हैं उनकी वह भूमि, जो गांव में हैं, उनसे लेकर भूमिहीनों को दी जानी चाहिये ।

मान्यवर, अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भावनाओं में ही नहीं, कर्त्तव्यों में भी माननीय सदस्यों को शामिल होना चाहिये । मेरा खयाल है कि जो भावनाओं से सहमत हैं, उन्हीं के पास ज्यादा जमीनें हैं । अगर उनमें त्याग की कुछ भावनायें हैं तो मैं प्रार्थना करूंगा कि जितनी जमीन उनके पास अधिक मात्रा में है उसे भूमिहीनों को दिया जाय । तहसील मंझनपुर जो मेरे चुनाव क्षेत्र में है वहां एक औनरेरी मैजिस्ट्रेट साहब हैं। हदबन्दी में जो जमीन उनके पास से निकली वह जमीन उन्होंने अपने बाल-बच्चों के नाम कर दी । आज भूमि केवल उस भूमिहीनों को दी जाती है जो गुलामी करते हैं । किसी ऐसे भूमिहीनों को नहीं दी जाती जो किसी के पक्ष में नहीं हैं । उनको भूमि नहीं दी गयी है ।

मैं फिर माल मंत्री जी से मांग करता हूं कि वह आयोग अवश्य नियुक्त करें और नहीं करते हैं तो उसके पहले अपना कर्त्तव्य पालन करके दिखला दें। तब मैं मान जाऊंगा कि आयोग की नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री मूलचन्द शास्त्री (जिला मेरठ)--

उपाध्यक्ष महोदय, आज एक ऐसा प्रस्ताव सदन के सामने उपस्थित है जो देखने में बड़ा सुन्दर मालूम होता है, लेकिन मैं समझता हूं कि उसमें विशेष तत्व नहीं है । जिन बातों की तरफ इस प्रस्ताव में सदन का ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न किया गया है मैं ऐसा महसूस करता हूं कि गवर्नमेंट पहले से उस तरफ प्रयत्नशील है और खाली प्रयत्नशील नहीं है बल्कि उस विषय काफी कार्य कर चुकी है ।

दो, तीन बातें बतलाई गई हैं जिनसे भूमि अधिक निकल सकती है। एक अधिकतम जोत कानून के अन्तर्गत, दूसरे आचार्य विनोबा भावे की भूदान यज्ञ के अन्तर्गत जो भूमि प्राप्त हो, तीसरे चकबन्दी के अन्दर जो भूमि बच जाय। जहां तक चकबन्दी का संबंध है, यह आशा क्यों की जाती है कि चकबन्दी से अधिक से अधिक जमीन निकल सके और यह प्रयत्न किया जाय कि वह और लोगों को जोतने के लिए दे दी जाय। मुझे पूर्व के गांवों का तर्जुबा नहीं है, लेकिन मेरठ तथा आस-पास की कमिश्नरी में शायद हर गांव में दो, तीन किसान ऐसे निकल सकते हैं जिनके हिस्से में २५ एकड़ से ज्यादा जमीन आती होगी अन्यथा प्रत्येक गांव में इससे कम जोत के ही किसान हैं। जब इतनी कम जमीन है तो यह प्रश्न उठता ही नहीं कि चकबन्दी में इतनी जमीन छोड़ी जाय कि जो किसान खेती कर रहेहैं उनसे लेकर किसी और को दे दी जाय। मैं जहां तक समझता हूं अभिप्राय इतना ही है कि केवल उतनी जमीन गांव सभा के मातहत छोड़नी चाहिए जिससे वहां पर बनने वाले स्कूलों का काम चल सके और चक रोड्स बन सकें तथा हरिजन भाइयों को जिनको बसाने के लिए जमीन नहीं है उन्हें बसाया जा सके। अब इन अभिप्रायों के अतिरिक्त चकबन्दी से इतनी जमीन निकाल ली जाय कि औरों की भी जमीन खेती के लिए दे दी जाय यह मुझे सम्भव नहीं लगता है न उचित ही है।

जहां तक भूमिहीनों को जमीन देने का संबंध है, जिन लोगों ने स्वाध्याय किया है उनको यह ज्ञात होना चाहिए कि एक मजदूर अथवा किसान को खेती में ४ घंटे काम करके जितना पैसा मिल सकता है उतना उसको इंडस्ट्रीज में १ घन्टा काम करके मिल जायगा। कहने का अभिप्राय यह है कि खेती में परिश्रम ज्यादा करना पड़ता है। आप यह भी देखें कि इंग्लैंड में ५ फीसदी काश्तकार रहते हैं, अमेरिका में ३५ फीसदी, और मुल्कों में भी किसानों को तादाद कम है, लेकिन हमारे देश में करीब ७५, ७६ फीसदी काश्तकार रहते हैं। अंग्रेजों के आने से पहले यहां भी ४०–४२ फीसदी काश्ताकारों की संख्या थी। अंग्रेजों ने यहां आने पर सबसे पहले यही प्रयत्न किया कि यहां पप काश्तकारों की संख्या ज्यादा हो जाय और दूसरे काम धन्धे करने वालों की तादाद कम हो जाय। आज जब अपनी सरकार बनी हुई है तो उसका सबसे पहला कर्त्तव्य होना चाहिए कि जमीन से किसी तरह से बोझ कम किया जाय ताकि जो मैन पावर बचे उसका दूसरे कामों में सदुपयोग कर सकें। इसलिए इस तरह के प्रस्ताव या दूसरी तरह की जो ऐसी बातें आती हैं वे मेरी निजी राय में देखने में तो जरूर अच्छी लगती है लेकिन आम पब्लिक को यानी किसान मजदूर को अधिक उपयोगी होती हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है।

एक बात और है, अगर १०/२० बीघे जमीन आप किसी को दे दें तो यह बात जरूर है कि उसके बीबी बच्चे सब उसमें लगे रहेंगे। उसका अंदाजा नहीं लगाया जाता है कि कितनी मेहनत वे उसमें करते हैं। उसमें इतना काम होता है कि जितने आदमी उसके घर में हैं वे सब उसमें फंसे रहते हैं। कोई खुदाई कर रहा है, कोई घास ला रहा है, यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि उसके सारे घर के आदमी उसी में लगे रहेंगे। लेकिन अगर असलियत देखी जाय और उनकी मजदूरी जोड़ी जाय तो उनको कुछ भी नहीं मिलता है।

एक बात और है। इसमें लोगों की अलग-अलग रायें हो सकती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि छोटी जोतों में ज्यादा पैदावार हो सकती है और इसके लिए जापान की मिसाल दी जाती है कि वहां बहुत छोटी-छोटी जोतें हैं और पैदावार बहुत ज्यादा होती है। मैं समझता हूं कि कोई सीमा होनी चाहिए। अगर विरोधी दल के माननीय सदस्य यह महसूस करते हों कि किसानों की हालत अच्छी हो तो कम से कम एक किसान के पास जब तक २० एकड़ जमीन नहीं होगी तब तक किसान खुशहाली के साथ खेती नहीं कर सकता है। मेरी राय में यह गलतफहमी होगी कि थोड़ी थोड़ी जमीन देकर लोगों को फंसा दिया जाय जिससे वे न इधर के रहें न और न उधर के रहें। अगर उनको आराम के साथ रखना है तो कम से कम २० एकड़ जमीन हर एक किसान के पास होना चाहिए और जब तक इतनी जमीन नहीं होगी तब तक किसान खुशहाल नहीं हो सकता है।

[श्री मूलचन्द शास्त्री]

आज ट्रैक्टर की बात की जाती है, ट्यूबवैल की बात की जाती है और दूसरे ऐसे ही अन्य साधनों की बात की जाती है, लेकिन छोटा किसान इनसे फायदा नहीं उठा सकता है। उसके पास इनको खरीदने के लिए गुंजाइश भी नहीं है। हमको ऐसी बात सोचनी चाहिए जिससे भूमिहीन किसान, मजदूर और दूसरे अन्य लोगों को ऐसा काम दिया जा सके जिससें वे भी मनुष्यता के साथ अपना समय व्यतीत कर सकें और खेती के ऊपर से ज्यादा से ज्यादा आदमियों को हटाने की कोशिश करें ताकि दूसरे उद्योग धन्धे जो हमारे यहां बढ़ रहे हैं, उनमें लोग लग सकें।

एक बात कही गई कि मजदूरी बहुत कम मिलती है। लेकिन हालत यह है कि गांवों में खेतों पर काम करने वाले के लिये मजदूर बहुत कम मिलते हैं। पता नहीं, यह कैसे कह दिया जाता है कि दस बारह आने में मजदूर मिल जाता है। यहां मिल जाता होगा, लेकिन हमारे यहां सो ढाई रुपये रोज से कम पर मजदूर नहीं मिलते हैं और वह भी खुशामद के साथ तैयार होता है। वह कहता है कि आप आये हैं इसलिये चला चलता हूं। इस तरह से उल्टे वह हमारे ऊपर अहसान भी करता है। इधर भले ही कोई अजीब परिस्थिति हो। उधर जितनी परती जमीन पड़ी थी वह सब बेकार थी। लोगों ने उसको ले लिया और जितना पैसा पास था उसको उन्होंने ट्यूबवेल और ट्रैक्टर वगैरह में लगा दिया और अब वे कोशिश में हैं कि कोई उनकी जमीन खरीद ले तो बहुत अच्छा है।

इसलिये मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय नेता विरोधी दल और विरोधी दल के अन्य सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यह जो प्रस्ताव रखा गया है उसमें यह सोचें कि सचमुच इससे भूमिहीन तथा अन्य लोगों को कुछ लाभ भी होगा या नहीं? आजकल हिन्दुस्तान में नये उद्योग धंधे लग रहे हैं, इसलिये भूमिहीन लोग वहां रोजगार ढूंढ़कर सफेद कपड़ों में रहे, उसकी बीबी और बच्चे ठीक से रहें और उसके बच्चे स्कूलों में पढ़ सकें या इसके स्थान पर हम लोग यह चाहेंगे कि थोड़ी-थोड़ी जमीन में उन लोगों को फंसा दें जिससे वे वहीं खेती में उलझे रहें और उनके बीबी बच्चे अच्छे कपड़े न पहन सकें, उनके बच्चे स्कूल न जा सकें। फिर भी लोगों की शिकायत होगी कि गांव में गरीबी है और उसको कैसे दूर किया जाय। इन शब्दों के साथ में निवेदन करूंगा कि विरोधी सदस्य अच्छी तरह से सोच समझ लें कि इस प्रस्ताव के द्वारा किसी को लाभ होने वाला है या नहीं? और यदि कोई लाभ होने वाला नहीं है तो वे इसको वापस ले लें और कोई अच्छा प्रस्ताव लायें।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री झारखण्डेराय को बोलने दीजिये।

*श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मेरा ख्याल है कि भूमि सुधार के मामले में कांग्रेस सरकार बिलकुल पिछड़ गयी है और भूमि सुधार जो भी हुआ है वह अधकचरे और भोंडे तरीके से किया गया। चाहिये यह था कि जिस समय हमारे प्रदेश में जमींदारी प्रथा तोड़ी गयी, उस समय हदबंदी कानून भी लागू किया जाता और हदबन्दी के बाद जो जमीन बचती उसको वाजिब तरीके से भूमिहीनों में गरीब किसानों में बांटा जाता और उसके साथ साथ चकबन्दी भी लागू की जाती ताकि पूरा भूमि सुधार का काम एक साथ, एक ही समय में समाप्त होता। यही आदर्श था और इसी स्टैन्डर्ड से जब मैं इसे देखता हूं तो मैं कहता हूं कि सारे काम अधूरे और अधकचरे तरीके से किये गये हैं। मान्यवर, हदबन्दी की भावना का पहले कांग्रेस सरकार भी मजाक उड़ाया करती थी और इसी सदन में जब भी हमारी ओर से इस बात की चर्चा की गयी, तो मुझे याद है, चरणसिंह जी ने इस चीज का मजाक उड़ाया। वह समझते थे उनका चकबन्दी कानून ही भूमि सुधार का अन्तिम और क्रान्तिकारी कदम है। भूमि सम्बन्धी सारे मर्जों की दवा वह

*वक्ता ने भाषण का पुर्वीक्षण नहीं किया।

चकबन्दी को समझे बैठे थे और समझते थे कि उससे सारी बातें पूरी हो जायेंगी। लेकिन दस साल तक खेती की पैदावार वांछित रूप से न पूरी होने पर, कांग्रेस ने अपने अबाड़ी अधिवेशन में स्वीकार किया कि हदबन्दी किये बिना और हदबन्दी से बची भूमि को भूमिहीनों में बांटे बिना भूमि सुधार नहीं हो सकता है। उसने यहां इस भावना को पूरी तरह से माना कि 'लैण्ड विथ दि टिलर' और इसे कार्य रूप में लाने के लिये उसने निश्चय किया। उसने इस चीज को स्वीकार किया कि बिना हदबन्दी किये हमारे देश और प्रदेश में अनाज की पैदावार नहीं बढ़ सकती है और हमारा परमुखापक्षी होना और आत्मनिर्भरता का काम सदैव इसके बिना अधूरा रहेगा। इसलिये कांग्रेस पार्टी ने इसे स्वीकार किया कि हदबन्दी कानून लागू किया जाये और हम सबने उसका स्वागत किया। हमें आशा थी, देर आये लेकिन दुरुस्त आये, १० साल बाद इस निश्चय पर आये, लेकिन सही रास्ते पर आये तो! किन्तु मुझे अफसोस है कि उसमें यह भी आदेश था कि १९५९ के अन्त तक, यानी दिसम्बर तक, हिन्दुस्तान के हर सूबे में यह कानून लागू हो जाये। लेकिन अब तक वह कानून बहुत से सूबों में तो शायद शुरू ही नहीं हुआ और बहुत से सूबों में अब तक उसके ऐक्ट नहीं बन पाये, जहां तक मुझे मालूम है। हमारे सूबे में ऐक्ट तो जरूर बना, लेकिन फिर भी उससे अपेक्षित लाभ नहीं हुआ। क्योंकि इसमें यह आशा थी कि हमें १५ लाख एकड़ भूमि इस कानून से मिलेगी जो भूमिहीनों को दे दी जायगी। इसके पूरे आंकड़े तो मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है एक लाख एकड़ से कतई अधिक भूमि अभी नहीं मिली है। मैं उम्मीद करता हूं माननीय मंत्री जी जब इसका जवाब देने के लिये खड़े होंगे तो इस बात पर अवश्य रोशनी डालने का प्रयास करेंगे कि कितनी भूमि अब तक प्राप्त हुई है, कितनी भूमि प्राप्त होने की आशा है, और कितनी भूमि कितने परिवारों में बंटी है। मैं यह चाहूंगा कि वह इस चीज का सम्यक् ज्ञान अवश्य करायेंगे। फिर भी यह तो निश्चित है कि जो आशा थी उसके अनुसार जमीन कतई नहीं मिली है। मान्यवर, इस माने में मैं समझता हूं यू० पी० हदबन्दी कानून बिलकुल एक डकोसला अथवा ढोंग सिद्ध हुआ है। इससे वह लाभ कतई नहीं हुआ जो इससे आशा की जाती थी और जो सरकार का दावा था। इसका एक कारण यह भी है कि इस कानून में कुछ झरोखे कानून की पकड़ से बाहर निकल भागने के लिये छोड़ दिये गये। जिससे निकलने का प्रयास बड़े बड़े भू-स्वामियों ने किया और वे अपने प्रयास में सफल भी रहे और उनके पास बड़ी-बड़ी भूमि रहते हुये भी हदबन्दी के लिये सरकार को जमीन नहीं मिली। यह उस कानून की गलती थी जिससे कि आज भी बड़े बड़े भू-स्वामी बड़ी-बड़ी जमीनों के मालिक बने हुये हैं।

जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है, इसका विरोध किसी प्रकार नहीं हो सकता। मंत्री जी भी स्वीकार करेंगे कि अनियमिततायें हुई हैं, वह यह भी स्वीकार करेंगे कि गांवों में जो परती जमीनें हैं कानून से भूमिहीनों को और विशेषकर हरिजनों को क्योंकि, हरिजन ही ज्यादातर भूमिहीन हैं उनको नहीं मिली। जो जमीन है वह बड़े लोग या अच्छे खेतिहर हैं और गांवों में हावी हैं उनके नाम हैं। कागज पर जमीन है, लेकिन मौके पर जमीन गायब है। इसका अनुभव इस सदन के हर एक माननीय सदस्य को है, जिसका सम्बन्ध गांवों से है, ऐसी जमीन को निकालें उनसे वापस ले लें और उचित पात्रों को दे दें यह सरकार का पहला कर्तव्य था, लेकिन सरकार ने उसका पालन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में किसी कमेटी या किसी आयोग की स्थापना की मांग का होना कोई गलत मांग नहीं है। हम सब जानते हैं कि किसानों को कितनी जमीन की भूख है, यह भूख कितनी बढ़ी हुई है इसका अन्दाजा इसी बात से हो सकता है कि बहुत लोगों के पास बहुत थोड़ी-थोड़ी जमीन है और कम लोगों के पास बहुत जमीन है, यह विषमता है। जमींदारी टूटने के बाद चकबन्दी के बाद किसान की भूख जमीन के लिये इतनी बढ़ी है जिसका अनुभव सबको होगा। देहातों में आप सभी ने देखा होगा और माननीय मंत्री जी का सम्बन्ध तो गांवों से बहुत है, वह जानते हैं कि किसान कितना भूखा आज जमीन के लिये है। जितने खोरे, जितने रास्ते थे जिन पर दो दो, तीन तीन बैलगाड़ियां जा सकती थीं आज वह खुदते खुदते ऐसी हैं कि एक एक्के के जाने के लिये रास्ता नहीं है। इसका कारण यह है कि गांव सभा या जो

[श्री झारखण्डे राय]

ब्लाक कमेटियां हैं उनके पास कोई एक्जीक्यूटिव पावर नहीं है, प्रशासनिक शक्ति नहीं है जिसकी वजह से वह कोई कंट्रोल लागू कर नहीं सकते और किसान हर साल इस तरह से कब्जा करते चले जाते हैं और जितने खोरे, दगड़े, गड़ही, पोखर हैं सब पर वे कब्जा करते जा रहे हैं। दो चार वर्षों में गाय-भैंसों को चरने के लिये भी जगह नहीं रह जायगी। ऐसी स्थिति में इस बात की बहुत जरूरत है कि पूरी चीजों की जांच पड़ताल हो और सारे रास्तों को ठीक से नक्शे के मुताबिक बनाने के लिये जिन जमीनों पर लोगों ने कब्जा कर लिया है उनसे वापस ले कर, उचित पात्रों को दिलाने के लिये कोई आयोग कायम किया जाय। हमारे प्रदेश में बहुत से गलत आदमियों को जमीनें दे दी गयी हैं। लखीमपुर में, खुद मंत्री जी के बहराइच जिले में, पीलीभीत में, नैनी ताल में जो जमीनें भूमिहीनों के नाम पर दी गयी हैं उनमें से सचमुच ९० प्रतिशत जमीनें ऐसी हैं जो भूमिहीनों को कतई नहीं दी गयी हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन--

बहराइच में कतई ऐसा नहीं हुआ है।

श्री झारखण्डेराय--

बहुत शुक्रिया। मैंने वहां नहीं देखा, अन्दाज से कह रहा था, लेकिन लखीमपुर में मैंने अपनी आंखों से देखा है। पीलीभीत में भी नैनीताल तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि वहां पर तो मेरे दो लड़के हैं, उनको भूमिहीन मैंने बना दिया है। मेरे नाम जमीन है, लेकिन मेरे भाई हैं उनको भूमिहीन दिखला कर उनके नाम जमीन दिलवा दी गयी है। इस तरह से नाजायज कब्जा कर लिया गया है। इससे होगा यह कि हजारों नहीं लाखों परिवारों को जमीन मिलेगी और आप उनसे छीन कर वास्तविक लोगों को जमीन देंगे और दसियों लाख लोगों की रोजी चलेगी, बेकार से लोग बाकार होंगे। इसीलिये मैं कहता हूं कि इस प्रस्ताव का कतई विरोध नहीं होना चाहिये, सरकार की ओर से और मंत्री जी की ओर से इसका समर्थन होना चाहिये। नाम कुछ भी रखिये, चाहे शब्द बदल दीजिये, लेकिन भाव ऐसा है और होगा कि एक कमेटी स्थापित की जाय जो पूरे मामले की जांच पड़ताल करके आज जो जमीन बचती है और उनसे निकलती है उसका पूरा इस्तेमाल भूमिहीन लोगों को देने में किया जाय।

मान्यवर, इस बात को हमको पूरी तरह से याद रखना चाहिये कि अगर हिन्दुस्तान में भूमि की समस्या का सम्यक् निराकरण नहीं किया गया तो न तो यहां की पैदावार बढ़ेगी और न २,४०० करोड़ टन गल्ला जो अब तक बाहर से मंगाया गया है उससे छुट्टी मिलेगी। हर साल १५० करोड़ १४० करोड़ या १२५ करोड़ टन मंगाया जाता है। इससे कभी छुट्टी हमको नहीं मिलेगी और न दूसरे राष्ट्रों के सामने जो हमारे अपमान की बात होती है उससे हमारी मुक्ति होगी और न हमारा देश कभी अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। हमारा वह स्वप्न एक कोरा स्वप्न ही बनकर रह जायगा। जो बड़े बड़े फार्म के जोतने वाले हैं और जो वास्तव में कागज पर हैं या नहीं उनके खाने पीने और रहने भर के लिये जमीन छोड़ कर बाकी जमीन उनसे ली जाय और उसको भूमिहीन लोगो को बांटा जाय। हमारे प्रदेश में ऐसी बहुत जमीन है जिसको मशीनों के जरिये से तोड़ा गया है। ऐसी जमीन लखीमपुर और बहराइच में तोड़ी गई है। ऐसी जमीन भी तोड़ कर खेती के लायक बनाकर गरीब को बांटी जाय ताकि मुल्क की पैदावार बढ़े और बे रोजगारी दूर हो। इससे बहुत से परिवारों की गुजर बसर हो सकती है। साथ ही साथ ऐसी जमीन भी जो हल बैल के बस की नहीं है, जिसमें घास फूस होता है, उसके लिये मेरा सुझाव है कि उसको खेती के लायक बनाया जा सकता है और सरकार उस पर अपने फार्म बना सकती है। जैसा कृषि फार्म नैनीताल में बना हुआ है उसी तरह के बड़े बड़े फार्म १०,१५ हजार एकड़ के सरकार बनाये। एक फार्म सूरजगढ़ में ३० हजार एकड़ का बना हुआ है और उसी के पास एक दूसरा और कृषि फार्म बन रहा है। वह फार्म भी सोवियत सरकार की देख रेख में बन रहा है। उन्होंने हमारी सरकार को यह आफर किया है कि अगर हमारी सरकार राजी हो तो हिन्दुस्तान के हर सूबे में एक माडल फार्म २५-३० एकड़ का वह बनाना चाहते

हैं ताकि सूबे में वह एक नमूना कायम कर सकें और उससे सरकारी भंडार भी स्थापित हो सके और इमरजेन्सी में उसको काम में लाया जा सके। तो ऐसी जमीन जो हल बैल के बस की नहीं है उन पर सरकार खुद कृषि कराये और मशीन के बल पर उनको कृषि योग्य बनाये। यदि ऐसा किया जाय तो यह काम हमारे यहां की खाद्य समस्या को हल करने में सहायक हो सकता है इसलिये जो कायदे कानून हमारे यहां के हैं उनमें बहुत तब्दीली करने की आवश्यकता पड़ेगी।

यह हम सबको अनुभव है कि जमीन पर मौके पर कोई काबिज है और कागज पर किसी दूसरे का कब्जा है। यह धांधली बहुत बड़े पैमाने पर चल रही है। मन्त्री जी जानते हैं कि जब किसी जिले में चकबन्दी लागू होती है तब वहां पर कागज दुरुस्ती का अभियान शुरू होता है। उस समय कर्मचारियों के लिये मौत हो जाती है और उसको ठीक कराने में रुपया, पैसा और श्रम का बहुत अपव्यय करना पड़ता है। बेहद परेशानी होती है। इसलिये इसको ठीक करने के लिये कानून में तब्दीली करने की आवश्यकता है। इस तरीके से हमारे देश और प्रदेश की जो भूमि की समस्या है उसको हम हल करें। हमारे देश में अगर यह खाद्य की बुनियादी समस्या हल हो जाय और सफल हो जाय, तो इससे देश की दशा सुधरेगी और उसका असर हमारे उद्योग धंधों पर भी पड़ेगा और हमारे उद्योग धन्धे भी पनपेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि चाहे कोई कमीशन हो या कमेटी हो, मंत्री जी जरूर बिठायेंगे ताकि सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास हो। उससे हम आगे बढ़ सकेंगे और हमारे देश का बहुत लाभ होगा।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अब वादविवाद समाप्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रक्षपाल सिंह (जिला फतेहपुर)--

श्रीमन्, यह एक महत्वपूर्ण संकल्प सरकार का ध्यान.....

श्री कमलासिंह यादव--

क्या सरकार अपने विचार इस पर नहीं देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

अगर क्लोजर मूव न करते तो गवर्नमेंट को मौका मिलता।

श्री रक्षपालसिंह--

श्रीमन्, यह संकल्प सरकार का ध्यान दिलाने के लिये लाया गया था एक विशेष समस्या की ओर। और मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस संबंध में अपने विचार व्यक्त किये। सभी ने इस प्रस्ताव को मूलभूत बातों का आदर किया है कि भूमि हरिजनों को मिलना चाहिये और गड़बड़ियों की जांच होनी चाहिये। उसमें भूदान की जमीन जोड़ने के लिये जो संशोधन है उसको मैं फिर से बल देता हूं। भूदान की बहुत सी भूमि पड़ी हुई है और यह हरिजनों के लिये ही ली गयी थी। इस संशोधन के साथ संकल्प को प्रेस करते हुये मैं प्रार्थना करता हूं कि यह संकल्प पारित किया जाय।

श्री माताप्रसाद--

मैंने जो अपना संशोधन रखा था उसके द्वारा मैंने यह मांग की थी कि जो इस संकल्प की मंशा है वह सही हो सकती है, लेकिन जिस रूप में यह प्रस्ताव रखा गया है वह ठीक नहीं है। अंत में मैं यह मांग करता हूं कि माननीय मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था निकालें कि जिससे जो भूमि वाले भूमिहीन बन कर भूमि ले लेते हैं उसको रोका जाय। जो सचमुच भूमिहीन हैं जमीन उनको मिल सके, इसकी उचित व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं संकल्प के बारे में बोलूं अथवा संशोधन के ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप जवाब दीजिये पूरी डिबेट का ।

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

माननीय उपाध्यक्ष थी, मैंने जिस मंशा से यह संकल्प प्रस्तुत किया था, उसमें मैंने समझा था कि जो इसकी भावना है उसका आदर सरकारी पक्ष से होगा । मैं यह भी समझता था कि हमारे माननीय माल मंत्री जी अगर यह समझेंगे कि मैं ठीक शब्द इस संकल्प में नहीं रख सका हूं, लेकिन अभिप्राय मेरा पवित्र था, जनहित में था, भूमिहीन के भले के लिये था, हरिजनों और गरीबों के लिये था, तो उसमें हो कोई न कोई संशोधन पेश करेंगे । कम से कम उस भावना का आदर करेंगे जैसा कि भानुप्रताप जी ने, झारखंडे राय जी, तथा दूसरे माननीय सदस्यों ने किया है । लेकिन मुझे दुख हुआ जब उनकी तरफ से एक शब्द भी इस संबंध में नहीं आया । जो संकल्प आया है वह सब के हित में है । अगर वह कहते कि इसमें अमुक संशोधन कर दिया जाय तो मुझे मान्य होगा, तो भी ठीक था, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ उनका हाल देख कर । वह प्रारम्भ से ही कहते रहे कि जमींदारी विनाश भूमिहीनों के हित में हमने किया, सीलिंग इसलिये की कि उससे जो जमीन मिलेगी वह उनको दी जायगी । आपने यह भी कहा कि हमने चकबन्दी करायी ताकि उसमें भूमि एकत्रित हो जाय और जो भूमि बचे वह हरिजनों तथा गरीबों को मिल जाय । इससे साबित होता है कि चूंकि आपको यह संकल्प उचित नहीं दिखायी देता इसलिये वह आपका वास्तविक रूप में मंतव्य नहीं था । जैसा झारखंडे राय जी ने कहा, हर जगह आपने एक झरोखा छोड़ दिया है जिसमें से कूद कर निकल जाने के लिये रास्ता है । हम खेतिहर परिवारों के हैं, हमारी पैतृक संपत्ति खेती ही है, उसी पर हम पले हैं, उसी से हमारा संबंध है, इसलिये हम उनकी कठिनाइयों को जानते हैं । एक वह अनुभव है और दूसरे वकील होने के नाते हमने और हमारे दल ने इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यह संकल्प सदन के सामने रखा था । जो मैं कह चुका हूं उसे दोहराना नहीं चाहता, केवल कुछ बातों का जवाब देना चाहता हूं । सरकार का यह मतलब कि उत्पादन अधिक बढ़े और भूमिहीनों को भूमि मिले, खप्त हो जाता है अगर हमारा यह संकल्प नहीं माना जाता । सरकार का यह कहना भी बिल्कुल साबित हो जाता है कि वह बहुत मुनासिब भूमि का वितरण चाहती है, चाहे वह भूमि गांव समाज से निकली हो, चाहे सीलिंग ऐक्ट से सरकार में निहित हुई हो, चाहे कांसोलिडेशन ऐक्ट से भूमि बची हो या भूदान ऐक्ट से जमीन मिली हो । सारी जमीन जहां भी थी उसका उचित वितरण हो, यह सरकार कहती है । इसके लिये और कुछ न कह कर मैं सरकार की बुद्धि ही को कोसूंगा कि वह आज तक के अनुभव से कुछ लाभ नहीं उठा सकी है ।

श्रीमन्, माननीय टम्बेश्वर प्रसाद तथा अन्य जो इस संकल्प की सूचना में हस्ताक्षर करने वाले माननीय सदस्य थे उनके सुपुर्द करके मैं अपने कुछ व्यक्तिगत काम से बाहर चला गया था । उस समय बड़ा एतराज यह किया गया और यह आक्षेप लगाया गया कि कदाचित् उन्होंने संकल्प को पढ़ा नहीं है । दूसरी बात यह कही गयी कि ७२ हजार गांव सभायें हैं । यह मेरी समझ में नहीं आया । हो सकता है कि ७२ हजार गांव सभाओं का नाम लेकर सरकार इस संकल्प को ठुकरा देना चाहती हो । श्रीमन्, इसमें तो यह कहा गया कि एक आयोग की स्थापना की जाय । आयोग के लिये यह आवश्यक तो है नहीं कि वह हर गांव सभा के पास जाय । आयोग का तो एक पैराफर ने लिया होता है, उसका एक स्टाफ होता है, और वह रेकार्ड मंगाता है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गांव सभा के बारे में मैं एक मिसाल दे दूं। गांव सभा में एक रजिस्टर मेन्टेन होता है जिसमें गांव सभा की सम्पत्ति लिखी जाती है और एक दूसरा रजिस्टर होता है जिसमें गांव सभा की सम्पत्ति अगर किसी को दी जाती है तो उसमें यह लिखा जाता है कि किसको वह सम्पत्ति दी गयी और उसके देने में क्या विधि अपनायी गयी है। अगर इन दोनों रजिस्टरों का ही निरीक्षण करा लिया जाय तो साफ प्रमाणित हो जायगा कि सारी भमि दूसरों को किस गलत और अनियमित तरीके से मिली है और भूमिहीनों को नहीं मिली है। इससे साबित हो जायगा कि वास्तबिकता क्या है। यह कहना कि कमीशन हर गांव सभा के करीब जायगा और उसमें ७२ हजार दिन लग जायंगे, यह कितनी विडम्बना की और हास्यास्पद बात है, इसको आप सोचें। कमीशन के पास तो नाना प्रकार के साधन होते हैं जिनके जरिये वह इनफारमेशन मंगा सकता है, लेकिन आप चाहते नहीं है कि आयोग किसानों तक पहुंचे और उस संबंध में कोई कदम उठावे। सीलिंग ऐक्ट पास होने के बाद जो जमीन गांव समाज में आयी है उसमें कितने आप लोग और मिश्र शामिल हैं जिन्होंने सीलिंग ऐक्ट के अन्दर भूमि दबा ली है? सीलिंग ऐक्ट से जो भूमि निकली उस सारी भूमि पर सरकार कब्जा नहीं ले पायी, यह मैं अपने जिले की सूचना के आधार पर कहता हूं। वह उन्हीं जमींदारों के पास है। वह समझते हैं कि कल निकल जायगी, अभी तक लिया नहीं है, १९६१ से जबसे ऐक्ट पास हुआ तबसे ४ वर्ष हो गये, तो वह खाद भी नहीं छोड़ते। साथ ही लैंडलेस को मिलती नहीं है। भानुप्रताप जी ने कहा कि ऐसे भी इंस्टेंस हैं कि वही जमीन एक को दे दी गई और जब दूसरे ने दरख्वास्त दी तो उन्हें भी दे दिया। दोनों अदालत में लड़ रहे हैं। वह कहते हैं हमारा अधिकार है, ये कहते हैं हमारा अधिकार है। इसमें इतनी अनियमितताएं आ चुकी हैं कि या तो वकील जान सकता है या स्थान पर रहकर जो देखता है वह जान सकता है। इसीलिये मैं कहता था कि आखिर आप ही बताइये कि कौन सी विधि हो। आप आश्वासन दे देते कि हम कमेटी मुकर्रर करेंगे, कोई आफिसर मुकर्रर करेंगे, उसकी रिपोर्ट आयेगी, तब भी संतोष होता, लेकिन आपकी नीयत कोई कदम उठाने की नहीं है।

गांव सभा के बारे में मैंने कहा कि यह बिलकुल गलत बात है। भानुप्रताप जी ने कहा कि १६ लाख एकड़ जमीन गांव सभा के पास मौजूद है। मैं भी एक गांव सभा के बारे में उदाहरण दे दूं। स्थिति यह है कि जमीन मौके पर पड़ी हुई है, किसी के नाम की नहीं गयी। कोई व्यक्ति 'ए' है। उसने अपना नाम लिखाना शुरू किया। वह अन्दाजता है कि ६ वर्ष के बाद पक्का राइट हो जायगा। वह ऐज ट्रेस्पासर उस पर दखल करता है। दावा कौन करें? गांव सभा करेगी नहीं। प्रधान जाकर उनसे मिल गया है, सरकार को बतायेगा नहीं। वकील को ज्ञात नहीं और स्वयं को अधिकार नहीं कि अपनी तरफ से दावा करे। ६ वर्ष बीत गये और वह जमीन उस ट्रेस्पासर के पास आ गयी। वह तो साढ़े बारह एकड़ वाली पाबन्दी के अन्दर भी नहीं आता कि उससे अधिक नहीं होनी चाहिये। वह तो उसने अक्वायर की नहीं। वह तो कहता है कि जमाने से जोतता आ रहा हूं। तो साढ़े बारह के बजाय साढ़े चौदह एकड़ हो सकती है, उसे कोई ला रोक नहीं सकता। इस तरह से भूमि का दुरुपयोग हो रहा है। अक्सर गांव सभा-पति या तो स्वयं उसको ले लेता है या अपने भाई-भतीजों को दे देता है या अधिक रुपया ले ले कर दे देता है और गरीब लोग छटपटाते रह जाते हैं। मैंने दो मुकदमे लड़े और कामयाब नहीं हुआ क्योंकि वह करते यह हैं कि ४ पैसे देकर कहलवा दिया कि डुग्गी पिटवा दी थी, कोई भूमि लेने वाला नहीं आया। न तो आपके नियमों में यह है कि भूमि भूमिहीनों को ही दी जाय, या उनसे लिखा लिया जाय कि हम इसको नहीं लेंगे तब दूसरों को दी जाय। खाली कुछ पढ़े-लिखे लोगों के हाथ में और बड़े लोगों के हाथ में सत्ता चले जाने से भूमि उन्हीं के हाथ में रह जाय, यही आपकी मंशा है। इसीलिये मैंने कहा था कि एक आयोग की स्थापना हो।

माननीय झारखंडेराय जी और भानुप्रताप जी ने कहा कि बहुत-सी जमीनों को बड़े-बड़े लोगों को दे दिया गया। उस समय माल मंत्री ने कहा कि बहराइच में ऐसा नहीं हुआ। बहराइच को छोड़िये, बहराइच की ही बात नहीं है, वहां नहीं तो पीलीभीत और नैनीताल में तो हुआ।

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

और बहराइच में भी बड़े आदमियों ने लेलिया है, यह मैं उनके सामने कह रहा हूं, मुझे मालूम है। तो जो यह कहते हैं कि भूमि का वितरण भूमिहीनों को किया गया, यह सर्वथा गलत है। तो यह उनके मन में भ्रम है, उनका मंशा नहीं है कि भूमिहीनों को भूमि मिले। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने यह संकल्प रखा था। संकल्प रखने का तो यही मतलब है कि आप इस भावना को समझें और उसका आदर करें और आप स्वयं अपनी तरफ से घोषणा करें कि आप कोई ऐसा आयोग या स्पेशल अथारिटी नियुक्त करने जा रहे हैं जो जांच करेगी। आपका कहना कि इसमें ७२,००० दिन लगेंगे, यह बिलकुल गलत है। अगर डिस्ट्रिक्टवाइज स्ट्रिक्ट आर्डर्स जांय तो जांच द्वारा पता चल सकता है कि कितनी अनियमितताएं हुईं और कितनी भूमि ऐसी है कि जो गैर-मुनासिब लोगों के हाथ में है, लैंडलेस के हाथ में नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं अपने संकल्प का पुनः समर्थन करता हूं और माननीय रक्षपाल जी ने जो संशोधन किया है, उससे मुझे कोई एतराज नहीं है। वह बहुत अच्छा है। मुझे कुछ शब्द भूल गये थे, वह उन्होंने रख दिये, यह बहुत उपयुक्त ही हुआ है।

*श्री हुकुमसिंह विसेन--

जिस संशोधन के ऊपर हमारे भाई त्रिपाठी जी ने अभी व्याख्यान दिया और जिसको उन्होंने प्रस्तुत किया, उस पर दो रोज से विवाद हुआ। वह बहुत अच्छा है। आई थैंक यू वेरी मच। हमने बहुत से मित्रों की बातें सुनीं। जितनी तकलीफ हमको आज हुई है, उतनी कभी नहीं हुई। (व्यवधान) अब आप खामोश रहिये। जितनी तकलीफ मुझे आज हुई उतनी कभी नहीं हुई, यह सही है। यहां कहा गया कि रेवेन्यू मिनिस्टर को चुल्लूभर पानी में डूब मरना चाहिये। इस तरह की बहस का जवाब हम क्या दें? फिर तुलसीदास जी याद आते हैं। खैर, मैं तो इन सब बातों का अपने स्तर से ही उत्तर दूंगा। हमारे बहुत से साथियों ने कहा कि मैं इसकी भावनाओं का तो समर्थन करता हूं मगर प्रस्ताव का समर्थन नहीं करता। अगर मौजूदा प्रस्ताव मौजूदा शक्ल में पास हो जाय तो कितनी दिक्कतें इससे पैदा हो जायेंगी, यह भी आपने सोचा? कहीं चकबन्दी की बात कही गयी, कहीं सीलिंग की बात कही गयी, कहीं कुछ कहा गया। पहले विधेयक तो इसी सदन ने पास किया था। अगर हम गलती कर सकते थे, तो आप तो सुधारते। सदन में बिल पेश करने का मतलब यह होता है कि उसको बेहतर से बेहतर बनाया जाय। अगर उसमें कोई गलती थी तो उस समय आपको सुझाव देने चाहिये थे। अब जब वह बिल आपने पास कर दिया हम क्या कर सकते हैं? माननीय भानुप्रतापसिंह जो भी उस समय थे, वे शायद उप नेता थे अपनी पार्टी के। उस वक्त अगर कोई गलती थी तो उनको सुझाव देना चाहिये था। उस वक्त आपने यह पास किया कि जो जमीन फाजिल हो वह भूमिहीनों को दी जाय। जब वह पास हुआ था तब आप (श्री झारखंडे राय से) भी थे। आपने क्यों उसको पास किया? हमारी उसमें क्या गलती थी? माननीय माधवप्रसाद त्रिपाठी की मैं बहुत इज्जत करता हूं, उनकी बुद्धिमानी की मैं बहुत दाद देता हूं, लेकिन उन्होंने भी उस वक्त एक लफ्ज नहीं कहा। मुझे तो हिन्दी में उतना कमान्ड है नहीं जितना कि उनको है जैसी कि सुन्दर भाषा में लम्बी चौड़ी उन्होंने तकरीर की, मैं उस भाषा में नहीं कर सकता। मैं नहीं समझता कि ७२ हजार गांव हैं, यह आयोग किस तरह अपना काम करेगा। कहा गया कि गांव सभा के कागजात मंगा कर पता लगाया जा सकेगा, यह असम्भव है। एक रजिस्टर के खाली देख लेने से ही जानकारी नहीं हो सकती। डिटेल में जाने की जरूरत होगी। जिनको तजुर्बा महज लेक्चर देने का है वे जो चाहे कह दें, जबान उनके पास है, उस पर कोई नियन्त्रण तो है नहीं, मगर मैं ऐसी बात नहीं कह सकता। अभी पे कमेटी बैठी, उसकी रिपोर्ट नहीं आ पायी, जो जरा-सा मामला था, फिर यह तो सारे सूबे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का इतना बड़ा मामला है । (व्यवधान) मैं अपनी बात कहूंगा । मुझे आपसे ज्यादा तजुर्बा है । मैं ने सारी जिन्दगी इसी मैदान में गंवायी है । सख्त से सख्त बात मैं सुनता रहता हूं । मुझे कहने दीजिये । कानून बने हुए हैं, उसी के मुताबिक काम होता है । कुछ लोग कहीं गड़बड़ी भी करते हैं । आपकी (विरोधी पक्ष) ही तरफ के सज्जन हैं । मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, वह रहने वाले दूसरी जगह के थे, और उन्होंने इटावा में अपने लड़कों के नाम से जमीन ले रखी थी । जब मुझे पता चला तो मैंने उनसे कहा कि तुमने यह गलत तरीके से जमीन क्यों ले रखी है । फिर उनकी समझ में आया । वे यहां बहुत सवाल भी करते थे, लेकिन उस दिन से उन्होंने सवाल करना बन्द कर दिया । मैंने उसे हाउस में नहीं कहा, मैं नाम लेना लेना पसन्द नहीं करता । तो जब आप जैसे लोग गड़बड़ी करें, तो मैं क्या कर सकता हूं ? जब तक आप सबका सहयोग नहीं मिलेगा मैं अकेले यहां बैठकर सारा काम कर लूं, यह असम्भव है । मैं इस बात का दावा नहीं कर सकता । खाली हमको गाली देने से चाहें कि काम हो जाय तो वह नहीं हो सकता । यह कह दिया जाय कि हम तो भूमिहीनों के खिलाफ हैं । जी हां, खिलाफ हैं । सारी जिन्दगी इन्हीं भूमिहीनों की सेवा के लिये गंवायी और कल से आप पैदा हुए तो कहने लगे कि भूमिहीनों के खिलाफ हैं (व्यवधान) .....

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

आप ही से सीख रहे हैं, रास्ता आपका गलत है ।

श्री हुकुमसिंह विसेन--

अब ऐसे लड़के पैदा हो रहे हैं कि जो आप का रास्ता गलत बताते हैं तो क्या कहा जाय ? अपने मित्र से मैं आशा करता था, पहले भी मैंने इनका व्याख्यान सुना, तब तो खामोशी अख्तियार की । दोबारा जब बोलने के लिये खड़े हुए तो मैं समझता था कि वह हमको कुछ बतायेंगे कि कितना इसमें खर्च होगा, क्या इसका कांस्टीट्यूशन होगा, क्या टर्म्स आफ रेफरेंस होंगे, मगर इस सब पर वह खामोश रहे । गवर्नमेंट कोई ऐसा काम मंजूर नहीं कर सकती जिसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन को पहले देख न ले । हम अन्धेरे में बैठकर यहां मंजूर कर लें और फाइनेंस डिपार्टमेंट बाद में मंजूर न करे, तो खर्चे का क्या होगा ? जिन शब्दों में आपका प्रस्ताव है उससे हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने जो जरा भी दिमाग रखते हैं, असहमति प्रकट की है । हां, चालाकी से यह कह कर कि उसकी भावना ठीक है, काम चलाया । माननीय कमला सिंह जी ने भी भावना कहा, भानुप्रताप सिंह ने भी भावना कहा और झारखंडे राय जी ने भी भावना ही कहा । तो हम कहां जायेंगे ? हम तो उसी भावना में बह जायेंगे । तो इस तरह से अन्धकार में कोई प्रस्ताव लाकर शब्दों के जाल में कोई बिच्छू बैठा दीजिये तो मैं उसे कभी स्वीकार नहीं करूंगा ।

बहुत सी बातें कही गईं । चकबन्दी की बात कही गई । माननीय झारखंडे राय जी बड़े योग्य आदमी हैं, वह हमारे दोस्त भी हैं, हमसे खुश भी हैं और हम भीउनसे खुश हैं । उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट बड़े बड़े फार्म्स खोले । वह खाद्य समस्या पर बहस करने लगे । संकल्प पर कहते जो कुछ कहना होता जनरलाइज कर देने से तो काम नहीं चलेगा । मैं कहता हूं कि कहीं-कहीं गड़बड़ हो भी सकती है । आप उसको हमारी नोटिस में लाते तो हम उस पर ऐक्शन लेते । या फिर हमारे ऐक्ट में तरीके दिये हैं कि अगर कोई ऐसी इल्लीगल सबलेटिंग हो जाय तो एस० डी० ओ० को दरख्वास्त दी जाय, वह आथोराइज्ड है, उसे कैंसिल कर देगा । फिर नया एलाटमेंट हो जायगा । अब प्रधान जो हमारे हैं, वह सब हमारे ही साथी हैं । वह भी चुने हुए हैं, हम भी चुने हुए हैं । उसमें कुछ ब्लैक शीप भी हैं । लेकिन उसमें हमारे मैनेजरसिंह जैसे खास आदमी भी हैं । तो होल क्लास को हम कैसे कंडेम कर दें (व्यवधान) मैनेजरसिंह ऐज प्रधान बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन एम० एल० ए० गड़बड़ हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि जिनको हम पकड़ पाते हैं छोड़ते नहीं हैं ।

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

एक प्रधान हमारे यहां थे। मैंने देखा कि बड़ा अच्छा गेहूं लगा हुआ था। उधर से निकले, पूछा, तो मालूम हुआ कि प्रधान की खेती है। मैंने तहसीलदार से कहा कि देखो, गांव सभा की जमीन तो नहीं जोते हैं। देखा तो वही निकला। तो हमने उसे कुर्क कराया और उनको सस्पेंड किया। वह हमारे पास मिलने के लिये आये। तो हमने कहाकि हम तुमसे नहीं मिलेंगे, तुम्हारी बदनीयती है। तो कोई भी हो, जब हम पकड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, चाहे उग्रसेन जी ही मिल जायेंगे तो उनको भी हम छोड़ेंगे नहीं। (व्यवधान)

त्रिपाठी जी ने कहा कि मैं कुछ एलान कर दूं। मैं कहता हूं इस जगह पर आप बैठिये तो एक लफ्ज न बोल पाइयेगा, एलान करना तो दूर रहा। जब ज्यादा जिम्मेदारी होती है तो ज्यादा जिम्मेदारी से आदमी बात करता है। हमारा एक लब्ज पकड़ लिया जाय कि आपने यह कहा था और फिर माननीय उग्रसेन से बचेगा थोड़े ही वह लब्ज। तो मैं ऐसा एलान नहीं करता हूं। लेकिन जो हमारे इमकान में है, हम भरसक अपने कानूनों की पाबन्दी करने की कोशिश करेंगे और जहां-जहां अनियमितताएं हुई हैं और वह हमारी नोटिस में आयेंगी तो हम जरूर ऐक्शन लेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प को मंजूर नहीं करता हूं।

श्री उग्रसेन---

जो फर्जी भूमिहीन बन गये हैं, सरदार मजीठिया और जोगेन्द्र सिंह, उनकी जमीनों पर सरकार कब्जा करे।

श्री हुकुमसिंह विसेन---

जोगेन्द्र सिंह की दो हजार एकड़ जमीन निकलती है, लेकिन उन्होंने रिट दाखिल की है, तो हम क्या करें ?

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)---

बहुत से लोगों ने जमीन अपने सगे संबंधियों को दे दी है, उनके खिलाफ आपने कहा कि एस० डी० ओ० को दरख्वास्त दी जाय, अगर कोई गरीब आदमी है, जिसके पास मुकदमेबाजी के लिये पैसा नहीं है, वह अगर एस० डी० ओ० को न देकर आपको दरख्वास्त पूरे सबूत के साथ दे, तब फिर एस० डी० ओ० की जरूरत न रहे, इस बारे में कोई आप कार्यवाही करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

जब सरप्लस लैण्ड डिक्लेयर हो जायगी, उसके बाद अगर कोई खरीदेगा, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। और अगर पहले खरीदे तो देखा जाता है। लेकिन डिक्लेयर होने के बाद कोई राइट ट्रान्सफर का नहीं रहता। फिर भी अगर खरीदेगा, तो खतरा उठाएगा।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं पहले संकल्प रखता हूं। अगर वह गिर गया तो सब संशोधन स्वतः गिर जायेंगे।

प्रश्न यह है कि "इस सदन का यह निश्चित मत है कि अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६१ एवं चकबन्दी से बची तथा ग्राम सभा की भूमि को भूमिहीनों के नाम पर वितरण करने में बरती गई अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की जांच के लिये सरकार एक आयोग की अविलम्ब स्थापना कर ऐसी व्यवस्था करे जिससे कि बची भूमि भूमिहीनों को ही मिले एवं जो भूमि अनधिकृत रूप से वितरित की जा चुकी है, उसे वापस लेकर पुनः भूमिहीनों में ही वितरित किया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

मालगुजारी का एक निश्चित प्रतिशत ग्राम सभाओं को देने के संबंध में संकल्प (जारी)

*श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से संकल्प उपस्थित करता हूं कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि सरकार अविलम्ब यह व्यवस्था करे जिससे कि जिस ग्राम से जितनी मालगुजारी वसूलकी जाय उसका एक निश्चित प्रतिशत ग्राम सभा के विकास कार्यों के लिये उक्त ग्राम सभा को दे दिया जाय ।

यह प्रस्ताव इसलिये लाया गया है कि हमारी राय है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये । हमारी पांच इकाइयों में से सबसे पहली और आवश्यक इकाई ग्रामसभा मानी गई है । उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है । कुयें, स्कूल, नाली, सड़कें, तथा अन्य बहुत सी चीजें ऐसी खराब है कि जिससे वहां की दशा देखी नहीं जाती है । हर गांव सभा में हजारों रुपये वसूल किये जाते है, लेकिन ग्राम सभा को कुछ नहीं दिया जाता । हमारी मांग है कि जो वसूली का काम है वह ग्राम सभा को दिया जाय और वसूली का दस या पच्चीस प्रतिशत तक उनको दिया जाय जिससे उनकी स्थिति अच्छी हो सके और वह आत्मनिर्भर बन सकें । इसलिये मैंने यह प्रस्ताव पेश किया है और चाहूंगा कि सदन इसको स्वीकार करे ।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि संकल्प की दूसरी पंक्ति से 'अविलम्ब यह' निकाल दिया जाय और उसकी जगह पर निम्न को रख दिया जाय--

"प्रदेश के हर जिले के कुछ ग्रामों में प्रयोग के ढंग पर ऐसी"

अब इसका रूप इस प्रकार हो जायगा कि "इस सदन का यह निश्चित मत है कि सरकार प्रदेश के हर जिले के कुछ ग्रामों में प्रयोग के ढंग पर ऐसी व्यवस्था करे जिससे कि जिस ग्राम से जितनी मालगुजारी वसूल की जाय, उसका एक निश्चित प्रतिशत ग्राम सभा के विकास कार्यों के लिए उक्त ग्राम सभा को दे दिया जाय ।" मैं यह संशोधन इसलिये रख रहा हूं कि इस संकल्प से पूर्व जो वादविवाद हुआ है उसका सारांश यह था कि गांव सभाओं को जो अधिकार मिला हुआ है, उसका वह दुरुपयोग कर रही हैं । सबसे बड़ा अधिकार उन्हें यह मिला हुआ है कि गांव सभाओं में जो जमीन है, उसे वह भूमिहीन या जरूरतमन्द लोगों को दें । परन्तु, श्रीमन्, अभी सभी माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि गांव सभाओं ने इस अधिकार का दुरुपयोग किया है और वास्तव में जिन लोगों को जमीन मिलनी चाहिये थी, उन्हें नहीं दी गई है । इसके लिए उधर से माननीय सदस्यों ने यह राय जाहिर की कि एक कमीशन की नियुक्ति की जाय जो सभी गांवों में जाकर के देखे और जो गड़बड़ियां हैं, उन्हें ठीक करने की व्यवस्था करे । अगर इस संकल्प के द्वारा गांव सभाओं को लगान वसूली का अधिकार दे दिया जाय और उसका एक अंश वह ले लें, तो मेरी राय में बहुत गड़बड़ी होगी । कारण यह है कि इस समय गांव सभाओं में बहुत ज्यादा दलबन्दी चल रही है । अगर कहीं पर कोई गांव सभा अच्छा काम करती है तो दूसरी पार्टी के लोग उसकी मुखालिफत करते हैं और अच्छे काम में मदद नहीं करते हैं । अब यदि लगान की वसूली गांव सभाओं के द्वारा होने लगेगी, तो दूसरी पार्टी तरह-तरह की बाधाएं डालेगी और राजस्व की वसूली में बड़ी दिक्कतें पैदा होंगी । इस समय नियम यह है कि अगर सम्मिलित कई खातेदार हैं तो सरकार किसी एक खातेदार से पूरे खाते का लगान वसूल कर सकती है । अब यदि इस नियम का प्रयोग गांव सभाओं ने किया तो गांव सभाओं में पार्टीबन्दी का उग्र रूप हमारे सामने आयेगा । जो लोग सत्तारूढ़ पार्टी के होंगे, उनसे लगान नहीं लिया जायगा और विरोधियों से जबरदस्ती पूरे खाते का लगान वसूल किया जायगा तथा तरह-तरह से उनको परेशान किया जायगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री माताप्रसाद]

दूसरी चीज यह भी है कि गांव सभाओं को जो अनुदान दिया जाता है सामुदायिक विकास खंड के द्वारा गांव के हित के लिये, वह उसका भी दुरुपयोग कर रही हैं। इससे स्पष्ट है कि जो अधिकार उनको मिला हुआ है, उसका भी वह उपयोग नहीं करती हैं। कहने का मतलब है कि बहुत से मामलों में अदालती पंचायतें जो बनी हुई हैं, गांव सभाओं से संबंधित उनमें झूठे मुकदमे चलवाये जाते हैं और पंच लोग झूठे फैसले देते हैं। मैं आपको बताऊं हमारे जिले में पंचायतों का जब पिछला चुनाव हो रहा था, उस समय कुछ लोगों ने ऐसे लोगों के खिलाफ जिनसे उन्हें डर था कि यदि वह खड़े होंगे तो हार जायेंगे, इसलिये जब पर्चा दाखिल करने का समय आया, उसके दो, तीन रोज पहले, दूसरी गांव सभा की अदालत पंचायत से, जहां पर उनके रिश्तेदार सरपंच थे, उनसे मिल करके ३७९ का मुकदमा कुछ समय पहले चलवा करके फैसला लिखवा लिया कि यह आदमी फलां जुर्म में दोषी था। एक मुकदमा अदालत पंचायत में ऐसा आया कि एक आदमी एक दूकान से नमक लेकर भागा जा रहा था, अदालत पंचायत ने उसको और ५ रुपये दिला दिये। इस प्रकार से बहुत से मुकदमे अदालत पंचायतों के द्वारा फैसल किये जाते हैं। ऐसे लोगों को गांव सभाओं में आ जाने के कारण गांवों का विकास ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। जो भी चीज तय होगी वह गांव सभाओं की बैठक में ही तय होगी। सभी लोग जानते है कि गांव सभा की बैठक शायद ही कभी होती हो। फर्जी बैठकें हो जाती है। प्रधान बैठक के बारे में लिख कर सबसे दस्तखत करा लेता है। यही चीज लगान की वसूली में होगी। अमुक आदमी को अमीन रखा, अमुक को चपरासी रखा, ऐसा लिख-लिख कर सब लोग अपने अपने आदमियों को नौकरी दे देंगे। इससे गांवों में और भी अधिक झगड़े बढ़ जायेंगे।

अगर सरकार चाहती ही है कि लगान पंचायतों द्वारा ही वसूल किया जाय तो एक से सब गांव सभाओं को अधिकार न दिये जायं। जिन गांव सभाओं का चुनाव निर्विरोध हो, जहां के प्रधान निर्विरोध चुने जायं, उन पंचायतों को यह अधिकार दे दिया जाय। एक दो साल प्रयोग करके देख लिया जाय। अगर वे सरकारी लगान की ठीक प्रकार से वसूली कर लेते हैं, तब आगे को देखा जाय। अब रही प्रतिशत देने की बात। इसका भी गांव सभायें बहुत दुरुपयोग कर सकती हैं। आज ही देखिये गांव सभाओं की प्रापर्टी का कितना दुरुपयोग हो रहा है। अभी पिछले संकल्प पर विचार करते समय सभी माननीय सदस्यों ने इस बात को बताया

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)---

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। ये सामने दो माननीय सदस्य आराम कर रहे हैं, यह क्या बात है? उनको श्रीमन् लाबी में भेज दें।

श्री माताप्रसाद---

इसलिये मैं इस बात का विरोध करता हूं कि सभी गांव सभाओं को यह अधिकार दे दिया जाय। अभी तक जो अधिकार उनको दे दिये गये हैं, वे उन्हीं का दुरुपयोग कर रही हैं। गांव सभा की संपत्ति के लिये पहले से ही तय हो जाता है, रुपया ले लिया जाता है, बाद को फर्जी नीलाम कर दिया जाता है और बहुत थोड़ा-सा रुपया गांव समाज के फंड में जमा किया जाता है। इसलिये मालगुजारी की वसूली से जो उनको अंश मिलेगा उसका भी वे दुरुपयोग करेंगे। अगर आप करना ही चाहते हैं तो पहले कुछ ही गांव सभाओं को यह अधिकार दें। अगर वे सुचारुरूप से काम चलायें तो उनको और भी अधिकार दिये जा सकते हैं।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस संकल्प की दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त 'निश्चित' शब्द के स्थान पर "२५" रख दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

आप का तो कोई संशोधन नहीं है, इस तरह से ओरल आप नहीं रख सकते । आप भाषण दें । आपने इस संशोधन का नोटिस नहीं दिया, अब यह नहीं जोड़ा जा सकता ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)-

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि यह संकल्प बिलकुल अस्पष्ट है और इसमें कोई स्पष्ट सुझाव नहीं है कि इतने प्रतिशत गांव सभाओं को दिया जाय । इसी को स्पष्ट करने के लिए शायद वह यह संशोधन लाये हैं, लेकिन यह समय से नहीं आया इसलिये आप कृपा करके इस संकल्प को खारिज कर दें और इस पर विचार न होने दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

वह प्रतिशत निश्चित करने की बात सरकार पर ही छोड़ना चाहते हैं, इसलिये इसमें कोई बेगनेस नहीं है ।

श्री लखीसिंह--

मुझे यह बोलने नहीं देंगे . . .

श्री उपाध्यक्ष--

आप को कौन रोक सकता है, आप बोलें ।

श्री लखीसिंह--

यह चीज विशेषकर हमारी पार्टी के लिये कोई नयी चीज नहीं है । मुख्य मंत्री जी हमारी साक्षी होंगे । समाजवादी पार्टी ने इसकी सन् १९४८ से ही चर्चा की है कि हर गांव की मालगुजारी का एक चौथाई भाग गांव पंचायत को दिया जाय । हमारी पार्टी के नाम में संयुक्त तो अब लग गया है आप को दबाने के लिये, आप काबू में तो आते नहीं, कांग्रेस काबू में नहीं आयेगी, हमारे नेता सूझ बूझ के हैं उन्होंने संयुक्त जोड़ दिया, अब दरवाजा खुला है सब आ सकते हैं तो अब यह संयुक्त क्यों रखा है यह भी बता दूं । हमारा दल देश में सबसे कठ-मुल्ला था, कट्टर था । कुल ५ मेम्बर आते थे और दल बड़े हो जाते थे इसलिये अब हमने संयुक्त दल बना लिया । हमारे नेताओं ने इस पर विचार किया और उनके दिमाग से यही चीज निकली कि इसका नाम अब संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी रख दो . . . . ।

एक सदस्य--

माननीय सदस्य किस विषय पर बोल रहे है ?

श्री लखीसिंह--

जो मुझसे पूछा उसका मैं उत्तर देने लग गया था । अब विषय पर आता हूं । हमारे यहां ७७ हजार गांव पंचायतें है और उनमें सरकार निष्पक्षता से जांच करावे कि पंचायतों में विकास की ओर प्रगति की जो रुकावट है और जो यह गांव पंचायतें पिछड़ रही हैं, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है । अधिकार दो खम्भों पर टंगा हुआ है । दिल्ली वाले खम्बे पर और एक लखनऊ वाले खम्बे पर । जब तक पंचायतों के अधिकार टंगे हुए होंगे तो ये गांव पंचायतें कभी पनप नहीं सकती है और जब तक गांव पंचायतें नहीं पनपतीं तब तक गांव का उद्धार नहीं हो सकता है । गांवों में विकास नहीं हो सकता है । उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं इस सरकार को बता देना चाहता हूं कि गांव पंचायतों के अधिकार को हड़पना इस सरकार की मौत है । श्रीमन्, यह सरकार अपनी मौत को निमंत्रण दे रही है । जितने गांव पंचायतों के अधिकारों को यह सरकार समाप्त कर रही है उतने उतने जल्दी ही इस सरकार के काल के दिन आ रहे हैं । मैं यह नहीं कहता कि कोई गोली से मारा जाय । मैं उस सिद्धान्त का आदमी नहीं हूं लेकिन जिस

[श्री लखीसिंह]

गांव की पंचायतों के अधिकार को ये दबाना चाहते है वे वोट की तलवार से इस सरकार को मार देगी। आज गांव पंचायत का एक-एक नागरिक समझ रहा है कि हमारी मालगुजारी को पूरी वसूल करके ले जाते हैं दिल्ली और लखनऊ में और वहां पर ये गुलछर्रे उड़ाते हैं। अभी छुट्टी के दिन मैं यहां पर गोमती की तरफ घूमने के लिये चला गया। बेगम हजरत महल पार्क के पास वाले पार्क में एक सारी दुनिया का नकशा बनाया जा रहा है। यह नकशा बहुत बड़ा गोल आकार का है। सारा सीमेंट इसमें हड़म किया जा रहा है। गांव पंचायत को तो १/४ देते हैं पर जिन नक्शों की जरूरत भी नहीं हैउनके लिये लखनऊ और दिल्ली में सारे विश्व के नक्शे बनाये जा रहे हैं। इस प्रकार से सारा सीमेंट खर्च हो जाय तो फिर सरकार कैसे कहती है कि सीमेंट की कमी है ?

यह प्रस्ताव कोई नया प्रस्ताव नहीं है। समाजवादी पार्टी तो पहले से ही इस बात को कह रही है कि चौखम्भा राज तभी बन सकता है जब हर गांव में पंचायतों को पूरे अधिकार दिये जायेंगे। सिर्फ गांव की मालगुजारी में से ही नहीं बल्कि मैं तो यह कहता हूं कि बजट के १/४ हिस्से को जब तक गांव पंचायतों को नहीं दिया जायगा तब तक कभी भी गांवों का कल्याण नहीं हो सकता है। बहुत ही सोच समझ कर यह प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रस्ताव का इसलिये मैं तहेदिल से समर्थन करता हूं। यही नहीं, आज इस समय विकास मंत्री जी बैठे हैं, उप-मंत्री भी बैठे हैं। वे दोनों गांव पंचायतों के भाग्य विधाता हैं। वे जानते है कि विकास खंडों के लिये बहुत थोड़ा रुपया जाता है, पर बी० डी० ओ० भगवान उन्हें नहीं बनवाते हैं। मेरे ही विकास खंड, छाता में इतना रुपया है पर दुर्भाग्य है कि कुल मिलाकर गांवों के लिये २० वां हिस्सा मालगुजारी का मिलता होगा। छोटी-छोटी गलियों में खरंजें लगाने के लिये, गांव में सिंचाई के लिये कुवां बनवाने के लिये रुपया दिया जाता है लेकिन बी० डी० ओ० सीमेंट के एक बोरे पर ५ रुपये ले लेते है। यह मैं छाता के बी० डी० ओ० के मुताल्लिक कह रहा हूं। मैंने मंत्री जी को लिख कर भी भेजा और शायद उन्होंने उसे बी० डी० ओ० को वापस भेज दिया होगा। इधर से सुझाव दिया जाता है तो मंत्री जी कहते है कि विरोधी दल के लोग ऐसे ही कहा करते हैं। लेकिन ६७ तक इनको पता चल जायगा। हम लोग कल्याणकारी और सही सुझाव देते है, लेकिन आप नहीं मानेंगे जैसे दुर्योधन तथा रावण ने नहीं माना। जिन्ना ने माना हो तो आप भी मानें, कंस ने माना हो तो आप भी मानें ? जिन्ना ने नहीं माना। इसी देश का आदमी था। बापू जी ने बहुत कहा पाकिस्तान मत बनाओ, अखंड भारत रखो, लेकिन खंड खंड कर दिये। महज गवर्नर-जनरल बनने के लिये लाखों आदमियों का खून करवा दिया और आज कबर में सो रहा है और वह पाकिस्तान हमारे लिये एक सर दर्द बन गया है, रात दिन नींद नहीं आती। जिस जनतंत्र में विरोधी दल नहीं होगा वह जनतंत्र जिन्दा नहीं रह सकता। अगर जनतंत्र को जिन्दा रखना चाहते हो तो मालगुजारी में से १/४ हिस्सा गांव पंचायतों को दिया जाय तभी ग्रामों का उद्धार हो सकेगा, विकास हो सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं।

*श्री कृष्णानन्द राय--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जितने संकल्प विरोधी दल की ओर से प्रस्तुत किये गये हैं यदि उनको गंभीरतापूर्वक पढ़ा जाय तो उनके पीछे जो मसकद है, संकल्प उनके विपरीत आये हैं। आप देखें, इसमें यह दिया गया है कि "जितनी मालगुजारी एक गांव सभा में वसूल होती है उसका कुछ प्रतिशत गांव के विकास के लिये दिया जाय।" श्रीमन्, इससे माननीय सदस्यों का ध्येय यही है कि गांव सभाओं में या गांवों में जो विकास कार्य हैं उनके लिए उनकी वार्षिक स्थिति को और मजबूत किया जाय जिससे विकास कार्य तेजी के साथ हो सकें। लेकिन यदि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाय तो वस्तु स्थिति यह निकलेगी कि आज जो विकास कार्य हो रहे हैं वे भी समाप्त हो जायंगे। मैं विरोधी दलों के माननीय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

साथियों से यह कहना चाहता हूं कि आज जो बजट के विकास कार्यों पर रुपया खर्च हो रहा है, उसके आर्थिक बंटवारे का अध्ययन करें तो देखेंगे कि मालगुजारी का कंट्रीब्यूशन नहीं के बराबर है। २३४ करोड़ का हमारे प्रदेश का वार्षिक बजट होता है उसमें मालगुजारी का केवल २१ करोड़ है और गांवों में रहने वाली जनता का ८०/८३ प्रतिशत है। यह यदि मामूली तौर पर देखा जाय तो २३४ करोड़ का बजट है, उसमें गांवों का हिस्सा करीब १८३ करोड़ के पड़ेगा। इसलिये यह न कह कर कि हमारे बजट के आय-व्यय के अनुसार गांवों के विकास के ऊपर अनुपात में खर्च किया जाय, कहा यह जाता है कि मालगुजारी का जो २१ करोड़ रुपया है उसमें से २५ प्रतिशत गांव सभाओं को विकास कार्य के लिये दिया जाय। यह कितना आयेगा? बनारस के हमारे साथी माननीय गिरधारी लाल जी कह रहे हैं कि केवल १०० रुपया फी गांव पड़ेगा। आज अगर सारे दिन इस पर बहस करेंगे तो बड़ी हास्यास्पद चीज होगी।

श्रीमन्, हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना ५०० करोड़ की थी और सुनने में आया है कि इससे भी ज्यादा खर्च हो गया है। वार्षिक हिसाब लगायें तो १०० करोड़ रुपया आता और ८० प्रतिशत आबादी के अनुपात से गांवों का हिस्सा निकाल दें तो कितना हिस्सा आता है? यह देखने की बात है। यह न कह कर आप कह रहे हैं कि मालगुजारी का २५ प्रतिशत, यानी केवल ४–५ करोड़ रुपया, गांवों को विकास के लिये दे दिया जाय। इसलिये मैं कहता हूं कि जो प्रस्ताव विरोधी दल के माननीय सदस्य लाये हैं उससे हमारी हार्दिक सहानुभूति है क्योंकि उनका ध्येय है कि गांवों का विकास हो, लेकिन हम उनकी बुद्धि की प्रशंसा नहीं कर पाते हैं कि वे कैसा आर्थिक बटवारा चाहते हैं?

अब, श्रीमन्, तीसरी पंचवर्षीय योजना तो करीब करीब बीत चुकी है इसलिये इसमें तो बंटवारे का प्रश्न नहीं आता है। इसलिये चौथी योजना लें। उसके संबंध में सूनने में आया है कि १,४०० करोड़ रुपये की बनाने जा रहे हैं। इसमें गांवों का हिस्सा १,१०० करोड़ होगा और बाकी योजना पर खर्च होगा। अतः आवश्यकता इस बात की है कि सदन में इस बात पर बहुत ध्यानपूर्वक विचार किया जाय, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे साथी कह रहे हैं कि मालगुजारी का २५ प्रतिशत, यानी ४–५ करोड़ रुपया, गांव सभाओं को विकास कार्य के लिये दे दिया जाय। हमारी समझ में अगर इस बुद्धि से उनको सरकार में बुला लिया जाय तो प्रदेश के सारे गांव उजड़ जायंगे।

श्रीमन्, बजट में मालगुजारी का कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं है। एक जमाना था जब अंग्रेजी जमाने में इस प्रदेश का बजट बहुत सीमित था उस समय मालगुजारी का कंट्रीब्यूशन बहुत होता था। उस समय थोड़े से अस्पताल या स्कूल वगैरह खुलते थे तो इसका हिस्सा ७० या ७५ फीसदी हो जाता था। लेकिन आज श्रीमन्, जिस तरह से बजट बनता है और जो सरकार की आय के साधन हैं, उसमें मालगुजारी तो एक गुनाह बेलज्जत की चीज बनी हुई है। अभी लक्खी सिंह जी भाषण दे रहे थे कि सोशलिस्ट पार्टी का यह प्रस्ताव है लेकिन ईमानदारी की बात तो यह है कि सरकार को यह सोचना चाहिये कि जब २००-४०० करोड़ का हम प्रबन्ध करते हैं और हजारों, लाखों, करोड़ों किसानों का २१ करोड़ रुपया लिया जाता है, उसका लेना और न लेना बेकार है, उसका इतनी बड़ी धनराशि में कोई महत्व नहीं है। मेरा तो विचार है उसे छोड़ देना चाहिये। इतनी सी मालगुजारी वसूल करने के लिये कितना अधिक प्रयास करना पड़ता है, और कितना स्टाफ़ रखना पड़ता है, इसको देखते हुये आप मालगुजारी लेने से क्या विकास करेंगे? १९–२० करोड़ सेल्स टैक्स से मिलता है, ४२–४३ करोड़ यू० पी० में इन्कम टैक्स से मिलता है, २२ करोड़ बसों से मिलता है और इसी प्रकार शायद १७–१८ करोड़ रुपया बिजली से मिलता है। इतने महत्वपूर्ण अन्य आय के साधनों को देखते हुये मालगुजारी का हिस्सा मांगना और सरकार के लिये उसका वसूल करना दोनों ही ठीक नहीं मालूम पड़ता। एक बार यदि आपका प्रस्ताव मान लिया गया और आपने कहा कि मालगुजारी के कुछ प्रतिशत से ही गांवों

[श्री कृष्णानन्द राय]

का विकास होगा तो सरकार कहेगी आप की बात ठीक है, हम उसे माने ले रहे हैं। और फिर सोचिये उससे कितना कम गांवों के लिये मिलेगा ?

(व्यवधान)

जहां तक आप लोगों की यह धारणा है कि गांव सभाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जाये जिससे वे अपने गांवों का विकास कर सकें, तो जहां तक आपकी भावना का प्रश्न है, उसकी मैं कद्र करता हूं, लेकिन मैं आपकी बुद्धि की प्रशंसा नहीं कर सकता हूं। आप सोचते हैं कि ७३ हजार गांवों का विकास केवल २१ करोड़ की मालगुजारी से हो सकता है। आज इसका कोई महत्व नहीं है चाहे इसे सरकार ले ले या माफ कर दे। मैं तो चाहूंगा कि सारी मालगुजारी छोड़ दी जाय अथवा वह शहरों को दे दी जाये। सारी मालगुजारी को छोड़ देने पर भी उत्तर प्रदेश के विकास पर कोई असर नहीं पड़ सकता है। इसलिये यह जो प्रस्ताव यहां पर पेश है उसको मैं समझ सकने में असमर्थ हो रहा हूं।

श्रीमन्, गांव सभाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ इसलिये नहीं है कि उसके लिये व्यवस्था नहीं है, उसके लिये साधन नहीं हैं, बल्कि वास्तविकता तो यह है कि गांव सभाओं का जो संघटन है, मैं उस पर कोई आक्षेप नहीं करना चाहता हूं, उसमें वे साधन प्राप्त नहीं हो पाते हैं।

(व्यवधान)

वर्तमान समय में गांव सभाओं को जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् काफी साधन प्राप्त हो गये हैं। तालाब, जलाशय, चरागाह, सारी नदियां उन्हें मिल गयी हैं और इसी प्रकार नित्य प्रति मिलते जा रहे हैं। चकबन्दी हो रही है, उससे भी जो जमीन निकलती जा रही है, वह भी गांव समाज को मिलती जा रही है, सीलिंग से भी जो जमीन निकलेगी वह भी उन्हें मिलेगी। आप देखिये आज से १०-५ वर्ष पहले उनके पास कोई भी साधन नहीं थे, लेकिन आज जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट, चकबन्दी और सीलिंग में या कुछ पंचायत राज ऐक्ट जो बने हैं उनको यदि आप देखें तो उसके अनुसार गांव सभाओं के पास काफी अच्छे-अच्छे साधन हो गये हैं।....

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं, इसमें एक शब्द प्रतिशत के बाद "भी" छूट गया है, इसलिये यह सारी गलतफहमी हो रही है। होना यह चाहिये था कि जितनी मालगुजारी वसूल की जाय उस का एक निश्चित प्रतिशत भी ग्राम समाओं को विकास के लिये दे दिया जाय। उसके माने अतिरिक्त से हैं। अन्य साधनों से होने वाली आय में से तो जैसा पूर्व से मिल रहा है वह तो मिले ही, उसके अतिरिक्त मालगुजारी का कुछ निश्चित प्रतिशत भी उन्हें दे दिया जाये। इसलिये यह गलतफहमी है।

श्री उपाध्यक्ष—

जहां तक मूल प्रस्ताव का सम्बन्ध है, इसमें 'भी' नहीं है और न होने से इस प्रस्ताव पर कोई असर हीं पड़ता है।

श्री कृष्णानन्द राय—

मैंने, श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, लेकिन अब आपने जो रूलिंग दी है उसका मैं शिरोधार्य करता हूं लेकिन आप स्वयं देखिये कि इन माननीय सदस्यों का मस्तिष्क स्वयं साफ नहीं है। कोई कहता है 'भी' लिख दिया जाय और कोई कहता है कि २५ प्रतिशत जोड़ दिया जाय। जब जोड़ना ही है और यह अपूर्ण है, अस्पष्ट है और आधाररहित है, तो इसे वापस ले लिया जाय।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

श्रीमन्, मैं अपने वर्मा जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस प्रदेश की ८५ प्रतिशत गांव की जनता के हित के लिये यह प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव बहुत स्पष्ट है, लेकिन अपनी-अपनी समझ का फर्क है। माननीय कृष्णानन्दराय जी को लगा कि इसमें "ही" है और ठाकुर साहब को लगा कि इसमें "भी" की कमी है। लेकिन इसमें कोई कमी नहीं है और यह प्रस्ताव अपने में पूर्ण है। माननीय कृष्णानन्द राय जी कह रहे थे कि २१ करोड़ की मालगुजारी ७३ हजार गांव सभाओं के लिये बहुत कम होगी, नगण्य होगी। इसलिये इस प्रस्ताव से कोई लाभ नहीं होगा। प्रस्ताव का न यह उद्देश्य है और न प्रस्तावक का, वे तो चाहते हैं कि किसान से जो लिया जाता है उसका पूर्ण लाभ किसान को मिले। कहा जाता है कि हमारे प्रदेश की आय २३५ करोड़ से ५ सौ करोड़ होने वाली है और उसका बहुत बड़ा प्रतिशत, यानी १८३ करोड़, अभी गांवों में जा रहा है, आगे और बढ़ेगा। तो वह तो होना ही चाहिये उसमें, हममें और उनमें अन्तर नहीं है, लेकिन यह प्रस्ताव इस भाव को लेकर है ही नहीं। इस प्रस्ताव की तो केवल एक बात है कि हमारे किसानों को कितना देना पड़ता है और उसका लाभ उसको होता है या नहीं, यह मौलिक बात है। अपने प्रदेश के अन्दर जमींदारी अबालीशन से पहले जो मालगुजारी वसूल की जाती थी उसमें आधा रुपया जमींदार खा लेता था, लेकिन जमींदारी अबालीशन के पश्चात् होना यह चाहिये था कि वह सब पैसा किसान के लाभ के लिये लगता, लेकिन वह नहीं हुआ। वे जमींदार गांव गांव में रहते थे, लेकिन आज एक बड़ा जमींदार लखनऊ में बैठा हुआ है और वह सारी मालगुजारी, सात करोड़ नहीं, २२ करोड़ और अब २७ करोड़ के लगभग वसूल की जा रही है। वह सब विकास के नाम पर ले लेता है और किसान को उससे क्या मिलता है, यह विवाद की बात रही है।

वैसे जो पैसा मालगुजारी से मिलता है वह सब किसानों के हित में लगना चाहिये। (व्यवधान) आप लोग बातचीत न करें; नहीं तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। देश के अन्दर जितना भी पैसा इकट्ठा होता है वह सब पैसा देश के अन्दर रहने वाले किसानों का ही पैसा है। चाहे वह बिक्री-कर के रूप में आये और चाहे वह किसी और टैक्स के रूप में आये, वह सारा का सारा पैसा किसानों का है, तो उसका उचित वितरण होना चाहिये। वितरण के लिये जो योजना बनाने की बात है उसमें दो राय नहीं है। यह पैसा चाहे किसी भी रूप में आये, वह सब देहात से ही आता है। इस प्रस्ताव का मतलब यह है कि आज हमारे प्रजातंत्र के अन्दर ५ इकाइयां हैं। हमारी पंचायत भी उनमें से एक इकाई है। सोशलिस्ट भाई भी चौखम्भा राज की बात करते हैं, लेकिन अब उन्होंने भी ५ खम्भे की बात की है। इन सब इकाइयों में सब से पहली इकाई गांव सभा है। कुछ कहते हैं कि अगर हिसाब लगा कर देखा जाय तो उसको १०० रुपया ही मिलेगा। वहां पर भी यह विकास का काम नहीं हो सकेगा प्रस्ताव का यह मतलब नहीं है कि केवल लागत का प्रतिशत ही गांव सभा को मिले। सरकार जो टैक्स लगाती है वह सारा का सारा विकास के नाम पर लगाती है। जो पैसा सरकार के खजाने में आता है नाना प्रकार से वह सब उसी काश्तकार के पास से आता है। उसका लाभ किसान को होना ही चाहिये। अब तो सरकार ने जमींदार के लाभ को वसूल करने की बात अपने हाथ में ले ली है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इसका कितना प्रतिशत गांव सभा को मिलता है। यह जो किसानों का पैसा है इसको अमीन वसूल कर के तहसील में जमा करता है। तहसील में जमा होने के बाद वह जिले में आता है और जिले से सरकार के पास आता है। तब सरकार योजना बना कर उस रुपये को खर्च करती है। वह रुपया बाद में किसान को बांट दिया जाता है। किस जिले को मंत्री महोदय कितना पैसा देते हैं, यह उनके ऊपर ही निर्भर करता है। जब वह पैसा बांटते हैं तो बहुत से जिले छूट जाते हैं। मैं फतेहपुर जिले को जानता हूं कि वह भी छूट जाता है। यह बिलकुल ठीक है कि बहुत से जिले ऐसे हैं जहां पर विकास के नाम पर पैसा नहीं जाता है। आप बजट को देखें तो मालूम होगा कि ५४, ५५ जिलों में बहुत से ऐसे जिले हैं जिनको धन का पूर्ण रूप से बंटवारा नहीं मिला। न उनकी संख्या के हिसाब से दिया और न क्षेत्रफल के हिसाब से दिया गया और न मालगुजारी के हिसाब से दिया। मन्त्री महोदय के हिसाब से ही वहां पर सड़क बनती है और दूसरे काम होते हैं।

[श्री रक्षपालसिंह]

इस प्रस्ताव को लाने का मतलब यह है कि, और बातों को आप छोड़ दीजिये, सरकार स्कूल बनाये, अस्पताल बनाये या ऐसे दूसरे काम करे, लेकिन किसान जो सीधे-सीधे पैसा देता है उसका बंटवारा होना चाहिये और उसका कुछ हिस्सा सब से छोटी इकाई को मिलना चाहिये। जमींदारी टूटने के बाद लगान आधा हो जाने की जो बात थी उसको यह सरकार नहीं कर रही है। इसलिये मेरा यह कहना है कि इस प्रस्ताव के अनुसार सरकार जो मालगुजारी वसूल करती है उसका एक निश्चित भाग गांव सभा को मिलना चाहिये ताकि वह उस पैसे से विकास की स्वतंत्र व्यवस्था कर सके। गांव सभा के मेम्बर बैठ कर इस बात को तय करें कि किस प्रकार से वहां का विकास हो। उस पर क्षेत्र समिति या जिला परिषद् का कंट्रोल नहीं होना चाहिये और मन्त्री को भी उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार न हो। जो छोटी गांव सभा है और वहां से थोड़ी माल-गुजारी मिलती है तो उनको भी उसी हिसाब से और उसी अनुपात से हिस्सा मिलेगा। इस प्रकार से एक निश्चित मात्रा में उन के पास धन रहेगा और वह विकास कर सकेंगी। सरकार भी इस बात को मानती है कि जितनी हमारी इकाइयां हैं उनमें यह गाँव सभा सबसे पहली इकाई है। तो उन पांच खम्भों में इस पहली इकाई को मालगुजारी का उसी अनुपात से भाग मिलना चाहिये। इसका लाभ यह होगा कि वह बहुत ज्यादा आश्रित नहीं रहेंगी। अब होता यह है कि अगर किसी कुयें को बनाना होता है तो प्लानिंग से रुपया जाता है, उसके बाद ब्लाक में रुपया पहुंचता है फिर गांव सभा तक पहुंचने में बहुत समय लगता है, तब जाकर वह कुआं बनता है। यहां पर गांव सभा स्वयं ही योजना बनायेगी। छोटे काम के लिये उनको दूसरे पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। खड़न्जे, चरही या कोई तालाब या ना प्रकार के काम वह स्वयं कर सकेंगी। हमारे गांव सभा के लोगों को ऊपर की इकाइयों पर, चाहे वह क्षेत्र समिति हो अथवा सरकार, निर्भर रहना पड़ता है। तो इस स्थिति में कुछ परिवर्तन होगा। गांव सभा की जो स्थिति है उसमें यदि उसे मालगुजारी का कुछ प्रतिशत दिया जाय तो प्रारम्भिक काम चलाने के लिये उसे सुविधा होगी और उसको मौलिक तथा मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से संभव हो सकेगी। उसे वसूल करने का भी अधिकार दिया जा सकता है, लेकिन जो धन वहां से वसूल किया जाता है उसका एक निश्चित प्रतिशत तो उनको दिया ही जाना चाहिये। कृष्णानन्द जी ने कहा कि २५ प्रतिशत में कुछ नहीं होने वाला है। एक दूसरे माननीय सदस्य ने कहा कि गांव सभा सब पैसा खा जायगी। इसलिये जानबूझ कर कोई प्रतिशत निश्चित रूप से संकल्प में नहीं रखा है। पहले आप दस प्रतिशत दे कर देखें, एक एक्सपेरीमेंट करें। अगर वह ठीक काम करती है तो उसे बढ़ा कर १५, २५ या ५० कर दें। जमींदारी टूटने के पहले ५० प्रतिशत तो जमींदारों के पास रहता था, वह तो उनको मिलना ही चाहिये, लेकिन प्रारम्भ में कुछ भी प्रतिशत उनके लिये निश्चित किया जा सकता है। इस कारण यह एक सुन्दर प्रस्ताव है और इसके पास होने से प्रजातंत्र की प्रारम्भिक इकाइयों की स्थिति कुछ सुदृढ़ हो सकेगी और उनको बार-बार केन्द्र और जिले की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। वह अपनी योजना बना कर काम कर सकेंगी और इसका उनको अवसर मिल सकेगा। इसलिये मुझे आशा है कि सरकार को इसे मानने में कोई आपत्ति न होगी।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)--

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है बाबूलाल जी श्रीवास्तव, सूरजलाल गुप्त जी, श्री विपिन बिहारी तिवारी जी तथा श्री गंगा प्रसाद वर्मा जी द्वारा, मैं उसका भी विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, यह हो सकता है कि हमारे प्रस्तावक महोदयों की भावना बहुत शुद्ध है। यह भी हो सकता है कि ग्राम्य जीवन से संबंधित होने के कारण उनके मस्तिष्कों में कोई ऐसी योजना हो जिससे कि वे समझते हों कि यदि मालगुजारी में से एक प्रतिशत गांव सभा को विकास के लिये दे दिया जायगा तो गांव का नक्शा बदल जायगा। यह भी हो सकता है कि उनका यह खयाल हो कि गांव सभा के पास जो साधन हैं वे अपर्याप्त हैं। श्रीमन्, मैं नम्रता से निवेदन करूंगा कि मैं उनकी इस भावना से सहमत नहीं हूं। संयोग से

मैं भी गांव का रहने वाला हुं और गांव सभाओं की गति-विधि से मेरा निकट सम्बन्ध रहा है। उसके आधार पर मैं यह निवेदन करने का साहस करता हूं कि ग्राम सभाओं के पास अपने विकास करने के लिये समुचित साधन उपलब्ध हैं, परन्तु दुर्भाग्य है कि चेतना के अभाव में उनमें क्षमता तथा तीव्र भावना उत्पन्न नहीं हो सकती है।

यदि आप ग्राम सभा ऐक्ट का पर्यवेक्षण करें तो आप देखेंगे कि कई साधन हैं उनके पास ? वह एक आना रुपया टैक्स लगाती हैं। जो जमींदारों द्वारा छोड़ी हुई भूमि है, बंजर आदि, ऊसर आदि, उसे पट्टे पर उठा कर पैसा प्राप्त करती हैं। मैं इसलिये नहीं कह रहा हूं कि ग्राम सभाओं की मैं आलोचना करूं या उनके सम्बन्ध में कोई खास टीका-टिप्पणी करूं जो मेरे मित्रों को अरुचिकर लगे या कुछ अन्य लोगों को अप्रिय हो, लेकिन वस्तु-स्थिति यह है कि हमने ग्राम समाज के कुप्रबन्ध की बहुत चर्चा सुनी है और अपनी आंखों से भी देखी है। आज ग्राम समाजों में क्या नहीं होता है ? वहां लम्बी-लम्बी रकमें ले कर लोगों को पट्टे कर दिये जाते हैं। जमीन नीलाम करने में उसका दुरुपयोग किया जाता है। अपने लोगों को वृक्ष कटवा दिये जाते हैं और उनको लाभान्वित किया जाता है और ये सब कार्य-कलाप करने के बाद अगर गांव सभाओं को हम इस तरह धन उनको देने का निर्णय करते हैं तो उसका वे ठीक-ठीक इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। आज गांव सभाओं के साथ जो साधन हैं उनका ही वे ठीक इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। फिर यह मांग करना कि जो मालगुजारी है उस में से कुछ रकम गांव सभाओं को दी जाय ताकि वे अपना विकास कर सकें, उचित नहीं है। व्यावहारिकता की दृष्टि से इस बारे में हम को एक स्पष्ट निर्णय लेना है कि किस तरह से हमारा काम चल सकता है। आज जो हमारी मालगुजारी से आमदनी है, वह हमारे राज्य की आमदनी का ही एक अंश है। हमारे राज्य के सामने मुख्य प्रश्न यह है कि हमारी योजनायें कैसे पूरी हों और वह योजनायें जिससे हमारा राज्य समृद्धि के पथ पर अग्रसर हो सके। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आवश्यक धन के अभाव में हम उन योजनाओं को कार्यान्वित नहीं कर सके। यदि हम उनको कार्यान्वित किये होते तो अधिक प्रगति हो जाती। धन के अभाव से ही हमारे प्रदेश में बड़े-बड़े उद्योग स्थापित नहीं हो सके। तो आज मुख्य प्रश्न धन जुटाने का है ताकि हम प्रदेश का और गांवों का नव निर्माण कर सकें। उसके लिये एक ही माध्यम है कि रुपया हो और आमदनी का जरिया तो एक ही है और वह है कर। तो आज मूल प्रश्न यह है कि हम राज्य की आमदनी बढ़ा कर उसके द्वारा नवनिर्माण के पथ पर अधिक अग्रसर हो सकें और आगे नयी-नयी योजनायें चलावें। औद्योगीकरण करें, कारखानें खोलें, चारों तरफ सड़कें, बांध, पुल और शफाखाने बनाने की मांग को पूरा करें। लेकिन एक निश्चित रकम से अधिक हम गांव सभाओं को नहीं दे सकते हैं, इस दृष्टिकोण से हमको इस पर विचार करना है।

मैं निवेदन कर रहा था कि अगर गांव सभायें अपना नव-निर्माण करना चाहती हैं तो आज भी उनके पास प्रचुर साधन हैं और संविधान द्वारा उनको बड़े अधिकार मिले हुए हैं। यदि वास्तव में वे अपनी प्रगति करना चाहती हैं तो क्यों नहीं नये टैक्स लगातीं ? जो समाज या जो राज्य टैक्स लगाने में डरता है, घबड़ाता है। अपनी लोकप्रियता खोने के डर से कन्नी काटता है वह कभी भी प्रगति नहीं कर सकता है। यह एक सर्वमान्य सिद्धान्त है। यदि गांव सभाओं के अन्दर अपने नव-निर्माण करने की भावना है तो उनके पास साधन हैं। वे नये टैक्स लगा कर धन संचित कर सकती हैं और अपने गांव का नक्शा बदल सकती हैं। लेकिन मैं आपसे अर्ज करता हूं कि आज आप गांवों में जाकर देखें तो पायेंगे कि इस तरफ किसी गांव ने पहल नहीं किया है। यदि कोई वी० एल० डब्लू० या पंचायत सेक्रेटरी लोगों से इस तरह के कोई काम करने के लिये कहता है तो वह कहते-कहते परेशान हो जाता है, लेकिन उसकी कोई सुनता नहीं है। इसका कारण यह है कि जनता में चेतना नहीं है, जागृति नहीं है, तब्दील करने की भावना नहीं है।

इसलिये आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज आवश्यकता इस बात की है कि जो हमारी ग्रामीण जनता है, और जो जनता के ग्राम सभाओं में पदाधिकारी हैं उनकी मनोवृत्ति को बदलें और उनके अन्दर ऐसी मनोवृत्ति बदलें कि वे अपने पैरों पर खड़े हो कर

[श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल]

अपने साधन जुटा सकें और अपने गांवों का नव-निर्माण कर के उनकी नयी रचना करें और गांव को इतना सुन्दर बना कर आकर्षक बना दें कि वहां रहना लोग पसन्द करें। सरकार की ओर से जो अनुदान गांव सभाओं को दिया जाता है और सरकार द्वारा जनता के ऊपर जो पैसा खर्च होता है, आखिर वह पैसा भी जनता के पास से ही आता है । जो रुपया सरकार द्वारा योजनाओं के लिये दिया जाता है उसे न देकर सरकार गांव सभाओं को दे दें, तो क्या उससे उतने अंश में लाभ हो सकता है जितना कि होना चाहिये ? इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और माननीय मित्रों से नम्र निवेदन करता हूं कि यदि वे व्यावहारिकता की दृष्टि से विचार करें तो ऐसे तथ्यहीन, आधारहीन प्रस्ताव को लाकर इस सदन का बहुमूल्य समय नष्ट न करें।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प इस सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जो बातें मैंने अभी कृष्णानन्द जी और पालीवाल जी से सुनीं उनसे मुझे ताज्जुब हुआ। जो बातें वे इस सदन में कह रहे थे, अगर वे उन पर दृढ़ हैं तो उनको कांग्रेस पार्टी को छोड़ कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। यह मैं इसलिए कह रहा हूं, श्रीमन्, कि घर वाली बात गांव में कीजिये, यहां कानून वाली बात कीजिये। अभी कांग्रेस सरकार की ओर से दो विधेयक आये थे। यह नमूना मैं रख रहा हूं। उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक, १९६५, और जमींदारी अबालीशन ऐक्ट जो सदन ने पास किया है, मैं उसकी ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं साथ में कृष्णानन्द जी और पालीवाल जी से कहना चाहता हूं कि जितना काम उन्होंने किया है और जो सदन ने किया है, अगर उसके पीछे जाने हैं तो कांग्रेस पार्टी में आपको रहने का अधिकार नहीं है।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक, १९६५, के खंड १७ द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा २८३ को संशोधित किया जा रहा है। उसमें लिखा गया है कि--

"यदि भूमि प्रबन्धक समिति को धारा २७६ के अधीन मालगुजारी वसूल करने और उगाहने का भार सौंपा गया हो तो राज्य सरकार, गजट में सामान्य या विशेष आदेश प्रकाशित करके, समिति को धारा २७९ की उपधारा (१) के खंड (क), (ग), (घ) तथा (ङ) में उल्लिखित किसी एक या अधिक प्रसरों से बकाया की वसूली करने का अधिकार दे सकती है, और इस प्रकार अधिकृत हो जाने पर समिति वसूली करने में ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी जो नियत की जाय।"

मैं सिर्फ एक बात की ओर इशारा करता हूं और अगर आपको कांग्रेस पार्टी में रहना है और सरकार को रिप्रेजेंट करना है तो सरकार जो काम करती है, जो नीति बनाती है, उसके मुताबिक आप बात कीजिये। यहां मजाक करने की जगह नहीं है। मैं पालीवाल जी से भी कहना चाहता हूं कि आप होश की बातें कीजिये, आप बेहोशी की बातें करते हैं तो सदन के बाहर जाकर कीजिये, नहीं तो अपनी सरकार को कान पकड़ कर ठीक कीजिये। इस सरकार और सदन ने तय किया है, अभी पास किया है, चन्द दिन हुए उसको आप भुला रहे हैं। हम जितनी गांव सभाएं हैं उनको अधिकार दे चुके हैं और गवर्नर के सैक्शन के लिए वह चीज गयी है।

श्री कृष्णानन्दराय--

किस चीज का अधिकार दे चुके हैं ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कमलासिंह यादव—

कलेक्शन का दे चुके हैं। हम गांव पंचायत को लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार दे सकते हैं यह हमने प्राविधान इसके अन्दर बनाया है और जमींदारी अबालिशन के अन्दर भी धारा २९४ से लेकर ३०३ (ए) तक पढ़ लीजिये, इसी के लिये प्राविधान उसमें बनाया है। तो जब जमींदारी अबालिशन ऐक्ट बनाया गया उस वक्त भी हमारी नीति यही रही कि हम ग्राम पंचायत को मौका देंगे कि वह लैंड रेवेन्यू वसूल करेंगे और फिर उसका जो भूमि विधि संशोधन विधेयक, १९६५, के जरिये से संशोधन हुआ तब भी उसमें यह रखा गया कि गांव सभाएं जितनी हैं उनको मौका देंगे, अधिकार देंगे कि वह लैंड रेवेन्यू वसूल करें। इसलिये, श्रीमन्, जब हम एक बार अधिकार देने की बात करें और आज हम उल्टी बात करें कि नहीं, उनको अधिकार नहीं देना चाहिये, या ग्राम सभाओं को अधिकार नहीं देना चाहिये लैंड रेवेन्यू वसूल करने के; तो यह दोतरफा चलने वाली नीति उचित नहीं मालूम पड़ती।

माधव प्रसाद जी ने कहा कि गांव सभाओं को अगर लैंड रेवेन्यू वसूल करने का अधिकार देंगे तो गांव में ऊधम मच जायगा। इस तरह की बात वह कर रहे हैं।

श्री कृष्ण नन्द राय—

इस प्रस्ताव में कहीं पर भी यह नहीं है कि कलेक्शन का अधिकार गांव समाज को दिया जाय और माननीय कमलासिंह जी उसी पर अपना भाषण कर रहे हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

अब हम बुद्धि तो, श्रीमन्, दे नहीं सकते। श्रीमान, आपने यह फरमाया कि गांव समाज पैसे में गड़बड़ कर देंगी, इसलिये उनको यह अधिकार नहीं देना चाहिये। श्रीमन्, आपने जमींदारी एबालिशन ऐक्ट पास किया, भूमि विधि (संशोधन) विधेयक पास किया और उसमें यह पास किया है कि गांव समाज को लैंड रेवेन्यू वसूल करने का अधिकार दिया जाय। उसके लिये आपने नियम बनाया है, कानून बनाया है, फिर आप यह कैसे कहते हैं कि उनको वसूली का अधिकार नहीं होना चाहिये? जब आपने एक बार यह नीति निर्धारित कर दी कि गांव समाज के जरिये लैंड रेवेन्यू वसूल किया जायेगा, सदन ने उसके लिये कानून भी बनाया है, कानून के जरिये उनको यह अधिकार दिया गया है, फिर मेरी समझ में नहीं आता कि आप उसके पीछे क्यों जा रहे हैं।

उसमें, श्रीमन्, यह भी है कि जिस वक्त ग्राम सभा लैंड रेवेन्यू वसूल करेगी, तो उसका ५ परसेंट हम उसको देंगे। इतना ही नहीं। श्रीमन्, हमने नीति यह भी निर्धारित की है कि म्युनिसिपल बोर्ड या टाऊन एरिया या नोटिफाइड एरिया कोई भी इसे वसूल करेंगी तो उनको भी उसका ५ परसेंट दिया जायेगा। फिर जब आपने यह कानून बनाया है, यह नीति निर्धारित की है तो आज उससे पीछे जाने का क्या कारण है? भूमि विधि संशोधन विधेयक में भी आपने ग्राम सभाओं को यह अधिकार दिया है। नीति तो आपकी यह होनी चाहिये कि इन इकाइयों को इन्डिपेन्डेंट होना चाहिये। उनको इन्डिपेन्डेन्ट बनाने के लिये आपको प्रयत्न करना चाहिये। हम चाहते हैं कि जितनी भी आपकी इकाइयां हैं वे सब स्वतंत्र हों। मैं देखूंगा कि माननीय मंत्री जी कितना आपनी बात के पीछे जाते हैं। अगर आप अपनी नीति के अनुसार नहीं चलते, अपनी कही गयी बातों को पूरा नहीं करते, तो मैं समझूंगा कि आपको करनी और कथनी में अन्तर है। आप जो कहते हैं उसे करते नहीं हैं। अभी-अभी जो हमने विधेयक पास किया है उसमें भी यह किया है कि ग्राम सभाओं को अधिक पावर्स हम देने जा रहे हैं। उन पावर्स को देने के पीछे हमारी एक ही भावना रही है कि यह इकाइयां स्वतंत्र हों और स्वयं टैक्सेशन, लैंड रेवेन्यू की वसूली आदि के कामों को करें।

[श्री कमलासिंह यादव]

इतना ही नहीं, श्रीमान्, अभी माननीय राममूर्ति जी ने एक विधेयक इस सदन के सामने पेश किया था कि हम विकास कार्यों के लिए कोई योजना बनायेंगे तो गांव वाले उसको कार्यरूप में परिणत करेंगे। मैं नहीं समझ सकता कि कांग्रेस पार्टी के लोग जब इसका विरोध कर रहे हैं तो यह योजना कैसे सफल होंगी। आखिरकार अगर आप चाहते हैं कि पंचायतें टैक्सेशन करें, टैक्स लगाकर जनता को बर्बाद करें तो इससे हम सहमत नहीं हैं। पालीवाल जी तो इसको खेल समझ रहे हैं। वह कहते हैं कि टैक्स लगाने की बात होती है तब तो आप उसका समर्थन नहीं करते। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब आमदनी की बात हम करते हैं तो उसमें वह क्यों नहीं साथ देते। जब आपने खुद कानून बनाया है कि वह लैंड रेवेन्यू वसूल करें तो जो गांव सभा इसके लिए अग्रसर होती हैं उसको मौका देना चाहिए और उस वक्त जब कोई भी गांव सभा लैंड रेवेन्यू वसूल कर रही होगी तो उसको उसका एक हिस्सा भी देना पड़ेगा जैसा कि पहले ही निश्चित हो चुका है कि उसे उसका एक हिस्सा मिलेगा। इसके साथ साथ जब हम विकास कार्य उनके द्वारा कराना चाहते हैं और बड़ी बड़ी स्कीमें उनके सामने हैं तो क्या वजह है कि गांव सभाओं को हम इससे वंचित रखें? इसलिए मैं चाहूंगा कि जिस रूप में यह संकल्प आया है उससे पीछे आप न जायं। कानूनन उससे पीछे आप नहीं जा सकते। अगर आप जाते हैं तो आप अपनी नीतियों को विफल करने वाले हैं और जो नीति आपने अपनायी है अब तक उससे पीछे जा रहे हैं।

झगड़े की बात माननीय माता प्रसाद जी ने कही कि इसमें झगड़े पैदा हो जायेंगे कि एक खाते में तीन तीन, चार चार आदमी हैं, तो एक से ही वसूल हो जायगा। मैं कहता हूं कि आपने ब्लाक बनाये, उसके चुनाव में घर-घर में लड़ाई हुई, तो इससे हमें डरना नहीं है। कोई भी बात हो, झगड़ा हो, कुछ भी हो, लेकिन हमने जो नीति अपनायी है डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, लैंड रेवेन्यू के रिआलाइजेशन के लिए, उसमें हमें यह कोशिश करनी है कि हमारी जितनी भी ये इकाइयां हैं वह इंडिपेन्डेंट रहें, स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता उनमें आये, ताकि जो विकास कार्य उनके सामने है, उनके लिए उनको हर तरह की इमदाद मिले और वह गांवों का उत्थान कर सकें तथा अपनी स्थिति भी ऐसी स्वतंत्र बना सकें कि कोई भी कार्य जो उसको दिया जाय उसको वह कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि सदन पूर्णरूपेण इस संकल्प का समर्थन करेगा।

*श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)--

श्रीमान्, यह संकल्प गांव सभाओं के सम्बन्ध में यहां पेश है। गांव सभाओं के विकास के सम्बन्ध में कोई भी बात यहां चलायी जाय तो यह स्वाभाविक है कि चूंकि हमारा देश ग्रामों में बसा हुआ है, इसलिए सभी को उससे सहानुभूति होगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात उस समय होती है जब उसको समर्थन देने के लिए उसकी शब्दावली तो सुन्दर होती है, लेकिन उसकी आत्मा बड़ी दूषित और मृत जैसी मालूम देती है। इस संकल्प के पढ़ने से जो भावना प्रकट होती है उससे ऐसा लगता है कि गांव सभाओं के सम्बन्ध में एक महान हानिकारक कदम विरोधी पक्ष की तरफ से उठाया गया है। मुझे दुख होता है और हार्दिक समवेदना होती है यह देखकर कि कुछ दिनों से हमारे विरोधी पक्ष के लोग जिनके ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व है प्रजातंत्र के इस युग के अन्दर, वे ग्रामीण क्षेत्र के क्यों हाथ धोकर पीछे पड़ गये? माननीय बैजनाथ सिंह ने इससे पूर्व संकल्प के सम्बन्ध में बोलते हुए कहा था कि विरोधी पक्ष स्वतः ही जाल के अन्दर फंस गया है, गांव सभा के प्रधानों के ऊपर संदेह प्रकट करके कि वह ईमानदारी के विपरीत काम कर रहे हैं। जमीनों के वितरण के सम्बन्ध में मुझे आश्चर्य होता है कि चंद मिनट पहले जो संकल्प अभी अस्वीकृत हुआ है जो विरोधी पक्ष की ओर से रखा गया है, उसके उपर जो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भाषण और भावनाएं प्रकट की गई हैं, उनसे सिद्ध था कि गांव सभा के जिम्मेदार कार्यकर्त्ता चाहे पंच हों या प्रधान हों, वे विरोधियों की निगाह में उतने ईमानदार नहीं हैं, जितने होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुल्लमखुल्ला उनके ऊपर आरोप लगाये कि जमीनों के वितरण में गांव सभा के प्रधानों ने ईमानदारी नहीं बरती है ।

जब तार्किक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करता हूं, कि कुछ देर पहले गांव सभा के प्रधान ईमानदारी से परे विरोधीदल की दृष्टि में बन चुके हैं, और कुछ ही मिनट बाद इस संकल्प में इतने ईमानदार हो जाते हैं कि राजस्व की धनराशि इसके ऊपर शासन की सारी आधार शिला टिकी हुई है कि वह शासन की एक रीढ़ है, उसका एक चौथाई इन गांव सभाओं को दिलाना चाहते हैं जिनके प्रधानों के प्रति वे अपना विश्वास बिलकुल खो चुके हैं पहले संकल्प के द्वारा। एक चौथाई मैंने विरोधी पक्ष के भाइयों की बातों पर कहा है, यद्यपि संकल्प की भाषा में एक निश्चित भाग कहा गया है और उस संकल्प की परिभाषा का अर्थ लगाते समय माननीय कमलासिंह ने जो बातें कहीं, उनको मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा था, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, वह यहां के पुराने सदस्य हैं, एक वकील हैं और उन्होंने आपस की बातचीत पर इधर के बैठने वाले साथी पर बड़े आवेश में एतराज किया कि घर की बात घर पर कीजिए और यहां कानून की बात कीजिए । वह अपने जिले के पानी का इतना भी लिहाज नहीं करते हैं कि वह होश में रहते है या बेहोश रहते है । माननीय कृष्णानन्द राय को बेहोशी में बताया गया, लेकिन मुझे हंसी लगी जब हमने बेहोशी में पढ़ते हुए सुना, उस संकल्प के पक्ष में जो हाई कोर्ट, सुप्रीमकोर्ट और दूसरे हाईकोर्ट की नजीरें दी जाती है, उस प्रकार हमारे भूमि सुधार अधिनियम के संशोधन की नजीरें दे रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे क्षमा करेंगे जितने वकील हैं, और विशेषकर त्रिपाठी जी. . . . एक वकील महोदय की याद आ गई । तहसील में एक दफा मैं बैठा था । तहसीलदार के यहां एक मुकदमा पेश था, और वकील साहब आये । एक पट्टे का मामला चल रहा था, दूसरे वकील जब बहस कर रहे थे, तो कबूलियत और पट्टे का प्रश्न पैदा हो गया । वकील साहब इतने उतावले हुए कि दलील देने लगे जो अनुकूल नहीं थी, और फिर बाद में आवेश में आकर कहने लगे कि हुजूर कबूलियत काश्तकार को दे दी जाती है और पट्टा रिकार्ड में रह जाता है । तहसीलदार ने कहा कि आप भ्रम में हैं । लेकिन वकील साहब ने कहा कि हुजूर मैं ठीक कह रहा हूं । उनकी बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ । वह अपने स्थान पर चले गये और थोड़ी देर बाद आये और कहने लके कि सर आई वाज रांग, पट्टा दिया जाता है काश्तकार को और कबूलियत रहती है रिकार्ड में । तो माननीय कृष्णानन्द राय ने जब याद दिलाया कि उसके शब्दों को पढ़िये तो मुझे उस स्वर्गीय आत्मा की याद आ गई । लेकिन माननीय कमलासिंह जी को देखकर मुझे भ्रम हो गया कि वह जिन्दा है । जब कृष्णानन्द राय जी ने याद दिलाई तो आप उसको बड़े ध्यान से पढ़ने लगे और फिर भी तर्क वही देते रहे ।

उनसे अदब से कहना चाहता हूं कि इस संकल्प के पीछे इसकी आत्मा चाहे जैसी हो, लेकिन प्रस्तुत करने वाले सदस्यों की भावना स्पष्ट यह है कि जो राजस्व की वसूली होती है, उसका एक निश्चित अंश गांव सभा को विकास के लिए दिया जाना चाहिए । कमलासिंह जी कोई वसूली का सवाल इस संकल्प के अन्दर नहीं है । आप वकील हैं, ऐडवोकेसी की भाषा में हम इस सदन में न सिद्ध करने की कोशिश करें कि उसी कानून से मुद्दई को और उसी कानून से मुद्दालेह को जितानें का प्रयास करें । ग्रामीण क्षेत्रों का खयाल रखें, क्योंकि डेढ़ साल बाद फिर हमको वहीं जाना है । आप तो कम से कम विरोध न करें । शहरी क्षेत्र वाले करें, उससे हमें मतलब नहीं है । जो संकल्प में कहा गया है, मुझे इसका समर्थन करनें में कठिनाई क्यों हो रही है ? कठिनाई मुझे यह हो रही है कि इसमें एक निश्चित अंश दिलाने का प्रयास किया गया है । बड़ी सुन्दर बात है । गांवों का विकास यदि हो जाय एक निश्चित धनराशि देने से तो विरोधी पक्ष की कोई बात अगर ऐसी हो जिसमें वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति होती हो, तो मैं अपनी सरकार से जिसका मैं समर्थक और फालोवर हूं, निवेदन करूंगा कि विरोधी पक्ष की ऐसी बात का स्वागत करे । किन्तु मान्यवर, बड़े दुख की बात है कि गांवों के विकास

[श्री बसन्तलाल शर्मा]

के सम्बन्ध में माननीय कमलासिंह के उन शब्दों में जो उन्होंने कहे, अगर मजाक न उड़ावें, तो यह बड़ी ही देश के लिए सौभाग्य की बात होगी। आज पंचवर्षीय योजनाओं का युग है। आजकल हम नाना प्रकार के विकास के कार्यों में लगें हुए हैं और योजनाओं का पवित्र लक्ष्य यह है कि देश के कोने-कोने तक विकास का कार्यक्रम पहुंच जाय। लेकिन देखिये ३८–४० रु० हजार ईंट है और सीमेंट के बारे में तो सभी को मालूम है कि कितनी कठिनाई से मिलती है। विकास के साधनों को जुटाने के लिये अत्यधिक पैसा खर्च करना पड़ता है। मैं बड़ी निर्भीकता से कहना चाहता हूं कि आप उस रुपये से गांवों का कौन-सा लाभ करने जा रहे हैं। हमें यह सोचना है कि गांव का वास्तविक विकास किस प्रकार से किया जा सकता है और हमें यह भी देखना है कि हम इस पैसे को किस प्रकार के हाथों में सौंपने जा रहे हैं। हम इस पैसे का उन भोले भाले भाइयों हाथ में दे देंगे जिनके हाथों अभी वह शक्ति पैदा नहीं हो पायी कि वह अपने विकास के बारे में सही तरह से कुछ सोच सकें या कर सकें। उनके पास प्राविधिक साधन नहीं हैं, इसलिए वे उस पैसे का सदुपयोग नहीं कर सकते। इसलिये इससे बड़ी हानि हो सकती है। अगर यह पैसा गांवों को दे दिया जाय तो यह बात स्वाभाविक पैदा होगी कि उतना रुपया गांवों के विकास कार्यों से काट लिया जाय और जो क्षेत्र एक निश्चित अनुपात आय का देते हैं उनके विकास में कमी आ जायगी। इस नेग्लीजेंस के द्वारा ग्रामों के विकास में कमी आ जायगी। फिर हमारे यहां ७३ हजार के करीब गांव सभायें हैं उनमें से बहुत-सी गांव सभायें ऐसी हैं जो छोटी हैं, सब समानान्तर स्तर पर नहीं हैं, कोई बड़ी है कोई छोटी है। छोटी गांव सभाओं के क्षेत्र वे हैं जहां की भूमि उपजाऊ नहीं है क्योंकि वहीं की आबादी भी कम हो ती है। वहीं की मालगुजारी भी कम होती है। वे अंश कम पायेंगे, जबकि आज उसके विकास के लिये अधिक रुपया देना पड़ता है। इसलिये वास्तव में इस प्रस्ताव से जो मतलब है वह हल नहीं होगा। मेरा विचार है कि इस संकल्प के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में और हानि होगी बजाय लाभ के।

माननीय कमलासिंह जी यह भी जानते होंगे कि गांव सभाओं में चपरासी रखे जाते हैं। उसके लिये ४–४, ५–५, रुपया चंदा किया जाता है। लेकिन प्रधान लोग उन चपरासियों से निजी काम कराते हैं। अगर यह पैसा भी उस चक्कर में चला गया तो हानि ही होगी। गांव सभाओं में जो बहुत-सी जमीन पड़ी है उसका सही इस्तेमाल करके हम गांवों का बहुत सा विकास कर सकते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि कितने गांव सभाओं के प्रधान ईमानदारी से काम करते हैं। इसमें सरकार का कसूर न होकर हम लोगों का कसूर है, जो लोग वहां रहते हैं। जो लाभ उन जमीनों से होता है उसको पंच और प्रधान बांट कर खा जाते हैं, और गांव समाज की हानि होती है। हमें यह देखना होगा कि गौण रूप में तो हमारी यह भावना हो कि इससे लाभ होगा, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में उससे हानि होगी और इस तरह से यह संकल्प ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के विरुद्ध पड़ता है। इस भावना से मैं इस का घोर विरोध करता हूं और इसे स्वीकार नहीं करना चाहिये।

श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो मुझे बताया कि मालगुजारी देने का सवाल नहीं होगा और थोड़ा-सा देना है, मैं कहूंगा कि थोड़ी भी मालगुजारी ऐसी चीज है जो निश्चित होती है और स्थायी चीज होती है और कुछ अंश भी निश्चित होगा तो वह एक स्थायी इम्दाद होगी।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, इससे कब्ल कि मैं अपनी बात आरम्भ करूं मुझे आफसोस है कि यह प्रस्ताव इस तरफ से आया, उम्मीद मुझे यह थी कि यह उधर से आता क्योंकि पिछली बार जब पांडेय जी ने ग्राम सभाओं की मांग पेश की थी उसी वक्त उनको एलान करना चाहिये था कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि हम मालगुजारी का इतने प्रतिशत ग्राम सभाओं को देंगे । मेरा आधार कहने का यह है कि मैं सदन का ध्यान ७ मार्च सन् ६४ की कार्यवाही की तरफ दिलाऊंगा जबकि वह ग्राम सभाओं के अनुदान पर उत्तर दे रहे थे । उसको केवल ४ लाइन में सुनाना चाहता हूं । "किसी माननीय सदस्य ने कहा कि मालगुजारी का चौथाई गांव पंचायतों को दिया जाय, यह बात सरकार के विचाराधीन है । महाराष्ट्र, आन्ध्र और राजस्थान में ३० या २५ प्रतिशत दिया है, उत्तर प्रदेश की सरकार भी इस पर सोच रही है । फाइव ईयर प्लान में सारा रुपया प्लेज्ड हो चुका है इसलिये इस पर विचार हो रहा है । यह अच्छा सुझाव है क्योंकि इस से जनता के मन में यह भावना उत्पन्न हो सकती है कि हमारा रुपया हमारे ही गांवों के लाभ के लिये इस्तेमाल हो रहा है और इस से उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा ।"

(इस समय ४ बजकर ३१ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द राय पीठासीन हुए ।)

यह भाषण पांडेय जी का है जो उन्होंने पिछले साल दिया था । इस सम्बन्ध में दूसरे दिन अखबारों में आप के भाषण का प्रकाशन बड़े सुन्दर तरीके से किया गया और पहले पेज में छपा कि यू० पी० सरकार ग्राम सभाओं को लगलभग २५ प्रतिशत मालगुजारी का देने जा रही है । तो मुझे आफसोस इस बात का है कि इस आश्वासन के बाद भी यह चीज सरकार की तरफ से नहीं आई, बल्कि इधर के लोग इसको लाने के लिये मजबूर हुए ।

अब इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई ? पंचायत राज को एक बुनियादी चीज हम सब ने माना है । यह चीज आपने हमारी कही हुई नहीं बल्कि पूज्य बापू की कही हुई मानी कि भारत में पंचायत राज होना चाहिये । यह ग्रामसभा उसी का एक अंश है । आज आप के यहां ७२ हजार ग्राम सभायें काम कर रही हैं और उनसे आप आशा करते हैं कि वह गांवों में विकास का काम करेंगी ? इसमें शक नहीं कि जिन इकाइयों से आप विकास के काम की आशा करते हैं उनके बारें में सोचना पड़ेगा कि उनकी आय के साधन क्या है । मैं चाहता हूं कि आगे चलने के पहले आप एक नजर उनकी आय पर डालें । आप मुकाबला करें कि ग्राम सभा के प्रधान या पंचायतें क्या उससे विकास के काम कर सकती है ? इन की आय क्या है ? एक आना रुपया का ज्यादा से ज्यादा कर वह लगा सकती हैं, सिवा इसके आप उनको कुछ नहीं देते । ७२ हजार ग्राम सभाएं आपके प्रदेश में हैं । एक गांव सभा की आमदनी मुश्किल से १०० या १२५ रुपये की होती है १ आना के हिसाब से । अगर हमारे माननीय मंत्री जी हर जिले से पूछें और मालूम करें कि कितनी गांव सभाएं हैं जिनमें आज तक कोई पैसा वसूल नहीं हुआ है तो ज्ञात होगा कि आज २० हजार ग्राम सभाएं ऐसी हैं जिनमें १४–१४ साल का आज रुपया बकाया पड़ा हुआ है । कोई वसूली नहीं हुई है । उसकी वजह क्या है ? उसकी वजह यह है कि यह काम सेक्रेट्री का होता है कि गांवों में जाकर वसूल करे परन्तु १३–१३ गांव हैं । वह कैसे वहां पर जाय और उस रुपये को वसूल करे ? जिस वक्त मालगुजारी वसूल करने आपका अमीन गांवों में आता है अगर आपका पंचायत का सेक्रेट्री उस समय पर पहुंचता है तो आपके गांवों में रुपया वसूल हो जाता है पर अगर सेक्रेट्री साहब नहीं पहुंचेगें, तो बड़ी कठिनाई पड़ जायेगी रुपया वसूल करने में । एक १४ नं० का रजिस्टर होता है जिसमें सब हिसाब होता है पर वह रजिस्टर आज तक ग्राम सभाओं का सही नहीं है । इसलिए मैं यह कहता हूं कि बाद में रुपया वसूल होना बड़ा मुश्किल हो जाता है ।

दूसरी एक बात यह है कि जो वसूलयाबी होगी वह लगान के रुपये की एक आना रुपया के हिसाब से होगी । हर गांव में लगान बढ़ जाता है । होना यह चाहिए कि जितना लगान बढ़े उसी हिसाब से यह रुपया भी बढ़े लेकिन होता यह है कि पिछले रजिस्टर की नकल अगले साल के रजिस्टर में कर ली जाती है और वही रुपया वसूल करने की कोशिश की जाती है जो पिछले साल में था । उस रजिस्टर से यह नहीं पता चलता कि कितना लगान बढ़ा है और कितना घटा है । आज भी कुछ जगह वह रुपया जो एक आने के हिसाब से वसूल होता है खजाने में

[श्री रियासत हुसैन]

जमा हुआ पड़ा है । प्रधानों को पता नहीं है । वे बेचारे टक्कर मार रहे हैं पर्सनल लेजर्स में । उन्हें मालूम नहीं है ।

इसके अलावा माननीय सदस्यों नें कहा कि विशेष रुप से माननीय पालीवाल जी ने कहा कि गांव में तालाव है, बंजर हैं, पेड़ हैं, उन सब के ऊपर प्रधान टैक्स लगा सकते हैं । ग्राम सभाएं वसूल कर सकती है, लेकिन पंचायत राज अधिनियम में आपने साफ-साफ कहा है कि कोई भी जरिया आमदनी के लिये नहीं पैदा कर सकते हैं । गांव के अन्दर बहुत से तालाब है । उन तालाबों से लोग पानी लेकर अपने खेतों को सींचते हैं । आप यह चाहते हैं कि प्रधान उस तालाब को किसी सिंघाड़े वाले को दे दे और उस से कुछ रूपया वसूल कर ले । लेकिन यह भूल जाते हैं कि उससे गांवों में जरूरत के वक्त आबपाशी होती है । किसान जब अपनी फसल के लिए पानी चाहता है तो वे पानी दे लेते हैं और इस तरह से वे अपने धान आदि को बचा सकते हैं लेकिन अगर उसमें सिंघाड़े वाला अपनी बेल लगा लेता है तो वह शख्स हरगोज भी आपको पानी नहीं देगा और वह कहेगा कि मैंने तो पैसे दिए हैं जिसकी वजह से गांवों में धान की फसल बरबाद हो जायगी, सूख जायगी ।

एक चीज यहां पर सरकार की तरफ से यह कही गयी कि यह रुपया लगान का प्लान के रूप में ग्राम सभाओं को मिलता है और खर्चा किया जाता है । यह रुपया किस तरह से मिलता है इसके बारे में अर्ज करना चाहता हूं कि १९५४ के अन्दर मैंने अपने गांव में पंचायत घर और स्कूल बनाने के लिए रुपया स्वीकार कराया था । ४ साल लगातार लगे उसके भवन के तैयार होने में । कभी ५०० रु० का एक चेक मिल गया । उसको वसूल करनें में भी ४–४ चक्कर लगाने पड़े । इसी पर लगभग ५० रु० खर्च हो गये, आनें में, जाने में । यही कारण था कि इस भवन के बनाने में पूरे ४ साल लगे । इसलिये कि १८०० रुपये ग्राम सभा के थे । दो ढाई हजार प्लानिंग से मिलने थे और उनको ढाई हजार रुपया वसूल करने में ४ साल लग गये । पचासों रुपया आने जाने में लग गया और १ हजार रुपया मुतवातिर काम न होने से इमारत की कास्ट बढ़ गयी । बसन्तसिंह जी ने कहा कि प्रधान भोले-भाले होते हैं । कहां खर्च करेंगे एक तरफ डेमोक्रेसी में आप गांव को बनाना चाहते हैं और गांव के प्रधानों पर जिम्मेदारी लादना चाहते हैं और दूसरी ओर उस प्रधान पर यह शक करते हैं कि इसको रुपया दे दिया जायगा, तो यह गलत खर्च करेगा, यह विरोधाभास है । बड़े अफसोस की बात है कि आज जब गांव में स्कूल बनते हैं और ढाई हजार स्कूल की इमारत के लिए दिये जाते थे तो कौन खर्च करता था ? क्या एक एक हजार रुपये का चेक आप प्रधान को नहीं देते थे ? उस वक्त भी क्या हालत हुई जब आपने उसे रुपया दिया । मैं इसलिये कह रहा हूं क्योंकि आपने कहा कि प्लानिंग में रुपया की कमी पड़ जायगी । आपने कहा कि ढाई हजार रुपया हर स्कूल की इमारत के लिये मिलेगा । स्कूल की इमारत शुरू हो गयी । १ हजार का चेक मिल गया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया कि डेढ़ हजार नहीं मिलेगा । नतीजा क्या हुआ ? हजारों स्कूलों की इमारत बनी पड़ी रह गयीं । अगर यह रुपया बराह रास्त, जैसा कि झारखंडे राय जी नें संशोधन पेश किया है २५ परसेंट सीधे सीधे प्रधानों को दे दिया जाता तो फिर उस इमारत को बनाने में कोई दिक्कत अथवा परेशानी न होती, जो परेशानी महज इसलिये हुई कि दिल्ली की सरकार ने कह दिया कि डेढ़ हजार रुपया आगे वह नहीं देगी । अगर यह साधन उनके पास होता तो यह मुश्किल हर्गिज सामने न आती ।

इसलिये अगर गांव का विकास आप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि गांव सभा के खरिजें बनें, पानी पीने के कुएं बने तो गांव के लेबिल पर आपको साधन जुटाने होंगे । मैं दावे के साथ कहता हूं कि दिल्ली में प्लानिंग चल रही है । योजना भवन, कृषि भवन, रेल भवन दिल्ली में बनाये गये जिनके अन्दर कई लाख सीमेंट की बोरी लग गयी लेकिन उत्तर प्रदेश के ७२ हजार गांवों में कई हजार गांव ऐसा है जिनमें हरिजनों के पानी पीने के लिये कुंआ नहीं बनाया गया है और आज भी वहां के हरिजनों को २, ३ फर्लांग नदी से अथवा पोखरे से पानी लने जाना पड़ता

है । एक तरफ योजना भवन जो बन कर तैयार होगा उससे मैं इस बात को मानता हूं कि १७ फीसदी जनता का विकास शहरी क्षेत्र का अवश्य होता है । दिल्ली में लखनऊ में और मुरादाबाद में विकास आप आवश्य कर लेंगे, लेकिन ८३ फीसदी जतना के साथ आप बेइंसाफी करेंगे । ८३ फीसदी जनता जो देहाती क्षेत्र में रहती है जहां तक उसका विकास करने का ताल्लुक है उसके लिये अगर आप कोई उम्मीद ग्राम सभाओं से करते है तो आपको कुछ न कुछ साधनों का प्रबन्ध उनके लिये करना होगा । एक आना रुपया में आपने किया है । उसकी दशा बतला दी । वह आज रजिस्टर नं० १४ तैयार नहीं हुआ । ६, ६ महीने गुजर जाते हैं, लेकिन सेक्रेट्री साहब उन्हें दुरस्त नहीं कर पाते । ढाई साल हो गये मुझे । मैं गांव के अन्दर उस वक्त नहीं रह पाता जब जमीन क्लेक्शन के लिये आता है । उसका नतीजा यह होता है कि सेक्रेट्री साहब ढाई साल से उस पैसे को वसूल नहीं कर पाये । वे महसूस भी नहीं करते । वह जानते है कि अनुदान मिलेगा ही और उससे तनख्वाह सीधी हो जायगी । लिहाजा मेरा कहना यह है कि या तो आप बुनियादी बात बदल दीजिये और वह यह कि गांव सभा अथवा जिले के लेबिल पर विकेन्द्रीकरण नहीं करना है । लेकिन अगर आप विकेन्द्रीकरण की तरफ चलेंगे और इस वसूल को मानते हैं तो गांव सभाओं के पास कहां से साधन आयें और कैसे वे खर्च करें, इसका इंतजाम करना पड़ेगा । यह आपकी जिम्मेदारी है । इसलिये मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । २५ फीसदी की बात में नहीं कहता, बल्कि आप भी कहते हैं इसलिये २५ फीसदी मालगुजारी की गांव सभाओं को दे दिया जाय ।

*श्री बैजनाथसिंह वैद्य--

अधिष्ठाता महोदय, एक संकल्प पर हम लोग विचार कर चुके हैं और वह खत्म हो चुका है और दूसरे संकल्प पर इस समय हम सदन में विचार रहे हैं । दोनों संकल्पों के पढ़ने से मुझे बड़ी नाउम्मीदी हुई । इसलिये कि असरकारी दिवस के दिन विरोधी दलों को छूट दी गई है प्रजातांत्रिक प्रणाली में कि इस दिन वे संकल्प के द्वारा इस तरह से सरकार को संकेत करें कि यदि किसी दिन हमारे हाथ में शक्ति आई बिल बनाने की या कानून बनाने की तो हम इस तरह से जनप्रियता का परिचय देंगे । इस दिन विरोधी दलों को एक अवसर मिलता है कि वे सरकार के सामने संकेत करें कि अगर वे इन कुर्सियों पर किसी दिन बैठेंगे तो इस तरह से कानून बनाकर जनता की सेवा करेंगे ।

श्रीमन्, जब हमने दोनों संकल्पों को देखा तो हमें बड़ी नाउम्मीदी हुई । पहले प्रस्ताव में तो आपने कमीशन को प्रदेश के ७३ हजार गांवों में घूमने की बात कही । अगर एक दिन में एक गांव में कमीशन घूमे तो ७३ हजार दिनों में वह सारे गांवों में घूम पायेगा इसका मतलब यह हुआ कि उसको २१ वर्ष लगेंगे । यह हमारे एडवोकेट साहब ने संकल्प पेश किया है कि इस कमीशन को सारे प्रदेश के गांवों में घुमाया जाय और जांच कराई जांय कि गांवों में जो भूमि वितरण का काम हुआ है वह ठीक हुआ है या नहीं ? इससे ज्यादा नाउम्मीदी की बात और क्या हो सकती है ? इतनी बड़ी गलती उन्होंने की है । विरोधी दलों के माने यह हीं हैं कि वे इतनी भयंकर भूल करें जिस पर कुछ सोचा विचारा न जा सके । २१ वर्ष तक कमीशन को घुमाते जांय और जांच की जाय । बहरहाल हम जानते हैं कि उनको यह उम्मीद नहीं है कि इससे पहले वह यहां आ सकते हैं और हम वहां जा सकते हैं । इसलिये उनका कहना सही रहा है ।

श्रीमन्, माननीय कमलासिंह जी यादव ने दूसरे संकल्प के बारे में भाषण देते समय अपनी सारी एडवोकेसी लगा दी । वे गलत प्वाईन्ट्स को लेकर उनके ऊपर इतना जोर दे रहे थे, जैसे लग रहा हो कि जो कुछ वे कह रहे हैं बड़े विश्वास के साथ कह रहे हैं, हालांकि उनका दिल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बैजनाथसिंह वैद्य]

कह रहा था कि वे कोई मजबूत बात नहीं कह रहे हैं। कहीं वे माननीय कृष्णानन्दराय जी के ऊपर टूट रहे थे और कहीं किसी पर टूट रहे थे। सरकार का शासन चलता है, उसकी एक पद्धति बनी हुई है। नीचे से ऊपर तक सरकार का लगान आता है, उसका कैसे इस्तेमाल होता है इसके लिये एक ढांचा बना हुआ है, एक तरतीब बनी हुई है, उस तरह से वह खर्च होता है। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है कि किस तरह से गवर्नमेंट लेविल पर खर्च हो, किस तरह से डिस्ट्रिक्ट लेविल पर खर्च हो और किस तरह से ब्लाक लैविल पर खर्च हो ? लेकिन यह चाहते हैं कि गांव सभाओं को अधिकार दे दिया जाय कि वे मालगुजारी में से एक निश्चित भाग यानी २५ प्रतिशत अपने गांव में ही रख लें जिससे वह रुपया गांव की तरक्की के काम में लग सके।

अधिष्ठाता महोदय, कितनी गलत बात है, कितनी असंगत बात है कि आज हमारी ग्रामसभायें मजबूती के साथ, तेजी के साथ आगे बढ़ने के लिये कोशिश कर रही हैं, लेकिन जिस दिन हम उनके हाथ में पैसा दे देंगे, पैसे का प्रबन्ध दे देंगे, उस दिन सारा विकास अवरुद्ध हो जायगा।

श्रीमन्, गांव पंचायतों का एलेक्शन होता है और आप जानते हैं कि उसमें दलबन्दी कितनी उग्ररूप में सामने आती है। हर गांव में २ दल बने हुए हैं। यदि यह व्यवस्था हुई तो गांव के एक दल के हाथ में अधिकार होगा वह वसूल करेगा, उसका वितरण करेगा और गांव की तरक्की के लिये वह खर्च करेगा तो कितना भंयकर इसका परिणाम होगा, आप इसे जरा सोचिये ? गांव वालों में कितनी बड़ी लड़ाई शुरू हो जायगी। आपस में लोग कितना बड़ा संघर्ष करने लगेंगे। अभी थोड़े दिन पहले एक बार और हुआ था कि हम गांवसभाओं को लगान वसूल करने का पूरा अधिकार दे दें और यह जो बीच के वसूल करने वाले लोग हैं, अमीन आदि, उन्हें हटा दिया जाये और गांव के सभापति लगान वसूल किया करें। वह वसूल करके उसे अपने खजाने में रखा करें और वह उसका एक निश्चित भाग अपने विकास के लिये ले लिया जाय और शेष सरकार को दे दिया करें। इस स्कीम को भी प्रयोग किया जाय, लेकिन यह स्कीम टोटली फेल हुई। क्योंकि गांवसभाओं में जोरों की दलबन्दी है और उस दलबन्दी का कारण कमलासिंह जी ऐसे लोग हैं, जो सरकार की प्रत्येक योजना का उल्टा ही अर्थ गांववालों को बताते हैं। सहकारी खेती को सरकारी खेती बताते हैं, चकबन्दी से सर्वनाश हो जाने की बात का प्रचार करते हैं और इसी तरह से सरकार के सारे विकास संबंधी कार्यों का उल्टा और गलत सलत मतलब बताते हैं। हमारी एक भी योजना के सपोर्ट में गांववालों के सामने कुछ भी नहीं कहना चाहते, चाहे जितनी अच्छी वह योजना क्यों न हो, हमेशा गांव वालों में भ्रम डालने की कोशिश करते हैं। इसलिये आज उनकी जिम्मेदारी है कि सही बात बताकर वह गांव वालों में नियोजन के प्रति विश्वास उत्पन्न करें।

वह मजबूर हैं गलत प्रचार करने के लिये यदि वह सही बात कहेंगे तो जनता उन्हें वोट ही क्यों देगी। इसलिये भ्रामक प्रचार के द्वारा विरोधी लोग अपना उल्लू सीधा करने की बात करते हैं। इसलिये यह संकल्प जो है, इतना असामयिक, इतना गलत और इतना लचर है कि इसमें तो कोई दम ही नहीं है। इस प्रकार की व्यवस्था करना गांव वालों के बीच जहर बोना है। अतः मैं विरोधी दल और खासकर कमलासिंह जी से एक प्रार्थना करूंगा कि क्यों भ्रम में डालने की आप कोशिश कर रहे हैं। एक दिन जनता आपसे पूछेगी, चौराहे पर पकड़ कर पूछेगी कि आप अबतक हमें भ्रम में क्यों डाले रहे, क्यों झूठी बातें बताते रहे ? इससे आपको वोट मांगना तो दूर रहा रास्ता चलना मुश्किल हो जायगा। इसलिये आप इस प्रकार की अनर्गल बात छोड़ दीजिये। आज का किसान धीरे-धीरे समझ रहा है, उसकी आस्था भी धीरे धीरे सरकार की स्कीमों में बढ़ती जा रही है, जैसे-जैसे उसमें योग्यता आ रही है। इसलिये इस संकल्प को वापस ले लिया जाना चाहिये, क्योंकि यह तथ्यहीन है। हमारे विरोधियों ने इसके द्वारा इस बात का सबूत दिया कि यदि स्वतन्त्रतापूर्वक उन्हें बिल बनाने का अवसर दिया जायगा तो वह इसी प्रकार की उल्टी बातें लायेंगे।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

अधिष्ठाता महोदय, यह प्रस्ताव, जैसा अभी माननीय रियासत हुसैन साहब ने, हमारे पांडेय जो जो बनारस के हैं उनके भाषण के उद्धरण को देकर, बताया और जैसा कि उन्होंने कहा कि सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है और महाराष्ट्र में तथा अन्य दूसरे सूबों में इस तरह की व्यवस्था वहां की सरकारों ने कर दी है कि एक निश्चित रकम गांव सभाओं को उनके विकास के लिये मालगुजारी में से दे दी जाया करे। मैंने कहा कि बनारस से ही ऐसे लोग आते हैं जो नई नई बात करते हैं। पांडेय जी ने कोई ऐसी बात नहीं कही थी जो सही न हो, उन्होंने ठीक कहा था और उन्होंने ही नहीं, उनसे बहुत पहले से बहुत से मंत्री देहातों में जब पंचायत भवन या दूसरी चीजों का उद्घाटन करते समय भाषण करते थे तो यही कहते थे कि हम तो गांव सभाओं को इस तरह का बनाना चाहते हैं जिसमें आपको वसूलयाबी का भी अधिकार हो जाय। ८–१० साल से बराबर ये इस तरह की बात कहते आ रहे थे, पांडेय जी ने उसी बात को हाउस में दोहराया उस काम को हमारे देश की बहुत से प्रदेशीय सरकारों ने करके भी दिखलाया। बुनियादी सवाल यह है कि अगर हम गांव समाओं को विकसित देखना चाहते हैं तो उनके लिये धन की व्यवस्था करनी होगी। हम सभी जानते हैं, क्योंकि हम लोग ज्यादातर गांवों के रहने वाले हैं कि गांव सभाओं की क्या हालत है। न वहां पुलियां ठीक हैं, न रास्ते ठीक बन पाये हैं, न वहां पाखाने और पेशाबघर का कोई इंतजाम है, जो भी विकास के काम हैं वह अभी तक नहीं हो पाये हैं और अगर लाखों रुपये खर्च करके सरकार ने कुछ किये भी हैं तो वह नाममात्र के बराबर है। अभी पांडेय जी ने गाजीपुर या आजमगढ़ के सेक्रेटरियों का सम्मेलन हुआ था उसमें कहा था कि हम तो आप लोगों को ए० डी० ओ० और बी० डी० ओ० बनाने वाले हैं। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा तीन चार कालम मोटी मोटी हैडिंग में निकला। राममूर्ति जी से जब हम यहां कहते हैं कि उनको सरकारी कर्मचारी मान लीजिये तो कहते हैं कि नहीं, इस पर विचार नहीं होगा, लेकिन मैं पूछता हूं कि जब गांव सभायें मिलकर उनको पैसा देती हैं, जो अनुदान सरकार देती है उसमें से उनके लिये पैसा कटता है सेक्रेटरियों की तनख्वाह के लिये, अदालती पंचायतों के चपरासियों के लिये दो या चार रुपये महीने गांव सभाओं को देना पड़ता है और हालत यह है कि पैसा उनके पास है नहीं तो फिर विकास गांवों का होगा कहां से?

अभी बैजनाथसिंह जी कह रहे थे कि विरोधी लोगों को यह अवसर मिलता है असरकारी प्रस्ताव के द्वारा कि हम यह बतावें कि जब हम सरकार बनावेंगे तो किस प्रकार के बिल लावेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि शायद बैजनाथसिंह जी को मालूम नहीं हैं कि जो मिनिस्टर नहीं है ऐसे सभी सदस्यों को यह अधिकार है कि वे प्रस्ताव दें सकते हैं और जिसका प्रस्ताव बैलट में आजाय वह अपना प्रस्ताव रखे। केवल विरोधी लोगों को ही यह अधिकार नहीं है, आपको भी है। अब आप लोग इस अधिकार का इस्तेमाल ही न करें तो आपको हम बुद्धि तो देगें नहीं। यह तो जो चालाक लोग हैं वे उसका इस्तेमाल करते हैं और आप नहीं करते तो इसमें आपका दोष है, हमारा नहीं है और न प्रजातंत्र का दोष है।

खैर, गांव सभाओं की हालत खराब है, और अगर उनका विकास करना है तो कुछ न कुछ रकम उनको देनी पड़ेगी। सरकार को इसके ऊपर विचार करना चाहिये। आखिर रिसोसज हो भी क्या सकते हैं जो गांव सभाओं को दिये जायं? जब जमींदारी हमारे यहां थी तब बहुत बड़ी रकम मालगुजारी की जमींदार ले जाता था। एक तिहाई सरकार को देता था और दो तिहाई खुद रख लेता था। अब जमींदारी खत्म हो गयी तो जो जमींदार को जेब में रकम जाती थी उसको सरकार ने अपने खजाने में रख लिया। तो हम क्या गुनाह करते हैं और कहते हैं कि जब सरकार अलाभकर जोतों के लिये लगान माफ नहीं करती, लगान कम नहीं करती, सारा पैसा अपने खजाने में जमा कर लेती है। उस धन का कुछ प्रतिशत एक गांवों की इकाई या ब्लाकों की इकाई जिससे आपने उसे लिया उनको उनका कुछ हिस्सा दे दिया जाये तो इसमें

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ऊदल]
क्या आपत्तिजनक बात है ? बात वही है जिसको हमारे देश के प्रधान मंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री हमेशा अपने भाषणों में दोहराते रहे हैं। इस सदन में भी उस बात को कहा गया है और उसको दोहराया है। तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि बैजनाथसिंह जी क्यों ऐसा कहते हैं ?

श्री अधिष्ठाता--

अब आप अपना भाषण कल जारी रखियेगा।

बलरामपुर तथा उतरौला तहसीलों में क्वारी धान को अगहनी के समय न देने के संबंध में नियम ५० के अन्तर्गत चर्चा

*श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)--

अधिष्ठाता महोदय, यह नियम ५० (१) के अन्तर्गत जो विवाद है वह बलरामपुर तथा उतरौला, जिला गोंडा में जो गलत रूप से बीज बीज-भंडारों से दिया गया था, उसके संबंध में है। इसके संबंध में मैंने नियम ५० के अन्तर्गत चर्चा के लिए १३-३-६५ को दिया था, किन्तु उस समय माननीय अध्यक्ष ने यह कहा कि चूंकि यह बात आश्वासन समिति के समक्ष है इसलिए मैं इसको इस समय स्वीकार नहीं कर सकता। उसके पश्चात् मैंने इस पर प्रश्न दिया और स्वीकार हुआ और उसमें माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि चूंकि यह बीज गलत नहीं दिया गया था, बल्कि गन्धी लगने से पैदावार नहीं हुई यह कारण उन्होंने बताया था। मैं यह कहता हूं कि अगहनी के अवसर पर लेट पैडी के स्थान पर क्वारी धान का बीज दिया गया था इसलिये पैदावार नहीं हुई। मैंने यह गोंडा जिले के लिये कहा था। माननीय ऊदल जी ने बतलाया था कि कृषि कमेटी के अन्तर्गत एक बार यह बात आई थी और आश्वासन के अन्तर्गत भी यह बात आई थी और इस पर विचार हुआ था। उस समय इसको माफ कर दिया गया था, लेकिन अब मुझे लगता है जैसे राम १४ वर्ष के बनवास के बाद वापस लौटे थे उसी प्रकार से १४ वर्ष के बाद यह वसूली की जा रही है। इसमें हजारों किसान आज इस सूद दर सूद की परेशानी से पीड़ित हो रहे हैं। आज किसान सूखा पाला से वैसे ही पीड़ित है और इस समय थोड़ी सी उनकी फसल हुई है तो उसके पीछे चारों तरफ से ऐसे काले बादल घिरे हुये हैं। उनके पास तमाम खर्चे हैं। इसलिए मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि गोंडा जिले पर ५० लाख रुपया जो बकाया है उसकी वसूली नहीं करनी चाहिये। यह केवल ५० हजार रुपये को सवाल है। इसमें बहुत छोटे छोटे किसान शामिल हैं।

श्रीमन्, यह बीज इसलिये दिया गया था कि इसके पहले वहां पर सूखा पड़ा था और सूखा पड़ने की वजह से किसी किसान के पास बीज नहीं था। इसलिये सरकार ने इसके स्पेशल क्वालिटी कह कर "चाइना ४" दिया था कि ड्योढ़ी पैदावार होगी और बड़े उत्साह से किसान इसको लेगा। बहुत से तो बियारा में ही चले गये और जो बचे थे वे जब दूसरी जगह लगाये गये और वहां पर वह बड़े हुये, लेकिन उसके बाद वह फसल मार गई। लोगों ने जिलाधीश को, ए० डी० एम० को अपनी बातें जाकर कहीं कि हमको खेत का मुआविजा मिलना चाहिये, लेकिन उन्होंने कहा कि खेत का मुआविजा तो नहीं मिलेगा पर यह आश्वासन देते हैं कि बीज वसूल नहीं होगा। हमारा कहना है कि जब उस समय वसूली नहीं हुई और उसके बाद किसानों ने बीज भंडारों से बीज लिया है तो फिर क्यों वसूली की जा रही है ? मंत्री जी जांच कर लें। यह कायदा है कि जब एक बार बीज या कर्जा लेता है और वह अदा नहीं करता है तो दोबारा उसको बीज या कर्जा नहीं दिया जाता है। तो फिर इन किसानों को दोबारा बीज क्यों दिया गया ? वह तो माफ कर दिया गया था इसलिये मैं कहता हूं कि इसको माफ किया जाय और उनकी वसूली जो कुर्की कराके की जा रही है और उनको परेशान किया जा रहा है, उसे रोका जाय। इसके लिये यहां से आदेश जाने चाहिये।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं कहना चाहता हूं कि यहां के अधिकारियों की रिपोर्ट पर मंत्री जी ने जो बात कही है वह गलत है। वहां के जिलाधीश अपनी पूरानी वसूलयाबी कर रहे हैं, वह चाहे गलत हो या सही हो, और उन्होंने अपने ड्यूज में इसको भी जोड़ दिया है। अभी कल ही मेरी गोंडा में ऐग्रीकल्चर अफसर तथा जिलाधीश से बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कि अगर मंत्री जी इस बात को मान लेते हैं तो यह कोई बड़ी रकम नहीं है। केवल ५० या ५५ हजार रुपये का मामला है और इसको वह माफ कर सकते हैं। जो वहां के अधिकारियों ने मंत्री को बात बतलायी है वह गलत बतलाई है। गंधी लगती तो वह उस धान में नहीं लगती, दूसरे धान में भी लग सकती थी। इसके अलावा जब सूखा, पाला पड़ जाता है, या फसल मर जाती है उस समय सरकार छूट देती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सिलसिले में भी उनको कोई छूट दी गयी? उनको कोई छूट नहीं दी गयी इसलिये इनको इसमें माफी मिलनी चाहिये। अभी इस समय २०,२५ और ३५ साल पुराने बकाये वहां के अधिकारी वसूल कर रहे हैं और यह वसूली बहुत सख्ती से कर रहे हैं, उनको जेल में कर रहे हैं। मंत्री जी के पास जो सूचना आयी है वह गलत है। जो बलरामपुर के सुपरवाइजर और इंसपेक्टर हैं वह परसों मुझसे मिले थे और उन्होंने बतलाया कि ७ दिन तक मैंने तलाश किया, लेकिन सही तरीके से इसका जवाब मैं नहीं दे सका। सात दिन की मेहनत के बाद बड़ी परेशानी में यह आंकड़े भेज रहा हूं। अगर सरकार से आप कहें और सरकार उचित समझे तो इस रुपये को वह माफ कर सकती है। यह केवल ५० या ५५ हजार रुपये का मामला है। इससे हजारों गरीबों का भला होगा। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लें और यही उनसे आशा है। मंत्री जी पर मेरा किंचित मात्र भी शक नहीं है कि वह किसानों पर किसी तरह की जबरदस्ती करेंगे। अगर इस संबंध में उनको कोई संदेह है तो वह पूरी तरह से इसकी छानबीन कर लें और फिर इस पर कोई निर्णय करें। यही मेरी प्रार्थना है।

*कृषि मंत्री (श्री चरणसिंह)–

अधिष्ठाता महोदय, जहां तक माननीय मित्र सुखदेवप्रसाद जी की भावना का संबंध है और गरीबों के साथ हमदर्दी के इजहार का संबंध है, मैं पूर्णतया उनसे सहमत हूं, लकिन उन्होंने जो नतीजा निकाला है उससे सहमत नहीं हूं। क्योंकि एक बार इस बात को मान लिया जाय कि लोग गरीब हैं इसलिये उनसे बकाया न वसूल की जाय, तब तो फिर यहां किसी डिपार्टमेंट का चलना या गवर्नमेंन्ट का संचालन करना ही मुश्किल हो जायगा। लोग गरीब हैं, इसमें दो रायें नहीं हैं, लेकिन उस गरीबी का जिक्र करके यह नतीजा निकालना कि कोई बकाया या टैक्स की वसूलयाबी नहीं करनी चाहिये, यह नतीज तो गलत है। पहले देखना यह है कि जो बात माननीय मित्र ने कही है वह कहां तक सही है। उनका सारा केस इस बात पर आधारित है कि आफिसर से जो रिपोर्ट गवर्नमेंट को मिली है वह रिपोर्ट गलत है। उनका कहना है कि जो बीज दिया गया था वह बीज ही गलत था, वह बीज उगने लायक नहीं था या उस मौसम या उस जमीन के लिये उपयुक्त नहीं था, इसलिये यह फसल खराब हो गयी। एक तो उनका कहना यह है।

दूसरा उनका कहना है कि गवर्नमेंन्ट ने कोई एलान कर दिया था कि इसकी वसूलयाबी को वह माफ कर देगी। जहां तक मैंने समझा है उन्होंने ये दो बातें कहीं हैं और उसी का नतीजा उन्होंने निकाला है कि आफिसरों के पास से जो सरकार के पास रिपोर्ट आयी है वह गलत है।

श्रीमन्, आपकी इजाजत से मैं माननीय मित्र को बतला दूं कि वह बीज बिलकुल सही बीज था, सी० एच० ४ नाम का बीज था और वह अर्ली पैडी का बीज था बीज में कोई खराबी नहीं थी, जैसा कि उनका खयाल है। सन् ५१ की यह बात है और सन् ५२ में जब वसूलयाबी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरणसिंह]

शुरू हुई, तब इस पर एतराज किया गया। उस समय के जो एग्रीकल्चर डाइरेक्टर थे उनसे इस संबंध में मैंने रिपोर्ट मंगायी। अगर आपको इजाजत हो तो मैं उसे पूरा पढ़ कर सुनाने को तैयार हूं, लेकिन शायद उसकी जरूरत नहीं है। उन्होंने यह लिखा है कि बीज खराब होने की वजह से फसल खराब नहीं हुई, बल्कि सितम्बर में बारिश कम होने की वजह से और दूध पड़ने के वक्त गंधी कीड़े के लग जाने से धान की फसल खराब हो गयी। यह १३, १४ साल का वाकया है, यह नहीं है कि आजकल जो मौजूदा आफिसर हैं उन्होंने गलत रिपोर्ट भेज दी। यह सन् ५२ की रिपोर्ट है जब कि एग्रीकल्चर डाइरेक्टर श्री एस० बी० सिंह थे। आपकी इजाजत से उनकी रिपोर्ट में अंग्रेजी में पढ़ देता हूं, फिर उसका तजुर्मा सुना दूंगा :—

"I have the honour to state that a large number of applications were received from the cultivators of Basti, Gonda and Gorakhpur districts complaining against failure of Paddy crop and requesting for the remission of the cost of seed supplied to them for the purpose.

The District Agricultural Officers of these districts were asked to make a thorough inquiry in all such cases and a village-wise survey of the villages so affected is in hand. The reports received, however, indicate that the failure of crop in most cases is genuine and has been due largely to the following factors :

(i) deficient rains in September,

(ii) severe attack of Gundhi-Bug at the milk stage.

The above have also materially damaged the late Paddy crop as well and under the circumstances the cultivators who have been advanced these seeds deserve some concessions and I recommend the following :

(*a*) the recoveries be postponed to next year when seeds due will be realized in kind ;

(*b*) sawai interest and penalty be remitted in full.

These will be allowed to such cultivators whose crops failed entirely as confirmed by the reports of the Revenue Department."

इसका अर्थ यह है जो डाइरेक्टर एग्रीकल्चर ने लिखा है कि बस्ती, गोंडा और गोरखपुर के बहुत से किसानों ने यह शिकायत करते हुए दरख्वास्त दी है कि धान की फसल खराब हो गयी है और उसके लिये उन्होंने प्रार्थना की है कि उनसे बीज की कीमत वसूल न की जाय। तीनों जिलों के डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर से कहा गया है कि वे इसकी पूरी तहकीकात करें। उन्होंने कुछ गांवों में तहकीकात की है और अभी तक कुछ तहकीकात चल रही है। लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट आयी है उससे यह साबित होता है कि इन किसानों की यह शिकायत सही है कि फसल खराब हुई, लेकिन फसल खराब होने के दो कारण हैं। एक तो यह कि सितम्बर में बारिश का कम होना और जब कि धान में दूध पड़ रहा था, उसी समय गंधी कीड़ा का लग जाना। इसकी वजह से लेट पैडी पर भी असर पड़ा है। इसलिये इस हालत में इनको कुछ सहूलियत मिलनी चाहिये। जिन किसानों को बीज दिया गया था वे कुछ रियायत के मुस्तहक हैं और उसके लिये निम्नलिखित सिफारिश करते हैं:— एक तो यह कि उनकी वसूलयाबी एक साल के लिये मुल्तवी कर दी जाय और सवाई का रुपया जो उस पर तावान होता है, उसे पूरा माफ कर दिया जाय। यह उन कल्टीवेटर्स के साथ रिआयत की जायगी जिनकी कि फसल पूर्णतया खराब हो

गयी, जैसा कि लैण्ड रेवेन्यू डिपार्टमेंट की रिपोर्टों से साबित होगा और जो मिनिस्टर आफ एग्रीकल्चर हैं, मैं उनसे बात कर चुका हूं और वह उन प्रस्तावों से सहमत हैं। इत्तफाक से उस वक्त भी कृषि मंत्री मैं ही था। तो डाइरेक्टर आफ एग्रीकल्चर मुझसे बात कर चुके होंगे।

मेरे कहने का मतलब यह है कि यह जो कुछ सवाल के जवाब में कहा गया वह मौजूदा रिपोर्ट की बिना पर नहीं, वह तो पहली रिपोर्ट है, आज से सवा तेरस बरस पुरानी। लिहाजा फैक्टस की रिपोर्ट करने में कोई गलती नहीं है। अब रही उनके साथ रिआयत वगैरह करने की बात, तो जैसा कि इसमें लिखा है, इंटरेस्ट तो छोड़ दिया गया और तावान उनसे नहीं लिया गया। वह ५० हजार रुपये का जिक्र कर रहे हैं। तो ५० हजार बकाया नहीं है। इन ८५० किसानों पर १८ हजार रुपया बकाया है जो कि २१ रुपये का औसत होता है। सन् १९५१ से १९६५ तक कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जा रहा है, केवल असल मांगा जा रहा है तो तावान का सवाल नहीं है, यह रिआयत की गयी है कि एक साल के लिये इसकी वसूलयाबी मुल्तवी कर दी गयी। उसके बाद रेवेन्यु डिपार्टमेंट को कृषि डिपार्टमेंट की तरफ से बराबर लिखा जाता रहा है कि वसूलयाबी कीजिये, लेकिन जैसा कि सबको मालूम है और बात समझ में आती है कि मुहकमा माल की तरफ से इंफेसिस और बल रहा है मालगुजारी वगैरह वसूल करने पर अधिक, और जो कृषि विभाग की देय राशियां हैं उनकी तरफ उनका ध्यान उतना नहीं रहा, या तो उनको समय नहीं मिला या स्टाफ की कमी थी। तो वह वसूल नहीं कर पाये। लेकिन अगर गवर्नमेंट की तरफ से वसूलयाबी का सख्त ताकाजा नहीं हुआ तो इसका नतीजा यह नहीं निकलता कि बकायादार अदा करने की जिम्मेदारी से मुक्त समझा जाय। बकायादार को तो बल्कि बकाया देने की ज्यादा जिम्मेदारी है, बजाय इसके कि क्रेडिटर या गवर्नमेंट का फर्ज हो कि वह वसूल करे। उनको तो खुद ही अदा करना चाहिये, लेकिन नहीं दिया या यह मान लिया जाय कि गवर्नमेंट की तरफ से गफलत हुई। लेकिन उस गफलत से उनका नुकसान कुछ नहीं हुआ, क्योंकि १४ साल से कोई इंटरेस्ट तो गवर्नमेंट को नहीं मिला। वैसे तो बहुत सी मजबूरियां हुई हैं, लेकिन अगर गफलत मानी जाती है तो भी उसकी वजह से भार नहीं पड़ गया, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं।

यही नहीं, इसमें तो फसल फेल हो गयी, लेकिन बहुत ही जगह खराब भी नहीं हुई, अच्छी हुई और फिर भी बीज का बकाया है, कृषि विभाग का बकाया है। वह १५–२० साल से पड़ा हुआ है, बल्कि सन् ४४–४५ से भी पड़ा हुआ है जो कि करोड़ों का हो जायगा। तो हमने पिछले साल यह आदेश जारी किये हैं कि जहां तीन साल से ज्यादा बकाया हो तो उसमें किस्तें कर दी जायं और डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर और डिप्टी डायरेक्टर को भी आदेश दे दिये हैं कि १०० से ५०० रुपये की रकम रखी गयी है कि अगर इस हद तक किसान कहता है कि उससे बकाया गलत तलब की जा रही है, कोई देनदारी नहीं है कमी उसने बीज नहीं लिया, या दोबारा बकाया वसूल हो रहा है तो बजाय इसके कि कोई लम्बी चौड़ी तहकीकात हो और रिपोर्ट करें, वह मौके पर जाकर अगर उनको मारेल कनविक्शन हो जाय, नैतिक स्तर पर विश्वास हो जाय कि यह बकाया गलत है, इसने नहीं ली, किसी दूसरे का अंगूठा लगवा लिया और वह सुपरवाइजर मर गया, चला गया या रिटायर हो गया या बकायेदार ने दे दिया उससे दुबारा वसूली की जा रही है अगर ऐसा यकीन हो जाय तो वह उसको राइट-आफ कर सकें। लेकिन यह करोड़ों का बकाया पड़ा हुआ है। जिन लगों की फसल अच्छी हुई उन्होंने भी नहीं दी। ऐसी सूरत में मैं आपकी इजाजत से यह अर्ज करूंगा सदन के सामने....

श्री अधिष्ठाता—

मेरा समय का ध्यान रखेंगे, क्योंकि आधे ही घंटे का विवाद है और लोग सवाल भी करेंगे।

श्री चरणसिंह---

बस मैं यहीं खत्म करता हूं ।

श्री सुखदेवप्रसाद---

उत्तर में यह बताया गया कि फसल गंधी से नष्ट हुई, बीज की खराबी से नहीं, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कोई छूट इस सिलसिले में दी गयी और कितनी बकाया रह गयी ?

श्री चरणसिंह---

वह जो सवाया लिया जाता है वह नहीं लिया गया। तावान लिया जाता है वह माफ हो गया। असल में कोई छूट नहीं दी गयी। करीब ८५० किसानों पर करीब १८ हजार कुछ के बकाया है ।

श्री सुखदेवप्रसाद---

जब कोई फसल नष्ट हो जाती है तो उसमें छूट दी जाती है। इसमें कितनी छूट दी गयी, यदि नहीं तो क्या कोई छूट देने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी ?

श्री चरणसिंह---

मैंने अर्ज किया कि असल में कोई छूट नहीं दी गयी। डिस्प्यूटेड केसेज में १०० रुपये तक जिला कृषि अधिकारी को छूट देने के तथा ५०० रुपये तक डिप्टी डाइरेक्टर को छूट देने के आदेश हैं। यह केस ऐसा है कि इसमें डिस्प्यूट नहीं है। इस मामले में भी मैंने अपने सेक्रेट्री से बात की है और कहा है कि कुछ राहत हम दे सकें। इस पर विचार मैं कर रहा हूं, लेकिन इसको कोई आश्वासन न समझा जाय ।

श्री सुखदेवप्रसाद---

बहुत से सदस्य, उधर के भी, यह कह रहे थे कि इसमें गलती कृषि विभाग की है जिसकी वजह से १४ साल तक वह वसूल नहीं किया गया। तो क्या यह सही है कि उनकी गलती को छिपाने के लिये किसानों से यह से यह वसूल किया जा रहा है ?

श्री चरणसिंह---

आपका जो यह ख्याल है कि बीज गलत दिया गया, यह बात निर्मूल है। सन् ५८ में बस्ती में जरूर ऐसा हो गया था। उसको सरकार ने माफ कर दिया था। मैंने जैसा बताया यह रिपोर्ट तो दिसम्बर, १९५२ की है। इसलिये गलती को छिपाने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)---

चूंकि किसानों को यह भ्रम हो चुका था कि यह अब वसूल नहीं किया जायेगा, इसलिये क्या माननीय मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि इसमें कोई रिआयत दी जाय ?

श्री चरणसिंह---

यह मैं अर्ज कर चुका कि क्योंकि गवर्नमेंट ने वसूल नहीं किया इससे मेरी अपनी राय में किसानों को कोई अधिकार नहीं हो जाता है कि वह इसकी अदायगी से इन्कार करें ।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला इटावा)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, वैसे तो माननीय मंत्री जी ने काफी साफ कर दिया, परन्तु फिर भी मैं यह जानना चाहता हूं कि कहा जाता है कि इस पर हम पुनर्विचार करेंगे और नियमानुसार कुछ कंसीडरेशन करेंगे, तो जब वसूली हो जायगी उसके

बाद कुछ करना मुश्किल होगा। इसलिए यह डेसीशन चाहे निगेटिव में हो चाहे पाजिटिव में हो, लेकिन जब तक महीने पन्द्रह रोज तक वह हो नहीं जाता है तब तक इसकी वसूली सस्पेंड करने की कृपा करेंगे ?

श्री चरणसिंह--

मैंने जैसा अर्ज किया कि आम प्रश्न पर विचार करने की तजवीज मेरे सामने है। कुल इक्कीस इक्कीस रुपये का ही सवाल है, तो वह जितना दे दें, उतना अच्छा ही है।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)--

मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से क्योंकि जैसा आपने कहा कि कुछ गरीबों को कुछ ऐड या ग्रान्ट की शकल में पैसा दिया जाता है तो क्या सरकार जब यह जानती है कि ये गरीब है और वह लोग है जो काश्तकारी में मेहनत करते हैं, तो उनसे इस वसूली करने से उन पर और गरीबी आयेगी और आपको दूसरी शकल में उनको और अनुदान देना पड़ेगा, इस सूरत को देखते हुये और उनकी गरीबी का ख्याल करते हुए इस चीज को वह हटाने की कृपा करेंगे ?

श्री चरणसिंह--

मैं इस उसूल को मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि गवर्नमेंट कुछ चीजों के लिये अनुदान देती है लिहाजा वह अपना बकाया टैक्स वसूल न करे।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सुखदेवप्रसाद आपको और कुछ पूछना है ?

श्री सुखदेवप्रसाद--

जी नहीं।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी, आपको कुछ और कहना है ?

श्री चरणसिंह--

मैं तो समझता हूं कि कुछ जरूरत नहीं है, मैं तो सब बातें साफ कर चका हूं।

श्री अधिष्ठाता--

तो अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
२२ अप्रैल, १९६५।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६३ पर)

घटना का विवरण (प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार)

श्री अनन्तराम उर्फ बिल्लू पुत्र—श्री सन्त राम नि० मोहल्ला शाहाबाद, थाना कोतवाली बरेली सबेरे ६ बजे के करीब प्रताप डेरी से दूध लेकर साइकिल पर अपने घर वापस आ रहे थे। रास्ते में इसहाक नि० मोहल्ला शाहाबाद ने यह कहकर कि अनन्त राम ने उसका नाम गुन्डा गर्दी में पुलिस को बताया है, उसे चाकू से मारना आरम्भ कर दिया। बिल्लू चिल्लाया और साइकिल से गिर गया। उसे घायल देखकर उसके पिता तथा अन्य चार व्यक्ति घटना स्थल की ओर दौड़े पर अपराधी भागने में सफल हो गया। घायल को उसी समय अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसकी मृत्यु हो गई।

———

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३० (४) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७१ पर]

स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों की कक्षा ८ तक हरिजन एवं पिछड़े वर्ग क छात्रों को क्षात्र वेतन आदि का धन सरकार द्वारा सीधे स्थानीय निकायों को स्वीकृत कर दिया गया है।

कक्षा ९ व १० के छात्रों के लिए धन निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण उत्तर प्रदेश द्वारा जिलावार स्वीकृत किया जाता है। जिसमें से जले के समस्त विद्यालयों के हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्र वेतन स्वीकृत किया जाता है।

जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी एटा ने यह सोचकर कि स्थानीय विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों को जो धन पहले ही राज्य सरकार से प्राप्त हो चुका है निदेशक द्वारा कक्षा ९ व १० के छात्रो को स्वीकृत छात्र वेतन निरस्त कर दिया और धन वापस करने के आदेश दे दिये थे। यह आदेश गलत था और छात्र वेतन का धन कालेज को लौटा देने के आदेश भेज दिये गये हैं।

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७६ पर]

तालिका—क—

क्रम-संख्या	कारखाने की संख्या	एलाटी का नाम	उद्योग धन्धे का नाम	धनराशि जो जमा की गयी: क्रय	धनराशि जो जमा की गयी: तिथि	यदि लोन डीड एवं हायर पर-चेज ऐग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन कराया हो
१	२	३	४	५	६	७
				रु० पै०		
१	६९	श्री सुमत प्रसाद ..	.. पौलिथिन पेपर एवं पाइप ..	२,०००.०० ६३६.१८	३०–८–६०	नहीं।
२	७०	श्री राम गोपाल अग्रवाल	.. थर्मामीटर इंडस्ट्रियल मिनीचर लैम्प ..	२,०००.०० ६९३.९४	१३–१–६१ ७–९–६४	नहीं।
३	७१	श्री यशदत्त मेहेन्द्रा ..	.. रिविट, एवं हायर नेट्स, स्क्रियू, टुल्स, एवं आइलेट्स।	१,६६१.००	१२–२–६२	नहीं।
४	७२	मे० विजय इन्डस्ट्रियल कारपो०	.. औद्योगिक ट्यूब एवं पाइप ..	२,०००.०० ६५६.८२	२७–१–६१ २८–८–६४	नहीं।
५	७३	मे० गोपाल जी बटन इन्ड० ..	प्रेस बटन इन्डस्ट्रीज एवं इले० गुड्स ..	२,०००.००	३१–३–६१	नहीं।
६	७४	श्री लक्ष्मन स्वरूप महेश्वरी	.. प्लास्टर आफ पेरिस ..	२,०००.०० ६५४.४५	१५–९–६० ७–८–६४	नहीं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

७	७५	श्री भगवान दीन ..	..	कृषि यन्त्र, बर्तन, लौह वर्क्स ..	२,०००.००	२१-१२-६०	नहीं ।
		मे० हरिजन इन्डस्ट्रीज ..			१४,८२.७०	७-१०-६३	
८	७६	मे० दुर्गा ऐन्ड इन्जीनियरिंग वर्क्स ..		पनल पिन्स, कीलें, डाई कटर्स, कृषि यन्त्र, कन्डयूट पाइप ।	२,०००.००	१९-८-६०	नहीं ।
९	७७	मे० रोयल सुप्रीम इन्ड० ..		कैन्डयूट पाइप, एलेक्ट्रिकल गुड्स, मशीनरी पार्टस् ।	२,०००.००	१९-४-६१	नहीं ।
					६००.००	२-९-६४	
१०	७८	मे० कृष्णा स्टील इन्ड० ..		पेपर पिन, क्लिप, कन्ट्यूट पाइप कृषि यन्त्र	२,०००.००	१९-८-६०	नहीं ।
११	७९	मे० हरियाना इन्ड० ..		टेलीस्कोपिक पाइप, एलेक्ट्रिक वायर ..	२,०००.००	२९-८-६०	नहीं ।
					६८५.३२	७-८-६४	
१२	८०	श्री शिवनाथ बाल्मीकी ..		कृषि यन्त्र, बर्तन, लौह वर्क्स ..	२,०००.००	२९-८-६०	नहीं ।
					१,४८२.७०	२-७-६३	
१३	८१	मेयर हरनाम सिंह ..					
		मे० निराकार इन्जीनियरिंग वर्क्स ..		साइकिल ऐन्ड मोटर पार्टस् ..	२,०००.००	३०-८-६०	नहीं ।
					१,४५४.९७	१-५-६४	
१४	८२	मे० वीरेन्द्र कुमार सुरेन्द्र कुमार ..		साइकिल मडगार्ड ..	२,०००.००	२०-८-६०	नहीं ।
					८८०.९६	२-९-६४	
१५	८३	मे० कैपिटल साइकिल इन्ड० ..		साइकिल ऐन्ड मोटर पार्टस् ..	२,४४८.२९	३०-३-६३	स्टाम्प पर एग्रीमेंट भर दिया ।
१६	८४	मे० ब्लैक ऐन्ड ह्वाईट		पेंट्स ऐन्ड वार्निश ..	२,०००.००	३०-९-६०	नहीं ।
१७	८५	मे० आर० के० ब्रदर्स ..		आयर नेटिंग काटन क्लाथ ..	२,०००.००	१-९-६०	
					६४८.९८	२-११-६४	नहीं ।
					१,४३५.९८	१९-१२-६४	

१	२	३	४	५	६	७	
१८	८६	मे० मेडी० टेक्स कारपोरेशन ..	केमिकल एवं ड्रक्स	२,०००.००	१३-९-६०	स्टाम्प	पर
				६५५.२२	२७-८-६४	ऐग्रीमेंट दिया।	भर
१९	८७	मे० डी० वार० सहदेव ऐन्ड कं० ..	शू नेट्स शू मैटीरियल	२,०००.००	२३-८-६०		
				६६३.४८	५-८-६४	नहीं।	
				१,४२२.३५	३१-१०-६४		
२०	८८	मे० सरन स्टील एजं ..	कृषि यन्त्र, शू नेल्स	२,०००.००	२२-८-६०	नहीं।	
				८०१.०६	३१-७-६४		
२१	८९	मे० जीवन स्टील फैक्टरी ..	फोटो फ्लैश बल्ब	२,०००.००	२६-८-६०	नहीं।	
				८९२.६२	११-८-६४		
२२	९०	मे० श्याम काटेज इन्ड० ..	कन्टयूट पाइप, साइकिल पार्टस्, पिन ..	२,०००.००	२७-८-६०	नहीं।	
२३	९१	मे० गोपाल, इन्जीनियरिंग ऐन्ड केमिकल वर्क्स।	परफ्युमरी, केमिकल एवं साइकिल पार्टस् पिन।	२,०००.००	२-९-६०	नहीं।	
				६५०.१८	२४-८-६४		
२४	९२	मे० रोयल इन्ड०] ..	शू नेल्स	२,०००.००	९-९-६०	नहीं।	
२५	९३	मे० राष्ट्रीय इन्ड० कारपोरेशन ..	रेडियो, ट्रांजिस्टर पार्टस् एवं शू नेल्स, आदि	२,०००.००	३१-८-६०	नहीं।	
२६	९४	मे० एलेन मेटल प्रोडक्ट्स ..	स्टील बाल एवं मशीनरी आदि ..	२,०००.००	१-९-६०	नहीं।	
				७८०.३०	१४-११-६४		
२७	९५	श्री करतार सिंह आनन्द ..	रबर इस्यूलेशन	२,०००.००	१-९-६०	नहीं।	
				२,१००.६४	२९-१०-६४		
२८	९६	मे० आनन्द इम्पेक्स ..	स्प्रिंग लोव्व, आयल सील आदि ..	२,०००.००	१-९-६०	नहीं।	
				२,१००.६४	२९-१०-६४		

२९	९७	श्री सालिगराम स्थल ऐ० सं०	..	कृषि यन्त्र, ड्रग्स	.. ..	२,०००.००	२–९–६० नहीं।
						२,७००.२२	५–३–६४
३०	९८	मे० कृष्णा स्टील वर्क्स	..	आयरन सेफ, कैश बक्स, रोलिंग शटर, स्टील फर्नीचर।		१,८३५.७४	२२–१–६३ नहीं।
३१	९९	मे० फार्मर्स इन्टर प्राइज	..	कृषि यन्त्र	.. ..	२,०००.०	१२–९–६० नहीं।
						६६६.७०	१४–९–६४
३२	१००	मे० बकोडिया मैनुफैक्चरिंग कं०	..	फाउन्टेन पेन एवं निब	..	२,०००.००	२६–८–६० नहीं।
						८०१.४४	२३–९–६४
३३	६५	}					
३४	६६	}					
३५	६७	यू० पी० स्माल इन्डस्ट्रीज व कारपोरेशन					
३६	६८	(यू०) लि० (डिवो)।					

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ध'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७६ पर]

तालिका 'ख' (भाग–१)

जिन कारखानों का उल्लेख प्रश्न संख्या ६ के उत्तर में दी गई सूची में है उनमें से निम्नलिखित को कच्चा माल दिया गया है उसका विवरण इस प्रकार है—

क्रम-सं०	पार्टी का नाम	१९६०–६१	१९६१–६२	१९६२–६३	१९६३–६४	१९६४–६५	विशेष विवरण
	तावां व जस्ता						
१	सर्वश्री रायल सुप्रीम इन्डस्ट्रीज (प्लाट ७७) ..	..	..	तांबा १.५० टन जस्ता १.२५ टन	०.७५ टन ०.५० टन	..	बन्द कर दिया गया
२	श्री जकोडिया मे० कं० (प्लाट नं० १००) ..	..	..	तांबा १.२५ टन	०.५० टन		
	निकिल						
१	सर्वश्री श्याम कोटेज इं० (प्लाट ९०) ..	..	..	..	२५० कि० ग्रा०	..	
	टिन						
१	सर्वश्री राम गोपाल अग्रवाल (प्लाट ७०) ..	..	..	१०० कि०ग्रा०	१८० कि० ग्रा०	९० कि०ग्रा०	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

कोयला

१	सर्वश्री विजय इन्ड० कारपो०	..	..	१ गाड़ी	१ गाड़ी	४ गाड़ी	..	..
२	श्री चन्द्र शेखर ..	..	..	..	१	१	..	..
३	श्री श्याम काटेज इन्ड०	..	..	..	२	१	..	१ गाड़ी
४	श्री गोपाल जी वटन इन्ड०	..	..	..	१	१	..	..
५	श्री सरन स्टील ऐज	..	..	..	१	..	..	.
६	श्री कृष्णा स्टील इन्ड०	..	..	..	१	२	..	..
७	श्री दुर्गा इन्जी० वर्क्स	..	..	..	१	१	..	.
८	श्री डी० आर० सचिदेवा. ऐन्ड कं०	..	..	..	१	२	२	..
९	श्री जीवन स्टील फैक्टरी	..	..	..	१	..	..	..
१०	श्री रायल सुप्रीम इन्ड०	..	..	..	१	२	..	..
११	श्री हरियाना इन्ड० ..	..	..	..	..	२	२	..
१२	श्री वीरेन्द्रकुमार ..	..	..	..	..	२	२	..
१३	श्री आनन्द इन्जी० कारपो०	..	..	..	..	१	..	.
१४	श्री आनन्द इम्पेक्स ..	..	..	..	..	१	१	..
१५	श्री एलेन मेटल प्रोडक्ट्स	..	..	..	..	२	१	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

तालिका 'ख' (भाग–२)

इम्पोर्ट लाइसेन्स तथा एसेंशियलिटी सार्टीफिकेट जिन उद्योगपतियों को दिये गये

क्रम-सं०	पार्टी का नाम	वर्ष	धनराशि	वस्तुओं का नाम
			रु० पै०	
१	श्री सालिगराम स्याल ऐन्ड संस	१९६०–६१	१,०००.००	हाई स्पीड टूल स्टील।
२	,, दुर्गा इन्जीनियरिंग वर्क्स	,,	३,६००.००	टूल ऐन्ड एलाय स्टील।
३	,, मेहरोत्रा स्टील वर्क्स	,,	२,०००.००	रोल बी० पी० आर० २६० पाउडर।
		१९६३–६४	३,०००.००	मेजरिंग टूल्स।
४	,, अग्रवाल स्टील कं०	१९६०–६१	१,३४३.००	स्टीनलेस स्टील शीट्स।
		,,	५,११८.००	पिट क्वाइन्ट एलाय।
		,,	११,४८०.००	सैलोल्यूज टेट्रेट ट्यूब।
		१९६१–६२	४०,०००.००	सी० ए० पी० मोल्डिंग पाउडर।
		,,	२५,७५०.००	सैलोल्यूज ट्यूब ऐन्ड शीट्स।
		,,	१३,०००.००	टेट्रेट ट्यूब ऐन्ड शीट्स।
५	,, आर० बी० अग्रवाल ऐन्ड ब्रदर्स ..	१९६१–६२	१६,५००.००	ब्रास कैप्स।
		१९६२–६३	२८,८००.००	फिलिमेट्स कापर ब्लेड वायर बेलून रबर यूकिंग ऐण्ड ब्रास कैप्स।
		१९६३–६४	६,४००.००	कापर ब्लेड वायर तथा एन० आई० सी० सी० वायर।
		१९६४–६५	५४,४७५.००	टिन प्रस्टेन फिलेमेंटस ब्रास कैप तथा एन० सी० सी० वायर, मैटिल वायर।

६	,, गोपाल इन्जीनियरिंग ऐण्ड कैमिकल्स वर्क्स ..	१९६२–६३	८,३८५.००	ऐसिंशियल आयल ऐण्ड आयल कलर्स।
		१९६३–६४	७,८८५.००	,, ,,
		१९६४–६५	७,६५०.००	,, ,, तथा आर्मेटिक केमिकल्स।
७	,, रायल सुप्रीम इन्डस्ट्रीज	१९६३–६४	२४,७००.००	जर्मन सिलवर स्कैप तथा पी० एम० टूल्स।
		१९६४–६५	१६,१५०.००	पी० एम० टूल्स डाइज तथा कैप्स।
८	,, राष्ट्रीय इन्डस्ट्रियल कारपो० ..	१९६३–६४	४२,५००.००	रेडियो पार्ट्स, तथा मेजरिंग टूल्स।
		१९६४–६५	४९,८००.००	रेडियो पार्ट्स तथा स्टैम्पिंग फाइल्स।
९	,, आनन्द इन्जीनियरिंग कारपो०	१९६३–६४	७,०००.००	बाल बियरिंग।
१०	,, बकोड़िया मैन्युफैक्चरिंग कं० लि० ..	१९६३–६४	७३,०००.००	सी० एन्ड बी० मोल्डिंग पाउडर तथा सी० ट्यूब।
		१९६४–६५	२,०४,०५०.००	स्टैम्पिंग फाइल प्लास्टिक मोल्डिंग पाउडर निकिल एलाइल ब्रास ट्यूब स्टीनलेस बाल।
११	,, फारमर इन्टरप्राइज	१९६४–६५	१,०००.००	टन्डस्टन कारलाइड प्लेट्स।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८४ पर)

तालिका 'क'

उन जिलों की सूची जहां वर्ष १९६४ में असुरक्षित क्षेत्र के हेतु पावर ऋशरों के नये लाइसेंस स्वीकार किये गये

क्रम-संख्या	जिलों के नाम	क्रम-संख्या।	जिलों के नाम
१	सहारनपुर	१५	मैनपुरी
२	मुजफ्फरनगर	१६	बरेली
३	मेरठ	१७	पीलीभीत
४	बुलन्दशहर	१८	बदायूं
५	मुरादाबाद	१९	एटा
६	रामपुर	२०	फर्रुखाबाद
७	सीतापुर	२१	रायबरली
८	खीरी	२२	बलिया
९	शाहजहांपुर	२३	आजमगढ़
१०	हरदोई	२४	गाजीपुर
११	बाराबंकी	२५	वाराणसी
१२	बिजनौर	२६	सुल्तानपुर
१३	अलीगढ़	२७	बहराइच
१४	मथुरा	२८	मिर्जापुर]

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८४ पर)

तालिका 'ख'

जिला मुरादाबाद में वर्ष १९६३–६४ (१–१०–१९६३ से ३०–९–६४ तक) के हेतु ऋशरों के लिये दिये गये नये लाइसेंस गृहीताओं का विवरण

क्रम-संख्या	लाइसेंसग्रहीता का नाम
१	सर्वश्री कैलाशचन्द्र प्रहलादराय, मो० डांग, कचेहरी, रोड, मुरादाबाद ।
२	श्री शिव दत्त शर्मा, पुत्र श्री रघुबर दयाल शर्मा, ग्राम व पोस्ट करौल, जिला मुरादाबाद ।
३	श्री मुख्तार महमूद, ग्राम व पोस्ट बछरांव, जिला मुरादाबाद ।
४	श्री हेतराम सिंह, ग्राम मोहम्मदपुर बवाई, डाकखाना नरौली, जिला मुरादाबाद ।
५	सर्वश्री कामता प्रसाद ऋषी सिंह, ग्राम अमानताबाद, मो० डांग अफजल, जिला मुरादाबाद ।
६	श्री उदयपालसिंह पुत्र श्री रामरतन सिंह, ग्राम गरवरपुर, पोस्ट बिलारी, जिला मुरादाबाद ।
७	श्री रामचन्द्र सिंह पुत्र श्री जालिम सिंह, ग्राम गरवरपुर, पोस्ट बिलारी, जिला मुरादाबाद ।

———

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८५ पर)

सूची

सिंहपुर ब्लाक द्वारा दिये गये अनुदान का विवरण

मद	नाम	गांव	दी गई धनराशि
			रु०
कुआं बनाने हेतु	१—श्री दयाराम पासी ..	बैनगरा ..	१००
	२—श्री शीतलादीन पासी ..	रामपुर पायरा ..	१००
	३—दुजई पासी ..	जुनरामपुर ..	३५०
	४—अधार चमार ..	इसनापुर ..	१००
	५—राम हरन चमार ..	खानापुर ..	२००
	६—परमेश्वरदीन कोरी ..	रस्तामऊ ..	२५०
		योग ..	१,१००
कृषि उत्थान हेतु (बैल खरीदने)	श्री बलई रैदास ..	महिया छिदुरिया ..	२५०
		योग ..	२५०
कुटीर उद्योग	१—श्री खुशी राम चमार ..	महोरवा भवानी ..	१००
	२—मंगल दास चमार ..	सिंहपुर ..	५०
	३—श्री भभूती प्रसाद, प्रधान, औद्योगिक सहकारी समिति, शिवरतनगंज ..	शिवरतनगंज ..	१,२००
		योग ..	१,३५०
		कुल योग ..	२,७००

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८६ पर)

उपकरणों का विवरण

रासायनिक परीक्षक उत्तर प्रदेश शासन, आगरा की प्रयोगशाला के लिये निम्नलिखित उपकरणों को इंग्लैण्ड से मंगाये जाने का निश्चय किया गया है

उपकरण	संख्या	अनुमानित मूल्य
		रु०
१–फ्लोरोसेन्स लैम्प, माडल १६ पोर्टेबिल टाइप (क्रोमेटोलाइट)	१	१,०५६
२–डिटेक्टोलाइट	१	१,३२०
३–टाप ड्राइव मेसरेटर	१	१,०१५
४–यूनीकेम एस० पी० ५०० अल्ट्रावायलेट तथा विज़िबिल स्पेक्ट्रो फ्लोटोमीटर	१	१७,५००
योग ..		२०,८६१
		अथवा
		२०,६००

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८९ पर)

दिनांक १५–२–६५ को निम्नांकित इस्तगासे पुलिस कर्मचारिगण के विरुद्ध न्यायालय में विचाराधीन थे

क्रम-संख्या	पुलिस कर्मचारी का नाम	कम्प्लेनेंट का नाम एवं धारा	न्यायालय का नाम	अन्य विवरण
१	२	३	४	५
१	कां० गम्भीर सिंह ..	छिद्दन ३२३/३४२ भा. द० वि०	जे० ओ० विसौली	दिनांक २६-३-६५ को खारिज हुआ ।
२	एस० आई० बाबूराम का० रामपाल सिंह .. का० शिवसिंह	परमी ३२३/३९४भा० द० वि०	ए० डी० एम० (जे०)	अभी विचाराधीन है ।
३	एस० आई० ए० एल० तिवारी एस० आई० खेम सिंह का० प्रेमपाल व माजिद	गंगाराम ३२३/३४२ भा० द० वि० १४७	ए० डी० एम० (जे०)	दिनांक २-३-६५ को खारिज हुआ ।
४	एस० आई०, ए० एल० तिवारी एस० आई०, एस० डी० तिवारी कां० टीकाराम व नत्थू-सिंह	ब्रजपाल ३२२ भा० द० वि०	ए० डी० एम० (जे०)	अभी विचाराधीन है ।
५	एस० आई० रघुराज-सिंह कां० रामलाल	श्रीमती कलावती ३५२/३२३/५०४/ ५०६ भा० द० वि०	ए० डी० एम० (जे०)	दिनांक २२-३-६५ को धारा २०३ के अन्तर्गत खारिज हुआ
६	एस० आई०, आर० के० वर्मा	रामचन्द्र ३०७/५०४/ ५०६	ए० डी० एम० (जे०)	दिनांक १५-३-६५ को धारा २०३ के अन्तर्गत खारिज हुआ।
७	एस० आई०, आर० के० वर्मा	श्यामलाल ४०९/३२३ भा० द० वि०	ए० डी० एम० (जे०)	दिनांक १५-३-६५ को धारा २०३ के अन्तर्गत खारिज हुआ ।

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९२ पर)

गाजीपुर में स्थित प्राचीन स्मारक तथा अवशेष

क्रम-संख्या	स्थान	नाम (विवरण)	भारत सरकार के संरक्षण में
१	२	३	४
१	ओरिहार ..	मसून ढीह नामक ढूह ..	भारत सरकार के संरक्षण में
२	भीमापुर ..	गांगी नदी का पुल	,, ,,
३	भीतरी ..	समस्त ढूह, प्राचीन किले का अवशेष तथा गुप्त स्तम्भ ।	,, ,,
४	दिलदारनगर ..	प्राचीन अवशेष तथा अन्य इमारतें ..	,, ,,
५	गाजीपुर ..	(१) पुराने ढूह जो सूरी का राज के नाम से प्रसिद्ध हैं । ..	,, ,,
	..	(२) लार्ड कार्नवालिस की कब्र	
६	लतिया	प्रस्तर स्तम्भ तथा अन्य अवशेष ..	,, ,,
७	सहद पुर ..	वाराह की मूर्ति ..	,, ,,
८	शैखनपुर ..	विस्तृत ईंटों से बनी पुरानी इमारत	,, ,,
९	बहादुरगंज ..	मस्जिद तथा ईदगाह ..	,, ,,
१०	बारा ..	दो पुराने टीले ..	
११	बुरहानपुर ..	प्राचीन किले के अवशेष तथा ५ टीले	
१२	बीरपुर ..	प्राचीन अवशेष	
१३	धानपुर ..	प्राचीन किले तथा कोट के अवशेष	
१४	दिलदारनगर ..	प्राचीन तालाब .. रानी सागर	
१५	घोसपुर ..	प्राचीन अवशेष	
१६	जलालाबाद ..	प्राचीन किले का अवशेष	
१७	कासिमाबाद अथवा सानवरसा	प्राचीन किले का अवशेष	
१८	नारायणपुर	दो प्राचीन टीले	
१९	सैदपुर ..	(१) जहरगंज नामक गांव में स्थित प्राचीन टीला (२) उसके समीप ही रामतवक्कू नाम का टीला	
२०	उधरनपुर ..	विस्तृत प्राचीन अवशेष	
२१	जमनिया ..	प्राचीन कोट के अवशेष ।	
२२	महार ..	तहसील गाजीपुर	
२३	गौरा बाजार ..	गाजीपुर	
२४	शाहपुर लठिया	तहसील जमनिया	

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९४ पर)

विवरण

१—जिला जालौन में थाना कदौरा के अन्तर्गत दिनांक १४ फरवरी, १९६५ को ग्राम बबीना मोटर स्टैन्ड के पास दिन के लगभग १० बजे श्री रामानन्दी कोरी को, रंजिश के कारण कुछ व्यक्तियों ने बल्लम, कांता, लाठी द्वारा चोट पहुंचाई है। श्री रामानन्दी की उरई अस्पताल में उसी दिन मृत्यु हो गई। इस मामले में ११ अभियुक्तों का चालान किया जा चुका है। मामला ए० डी० एम० (जे०) की अदालत में विचाराधीन है।

२—दूसरी घटना थाना कदौरा के अन्तर्गत ग्राम परासन की दिनांक १६-२-१९६५ को हुई। इस घटना में सर्वश्री भोला ब्राह्मण, सालिगराम उर्फ कौवा सुनार व देवेन्द्र सिंह नामक व्यक्तियों की हत्या परासन ग्राम के बाहर हार में अभियुक्तों द्वारा रंजिश के कारण दिन के लगभग ११ बजे बन्दूकों द्वारा गोली मार कर, कर दी गई थी। मृतकों की लाशों को करीब २, २ १/२ मील अभियुक्त घसीट कर ले गये और वेतवा नदी के किनारे मिट्टी का तेल डाल कर लाशों को जला दिया और अस्थियों को वेतवा नदी के कुन्ड में फेंक दीं। इस मामले में कुल २१ अभियुक्त उरई जेल में हैं। मामल की विवेचना हो रही है।

नत्थी 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५७ का उत्तर पृष्ठ २९५ पर)

तालिका

थाना	मारे गये व्यक्ति का नाम तथा पता	कत्ल का कारण	जांच का परिणाम तथा मामले की वर्तमान स्थिति
कोतवाली मुजफ्फरनगर	१–श्री सुखराम ग्राम ढंढेरा	डकैती में डाकुओं द्वारा मारे गये	६ व्यक्तियों को धारा ३९६ भा० द० वि० के अन्तर्गत चालान किया गया। १ व्यक्ति को १० वर्ष की सजा हुई। शेष छूट गये।
	२- अज्ञात	अज्ञात ..	जांच के बाद अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई।
	३–कु० राजबीरी, ग्राम बिहारी	लड़की की मां लड़की को लेकर कुएं में कूद गई	धारा ३०२ भा० द० वि० के अन्तर्गत एक अपराध दर्ज हुआ जिसमें अंतिम रिपोर्ट लगा दी।
	४–अज्ञात	अज्ञात ..	जांच के बाद मामले के अंतिम रिपोर्ट लगाई गई।
	५–श्री अब्दुल-रहीम, मो० खालापार, मुजफ्फरनगर	म्युनिसिपल चुनाव संबंधी आपसी झगड़े के कारण अभियुक्त द्वारा चाकू से प्रहार	अपराधी को धारा ३०२ भा० द० वि० के अन्तर्गत चालान किया गया।
	६–श्री मुबारिक-हुसेन नि० ग्राम पडौली जिल सहारन-पूर (लाश थाना मु० नगर के क्षेत्र में कालो नदी मे पुल के पास पाई गइ थी)	अज्ञात ..	अपराध धारा ३०२ भा० द० वि० के अन्तर्गत दर्ज हुआ। जांच जारी है।
	७–श्रीमती केसी, मु० नगर	अज्ञात ..	जांच के बाद मामले में अंतिम रिपोर्ट लगाई गई।
	८–श्री मुख्त्यारा पुत्र मंगत सं सी, नि० ग्राम साभक	विरोधी पार्टी द्वारा गोली मारने से मारे गये	एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया सबूत न होने से मामले में अंतिम रिपोर्ट भेजी गई।
	९–श्री करनवीर-सिंह दीक्षित फोरमैन इंड-स्ट्रियल सेन्टर पुरकाजी।	कुछ विद्यार्थियों ने हाकियों व चाकू से मारा	६ व्यक्तियों के बिरुद्ध धारा ३०२/१२० बी०, भा० द० वि० के अन्तर्गत चार्जशीट न्याय लय भेजी गई है।

नत्थी 'ड'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९७ पर)

तालिका 'क'

(करोड़ रु० में)

मद	पहली योजना		दूसरी योजना		तीसरी योजना	
	प्राविधान	व्यय	प्राविधान	व्यय	प्राविधान	व्यय अनुमानित
कृषि ..	.. २७.०१	२७.०१	४४.७३	३९.७८	८५.८२	१००.१९
उद्योग	.. ६.३७	६.३७	१३.१२	१२.९२	२०.१७	२४.८१

नत्थी 'ढ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६७ पर)

तालिका 'ख'

मद	इकाई	१६५०–५१	१६५५–५६	१६६०–६१	१६६३–६४	१६६५–६६ (अनुमानित)
खाद्यान्न						
(अ) उत्पादन ..	लाख टन	११५.८६१,	१८.६७,	१४२.६७,	११६.२०	१५२.००
(ब) उत्पादन क्षमता (अतिरिक्त) जो बढ़ी	,,	..	२ ७४	२४.००	१४.६५	३३ ६६
तिलहन ..	,,	७.६७	७.५५	१२.८५	१०.६८	१५.००
गन्ना (गुड़ के रूप में)	,,	२६.०३	२६.४०	५३.६५	४६.८३	५०.०३
कपास ..	लाख गांठें	०.४५	०.२६	०.४०	०.४३	०.८५
जूट ..	,,	०.४६	०.८६	१.३६	१.६१	१.७०

तालिका 'ग'

वस्तु	यूनिट	१६५१	१६५६	१६६१	१६६३
सीमेन्ट ..	००० मी० टन	उपलब्ध नहीं	२०४.३	२१७.३	४०६.८
वनस्पति	००० क्विंटल	,,	३६०	६४१	८०३
काटन टेक्सटाइल	लाख मीटर	२.८३०	३.३२६	३.३५८	२.६७२
सूत (Cotton yarn)	००० कि० ग्राम	४६.८७४	५३.४४८	६७.४२७	७६.१४६
चीनी	००० मी० टन	८४७.४	१०६७.०	१२०१.६	उपलब्ध नहीं
एलकोहल स्प्रिट	००० लिटर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	२१.१६२	३६.२७१

नत्थी 'ण'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९८ पर)

विवरण

दिनांक १८-१२-१९६४ को बदलापुर के थानेदार एक मुकदमें की जांच के सम्बन्ध में जिल्द बन्दोबस्त लेने के लिये आवश्यक आदेश लेकर डेढ़ बजे दिन में मुहाफिजखाना गये और मुहाफिजखाना मोहर्रिर को अवधायक अधिकारी का आदेश दिखलाया। मुहाफिज खाना मुहर्रिर के यह कहने पर कि बन्दोबस्त की जिल्द उन्हें नहीं मिल सकती और इसकी नकल वह तहसील में जाकर देख सकते हैं, दोनों व्यक्तियों में कहा सुनी हुई और इस दौरान में मुहाफिज खाना मुहर्रिर को धक्का लगा और वह मेज से टकरा गये। अन्य उच्च अधिकारियों (अतिरिक्त परगनाधीश जौनपुर और उप पुलिस अधीक्षक) के घटनास्थल पर पहुंचने के कारण स्थिति बिगड़ने से बच गयी। घटना की जांच की गई और बयान आदि हुए पर इसी बीच मुहाफिज खाना के मोहर्रिर ने अतिरिक्त न्यायाधीश (न्याय) के न्यायालय में एक इस्तगासा भी दाखिल कर दिया। यह इस्तगासा दिनांक १-२-१९६५ को अदम पैरवी में खारिज हो गया क्योंकि थानेदार व मुहाफिज खाना के मोहर्रिर में सुलह हो गई थी। इस कारण कोई कार्यवाही किसी के विरुद्ध नहीं की गई।

नत्थी 'त'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०० पर)

तालिका

क्रम-संख्या	चीनी मिल का नाम	१९६३–६४ में पेरा गया गन्ना (लाख क्विन्टल में)	१९६२–६४ में बनाई गई चीनी (हजार मैट्रिक टन में)
१	इकबालपुर	२६–९७	२४–२१
२	डोईवाला	८–४३	८–२१
३	देवबन्द	४०–३५	३८–२२
४	लक्सर	२२–१२	२०–२७
५	सहारनपुर	१९–१६	१७–२५
६	सरसावा	१०–३०	९–०२
७	मन्सूरपुर	२९–४२	२४–९१
८	खतौली	२९–६०	२६–४२
९	रोहाना	१८–६९	१५–७५
१०	शामली	४२–८५	३६–१६
११	सकौती	१४–८०	१२–५९
१२	दौराला	२०–६२	१७–३५
१३	जसवन्त	१५–१७	१३–६३
१४	मोहिद्दीनपुर	९–८६	८–५५
१५	बेगमाबाद	१२–०१	१०–५८
१६	सिम्भावली	२२–१५	२०–०५
१७	मवाना	१९–९६	१७–१६
१८	बागपत	१५–१६	१२–८७
१९	बुलन्दशहर	११–६२	१०–५२
२०	काहींपुर	२१–००	१९–७०
२१	बाजपुर	१९–७९	१८–९०
२२	न्यौली	१३–५२	१२–८२
२३	अमरोहा	२१–१५	२०–०७
२४	बिलारी	१८–४६	१७–७२
२५	बहेडी	२२–२२	२१–१९
२६	बरेली	१५–९३	१५–०८
२७	पीलीभीत	२५–९५	२४–९४
२८	मझोला	..	..
२९	धामपुर	२६–३३	२५–७१
३०	सिवसूरा	३६–७०	३६–७१
३१	बिजनौर	१४–३५	१३–३०
३२	रोजा	१०–४४	१०–३०
३३	बुलन्दशहर	१८–२९	१७–१३
३४	रोजा	१६–७९	१५–९१
३५	हरदोई	१६–४८	१६–८४

१	२	३	४
३६	हरगांव	४३–९१	४५–७३
३७	महोली	१९–६९	२०–२९
३८	बिसवां	१२–८७	१३–१४
३९	गोला	७४–९९	७४–१०
४०	ऐरा	१७–२२	१७–००
४१	बाराबंकी	७–४९	७–२९
४२	बुढ़वल	७–८२	७–५०
४३	मसोधा	१२–०८	१२–३२
४४	शाहगंज	६–६४	६–२५
४५	खलीलालाबाद	४–२६	४–०५
४६	भुण्डावा	५–५७	५–५७
४७	बस्ती	९–००	९–५३
४८	वाल्टागंज	९–१९	८–१६
४९	बभनान	७–०७	७–१६
५०	नवाबगंज	८–५०	८–२०
५१	तुलसीपुर	११–२६	११–७०
५२	बलरामपुर	७–१७	७–४२
५३	जरवल रोड	६–९८	७–१९
५४	परतावपुर	९–७१	९–३१
५५	बेतालपुर	९–६४	९–११
५६	गौरीबाजार	६–७५	६–८७
५७	देवरिया	८–७१	८–४६
५८	कैप्टेनगंज	१३–२०	१३–०४
५९	खेड्डा	९–०३	८–८१
६०	छितौनी	९–६५	९–६१
६१	लक्ष्मीगंज	८–४४	७–९१
६२	रामकोला (पी)	१९–७८	१९–९२
६३	रामकोला (के)	८–५८	८–७६
६४	पडरौना	१३–४०	१३–९२
६५	कठकुइयां	७–६०	७–७७
६६	सिवराही	१०–७१	१०–३०
६७	भटनी	७–५१	७–४८
६८	सरदारनगर	२२–२८	२१–५०
६९	पिपराइच	८–६६	८–३९
७०	घुघली	११–५२	११–६६
७१	सिसवाबाजार	११–२७	१०–९५
७२	फरेन्दा	८–३४	८–३२
७३	कानपुर	०–८८	०–६५
योग	पूर्वी उ० प्र०	३०७–५२	३०४–७३
योग	पश्चिमी उ० प्र०	८५५–६२	८००–३१
योग	सम्पूर्ण उ० प्र०	११६३–१४	११०५–६९

नत्थी 'थ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०० पर)

सूची

१—अलीगढ़	..	..	..	..	३५०
२—आगरा	..	..	..	..	१९६
३—आजमगढ़	..	..	..	..	१८५
४—इलाहाबाद	..	..	..	..	७५
५—बलिया	..	..	..	..	२
६—बाराबंकी	..	..	..	..	६२
७—देहरादून	..	..	..	..	१३२
८—फैजाबाद	..	..	..	..	८७३
९—झांसी	..	..	..	..	२१
१०—कानपुर	..	..	..	..	६६२
११—लखनऊ	..	..	..	..	१९
१२—मथुरा	..	..	..	..	१०३
१३—मेरठ	..	..	..	..	११४
१४—मिर्जापुर	..	..	..	..	५२
१५—मुरादाबाद	..	..	..	..	४
१६—प्रतापगढ़	..	..	..	..	२
१७—सहारनपुर	..	..	..	..	२३
१८—उन्नाव	..	..	..	..	१
१९—वाराणसी	..	..	..	..	६२
२०—बरेली	..	..	..	..	१०
२१—बस्ती	..	..	..	..	१६८
२२—गोरखपुर	..	..	..	..	२४
२३—हरदोई	..	..	..	..	८०
योग	..			..	३,१८०

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०-४६ एल० ए०—१९६५—८६२।